SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
पेंशन क्षेत्र में प्रमुख इकाइयां और योजनाएं

संघ सरकार
वित्तीय सेवाएं विभाग
2026 की प्रतिवेदन संख्या-15
(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
पेंशन क्षेत्र में प्रमुख इकाइयां और योजनाएं

संघ सरकार
वित्तीय सेवाएं विभाग
2026 की प्रतिवेदन संख्या-15
(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय-सूची

पैरा	उप-पैरा	विवरण	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन			v
कार्यकारी सार			vii
अध्याय-I : परिचय			
1.1		भारत में पेंशन क्षेत्र	1
1.2		वैश्विक पेंशन सूचकांक	2
1.3		पेंशन क्षेत्र में प्रमुख इकाइयों और योजनाओं की कार्यप्रणाली का आकलन	3
	1.3.1	शासकीय ढाँचा	3
	1.3.2	निधि प्रबंधन	4
	1.3.3	अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	4
1.4		लेखापरीक्षा ढाँचा	4
	1.4.1	लेखापरीक्षा यूनिवर्स	4
	1.4.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	5
	1.4.3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	5
	1.4.4	लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत	6
1.5		अभिस्वीकृति	6
अध्याय-II : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण			
2.1		पीएफआरडीए के बारे में	7
	2.1.1	पीएफआरडीए की संगठनात्मक संरचना, शक्तियां और कार्य	7
	2.1.2	एनपीएस संरचना	7
2.2		पीएफआरडीए का शासकीय ढाँचा	9
	2.2.1	शासकीय संरचना	9
	2.2.2	शासकीय ढाँचा	10
2.3		निधि प्रबंधन	12
	2.3.1	पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए नीतियां और दिशानिर्देश	12
	2.3.2	न्यूनतम आश्वासित प्रतिफल योजना	16

पैरा	उप-पैरा	विवरण	पृष्ठ सं.
	2.3.3	पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा निवेश दिशानिर्देशों का अनुपालन	18
2.4		अभिदाताओं के हितों की संरक्षण	20
	2.4.1	सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए विनियम	20
	2.4.2	एनपीएस न्यास और पीएफआरडीए द्वारा शुल्क/प्रभार का संग्रह	21
	2.4.3	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	23
	2.4.4	शिकायत निवारण तंत्र	24
2.5		सारांश	30
अध्याय- III : सांविधिक पेंशन प्रणालियाँ			
3.1		कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	36
	3.1.1	शासकीय ढाँचा	36
	3.1.2	निधि प्रबंधन	41
	3.1.3	अभिदाता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र	45
3.2		कोयला खान भविष्य निधि संगठन	49
	3.2.1	शासकीय ढाँचा	50
	3.2.2	निधि प्रबंधन	51
	3.2.3	अंशदाताओं के हितों का संरक्षण	54
3.3		नाविक भविष्य निधि संगठन	56
	3.3.1	शासकीय ढाँचा	57
	3.3.2	निधि प्रबंधन	58
	3.3.3	अभिदाताओं के हितों की संरक्षण	59
3.4		असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	63
	3.4.1	शासकीय ढाँचा	63
	3.4.2	निधि प्रबंधन	68
	3.4.3	अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	71
3.5		सारांश	74
अध्याय- IV: सीपीएसई और स्वायत्त निकायों द्वारा प्रबंधित पेंशन प्रणालियाँ			
4.1		पृष्ठभूमि	77
4.2		लेखापरीक्षा के लिए पेंशन प्रणालियों का चयन	78
4.3		भारतीय कपास निगम लिमिटेड	79
	4.3.1	शासकीय ढाँचा	80

पैरा	उप-पैरा	विवरण	पृष्ठ सं.
	4.3.2	निधि प्रबंधन	80
	4.3.3	अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	82
4.4		चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	82
	4.4.1	शासकीय ढाँचा	83
	4.4.2	निधि प्रबंधन	83
	4.4.3	अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	85
4.5		राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	86
	4.5.1	शासकीय ढाँचा	86
	4.5.2	निधि प्रबंधन	88
	4.5.3	अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	89
4.6		मेकॉन लिमिटेड	90
	4.6.1	शासकीय ढाँचा	91
	4.6.2	निधि प्रबंधन	91
	4.6.3	अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	92
4.7		कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	92
	4.7.1	शासकीय ढाँचा	93
	4.7.2	निधि प्रबंधन	93
	4.7.3	अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	95
4.8		भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	96
	4.8.1	शासकीय ढाँचा	96
	4.8.2	निधि प्रबंधन	98
	4.8.3	अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	99
4.9		सारांश	100
5.1		पृष्ठभूमि	103
5.2		अटल पेंशन योजना	106
	5.2.1	नियोजन	106
	5.2.2	एपीवाई का कार्यान्वयन	108
	5.2.3	निधि प्रबंधन	110
	5.2.4	निगरानी	111
5.3		प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	113
	5.3.1	नियोजन	113

पैरा	उप-पैरा	विवरण	पृष्ठ सं.
	5.3.2	कार्यान्वयन	115
	5.3.3	निगरानी	117
5.4		प्रधानमंत्री किसान मानधन योजन	120
	5.4.1	नियोजन	121
	5.4.2	कार्यान्वयन	123
	5.4.3	निगरानी	125
5.5		प्रधानमंत्री वय वंदन योजना	127
	5.5.1	नियोजन	127
	5.5.2	कार्यान्वयन	128
	5.5.3	निधि प्रबंधन	128
	5.5.4	शिकायत निवारण तंत्र	130
5.6		सारांश	131
अध्याय- VI: निष्कर्ष एवं आगे की राह			
6.1		शासकीय व्यवस्था	133
6.2		निधि प्रबंधन	134
6.3		अभिदाताओं के हितों का संरक्षण	136
6.4		असंगठित क्षेत्र के लिए योजनाएं	136
6.5		भारत में पेंशन प्रणालियों में अन्य मुद्दे	137
6.6		आगे की राह	138
अनुलग्नक			139

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 और लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 के अनुसार तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2017 से मार्च 2024 की अवधि के लिए पेंशन क्षेत्र में प्रमुख इकाइयों और योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

परिचय

भारत की पेंशन प्रणाली में विभिन्न सेवानिवृत्ति संबंधी उपकरण शामिल हैं जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाएं। भविष्य निधि और ग्रेच्युटी मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त लाभ प्रदान करती हैं, जबकि पेंशन योजनाएं नियमित सेवानिवृत्ति के बाद आय प्रदान करती हैं।

भारत में पेंशन क्षेत्र लगभग एक सदी से अधिक समय से लागू विभिन्न कानूनों द्वारा शासित है, जिसमें भविष्य निधि अधिनियम, 1925 से लेकर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 तक शामिल हैं। इस क्षेत्र में विविध प्रणालियाँ नामतः सांविधिक संगठन जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पीएफआरडीए, क्षेत्र-विशिष्ट संगठन जैसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ), और नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ), और असंगठित क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

इस संदर्भ में, पेंशन क्षेत्र में प्रभावी शासन, विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन और अभिदाताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा कानूनी, विनियामक और संस्थागत ढांचे की कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए प्रमुख इकाइयों और योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा जनवरी 2022 से अगस्त 2024 के दौरान की गई जिसमें अप्रैल 2017 से मार्च 2024 की अवधि को शामिल करते हुए वित्तीय सेवाएं विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों, पीएफआरडीए और अन्य चयनित इकाइयों जैसे सांविधिक पेंशन प्रणालियों (ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, एसपीएफओ और एटीईपीएफओ), छह स्वायत्त निकायों/सीपीएसई[1] द्वारा प्रबंधित पेंशन प्रणालियों और चार प्रमुख सरकारी पेंशन

---

[1]कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), मेकॉन लिमिटेड, कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

योजनाओं[2] के संबंधित अभिलेखों की जाँच के साथ की गई जो उनके प्रशासन, विनियमन और प्रबंधन में शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने पेंशन क्षेत्र में तीन व्यापक अंतर्संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रमुख इकाइयों और योजनाओं की कार्यप्रणाली का आकलन किया:

(i) शासकीय ढांचा, जिसमें संगठनात्मक संरचना, निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र शामिल हैं।

(ii) निधि प्रबंधन जिसमें अन्य बातों के साथ निवेश रणनीतियाँ, परिसंपत्ति आवंटन, जोखिम प्रबंधन पद्तियां, निष्पादन निगरानी और अनुपालन शामिल हैं, और

(iii) शिकायत निवारण तंत्र और परिचालन और वित्तीय जोखिमों से सुरक्षा सहित अभिदाताओं के हितों का संरक्षण।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

विनियामक निकाय और अन्य संगठन (सीपीएसई/एबी सहित)

(ए) शासकीय ढाँचा

- पीएफआरडीए एक विनियामक के साथ-साथ एनपीएस न्यास के सीईओ और न्यासियों की नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण था। विनियामक होने के बावजूद, पीएफआरडीए ने मध्यस्थों (एनपीएस संरचना में शामिल इकाइयों) को नियुक्त किया और एनपीएस न्यास के साथ उसका कोई स्वतंत्र संबंध नहीं था। इसी तरह, ईपीएफओ की वित्त, निवेश और लेखापरीक्षा समिति ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों का चयन किया और उनके बीच निधियों को आवंटित किया, साथ ही उनकी गतिविधियों की निगरानी और निरीक्षण भी किया।

(पैरा 2.2.1 और 3.1.1.1)

- न्यासी बोर्ड की बैठकों के लिए समय-सीमा या तो निर्धारित नहीं की गई थी (सीएमपीएफओ, एटीईपीएफओ, आरआईएनएल और मेकॉन में) या बोर्ड/समितियों ने

[2]अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई)

निर्धारित आवृत्ति (सीएमपीएफओ और एसपीएफओ में) के अनुसार बैठक नहीं की या उपलब्ध रिकॉर्ड में आईआईएफटी के मामले में बोर्ड की बैठकों के आयोजन का संकेत नहीं मिला। सीपीएसई/एबी जैसे आरआईएनएल, सीपीसीएल और मेकॉन में निरीक्षण संबंधी अन्य मुद्दों का भी अवलोकन किया गया।

(पैरा 3.2.1.1, 3.2.2.1, 3.3.1, 3.4.1.1, 4.4.1, 4.5.1.1, 4.6.1.1 और 4.8.1.2)

- एसपीएफओ को एसपीएफ अधिनियम 1966 में लागू प्रावधानों के बिना नाविकों के संबंध में अनुग्रही और वार्षिकी योगदान प्राप्त हुआ। सीडीएलबी को 2019 में संशोधित भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आईआईएफटी के पीएफ न्यास का कोई अलग कानूनी अस्तित्व था। आईआईएफटी में वार्षिक लेखाओं को बनाने में देरी हुई।

(पैरा 3.3.3.3, 4.7.1.1, 4.8.1.1 और 4.8.1.3)

(बी) निधि प्रबंधन

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में, पेंशन निधि प्रबंधकों (पीएफएम) द्वारा निर्धारित निवेश सीमाओं के उल्लंघन के उदाहरण थे। एटीईपीएफओ ने सुरक्षा पहले के मानदंड का पालन किए बिना निवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान हुए। 2018-19 और 2019-20 के दौरान इक्विटी और संबंधित निवेशों में सीसीआईएल न्यूनतम अपेक्षित सीमा को पूरा नहीं कर सका। आरआईएनएल प्रबंधित न्यासों में, 2018-19, 2020-21 और 2021-22 के दौरान इक्विटी और संबंधित उपकरणों में निवेश में कमी आई थी। आईआईएफटी ने निवेश की कुल राशि के 45 प्रतिशत की सीमा के प्रति बैंकों की सावधि जमा और ऋण प्रतिभूतियों में 85 प्रतिशत निधि का निवेश किया।

(पैरा 2.3.3 , 3.4.2.1 , 4.3.2.2 , 4.5.2.1 और 4.8.2.1)

- कुछ पेंशन निधि प्रबंधकों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों जैसे कुछ निवेशों के लिए स्टॉप लॉस सीमा तैयार नहीं की। ईपीएफओ पोर्टफोलियो में निवेश ग्रेड से नीचे की प्रतिभूतियों से बाहर निकलने की नीति तैयार की जा रही थी। एसपीएफओ और सीसीआईएल के निवेश ढांचे में स्टॉप-लॉस पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं किया

था। सीपीसीएल के पास निवेश के चयन और निगरानी का मार्गदर्शन करने के लिए एक आंतरिक निवेश नीति का भी अभाव था।

(पैरा 2.3.1.1, 3.1.2.1, 3.3.2.2, 4.3.2.1 और 4.4.2.4)

- 31 मार्च 2024 तक, पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास ने क्रमशः ₹415.25 करोड़ और ₹94.19 करोड़ का कॉर्पस जमा किया था, जबकि ईपीएफओ के प्रशासन निधि खाते में ₹33,117.46 करोड़ की राशि थी (31 मार्च 2023 तक)। इसके अलावा, योजना के तहत आय और व्यय के लिए उपयोग किए जाने वाले एटीईपीएफओ में पीएफ अर्जन और वितरण खाते में 2019-20 में ₹9.45 करोड़ से 2023-24 में ₹268.40 करोड़ तक के बढ़ते घाटे दर्ज किए गए।

(पैरा 2.4.2.1, 2.4.2.2, 3.1.1.3 और 3.4.2.3)

- 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 तक ईपीएफओ के बीमांकिक मूल्यांकन में प्रति माह ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन देयता को शामिल नहीं किया गया था, जिससे संभावित घाटे का कम प्रतिवेदन हुआ। इसके अलावा, एटीईपीएफओ के मामले में बीमांकिक मूल्यांकन जनवरी 2019 से प्रक्रियाधीन था - लेकिन अप्रैल 2025 तक इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

(पैरा 3.1.2.2 और 3.4.2.2)

- सीएमपीएफओ की पेंशन निधि को अभिदाताओं की संख्या में कमी और पेंशनर की संख्या में वृद्धि के कारण बीमांकिक घाटे का सामना करना पड़ा। सीपीसीएल में, वर्ष 2021-22 को छोड़कर, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए, निवेश पर अर्जित दरें अभिदाताओं को घोषित रिटर्न की दरों से कम थीं। सीडीएलबी एक समर्पित पेंशन निधि के बिना संचालित हो रहा था और 31 मार्च 2023 तक ₹967.38 करोड़ की बकाया देनदारी के साथ आय से पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

(पैरा 3.2.2.3, 4.4.2.3 और 4.7.2.2)

(सी) अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

- पीएफआरडीए के पास एक परिभाषित शिकायत एस्केलेशन मैट्रिक्स था, हालांकि शिकायतों के समाधान के साथ-साथ लोकपाल द्वारा निर्णय जारी करने में देरी हुई। इसी तरह, ईपीएफओ के मामले में भी शिकायत के समाधान में देरी हुई, जिसमें 41

प्रतिशत शिकायतों को हल करने में निर्धारित सात दिनों से अधिक समय लगा। एसपीएफओ में, सीपीजीआरएएमएस एकमात्र उपलब्ध शिकायत निवारण पोर्टल था और अभिदाता अपने खातों से संबंधित बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम पर भरोसा कर रहे थे। एटीईपीएफओ में, अनुपालन के 50 प्रतिशत से भी कम शिकायत मामलों का निपटान 30 दिनों के अन्दर किया गया और नोडल कार्यालयों के बीच शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की निगरानी के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था।

(पैरा 2.4.4.2, 2.4.4.4, 3.1.3.2, 3.3.3.5 और 3.4.3.3)

- शिकायतों के समाधान के लिए टर्नअराऊण्ड समय और एस्केलेशन तंत्र का विवरण देने वाली शिकायत निवारण नीति की अनुपस्थिति जैसे मुद्दे सीपीएसई/एबी जैसे कि सीसीआईएल, सीपीसीएल, मेकॉन और सीडीएलबी में भी देखे गए।

(पैरा 4.3.3.1, 4.4.3.1, 4.6.3.1 और 4.7.3.1)

- पीएफआरडीए अधिनियम के संबंधित प्रावधान में उल्लेख है कि न्यूनतम आश्वस्त रिटर्न चाहने वाले अभिदाताओं के पास ऐसी योजनाओं में धन का निवेश करने का विकल्प होगा जो पीएफआरडीए द्वारा अधिसूचित न्यूनतम रिटर्न प्रदान करती हैं। हालांकि, पीएफआरडीए के पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा न्यूनतम आश्वस्त रिटर्न योजना (एमएआरएस) को अभी तक लागू नहीं किया गया है। ईपीएफओ के मामले में, ₹15,000 की वेतन सीमा को आखिरी बार सितंबर 2014 में संशोधित किया गया था।

(पैरा 2.3.2 और 3.1.3.1)

- सीएमपीएफओ ने, 2023-24 के अंत तक ₹12,130.91 करोड़ की राशि को उचंत खातों में रखा, जिसे अभी तक वैयक्तिक खाते में पोस्ट नहीं किया गया था। एसपीएफओ में लेखांकन में चूकें देखी गई, जहां 28,000 से अधिक अभिदाताओं के अंशदान को पोस्ट नहीं किया गया, जिससे उन्हें ब्याज क्रेडिट से वंचित कर दिया गया। एटीईपीएफओ में, प्रत्येक वर्ष के अंत में पीएफ अंशदान की जमा में कमी 2018-19 में ₹78.69 करोड़ और 2021-22 में ₹315.45 करोड़ के बीच थी। इसके अतिरिक्त, आईआईएफटी में आईटी प्रणाली ने सिस्टम डिजाईन दोषों के कारण

सदस्यों के लिए शेष राशि नकारात्मक दिखाई और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सक्रिय अभिदाता दिखाया।

(पैरा 3.2.3.2, 3.3.3.1, 3.4.1.2 और 4.8.3.1)

- एटीईपीएफओ में, पारिवारिक पेंशन दावों के संबंध में, 2017-18 से 2023-24 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में 59 प्रतिशत से 90 प्रतिशत दावे बकाया थे और 99-100 प्रतिशत दावों का निपटान 30 दिनों की समय सीमा का उल्लंघन कर चुका था।

(पैरा 3.4.3.1)

असंगठित क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं

(i) योजना और कवरेज

- एपीवाई में, दिसंबर 2015 तक दो करोड़ लोगों को नामांकित करने का प्रारंभिक लक्ष्य, पांच साल की देरी के बाद 2020 तक प्राप्त किया गया। 31 मार्च 2024 तक योजना में बने रहने वाले अभिदाताओं का अनुपात कुल एपीवाई खातों का लगभग 51 प्रतिशत था। एपीवाई में अपर्याप्त सत्यापन के परिणामस्वरूप अपात्र अभिदाताओं का नामांकन हुआ। मार्च 2023 के अंत तक 10 करोड़ अभिदाताओं के लक्ष्य के प्रति 31 मार्च 2024 तक 44.92 लाख अभिदाताओं ने पीएमएसवाईएम की सदस्यता ली। पीएमकेएमवाई में, 2021-22 तक 5 करोड़ अभिदाताओं के लक्ष्य के प्रति, 31 मार्च 2024 तक, योजना में 19.49 लाख अभिदाताओं का नामांकन हुआ।

(पैरा 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.3.1.1 और 5.4.1.1)

- प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान एक विशिष्ट प्राथमिक पहचानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण एपीवाई, पीएमएसवाईएम और पीएमकेएमवाई में एकल बैंक खातों से कई खातों को जोड़ा गया।

(पैरा 5.2.2.2, 5.3.2.1 और 5.4.2.1)

(ii) वित्तीय प्रबंधन और निरीक्षण

- एपीवाई के विपरीत, पीएमएसवाईएम और पीएमकेएमवाई में पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के कार्यान्वयन के लिए एलआईसी और डीएफएस की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित समझौता ज्ञापन पर उनके बीच हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।
- मार्च 2023 तक, पीएमवीवीवाई पोर्टफोलियो में 98 प्रतिशत निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था (60-70 प्रतिशत की सीमा के प्रति), और 15 साल की सीमा से अधिक अवधि वाली प्रतिभूतियों में ₹5,437.74 करोड़ का निवेश किया गया था।

(पैरा 5.2.3.1, 5.3.2.2, 5.4.2.2, 5.5.1.1 और 5.5.3.1)

(iii) कार्यान्वयन और अभिदाता समर्थन

- पीएमवीवीवाई में, प्रत्येक अभिदाता के पास ₹15 लाख की अधिकतम खरीद मूल्य सीमा थी जिसे योजना में निवेश किया जा सकता था। हालाँकि, 1,793 अभिदाताओं में कुल खरीद मूल्य ₹15 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक हो गया था।
- पीएमवीवीवाई में, प्रारंभ से लेकर मार्च 2022 तक जारी की गई 10.89 लाख पॉलिसियों के प्रति 5,314 शिकायतें दर्ज की गई। जबकि 42 प्रतिशत शिकायतों का समाधान दो दिनों के अन्दर हो गया, सात प्रतिशत शिकायतों को हल करने में 10 दिनों के टर्नअराऊण्ड समय से अधिक समय लगा।
- पीएमएसवाईएम के तहत शिकायत के मामलों की नमूना जांच में अनुचित समाधान के उदाहरण सामने आए।

(पैरा 5.5.2.1, 5.5.4 और 5.3.3.3)

लेखापरीक्षा सिफारिशें

लेखापरीक्षा द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(1) वित्तीय सेवा विभाग विनियामक और ऑपरेटर के बीच उचित संबंध सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए की विनियामक भूमिका और एनपीएस न्यास की परिचालन भूमिका के बीच पृथक्करण पर विचार कर सकता है।

(2) पीएफआरडीए सेवानिवृत्ति पर एनपीएस अभिदाताओं को न्यूनतम आश्वस्त प्रतिफल प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करने के लिए न्यूनतम आश्वस्त प्रतिफल योजना के कार्यान्वयन में तेजी ला सकता है।

(3) पीएफआरडीए (i) शिकायतों के समय पर समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित कर सकता है जिसमें विभिन्न एजेंसियों से शिकायतों के स्वचालित स्थानांतरण के साथ एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण पोर्टल विकसित किया जा सकता है और (ii) शिकायतों को उच्च स्तर पर बढ़ाने के लिए एक एकीकृत प्रणाली स्थापित की जा सकती है।

(4) ईपीएफओ छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कामकाज में सुधार करने और गैर-अनुपालन के उदाहरणों को कम करने के लिए उपाय लागू कर सकता है।

(5) ईपीएफओ निवेश के लिए निकास नीति को अंतिम रूप देने में तेजी ला सकता है।

(6) कर्मचारी भविष्य निधि योजना की वेतन सीमा को संशोधित करने, कामकाजी आबादी के कवरेज को बढ़ाने और सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त पेंशन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय त्वरित कदम उठा सकता है।

(7) सीएमपीएफओ उचंत खाते के तहत बकाया राशि को निपटाने और अभिदाताओं को लाभ देने के लिए कदम उठा सकता है। सीएमपीएफओ भविष्य में उचंत खाते में शेष राशि के संचय की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अभिदाताओं के खातों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी ला सकता है।

(8) एसपीएफओ अभिदाताओं के खातों में लंबित पोस्ट नहीं की गई मदों को शीघ्रता से निपटा सकता है और भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है।

(9) वार्षिकी और अनुग्रही योजनाओं के संचालन के साथ-साथ 2017-18 से एसपीएफओ द्वारा एकत्र किए गए अंशदान को नियमित करने के लिए मंत्रालय कानून में संशोधन के लिए तेजी ला सकता है।

(10) एटीईपीएफओ, चाय बागान श्रमिकों के नामांकन और उनके समय पर अंशदान जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए, सभी चाय बागानों का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण करने के लिए कदम उठा सकता है।

(11) एटीईपीएफओ योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यांकन को सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर योजना की निधियों के बीमांकिक मूल्यांकन का संचालन सुनिश्चित कर सकता है।

(12) सीसीआईएल विभिन्न श्रेणियों के निवेशों के लिए एक स्टॉप लॉस पॉलिसी तैयार कर सकता है, अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है और एक विस्तृत शिकायत निवारण नीति अधिसूचित कर सकता है।

(13) सीपीसीएल विभिन्न श्रेणियों के निवेशों के लिए एक व्यापक निवेश नीति तैयार कर सकता है, जिसमें टर्नअराऊण्ड समय, एस्केलेशन तंत्र आदि का विवरण देते हुए एक विस्तृत शिकायत निवारण नीति अधिसूचित करने के साथ-साथ इसका अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

(14) आरआईएनएल न्यासी बोर्ड की बैठकों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है और निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कर सकता है।

(15) सीडीएलबी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (2019 में संशोधित) की प्रयोज्यता के मुद्दे को श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ उठा सकता है।

(16) आईआईएफटी का न्यासी बोर्ड, आईआईएफटी के पीएफ न्यास के एक अलग कानूनी अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठा सकता है।

(17) पीएफआरडीए उन एपीवाई लाभार्थियों को योजना से निकाल सकता है जो आयकरदाता हैं या अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी हैं। इसके लिए वह आयकर विभाग से उनकी करदाता स्थिति तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनके नामांकन का सत्यापन पैन, आधार या अन्य आवश्यक व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं के माध्यम से कर सकता है।

(18) श्रम और रोजगार मंत्रालय सीपीजीआरएएमएस या अन्य पोर्टलों के माध्यम से उठाई जा रही पीएमएसवाईएम के तहत दर्ज शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कदम उठा सकता है।

(19) मंत्रालय आईईसी गतिविधियों के संचालन जैसे उपायों के माध्यम से पीएमकेएमवाई के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए कदम उठा सकता है।

(20) विभाग पीएमवीवीवाई के कार्यान्वयन में शामिल हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण देते हुए एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

अध्याय-I

परिचय

अध्याय-I
परिचय

1.1 भारत में पेंशन क्षेत्र

पेंशन वृद्धावस्था आय असुरक्षा के प्रति व्यक्तियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में वृद्ध व्यक्तियों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) की संख्या वर्ष 2036 तक 23 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो कुल अनुमानित आबादी का 14.9 *प्रतिशत* है। यह वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

भारत में प्रमुख सेवानिवृत्ति लाभों में भविष्य निधि, उपदान और पेंशन शामिल हैं। भविष्य निधि और उपदान एकमुश्त लाभ प्रदान करते हैं जबकि पेंशन मासिक वार्षिकी के रूप में होती है। मोटे तौर पर, भारत में पेंशन योजनाओं को विभिन्न साधनों के आमेलन के रूप में निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:

- **सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (गैर-अंशदायी):** ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रबंधन करता है जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना शामिल हैं।
- **सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (अंशदायी):** अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधान मंत्री कर्मयोगी मानधन योजना और प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना।
- **सिविल सेवा पेंशन**: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ संभावित रूप से बंद कर दी गई है।
- **विशेष भविष्य निधि**: कोयला खान भविष्य निधि, नाविक भविष्य निधि, जम्मू-कश्मीर भविष्य निधि और असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि उनसे संबंधित कानूनों द्वारा शासित होती है।
- **कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा विनियमित।
- **अनुमोदित अधिवर्षिता निधि और मान्यता प्राप्त भविष्य निधि:** एक अनुमोदित अधिवर्षिता निधि एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाया गया एक संगठनात्मक पेंशन कार्यक्रम है। इन निधियों को आय कर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:** 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत शामिल किया गया था। इसके बाद, 2009 में, एनपीएस को सार्वभौमिक उत्पाद बनाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया गया था।

- **सार्वजनिक भविष्य निधि:** सरकार समर्थित दीर्घकालिक निवेश योजना लाभ और सुनिश्चित ब्याज दरे प्रदान करती है।
- **म्यूचुअल फंड की सेवानिवृति योजनाएँ:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तहत पंजीकृत म्यूचुअल फंड भी अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति उत्पाद प्रदान करते हैं।
- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विनियमित जीवन बीमा कंपनियों की वार्षिकी योजनाएं**: आईआरडीएआई के तहत पंजीकृत पेंशन उत्पाद बीमा कंपनियाँ अभिदाताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रदान करती हैं। इन उत्पादों के तहत, अभिदाताओं को एक विशिष्ट राशि (या तो एकमुश्त या एक अवधि में) का भुगतान करना होता है और बाद में, निवेश की गई राशि के आधार पर बीमा कंपनियाँ अभिदाताओं को वार्षिकी का भुगतान करती हैं।

अंशदान और लाभांश की प्रकृति के आधार पर पेंशन योजनाओं को परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं और हाइब्रिड योजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **परिभाषित अंशदान पेंशन योजना** में पेंशन अंशदान को परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है और किए गए अंशदान और निवेश प्रतिफल पर पेंशन लाभ नियत किये जाते है। इस तरह की पेंशन से जुड़े जोखिम, योजना के सदस्यों अर्थात अभिदाताओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नियोक्ता के अंशदान के अलावा कर्मचारी के अंशदान के रूप में वेतन का एक निश्चित प्रतिशत काटा जाता है।
- **परिभाषित लाभ पेंशन योजना** में योजना के नियम भुगतान किए जाने वाले लाभों की दर को निर्दिष्ट करते हैं, प्रायः कर्मचारी के वेतन के संबंध में, जब वे काम कर रहे होते हैं । इसमें नियोक्ता या योजना प्रायोजक द्वारा 'भुगतान करने का वादा' शामिल है, जिसे दिया जाना चाहिए चाहे निधि उपलब्ध हो या ना हो , इस प्रकार जोखिम प्रायोजक अर्थात नियोकता का होता है। उदाहरण के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना।
- **हाइब्रिड पेंशन योजनाएं** परिभाषित लाभ और परिभाषित अंशदान योजनाओं का मिश्रण है। इन योजनाओं में अंशदान और लाभ दोनों को परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना।

1.2 वैश्विक पेंशन सूचकांक

मर्सर सीएफए संस्थान वैश्विक पेंशन सूचकांक (एमसीजीपीआई) जिसे आमतौर पर मर्सर पेंशन सूचकांक के रूप में जाना जाता है, की वार्षिक प्रतिवेदन में चर्चा की जाती है, जो विभिन्न देशों की पेंशन प्रणालियों का मूल्यांकन और क्रम निर्धारण (रैंकिंग) करती है। मर्सर पेंशन सूचकांक पेंशन प्रणालियों की पर्याप्तता, स्थिरता और विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।

सूचकांक तीन मानदंडों के आधार पर पेंशन प्रणालियों का मूल्यांकन करता है:

(i) पर्याप्तता

किसी भी पेंशन प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना है। इसलिए, यह उप-सूचकांक प्रत्येक प्रणाली द्वारा प्रदत्त आय के मूल स्तर (या आर्थिक सुरक्षा कवच) के साथ-साथ औसत वेतन के 50 *प्रतिशत* से 150 *प्रतिशत* तक की आय के स्तरों की शुद्ध प्रतिस्थापन दर पर विचार करता है।

(ii) स्थिरता

मौजूदा सेवानिवृत्ति आय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता कई देशों में एक चिंता का विषय है, विशेष रूप से वृद्ध जनसंख्या, बढ़ती वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात, पेंशन पर सार्वजनिक व्यय, सरकार पर अत्यधिक ऋण और बढ़ती मुद्रास्फीति के संदर्भ में।

स्थिरता की एक महत्वपूर्ण विशेषता अग्रिम वित्त-पोषण स्तर है जो विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का अनुपात घट रहा है। इसलिए, यह उप-सूचकांक अंशदान दरें, पेंशन परिसंपत्तियों के स्तर और पेंशन प्रणाली की कवरेज पर विचार करता है।

(iii) विश्वसनीयता

तीसरा उप-सूचकांक समग्र पेंशन प्रणाली की विश्वसनीयता पर विचार करता है। यह उप-सूचकांक विनियमन और शासकीय की भूमिका, योजना सदस्यों को कई जोखिमों से की जाने वाली सुरक्षा और व्यक्तियों से प्रदत्त किए गए संचार स्तर पर विचार करता है।

समग्र सूचकांक मूल्य तीनों उप-सूचकांकों के भारित औसत को दर्शाता है। पर्याप्तता उप-सूचकांक के लिए 40 प्रतिशत, स्थिरता उप-सूचकांक के लिए 35 प्रतिशत और विश्वसनीयता उप-सूचकांक के लिए 25 प्रतिशत भारांक का प्रयोग किया जाता है।

1.3 पेंशन क्षेत्र में प्रमुख इकाइयों और योजनाओं की कार्यप्रणाली का आकलन करना

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, लेखापरीक्षा ने पेंशन क्षेत्र में प्रमुख इकाइयों और योजनाओं की कार्यप्रणाली का आकलन तीन व्यापक कार्यात्मक पहलुओं पर किया, अर्थात् शासकीय ढाँचा, निधि प्रबंधन और अभिदाताओं के हितों का संरक्षण। शासकीय ढांचे के हिस्से के रूप में लेखापरीक्षा द्वारा आकलित किए गए प्रमुख पहलुओं में कानूनी ढांचे के साथ-साथ प्रशासकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

1.3.1 शासकीय ढाँचा

संतुलित शासकीय ढाँचा हितों के किसी भी टकराव को रोकने के लिए एक उपयुक्त संगठनात्मक संरचना और पर्यवेक्षी तंत्र सुनिश्चित करता है। एक वित्तीय क्षेत्र विनियामक के पास यह सुनिश्चित करने के लिए शासकीय ढाँचा हो जो प्रभावी ढंग से और कुशलता से संचालित हो, शासकीय इसमें एक निदेशक मंडल या शासी परिषद शामिल हो सकते हैं जो निरीक्षण और रणनीतिक दिशा प्रदान करते है, साथ-साथ विभिन्न प्रबंधन और प्रचालन ढाँचे जो दिन-प्रतिदिन के प्रचालनो के लिए जिम्मेदार हैं। एक अच्छी पेंशन/भविष्य निधि शासकीय ढांचे में स्वतंत्रता, पारदर्शिता, उत्तरदेही और अभिदाताओं के हितों की प्रधानता पर ध्यान केंद्रित करने की विशेषता होती है।

1.3.2 निधि प्रबंधन

एक पेंशन विनियामक पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और दिशानिर्देश निर्धारित करके निधि प्रबंधन का निरीक्षण करता है। यह परिसंपत्ति आबंटन और जोखिम प्रबंधन की पद्धतियों सहित इन नियमों/दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है। निधि प्रबंधन के प्रमुख घटकों में निवेश रणनीति, परिसंपत्ति आबंटन रणनीति, जोखिम प्रबंधन ढाँचा, पोर्टफोलियो निष्पादन मूल्यांकन और निगरानी के साथ-साथ पोर्टफोलियो निष्पादन की रिपोर्टिंग शामिल है।

1.3.3 अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

अभिदाताओं की परिसंपत्ति की सुरक्षा करने, दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और धोखाधड़ी/कुप्रबंधन जैसे जोखिमों को कम करने के लिए पेंशन प्रणाली के लिए यह आवश्यक है। पेंशन प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य पेंशन निधि अभिदाताओं के हितों की रक्षा करते हुए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। प्रमुख कार्यों में पेंशन से संबंधित मुद्दों पर अभिदाताओं और मध्यस्थों को शिक्षित और जागरूक करना, एक मजबूत और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली बनाना और मध्यस्थों एवं अभिदाताओं के बीच विवादों का अधिनिर्णय शामिल है।

1.4 लेखापरीक्षा ढाँचा

1.4.1 लेखापरीक्षा यूनिवर्स

निष्पादन लेखापरीक्षा में विभिन्न संगठनों और सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- **विनियामक निकाय और संगठन**: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ-साथ सांविधिक संगठन *जैसे* कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ); नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ); कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ); और असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ) की समीक्षा की गई।
- चयनित छह सीपीएसई/स्वायत्त निकायों की **भविष्य और पेंशन निधि** : छह चयनित संस्थाओं में से चार[1] कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधन (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत और दो[2] भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत शासित हैं।
- **सरकारी पेंशन योजनाएं**: चार प्रमुख योजनाएं (जहां भारत सरकार आश्वस्त पेंशन का वादा करती है) अर्थात् अटल पेंशन योजना (एपीवाई); प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम); प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई); और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) की समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा में जीवन बीमा कंपनियों के पेंशन उत्पादों और म्युचुअल फंड द्वारा प्रस्तावित सेवानिवृत्ति योजनाओं को शामिल नहीं किया गया, जो क्रमशः भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

---

[1] कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), मुंबई; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), चेन्नई; राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापत्तनम; और मेकॉन लिमिटेड, रांची

[2] भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली; और कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी), कोलकाता।

(आईआरडीएआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित हैं। आगे, आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित अधिवर्षिता निधि पर व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और इसलिए इन्हें भी लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में भारत सरकार की सिविल सेवा पेंशन और गैर-अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित और गैर-अंशदायी हैं।

लेखापरीक्षा का केंद्र सेवानिवृत्ति उत्पादों पर था जो सेवानिवृत्ति से जुड़ी संरचित बचत और लाभ प्रस्ताव करते हैं तथा सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं या प्रकृति में अंशदायी होते हैं।

1.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई:

(i) शासकीय, निधि प्रबंधन और अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के संबंध में नियामकों/प्रशासकों और सांविधिक भविष्य निधि संगठनों की कार्यप्रणालीः

(ii) चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/स्वायत्त निकायों द्वारा प्रबंधित भविष्य निधि; तथा

(iii) भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित, चयनित स्वैच्छिक पेंशन योजनाओं का कार्यान्वयन

1.4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

अप्रैल 2017 से मार्च 2024 तक की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारंभ, 12 जनवरी 2022 को आयोजित एक आरंभिक सम्मेलन एवं 08 जुलाई 2022 को वित्तीय सेवा विभाग तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ हितधारकों से जुड़ी एक बैठक के साथ हुआ। इसके बाद पीएफआरडीए के अभिलेखों की समीक्षा की गई। पीएफआरडीए के साथ एक समापन सम्मेलन 21 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया।

पीएफआरडीए के अतिरिक्त, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त निकायों (एबी), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और लेखापरीक्षा में शामिल कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ अभिलेखों की जांच, आंकडा विश्लेषण, आरंभिक और समापन सम्मेलन भी आयोजित किए गए। हितधारक सहभागिता बैठकों का विवरण **अनुलग्नक-I** में सारणीबद्ध है। संबंधित लेखापरीक्षित इकाइयों को मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया और उनकी प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया और उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

31 जनवरी 2025 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जारी किया गया। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 7 मार्च 2025 को डीएफएस और अन्य मंत्रालयों/विभागों और संस्थाओं के साथ एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया। अन्य मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रियाओं सहित निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मसौदे में डीएफएस के उत्तरों (28 अप्रैल 2025) पर विधिवत विचार किया गया और प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

1.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा मानदंड के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

- पीएफआरडीए अधिनियम, 2013, भविष्य निधि अधिनियम, 1925, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना अधिनियम, 1955, नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 जैसे विभिन्न कानून
- मंत्रालयों/विभागों और अन्य इकाइयों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विनियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र और नियम।
- पीएफआरडीए, आर्थिक मामलों का विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए निवेश दिशानिर्देश।
- सरकारी पेंशन योजनाओं से संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाएं।
- लेखापरीक्षित इकाइयों के बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची और अनुमोदित कार्यवृत्त।
- संबंधित समितियों के प्रतिवेदन।

1.5 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा वित्तीय सेवा विभाग, अन्य मंत्रालयों/विभागों और लेखापरीक्षा में शामिल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों से प्राप्त सहयोग को स्वीकार करती है।

अध्याय-II

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अध्याय-II
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

2.1 पीएफआरडीए के बारे में

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को एक स्वतंत्र विनियामक अर्थात पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 से, 22 दिसंबर 2003 को एक अधिसूचना के माध्यम से, सशस्त्र बलों को छोड़कर (1 मई 2009 से सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध) केंद्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकों के लिए एनपीएस की शुरुआत की। एनपीएस की शुरुआत के साथ, भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए शुरू में एक अंतरिम पीएफआरडीए की स्थापना (23 अगस्त 2003) की गई। बाद में, संसद ने सितंबर 2013 में पीएफआरडीए अधिनियम पारित किया और यह 1 फरवरी 2014 से लागू हुआ।

इसके बाद, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को भारत सरकार ने एक पेंशन योजना के रूप में प्रस्तुत किया जो 1 जून 2015 से प्रभावी थी, जिससे सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण हुआ। एपीवाई में कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बचत बैंक खाता है और 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में है, शामिल हो सकता है। एपीवाई के तहत, ₹1,000 या ₹2,000 या ₹3,000 या ₹4,000 या ₹5,000 प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शुरू होगी, जो अभिदाताओं द्वारा उनकी चयनित पेंशन राशि के लिए निर्धारित अंशदान पर निर्भर करेगी। पीएफआरडीए को एनपीएस के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत एपीवाई को प्रशासित करने की भूमिका सौंपी गई।

2.1.1 पीएफआरडीए की संगठनात्मक संरचना, शक्तियां और कार्य

पीएफआरडीए में एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य होते हैं जो नियुक्त केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं। पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 14(1) में यह निर्धारित किया गया है कि पीएफआरडीए का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, के क्रमिक विकास को विनियमित करें, प्रोत्साहित करें और ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करे। पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 14(2) पीएफआरडीए की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

2.1.2 एनपीएस संरचना

एनपीएस की संरचना प्रणाली को अलग-अलग भागों में बाँटा गया है, प्रत्येक मध्यस्थ को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट गतिविधि करनी होती है ताकि प्रचालन/मध्यस्थता लागत को न्यूनतम रखा जा सके। एनपीएस संरचना में शामिल मध्यस्थों की सूची और उनके कार्यों को चित्र 2.1 में दर्शाया गया है। पंजीकृत मध्यस्थों के नाम **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

चित्र 2.1: एनपीएस संरचना में मध्यस्थों और उनके कार्यों की सूची

2.2 पीएफआरडीए का शासकीय ढाँचा

पीएफआरडीए के शासकीय ढांचे पर लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आगे के उप-पैराओं में चर्चा की गई है:

2.2.1 शासकीय संरचना

एनपीएस संरचना के अनुसार, पीएफआरडीए विनियामक है तथा निगरानी एवं रणनीतिक दिशा के लिए जिम्मेदार है जबकि एनपीएस न्यास एक मध्यस्थ है और प्रचालक के रूप में कार्य करता है। पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियमावली, 2015 के विनियम 10 के अनुसार, एनपीएस न्यास का प्रबंधन एक न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें 5 से 11 न्यासी शामिल होंगे, जिन्हें पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किया जाएगा। न्यास के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और कार्य नियंत्रण न्यासी बोर्ड के पास निहित होगा। नियुक्त किए गए न्यासियों में से एक न्यासी को पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पीएफआरडीए एनपीएस न्यास के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भी नियुक्ति करेगा जो न्यासी नहीं होगा। सीईओ, एनपीएस न्यास के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। वित्त मंत्री ने, बजट भाषण (2019) में, एनपीएस न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने की घोषणा की ताकि एनपीएस न्यास (कार्यान्वयनकर्ता) और पीएफआरडीए (कार्यान्वयनकर्ता) के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जा सके और अभिदाताओं के हितों का संरक्षण की जा सके।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- एनपीएस न्यास का प्रबंधन न्यासी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन था। इसके अलावा, एनपीएस न्यास का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और प्रबंधन सीईओ द्वारा किया जाना था। तथापि, न्यासियों और सीईओ की नियुक्ति पीएफआरडीए द्वारा पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियमों के अनुसार की गई थी। इसका तात्पर्य यह था कि पीएफआरडीए एनपीएस न्यास के सीईओ एवं न्यासियों के लिए नियुक्ति प्राधिकरण और विनियामक दोनों था।
- पीएफआरडीए ने विनियामक होते हुए मध्यस्थों (एनपीएस संरचना में शामिल इकाइयों) को नियुक्त किया।
- विनियामक होने के नाते पीएफआरडीए को एनपीएस न्यास के साथ अपेक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता थी। तथापि, न्यास विलेख को पीएफआरडीए (सेटलर के रुप में) और एनपीएस न्यास के न्यासियों के बीच क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार, पीएफआरडीए, विनियामक होने के बावजूद, एनपीएस न्यास का सेटलर भी था।
- पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं जिन पर पीएफआरडीए अधिनियम लागू होता है, के विनियमन, प्रचार और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साथ ही, पीएफआरडीए को इन प्रणालियों और योजनाओं में अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने का काम सौंपा गया था, जिसमें नियमों को लागू करना, निष्पादन की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना शामिल था कि हितधारक

स्थापित नियमों का अनुपालन करें। तथापि, पीएफआरडीए एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के कार्यान्वयनकर्ता के रूप में भी काम कर रहा था। इस हैसियत से, पीएफआरडीए योजनाओं के लिए नामांकन लक्ष्य निर्धारित कर रहा था, उनके लाभों को बढ़ावा दे रहा था और उनके विकास को आगे बढ़ा रहा था।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (जून 2023) कि पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियमावली, 2015 को अप्रैल 2023 में संशोधित किया गया है। संशोधित विनियमों के अनुसार, एनपीएस न्यास के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने और उनके वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के अन्य नियमों और शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति पीएफआरडीए को सूचित करने के साथ न्यासी बोर्ड को प्रदान की गई है। आगे यह भी कहा गया था कि पीएफआरडीए अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एनपीएस न्यास और पीएफआरडीए को अलग करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था और वह विचाराधीन था।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने कहा (अप्रैल 2025) कि पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अनुसार, मध्यस्थों का पंजीकरण पीएफआरडीए के दायरे में था। पीएफआरडीए जहां एनपीएस संरचना के तहत मध्यस्थों का नियमन और पर्यवेक्षण करता है, वहीं एनपीएस न्यास अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में उनके परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। यह भी कहा गया कि 2023 में एनपीएस न्यास विनियमों के संशोधनों ने पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास की भूमिका तथा जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया था, जिसमें न्यासी बोर्ड को कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों का प्रबंधन करने की शक्ति भी शामिल थी।

पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियमों में किए गए संशोधन के संबंध में विभाग/पीएफआरडीए के उत्तरों को स्वीकार किया जाता है। तथापि, पीएफआरडीए उचित कार्रवाई किए जाने तक, एनपीएस न्यास विलेख के सेटलर के रूप में मध्यस्थों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप और एक विनियामक होने के अलावा एनपीएस और एपीवाई के कार्यान्वयनकर्ता के रूप में जारी रहेगा।

सिफारिश सं. 1

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) पीएफआरडीए की विनियामक भूमिका और एनपीएस न्यास के प्रचालन की भूमिका को अलग करने पर विचार कर सकता है ताकि विनियामक और संचालक के बीच अपेक्षित दूरी सुनिश्चित की जा सके।

2.2.2 शासकीय ढाँचा

पीएफआरडीए की पारदर्शी कार्यप्रणाली और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में विविध प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ निष्पादन प्रतिवेदन के प्रकाशन और केंद्र सरकार को समय-समय पर विवरण और विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

पीएफआरडीए की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा अवलोकनों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.2.2.1 वार्षिक प्रतिवेदन और विवरणी

(ए) वार्षिक प्रतिवेदनों में निष्पादन बेंचमार्क का प्रकटीकरण

पीएफआरडीए (प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण) नियमावली, 2015 के अनुसार, पेंशन निधि के निष्पादन और निष्पादन बेंचमार्क से संबंधित जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा होना आवश्यक है। पेंशन निधि का निष्पादन और बेंचमार्क जिसके आधार पर निष्पादन को मूल्यांकित किया जा सकता है, पेंशन निधि का चयन करते समय सूचित निर्णय लेने के लिए अभिदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पेंशन निधि का निष्पादन वर्ष 2015-16 से 2021-22 के लिए पीएफआरडीए के वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध था, लेकिन उसमें निष्पादन बेंचमार्क नहीं थे। तथापि, इन पेंशन निधियों के निष्पादन बेंचमार्क एनपीस न्यास, जो पीएफआरडीए का मध्यस्थ था, के वार्षिक प्रतिवेदनों में दिए गए थे।

पीएफआरडीए ने बताया (जनवरी 2023) कि लेखापरीक्षा के सुझावों को विधिवत नोट किया गया था और बेंचमार्क विवरणी को आगे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल किया जाएगा।

(बी) निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली

पीएफआरडीए (प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण) नियमावली, 2015 के नियम 7 के अनुसार, पीएफआरडीए को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित लक्ष्यों को निर्धारित करना था और ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी दक्षता को मापने और मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी थी। प्रत्येक वर्ष, पीएफआरडीए को अपने द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपना निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करना था और इसे अपनी वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल करना था।

पीएफआरडीए द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या पीएफआरडीए ने अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में दक्षता को मापने और मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रणाली/तंत्र स्थापित किया था। इसके अलावा, उत्तरोत्तर वार्षिक प्रतिवेदनों में ऐसी किसी पद्धति/प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं किया गया था जिसके आधार पर कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा हो और वार्षिक प्रतिवेदनों में दर्शाया जा रहा हो।

(सी) केंद्र सरकार को विवरणी और विवरण प्रस्तुत करना

पीएफआरडीए (प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण) नियमावली, 2015 के नियम 3 के अनुसार, पीएफआरडीए को केंद्र सरकार को निम्न मामलों पर तिमाही विवरणी और विवरण प्रस्तुत करना था:

- पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 15 के तहत पीएफआरडीए द्वारा अभिदाताओं के हित में या एनपीएस या पेंशन योजना के व्यवस्थित विकास के लिए या किसी पेंशन योजना जिस पर अधिनियम लागू हो या किसी भी मध्यस्थ द्वारा अभिदाताओं के हित के लिए नुकसानदायक कार्यों को संचालित करने से रोकने के लिए, या किसी मध्यस्थ के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए निर्देश।

- पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 16 के तहत पीएफआरडीए द्वारा आदेशित कोई जांच।
- अभिदाताओं से प्राप्त शिकायतों और निवारण की संख्या।
- पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 28 के तहत लगाई गई शास्तियाँ।
- अधिनियम के तहत अभिदाताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र।
- इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली एनपीएस और अन्य पेंशन योजनाओं का विवरण, जिसमें मध्यस्थों और उससे जुड़ी अन्य संस्थाएं और ऐसी प्रणालियों और योजनाओं का निष्पादन शामिल है।
- मध्यस्थों द्वारा दी जाने वाली सेवा के लिए एनपीएस के तहत अभिदाताओं द्वारा भुगतान की गई लागत और शुल्क का विवरण।

इसके अलावा, पीएफआरडीए (प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण) नियमावली, 2015 के नियम 6 के अनुसार, पीएफआरडीए को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों के संबंध में वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए व्यय का एक प्रतिवेदन तैयार करना था। साथ ही, पीएफआरडीए को हर दो साल में कम से कम एक बार अपने संसाधनों की समीक्षा करनी थी और केंद्र सरकार को इस समीक्षा के परिणाम को सूचित करना था।

पीएफआरडीए से पीएफआरडीए (प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण) नियमावली, 2015 के नियम 3 और नियम 6 के तहत केंद्र सरकार को प्रस्तुत विवरणी और प्रतिवेदनों की प्रतियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, ये प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (14 अगस्त 2024) कि पीएफआरडीए (प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण) नियमावली, 2015 के नियम 3 के अनुसार प्रतिवेदन 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग को भेजी गई है और आगे इसे प्रत्येक तिमाही के पूरा होने पर साझा किया जाएगा।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि पीएफआरडीए ने नियम 3 के अनुसार रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन शुरू कर दिया था लेकिन नियम 6 का अनुपालन अभी भी सुनिश्चित किया जाना था।

2.3 निधि प्रबंधन

पेंशन निधि का अर्थ एक मध्यस्थ है जिसे पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा (3) के तहत पीएफआरडीए द्वारा अंशदान प्राप्त करने, उन्हें जमा करने और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अभिदाता को भुगतान करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पीएफआरडीए पेंशन योजनाओं की परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए पेंशन निधि प्रबंधकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। मार्च 2024 तक, एनपीएस संरचना के तहत 11 पेंशन निधि प्रबंधक थे।

2.3.1 पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए नीतियां और दिशानिर्देश

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 14(2) (बी) के अनुसार, पीएफआरडीए के पास निवेश दिशानिर्देशों सहित पेंशन निधि के कॉर्पस के प्रबंधन के लिए निबंधन एवं शर्तों को अनुमोदित करने की शक्ति

थी। इसके अलावा, पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 23(3) के अनुसार, पेंशन निधि प्रबंधकों को अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार कार्य करना था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियमावली, 2015 को पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए अधिसूचित किया गया था।

उपर्युक्त विनियमों की अनुसूची X (निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति) के अनुसार, पेंशन निधि को एक निवेश नीति तैयार करनी थी और इसे अनुमोदन के लिए अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखना था। ऐसी नीति तैयार करते समय, निदेशक मंडल को लिक्विडिटी, विवेकपूर्ण मानदंडों, एक्सपोजर सीमाओं, प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस सीमा, सभी निवेश और बाजार जोखिमों के प्रबंधन, परिसंपत्ति देयताओं में विसंगति का प्रबंधन, निवेश लेखापरीक्षा और निवेश सांख्यिकी और पीएफआरडीए के दिशा-निर्देशों या निर्देशों के प्रावधानों से संबंधित मुद्दों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

पीएफआरडीए ने वर्ष 2015 और 2021 में पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए निवेश दिशानिर्देश **(अनुलग्नक-IV)** जारी किए। दिशा-निर्देशों में, अन्य *बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित का प्रावधान है:

- निवेश की अनुमेय श्रेणियां (सरकारी प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी और अन्य) और एक्सपोजर सीमाएं
- न्यूनतम अनुमेय निवेश ग्रेड, अधिकतम एक्सपोजर सीमा आदि के रूप में निवेश पर सीमाएं।
- उस निवेश के लिए व्यापक निर्गम खंड जिसके लिए निवेश ग्रेड अनुमेय निवेश ग्रेड से कम हो।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों में विशेष रूप से स्ट्रेस टेस्टिंग और परिसंपत्ति-देयता विसंगति जैसे पहलुओं को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों में विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए स्टॉप लॉस नीतियों को लागू करने के लिए व्यापक मापदंड भी शामिल नहीं थे, जैसा कि निम्न उप-पैराओं में चर्चा की गई है:

2.3.1.1 स्टॉप लॉस नीति

स्टॉप लॉस का संदर्भ निवेश में गिरावट के मामले में निवेश में संभावित नुकसान को सीमित करने से है। स्टॉप लॉस नीति उस ट्रिगर पॉइंट को परिभाषित करती है जिस पर पेंशन निधि प्रबंधक अपने निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश से बाहर निकलने या होल्ड करने का निर्णय करता है।

पेंशन निधि प्रबंधकों ने पीएफआरडीए द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस संरचना के तहत उनके पास उपलब्ध निधि का निवेश किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएफआरडीए ने निवेश की सीमा और उपकरणों के प्रकार प्रदान किए जिनमें पेंशन निधि प्रबंधक धन का निवेश करेंगे। इसके अलावा, पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियमावली, 2015 में यह अनिवार्य किया गया कि प्रतिभूति ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस सीमा को शामिल करते हुए पेंशन निधि प्रबंधकों के पास उनके संबंधित निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक निवेश नीति होगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कुछ पेंशन निधि प्रबंधकों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों जैसे कुछ निवेशों के लिए स्टॉप लॉस की सीमा तय नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने सात पेंशन निधि प्रबंधकों की निवेश नीति की तुलना की और पाया कि उन्होंने वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान निवेश की केवल कुछ श्रेणियों के लिए स्टॉप लॉस सीमा तय की थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 2.1: पेंशन निधि प्रबंधकों की स्टॉप लॉस नीति

पेंशन निधि प्रबंधक का नाम	कॉर्पोरेट बॉन्ड	इक्विटी	अन्य प्रतिभूतियां (वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग)
एसबीआई पेंशन निधि प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	हाँ	नहीं
एलआईसी पेंशन निधि लिमिटेड	हाँ	हाँ	नहीं
यूटीआई पेंशन निधि लिमिटेड	हाँ	हाँ	नहीं
एचडीएफसी पेंशन निधि प्रबंधन लिमिटेड	हाँ	हाँ	नहीं
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन निधि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ
कोटक महिंद्रा पेंशन निधि लिमिटेड.	नहीं	हाँ	नहीं
आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन निधि प्रबंधन लिमिटेड	नहीं	हाँ	नहीं

31 मार्च 2025 तक एनपीएस संरचना के अंतर्गत प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की राशि ₹14.45 लाख करोड़ थी, जिसमें से 55 *प्रतिशत* सरकारी प्रतिभूतियों में, 23 *प्रतिशत* कॉर्पोरेट बॉन्ड में, 19 *प्रतिशत* इक्विटी में और 3 *प्रतिशत* अन्य प्रतिभूतियों में लगाई गई थी।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा गया है, केवल इक्विटी निवेश अर्थात कुल परिसंपत्ति का 19.00 *प्रतिशत* पूरी तरह से स्टॉप लॉस सीमा के साथ कवर किया गया था।

पीएफआरडीए ने बताया (मई 2022) कि स्टॉप लॉस सीमा पेंशन निधि प्रबंधकों की निवेश नीतियों का हिस्सा बन रही थी, जिन्हें उनकी वेबसाइटों पर सार्वजनिक किया गया था।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने कहा (अप्रैल 2025) कि प्रत्येक पेंशन निधि अपनी निवेश रणनीति का पालन करती है, जो अपनी निवेश समिति और बोर्ड द्वारा निर्देशित है, जिसमें अभिदाताओं के लाभों को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जी-सेक, कॉर्पोरेट ऋण और वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश सख्त क्रेडिट और जोखिम नीतियों का पालन करता है। पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास नियमित समीक्षा और रिपोर्टिंग के साथ स्टॉप लॉस नीतियों का पालन सुनिश्चित करते हैं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा निवेश की सभी श्रेणियों के लिए स्टॉप लॉस सीमा तय नहीं की गई थी। यह कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों (वैकल्पिक परिसंपत्ति श्रेणी) के लिए स्टॉप लॉस सीमा की आवश्यकता के बावजूद था, ताकि अप्रत्याशित बाजार व्यवधानों के दौरान निधि के मूल्य की सुरक्षा की जा सके।

सिफारिश सं. 2

कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों के लिए स्टॉप लॉस सीमा पीएफएम द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जा सकती है।

2.3.1.2 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) का उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा परिसंपत्तियों और देयताओं के विसंगति होने के परिणामस्वरूप होने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए किया जाता है। एएलएम, दीर्घकालिक जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन और वित्तीय नियोजन के संयोजन का प्रयोग करता है। जो बदलती परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकता है। पेंशन क्षेत्र में एएलएम का महत्व पेंशन निधियों के लिए विशिष्ट विभिन्न कारकों से है जैसे निवेश की लंबी अवधि, जीवन प्रत्याशा की अनिश्चितता, सदस्यों के बीच अंशदान की विविधता, सेवानिवृत्ति की आयु में चयनित विकल्पों में अंतर (70 प्रतिशत वार्षिकी और 30 प्रतिशत एकमुश्त के प्रति 100 प्रतिशत वार्षिकी), आदि।

निजी क्षेत्र में एनपीएस योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा श्री जी.एन.बाजपेयी (पूर्व अध्यक्ष, एलआईसी और सेबी) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन (सितंबर 2014) किया गया था। समिति के कार्यक्षेत्र में, अन्य *बातों के साथ-साथ,* एएलएम के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करनी थी। समिति ने अप्रैल 2015 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि:

- एनपीएस पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से निश्चित आय प्रतिभूतियां शामिल होती हैं और इसलिए विनियामक (पीएफआरडीए) को एक गतिशील एएलएम मॉड्यूल को अपनाना चाहिए, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* प्रूडेंशियल अवधि अंतराल सीमाएं, ब्याज दर संवेदनशीलता के लिए विवेकपूर्ण दरें और एक संरचनात्मक लिक्विडिटी ढाँचा शामिल हो सकता है।
- दबाव में निवेश की बिक्री से बचने के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की तर्ज पर एक तंत्र पर विचार किया जा सकता है।
- निकास स्थिति में, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों को नियमित रूप से पेंशन निधि प्रबंधकों के साथ डेटा साझा करना चाहिए, जो विनियामक द्वारा निर्धारित प्रूडेंशियल दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी स्वयं की एएलएम नीतियां विकसित कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पीएफआरडीए ने एनपीएस के लिए एएलएम नीतियों को अपनाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि:

- एएलएम मॉड्यूल की आवश्यकता वहाँ थी जहां निधि का इन्फ्लो कम था। तथापि, एनपीएस के मामले में, निधि का इन्फ्लो काफी अधिक था।
- एनपीएस के तहत प्रतिभूतियों को बाजार में चिह्नित किया गया था, जो दैनिक आधार पर प्रतिभूतियों का उचित मूल्य प्रदान करता था और पेंशन निधि की लिक्विडिटी की स्थिति अच्छी थी और रिडेम्पशन एवं निकास के प्रबंधन के लिए, अगले तीन महीनों में होने वाले निकास के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों द्वारा पेंशन निधि प्रबंधकों के साथ डाटा साझा किया गया था।
- कॉर्पस का लगभग 4-5 प्रतिशत पेंशन निधियों द्वारा अल्पावधि प्रतिभूतियों में रखा गया था, जो आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली आउटफ्लो मांग, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। वर्तमान में, पेंशन निधि को ऐसी किसी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था और आवश्यकता के आधार पर भविष्य में एएलएम मॉड्यूल विकसित किया जा सकता है।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने बताया (अप्रैल 2025) कि पीएफआरडीए ने सूचित किया कि लीगेसी कॉर्पस की वार्षिक समीक्षा में लिक्विडिटी और निधि अंतरण क्षमता का आकलन किया गया था, जिसकी सूचना बोर्ड को दी गई थी। केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों ने कुशल निकास सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधि के साथ तीन महीने के निकास पूर्वानुमान साझा किए। 19 प्रतिशत इक्विटी, 54 प्रतिशत जी-सेक, 24 प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉन्ड और तीन प्रतिशत मुद्रा बाजार के साधनों के पोर्टफोलियो संयोजन के साथ लिक्विडिटी की नियमित रूप से निगरानी की गई। चूंकि निवेश बाजार की कीमतों को दर्शाता है, इसलिए लिक्विडिटी को अभिदाताओं के भुगतान के साथ जोड़ा गया था।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीतियों की शुरूआत परिसंपत्ति परिपक्वता को भुगतान दायित्वों के साथ संरेखित करने के लिए उपयोगी होगी जैसा कि बाजपेयी समिति द्वारा सिफारिश की गई है। मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन लिक्विडिटी की गारंटी नहीं देते हैं, विशेषकर तरल बॉन्ड बाजार में। एएलएम बेहतर नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और जोखिम प्रबंधन को सक्षम बनाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर निधि उपलब्ध हो।

सिफारिश सं. 3

पीएफआरडीए एनपीएस के लिए एएलएम नीतियों को लागू करने पर विचार कर सकता है ताकि परिसंपत्ति परिपक्वताओं को भुगतान दायित्वों के साथ संरेखित किया जा सके।

2.3.2 न्यूनतम आश्वासित प्रतिफल योजना

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 20 के अनुसार, न्यूनतम आश्वासित प्रतिफल चाहने वाले अभिदाताओं के पास पीएफआरडीए द्वारा अधिसूचित न्यूनतम आश्वासित प्रतिफल प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओं में निधि निवेश करने का विकल्प होगा। इसके अलावा, पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियमावली, 2015 के अनुसार, पेंशन निधि के प्रायोजक के लिए पात्रता मानदंडों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि पेंशन निधि में बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से न्यूनतम आश्वासित

प्रतिफल योजना प्रदान करने की क्षमता होगी जिसमें अभिदाता द्वारा खरीदी जाने वाली गारंटी शामिल हो सकती है।

पीएफआरडीए विधेयक, 2005 पर वित्त संबंधी 21वीं स्थायी समिति (2005) ने भी प्रतिफल की गारंटी देने वाले पेंशन निधि प्रबंधकों को वरीयता देने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, पीएफआरडीए विधेयक, 2011 पर वित्त संबंधी 40वीं स्थायी समिति (2010-11) के प्रतिवेदन के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने 'बाजार आधारित गारंटी' के मुद्दे पर कहा था कि ऐसी गारंटियों के लिए वित्तपोषण व्यवस्था हेतु एक सुविकसित वित्तीय बाजार की आवश्यकता होती है तथा उस समय भारत में किसी भी पेंशन निधि प्रबंधन कंपनी ने गारंटीकृत पेंशन उत्पादों की पेशकश नहीं की थी। विभाग ने समिति को यह भी सूचित किया कि जब निधि प्रबंधक पीएफआरडीए अधिनियम के तहत पंजीकृत होंगे, तो उन निधि प्रबंधको को पंजीकृत करने की संभावना तलाशी जाएगी जो किसी भी प्रकार के गारंटीकृत पेंशन उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं।

उसी प्रतिवेदन में, स्थायी समिति ने कहा कि वे अभिदाताओं की निधि पर प्रतिफल की अनिश्चितता के बारे में गहन रूप से चिंतित थे और सरकार के ढीले-ढाले दृष्टिकोण से निराश थे, जैसा कि खंड 20 (2) (जी)[3] में परिलक्षित होता है, जिसमें असहाय अभिदाताओं के पास बाजार आधारित गारंटीकृत प्रतिफल तंत्र को छोड़कर, लाभ का कोई निहित या स्पष्ट आश्वासन नहीं था तथा इसके लिए न तो कोशिश की गई और न ही परीक्षण किया गया। चूंकि किसी भी प्रभावी पेंशन योजना को प्रतिफल की स्थिरता और सेवानिवृत्ति के बाद उचित आय पर आधारित होने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह जरूरी था कि सरकार को न्यूनतम गारंटीकृत प्रतिफल प्रदान करना चाहिए, न कि केवल बाजार-आधारित गारंटी का महज दिखावा, जो परिभाषित लाभ पेंशन योजना के तहत वर्तमान में उपलब्ध न्यूनतम प्रतिफल से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए समिति की इच्छा थी कि सरकार को एक तंत्र तैयार करना चाहिए जिससे एनपीएस के अभिदाताओं को उनकी पेंशन का न्यूनतम आश्वासित/गारंटीकृत प्रतिफल सुनिश्चित हो ताकि उन्हें अन्य पेंशनभोगियों की तुलना में कोई नुकसान न हो। इस तरह की गारंटी/आश्वासन के अभाव में, एनपीएस वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने का उचित दावा नहीं कर सकती। इस तरह का प्रावधान प्रस्तावित खंड 25 का भी पूरक होगा जिसमें गारंटीकृत प्रतिफल प्रदान करने की क्षमता को निधि प्रबंधकों के लिए पात्रता मानदंडों में से एक बनाया गया था। यदि कोई कमी होती है, तो सरकार अपने बजट में उसे वहन कर सकती है और उस अतिरिक्त जिम्मेदारी ले सकती है। यह कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा ताकि न केवल उनकी पूंजी सुरक्षित रहे, बल्कि उन्हें उस पर स्थिर प्रतिफल भी मिले।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पीएफआरडीए के पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा न्यूनतम आश्वासित प्रतिफल योजना (एमएआरएस) को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर सीएजी की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर 2020 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 13 में भी प्रकाश डाला गया था। यह भी नोट किया गया कि जनवरी 2023 तक, केंद्र सरकार के 23,927 अभिदाता एनपीएस के तहत बिना किसी आश्वासित प्रतिफल के सेवानिवृत्त हो गए थे।

---

[3] पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 (2) (जी) के अनुसार, अभिदाता द्वारा खरीदे जाने वाले बाजार-आधारित गारंटी तंत्र के अलावा लाभ का कोई अंतर्निहित या स्पष्ट आश्वासन नहीं होगा।

पीएफआरडीए ने कहा (नवंबर 2023) कि एमएआरएस के डिजाइन और पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा इसके बाद के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने कहा (अप्रैल 2025) कि फरवरी 2022 में एक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जिसके साथ एमएआरएस के डिजाइन और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने वाली एक समिति थी। विभाग ने यह भी कहा कि पीएफआरडीए एनपीएस के तहत गारंटीकृत-प्रतिफल निवेश विकल्प के रूप में एमएआरएस को अंतिम रूप दे रहा था।

सिफारिश सं. 4

पीएफआरडीए एनपीएस अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम आश्वासित प्रतिफल प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करने के लिए न्यूनतम सुनिश्चित प्रतिफल योजना को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित कर सकता है।

2.3.3 पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा निवेश दिशानिर्देशों का अनुपालन

पीएफआरडीए ने एनपीएस योजनाओं[4] और अटल पेंशन योजना के लिए निवेश दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें निवेश की विभिन्न श्रेणियों[5] में अनुमत कुल निवेश के प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। दिशानिर्देशों (जुलाई 2021) के अनुसार सीमाएं **अनुलग्नक-IV** में दी गई हैं। पीएफआरडीए ने निवेश की पृथक श्रेणियों के तहत अन्य योजनाओं[6] के लिए निवेश दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर, एनपीएस न्यास ने पीएफआरडीए को अपनी सिफारिश सहित पाए गए विचलन के लिए अपवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

लेखापरीक्षा ने निवेश दिशानिर्देशों और अपवाद प्रतिवेदनों का विश्लेषण किया और पाया कि पेंशन निधि प्रबंधकों ने कई बार निवेश सीमा का उल्लंघन किया था। दो प्रकार के उल्लंघन पाए गए, अर्थात्, एक योजना/लिखत में निवेश जिसकी अनुमति नहीं थी और विभिन्न निवेश वर्गों के लिए निवेश सीमा का उल्लंघन।

एनपीएस न्यास ने पीएफआरडीए को की गई अपवाद रिपोर्टिंग से संबंधित अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान निवेश सीमा के उल्लंघन के उदाहरणों की संख्या इस प्रकार थी:

---

[4] योजना सीजी (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए), योजना एसजी (राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए), कॉर्पोरेट सीजी (कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए) और एनपीएस लाइट योजना (असंगठित क्षेत्र के लिए)

[5] (i) सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश, (ii) ऋण लिखत और संबंधित निवेश, (iii) अल्पकालिक ऋण लिखत और संबंधित निवेश, (iv) इक्विटी और संबंधित निवेश, और (v) परिसंपत्ति समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश

[6] असंगठित/निजी क्षेत्र के लिए, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के आधार पर, परिसंपत्ति वर्ग ई (इक्विटी और संबंधित लिखत), परिसंपत्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट ऋण और संबंधित लिखत), परिसंपत्ति वर्ग जी (सरकारी बॉन्ड और संबंधित लिखत) और परिसंपत्ति वर्ग ए (वैकल्पिक निवेश निधि)

तालिका 2.2: निवेश दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले

पेंशन निधि प्रबंधक का नाम	उदाहरणों की संख्या						
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन निधि प्रबंधन लिमिटेड	2,534	1,186	260	0	0	0	1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन निधि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	4	8	10	11	12	8	0
एलआईसी पेंशन निधि लिमिटेड	7	7	11	10	12	15	9
एसबीआई पेंशन निधि प्राइवेट लिमिटेड	8	13	12	13	18	21	8
कोटक महिंद्रा पेंशन निधि लिमिटेड	7	20	25	29	14	6	0
एचडीएफसी पेंशन निधि प्रबंधन लिमिटेड	44	45	156	1,085	944	5	1
यूटीआई पेंशन निधि लिमिटेड	2	1	2	11	7	1	6

एनपीएस न्यास द्वारा अपवाद रिपोर्टिंग विनियम के तहत परिभाषित समयावधि के अनुसार अर्थात मासिक आधार पर पेंशन निधि प्रबंधकों के द्वारा फाइल की गई विवरणी के आधार पर की गई थी। तथापि, विनियामक (पीएफआरडीए) द्वारा सुधारात्मक उपाय काफी समयावधि समाप्त होने के बाद निर्धारित किए गए थे, जिनकी गणना निवेश सीमाओं के उल्लंघन की तिथि से की गई थी। यह देखते हुए कि बाजार की स्थितियां गतिशील हैं और निवेश मूल्य दैनिक रूप से बदल सकते हैं, उल्लंघनों का पता लगाने में हुई देरी सुधारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता को कम कर सकती है और निधि को संभावित जोखिम हो सकता है।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि वर्तमान में पीएफआरडीए में निवेश सीमाओं की रिअल-टाइम निगरानी के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है। तथापि, पेंशन निधियों द्वारा रिअल-टाइम आधार पर सीमाओं की निगरानी की गई थी और आगे भी, सीमाओं की रिअल-टाइम निगरानी और जांच केवल पेंशन निधियों पर निर्भर करेगी क्योंकि वे निवेश कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि पेंशन निधियों ने सीमाओं का रिअल-टाइम में पता लगाया और एनपीएस न्यास को मासिक आधार पर रिपोर्ट किया। एनपीएस न्यास ने अनुपालनों की समीक्षा की, निष्कर्षों को समेकित किया और अग्रिम कार्रवाई हेतु अवलोकनों को पीएफआरडीए को प्रस्तुत किया। तथापि, निवेश निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी पेंशन निधियों की थी और एनपीएस न्यास में स्वचालन दिन-प्रतिदिन की निवेश निगरानी को बढ़ा सकता है।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि विनियामक स्तर पर रिअल टाइम निगरानी अनिवार्य नहीं है, तथापि एनपीएस न्यास द्वारा त्वरित अपवाद रिपोर्टिंग यह सुनिश्चित कर सकती है कि सूचना पीएफआरडीए तक शीघ्रता से पहुंचे, जिससे तीव्र विनियामक कार्रवाई संभव हो सके।

सिफारिश सं. 5

पीएफआरडीए पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा एनपीएस न्यास को निवेश प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि के साथ-साथ एनपीएस न्यास पीएफआरडीए को अपवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

2.4 अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

पीएफआरडीए एनपीएस पारितंत्र को नियमित करता है। पीएफआरडीए का उद्देश्य पेंशन निधियों के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए पेंशन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए है।

अभिदाताओं के हितों का संरक्षण से संबंधित पीएफआरडीए के कार्यों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं -

- पेंशन निधियों की विभिन्न योजनाओं के लिए अभिदाताओं के अंशदान की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिन पर पीएफआरडीए अधिनियम लागू होता है।
- यह सुनिश्चित करना कि एनपीएस के तहत मध्यस्थता और अन्य प्रचालन लागत मितव्ययी और उचित थी।
- पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत एवं संबंधित मुद्दों पर अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने और मध्यस्थों के प्रशिक्षण लिए कदम उठाना।
- अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र स्थापित करना।

2.4.1 सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए विनियम

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 एक अभिदाता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो पेंशन निधि की योजना की सदस्यता लेता है। यह परिभाषा एनपीएस के सरकारी अभिदाताओं और निजी अभिदाताओं के बीच अंतर नहीं करती है। इसके अलावा, निम्नलिखित प्रावधान अभिदाताओं के लिए क्षतिपूर्ति ढांचे और सेवा की कमी या स्थापित नियमों और विनियमों के उल्लंघन की स्थिति में मध्यस्थों पर लागू शास्तियों की रूपरेखा तैयार करते हैं:

- पीएफआरडीए (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस) विनियम[7], 2018 के प्रावधान 41 के अनुसार यदि प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा स्तर के मानकों को पूरा करने में या पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो अभिदाताओं को क्षतिपूर्ति देना अनिवार्य है।
- पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 28(5) उन मध्यस्थों पर दंड का प्रावधान करती है जो इसके प्रावधानों, नियमों, विनियमों और निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं।

पीएफआरडीए के वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुसार, एक सक्षम प्रावधान के अभाव में सरकारी नोडल कार्यालयों (केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वायत्त नोडल कार्यालयों) को पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अनुसार मध्यस्थ के रूप में नहीं माना गया और इसलिए वे पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 28 के तहत प्रदान किए गए दंड प्रावधानों के दायरे से बाहर रहे। इसके अलावा, वार्षिक प्रतिवेदनों में उल्लेखित है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा

[7] *पीएफआरडीए (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस) विनियम, 2018 का उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विनियमित और प्रशासित एनपीएस और अन्य योजनाओं के लिए एक स्वतंत्र, मजबूत और प्रभावी वितरण चैनल को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना था कि अभिदाताओं के हितों के प्रचार और सुरक्षा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस की बाजार प्रथाएं निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी हों।*

अधिसूचित (30 मार्च 2021) सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 ने केंद्र सरकार के क्षेत्र के तहत एनपीएस के कार्यान्वयन की सामान्य शर्तों को निर्धारित किया। उक्त नियमों में, अन्य *बातों के साथ-साथ,* विभिन्न एनपीएस गतिविधियों से संबंधित समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य था जबकि देरी के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि यद्यपि पीएफआरडीए ने अभिदाताओं के खातों में किए जाने वाले विप्रेषण में लगने वाले समय की सूचना नियमित रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के नोडल कार्यालयों को दी थी फिर भी व्यक्तिगत विलंब के बारे में सूचना संबंधित अभिदाताओं (जो प्रभावित पक्ष थे) को नहीं दी गई। एनपीएस के संबंधित सरकारी अभिदाताओं को सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियमावली 2021 के अनुरूप उनके लंबित क्रेडिट और उनको देय क्षतिपूर्ति (सरकार से) के बारे में भी सूचित नहीं किया गया।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च 2023 और अगस्त 2024) कि सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार एनपीएस अंशदान और सेवा अनुरोधों आदि की समय पर कटौती और प्रोसेसिंग के लिए संबंधित नियोक्ता/सरकारी विभाग जिम्मेदार था। पीएफआरडीए के बोर्ड ने निर्णय (अप्रैल 2016) लिया कि नियोक्ता के रूप में सरकार को सदस्यता और अभिदाता की शिकायतों को समय पर अपलोड करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पीएफआरडीए में एक विशिष्ट सरकारी क्षेत्र के विभाग ने नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों से अवगत कराकर सहायता प्रदान की। यह भी बताया गया कि केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, नोडल कार्यालयों की पर्यवेक्षी समीक्षा भी की गई थी। संबंधित सरकारों द्वारा अधिसूचित लागू नियमों के अनुसार अंशदान में देरी के कारण, सीआरए द्वारा नोडल कार्यालयों के साथ साझा किये गए प्रतिवेदनों का उपयोग उन कार्यालयों द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति यदि कोई हो, की गणना के लिए किया जा सकता है। पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि देरी के बारे में नोडल कार्यालयों और उनके नियंत्रण कार्यालयों के साथ-साथ अभिदाताओं को भी सूचित किया गया था।

पीएफआरडीए की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए वित्तीय सेवाएं विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि वार्षिक प्रतिवेदन में एक अलग खंड को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें देरी वाले मामलों की संख्या और उनके कारणों को स्पष्ट किया जाएगा।

उत्तरों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि अंशदान के विलंबित विप्रेषण या गैर-विप्रेषण के मामलों के बारे में अभिदाताओं को सूचित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति कॉर्पस को प्रभावित करते हैं।

2.4.2 एनपीएस न्यास और पीएफआरडीए द्वारा शुल्क/प्रभार का संग्रह

2.4.2.1 एनपीएस न्यास द्वारा शुल्क/प्रभार का संग्रह

पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेशन प्रणाली न्यास) विनियमावली, 2015 के अध्याय-II के तहत विनियम 4(2)(टी) के अनुसार, पीएफआरडीए के अनुमोदन के बाद एनपीएस न्यास विलेख में अभिदाताओं को दी गई किसी भी सेवा के लिए अभिदाताओं से शुल्क या प्रभार के संग्रह के संबंध में प्रावधान होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015 से, एनपीएस न्यास प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) का 0.01 प्रतिशत वार्षिक शुल्क ले रहा था। शुल्क को घटाकर (दिसंबर 2017) 0.005 प्रतिशत कर दिया गया था जो अप्रैल 2018 से लागू था और इसे जनवरी 2019 से जुलाई 2019 तक रोक दिया गया था। इसके बाद, फिर से 0.005 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया गया। 31 मार्च 2024 तक, एनपीएस न्यास के पास ₹94.19 करोड़ की कॉर्पस निधि थी, जो कि मुख्य रुप से शुल्क के संग्रह से निर्मित की गई थी। अभिदाताओं से एयूएम के प्रतिशत के रूप में शुल्क/प्रभार लेकर महत्वपूर्ण कॉर्पस का सृजन करना अभिदाताओं के हितों के विरुद्ध था और यह विनियामक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था।

पीएफआरडीए ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि पीएफआरडीए बोर्ड ने 12 अक्टूबर 2023 को आयोजित अपनी 114वीं बैठक में एनपीएस न्यास द्वारा शुल्क/प्रभार की वसूली की समीक्षा की तथा इसे 0.005 *प्रतिशत* प्रति वर्ष *से* घटाकर 0.003 *प्रतिशत* कर दिया, और कहा कि चूंकि एनपीएस और एपीवाई योजनाओं का एयूएम तेजी से बढ़ रहा था, एनपीएस न्यास द्वारा शुल्क/प्रभारों की वसूली की दूसरी समीक्षा एक वर्ष बाद की जा सकती है।

2.4.2.2 पीएफआरडीए द्वारा शुल्क/प्रभार का संग्रह

एनपीएस संरचना के तहत, पीएफआरडीए ने विभिन्न निर्धारित शुल्क जैसे आवेदन शुल्क, पंजीकरण शुल्क प्रभारित किये और वार्षिक शुल्क लिए, जिसका भुगतान मध्यस्थों द्वारा पीएफआरडीए को किया जाना था और ये शुल्क पीएफआरडीए की आय का हिस्सा थे। लेखापरीक्षा ने पीएफआरडीए द्वारा संग्रह किए गए शुल्क की तुलना एक अन्य विनियामक नामतः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ की, जो आर्थिक मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, और पाया कि पीएफआरडीए और सेबी द्वारा प्रभारित शुल्क में बडा अंतर था जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 2.4: पीएफआरडीए और सेबी प्रभारित शुल्क की तुलना

मध्यस्थ का नाम	शुल्क का प्रकार	सेबी द्वारा प्रभारित शुल्क	पीएफआरडीए द्वारा प्रभारित शुल्क
पोर्टफोलियो प्रबंधक[8]/ पेंशन निधि प्रबंधक	आवेदन शुल्क	₹1 लाख	₹10 लाख
	पंजीकरण शुल्क	₹10 लाख	₹25 लाख
	वार्षिक शुल्क	₹5 लाख हर तीन साल में	समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित, न्यूनतम ₹10 लाख
मर्चेंट बैंकर[9]/न्यासी बैंक	पंजीकरण शुल्क	₹20 लाख	₹25 लाख
	वार्षिक शुल्क	छठे वर्ष से प्रत्येक तीन साल में ₹9 लाख रुपये	बोली के माध्यम से या चयन प्रक्रिया के समय पीएफआरडीए द्वारा तय किए गए ऐसे अन्य तरीके से निर्धारित
आभिरक्षक	आवेदन शुल्क	लागू नहीं	₹5 लाख

[8] *(सेबी विनियम 2020 के अनुसार)*

[9] *(सेबी विनियम 2025 के अनुसार)*

मध्यस्थ का नाम	शुल्क का प्रकार	सेबी द्वारा प्रभारित शुल्क	पीएफआरडीए द्वारा प्रभारित शुल्क
	पंजीकरण शुल्क	लागू नहीं	₹25 लाख
	वार्षिक शुल्क	लागू नहीं	संरक्षण में संपत्ति का 0.0005% या ₹10 लाख, जो भी अधिक हो
केंद्रीय रिकॉर्ड किपिंग एजेंसी (सीआरए)	पंजीकरण शुल्क	लागू नहीं	₹25 लाख
	वार्षिक शुल्क	लागू नहीं	सेवा शुल्क का 0.05 गुना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएफआरडीए द्वारा प्रभारित शुल्क ने पीएफआरडीए के कॉर्पस में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो 31 मार्च 2024 तक ₹415.25 करोड़ था, जिसमें वर्ष 2023-24 के लिए ₹117.81 करोड़ का अधिशेष (निवल व्यय) शामिल था। पीएफआरडीए मध्यस्थों से प्रभारित शुल्क को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर सकता है।

2.4.3 अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियमावली, 2015 में अन्य बातों के अलावा अनुदान, दान और शास्ति से एक निधि *की स्थापना* का प्रावधान है, जिसका उपयोग अभिदाताओं के हितों का संरक्षण के लिए और अभिदाताओं के बीच पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने और शिक्षित करने के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 6 में यह निर्धारित किया गया है कि पीएफआरडीए अभिदाता शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा गतिविधियों की सिफारिश करने और अभिदाता शिक्षा और सुरक्षा निधि के उपयोग के लिए एक समिति का गठन करेगा। समिति की बैठकें कम से कम एक तिमाही में एक बार बुलाई जाएंगी। इसके अलावा, समिति गतिविधियों के संचालन हेतु यदि कोई हो निधि प्राप्ति उनके उपयोग और आगामी तिमाही के लिए योजना के बारे में तिमाही आधार पर पीएफआरडीए को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। पीएफआरडीए संदर्भित प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगा और समिति की गतिविधियों के निष्पादन का आकलन करेगा। पीएफआरडीए अपनी गतिविधियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निधि के इष्टतम उपयोग के लिए भी निर्देश देगा।

अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि (एसईपीएफ) पर लेखापरीक्षा अवलोकनों की निम्नलिखित उप-पैराओं में चर्चा की गई है:

2.4.3.1 एसईपीएफ समिति की बैठकें

पीएफआरडीए (एसईपीएफ) विनियमावली, 2015 के विनियम 6(2) के अनुसार, समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् (ए) पीएफआरडीए के कार्यकारी निदेशक जो समिति के संयोजक होंगे; (बी) पीएफआरडीए के दो अन्य अधिकारी; और (सी) चार अन्य सदस्य जिनके पास वित्तीय बाजार में विशेषज्ञता है और अभिदाता शिकायत निवारण या अभिदाता शिक्षा के मामलों में अनुभव है। इसके अलावा, विनियम 8(1) के अनुसार समिति की एक तिमाही में कम से कम एक बैठक बुलाई जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसंबर 2016 में इसके गठन के बाद से मार्च 2024 तक एसईपीएफ समिति की निर्धारित 29 बैठकों के प्रति केवल आठ बैठकें ही आयोजित की गईं। यह दर्शाता है कि पीएफआरडीए ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए कि एसईपीएफ समिति अपने

अभिदाताओं के बीच जागरुकता फैलाने और परिकल्पित भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निर्धारित अंतराल पर बैठक करे।

पीएफआरडीए ने कहा (अप्रैल 2023) कि पीएफआरडीए के सदस्यों के अलावा, एसईपीएफ समिति में अन्य बाहरी सदस्य शामिल थे, जिनके पास वित्तीय बाजारों में विशेषज्ञता और अनुभव था। विभिन्न क्षेत्रों और संगठनों के सदस्यों की इस विविधता के कारण, बैठकों के संचालन के लिए उनकी उपलब्धता को देखा जाना था।

लेखापरीक्षा इस तथ्य को स्वीकार करता है कि बाहरी सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी। तथापि, यह आवश्यकता समिति की बैठकों के आयोजन में महत्वपूर्ण देरी को उचित नहीं ठहरा सकती है। अभिदाताओं में जागरुकता बढ़ाने और अभिदाताओं को शिक्षित करने में एसईपीएफ समिति की भूमिका को देखते हुए, पीएफआरडीए की यह जिम्मेदारी थी कि समिति की बैठकें निर्धारित आवृत्ति के अनुसार होती रहे।

2.4.3.2 एसईपीएफ निधि का उपयोग

अप्रैल 2017 में एसईपीएफ का आदिशेष ₹141.19 लाख था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर ₹273.75 लाख हो गया। तथापि, वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक, एसईपीएफ से केवल ₹50.08 लाख[10] का व्यय हुआ। उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से ज्ञात हुआ कि पीएफआरडीए के पास समर्पित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों के लिए एसईपीएफ में पड़े निधि का उपयोग करने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना नहीं थी।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि 2015 से एसईपीएफ में संचित राशि न्यूनतम थी जिसके कारण आवर्ती गतिविधियां नहीं की जा सकी।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने पीएफआरडीए के दृष्टिकोण को दोहराया और कहा (अप्रैल 2025) कि एसईपीएफ में सीमित निधि को देखते हुए, व्यय संबंधी निर्णयों के लिए दुरदर्शी वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना था कि मार्च 2024 तक एसईपीएफ में ₹273.75 लाख की एक महत्वपूर्ण राशि अप्रयुक्त पड़ी थी, जिसका उपयोग निधि के इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाभकारी रूप हो सकता था।

सिफारिश सं. 6

पीएफआरडीए एसईपीएफ समिति की नियमित बैठकों में शीघ्र कार्रवाई कर सकता है और निधि में पड़े धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित कर सकता है।

2.4.4 शिकायत निवारण तंत्र

एनपीएस संरचना के तहत शिकायत निवारण तंत्र की व्यापक विशेषताएं **अनुलग्नक-V** में दी गई हैं। विभिन्न माध्यमों से शिकायतों को एक केंद्रीय पोर्टल अर्थात केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में समेकित किया गया और फिर संबंधित मध्यस्थ को भेजा गया। यदि निर्धारित समय अवधि के अंदर समाधान नहीं किया गया या यदि शिकायत को निरस्त कर दिया गया या

[10] *2019-20 में ₹0.08 लाख तथा 2023-24 में ₹50 लाख शामिल*

यदि कोई अभिदाता उत्तर से संतुष्ट नहीं था तो शिकायत को एस्कलेट किया जा सकता था। शिकायतों को एस्कलेट करने के लिए चार स्तर थे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 2.5: एनपीएस संरचना के तहत शिकायत करने/ एस्कलेट करने का स्तर

क्रम. सं.	स्तर	समय-सीमा	किस स्तर की
1	नोडल कार्यालय/संबंधित मध्यस्थ	30 दिन	एनपीएस न्यास
2	एनपीएस न्यास	30 दिन[11]	लोकपाल
3	लोकपाल	90 दिन	पीएफआरडीए
4	पीएफआरडीए (नामित सदस्य)	60 दिन	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण

लेखापरीक्षा ने पीएफआरडीए के शिकायत निवारण तंत्र में निम्नलिखित कमियों को देखा:

2.4.4.1 शिकायत दर्ज करने के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म

पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियमावली, 2015 के पैरा 9 के अनुसार, शिकायत निवारण नीति में ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतों की स्थिति को देखना और पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट आवधिक प्रतिवेदनों को तैयार करने में सक्षम स्वचालित प्रणालियों का प्रावधान होना चाहिए। प्रणाली को इस प्रकार से भी डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट तरीके से पीएफआरडीए की प्रणाली के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत हो सके।

एनपीएस अभिदाता निम्नलिखित विभिन्न तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकता था:

- प्रत्येक केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा प्रदत्त केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में संबंधित नोडल कार्यालयों/प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) या पीएफआरडीए के तहत किसी अन्य मध्यस्थ के प्रति।
- निर्धारित प्रपत्र में भौतिक पत्रों के माध्यम से ।
- ग्राहक सेवा अधिकारी की मदद से कॉल सेंटर/सीआरए हेल्पलाइन के माध्यम से।
- लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से जिसकी भारत सरकार द्वारा केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के तहत निगरानी की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- व्यथित अभिदाता विविध साधनों (ऑनलाइन/ऑफलाइन/कॉल) के द्वारा कई चैनलों के माध्यम से शिकायतें कर सकते हैं और सभी शिकायतों का अंततः संबंधित सीआरए द्वारा प्रबंधित सीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से समाधान किया गया था।
- सीजीएमएस पोर्टल सीपीग्राम पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं था और सीआरए के माध्यम से संबंधित मध्यस्थ को सीपीग्राम शिकायतों को भेजने करने के लिए मैनुअल हस्तक्षेप की

---

[11] 21 फरवरी 2024 से 21 दिन संशोधित कर दिया गया

आवश्यकता थी। डीएफएस द्वारा सीपीग्राम के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को पीएफआरडीए को निर्देशित किया गया था। पीएफआरडीए में, ऐसी शिकायतों को मैनुअल रूप से डाउनलोड किया गया और समाधान के लिए संबंधित मध्यस्थों को नए सिरे से भेजने के लिए सीआरए को भेजा गया। इसके अलावा, शिकायत के समाधान के बाद, पीएफआरडीए ने संबंधित मध्यस्थ द्वारा प्रदान किए गए समाधान को फिर से डाउनलोड किया और उसे अनुवर्ती कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) के रूप में सीपीग्राम पोर्टल पर अपलोड किया। इस तरह, शिकायतों को समाधान होने के रूप में चिह्नित किया गया और सीपीग्राम पोर्टल की प्रणाली में निपटान दर्शाया गया।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (फरवरी 2023, मई 2023 और अगस्त 2024) कि अभिदाताओं की सुविधा के लिए कई चैनल खोले गए थे और एनआईसी द्वारा बताए गए सुरक्षा कारणों की वजह से सीजीएमएस को सीपीग्राम के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका। इसने यह भी कहा कि एकीकरण संभव नहीं था क्योंकि सीजीएमएस प्लेटफॉर्म पीएफआरडीए के एक मध्यस्थ द्वारा प्रदान किया गया था, जो न तो सरकारी निकाय था और न ही यह एनआईसी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। बाद में, एनआईसी ने संकेत दिया कि दोनों प्लेटफार्मों को एकीकृत करने की तकनीकी व्यवहार्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित सीआरए और एनआईसी की तकनीकी टीमों को शामिल करते हुए आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा अभिदाताओं की सुविधा के लिए शिकायतें उठाने के लिए एक से अधिक चैनल प्रदान करने में पीएफआरडीए की पहल की सराहना करती है। तथापि, पीएफआरडीए स्वचालित शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियमावली, 2015 की आवश्यकता का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए सीपीग्राम को सीजीएमएस के साथ एकीकृत करने और शिकायतों के प्रवासन को स्वचालित करने के लिए कदम उठा सकता है।

2.4.4.2 शिकायतों के समाधान में लगने वाला समय

पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियमावली, 2015 की धारा 6(5) के अनुसार, प्रत्येक शिकायत का निपटान उसकी प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के अंदर किया जाना था और शिकायतकर्ता को एक अंतिम उत्तर भेजा जाना था, जिसमें शिकायत के समाधान या निरस्तीकरण का विवरण लिखित में (कारण सहित) दर्ज हो। इसके अलावा, विनियमों की धारा 10 के अनुसार, कोई भी अभिदाता जिसकी शिकायत का समाधान मध्यस्थ द्वारा शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर नहीं किया गया या जो एनपीएस (एनपीएस न्यास के अलावा) के तहत किसी मध्यस्थ द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं था, ऐसे मध्यस्थ के विरूध एनपीएस न्यास के साथ शिकायत दर्ज करेगा। एनपीएस न्यास को अभिदाता शिकायत के समाधान के लिए संबंधित मध्यस्थ के साथ अनुपालन करना था। एनपीएस न्यास को अभिदाता की शिकायत का निवारण कराना था तथा शिकायत की प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर शिकायत के समाधान के बारे में अभिदाता को उत्तर देना था।

पीएफआरडीए ने तीनों सीआरए की शिकायतों का डेटा डंप प्रस्तुत किया (जून 2023)। शिकायतों के डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कुल 14,05,423 शिकायतों में से 92,251 मामलों में

(6.56 प्रतिशत) शिकायतों के समाधान के लिए टर्न-अरांउड समय 30 दिनों से अधिक था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 51,187 शिकायतों (3.68 प्रतिशत) का 90 दिनों के अंदर समाधान किया गया और 41,064 शिकायतों (2.95 प्रतिशत) के निवारण में असाधारण रूप से अधिक समय (90 दिनों से अधिक) लिया गया।

इसके अलावा, एनपीएस न्यास को एस्कलेट की शिकायतों में भी देरी नोटिस की गई। लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मासिक आधार पर एनपीएस न्यास को भेजे गए मामलों के लिए शिकायतों (संदर्भों) की स्थिति मांगी गयी थी। पीएफआरडीए द्वारा प्रस्तुत डेटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वित्त वर्ष 2021-22 में एक सीआरए[12] में से कुल 2,593 शिकायतें एनपीएस न्यास को भेजी गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनपीएस न्यास ने 140 एस्कलेट मामलों (5.40 प्रतिशत) के लिए टर्न-अराउंड समय (30 दिन) से अधिक समय लिया।

उत्तर में, पीएफआरडीए ने (नवंबर 2023) एनपीएस न्यास की टिप्पणियां मासिक आधार पर प्रस्तुत की। एनपीएस न्यास ने उन शिकायतों की पहचान की जो 60 दिनों से अधिक समय से लंबित थी और संबंधित इकाइयों को भौतिक पत्रों के माध्यम से अनुस्मारक भेजा जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें लंबित थी। एनपीएस न्यास से अनुस्मारक प्राप्त होने पर, कुछ शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका समाधान नही हुआ जो अनसुलझी रही, जिनकी स्थिति अनुस्मारक भेजने के 45 दिनों के बाद पता लगाई गई, जिन्हें पीएफआरडीए को स्थानांतरित कर दिया गया। एनपीएस न्यास ने शिकायतों के समय पर समाधान के लिए कॉल और अनुस्मारक के माध्यम से अनुनय की प्रक्रिया को अपनाया, क्योंकि ऐसी इकाइयों के प्रति एनपीएस न्यास के पास कोई प्रवर्तन तंत्र उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा का मत है कि शिकायतों के समय पर समाधान के लिए प्रवर्तन तंत्र आवश्यक था। इसके अलावा, अभिदाता जागरूकता में वृद्धि और फीडबैक तंत्र अभिदाताओं को सशक्त बनाने और शिकायतों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

2.4.4.3 शिकायतों की निगरानी और शिकायत निवारण की प्रभावशीलता

पीएफआरडीए द्वारा प्राप्त शिकायतों को प्रत्येक सीआरए द्वारा केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में दर्ज किया गया था, जिसके लिए एक टोकन (एक विशिष्ट संदर्भ संख्या) सृजित किया गया था। शिकायत पर संबंधित इकाई ने ध्यान दिया, जिसने प्रणाली में समाधान विवरण अंकित किया। अभिदाता निर्धारित टोकन संख्या का उपयोग करके शिकायत की स्थिति और समाधान के विवरण की जांच कर सकता है। यदि अंसतुष्ट अभिदाता प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसे अगले स्तर तक एस्कलेट कर सकता है (तालिका 2.5 देखें)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जब भी कोई अभिदाता अस्वीकृत या असंतोषजनक उत्तर के कारण किसी इकाई के खिलाफ शिकायत को एस्कलेट करना चाहता था, तो शिकायत नए सिरे से एस्कलेट करनी पड़ती थी और इसे एक नई शिकायत मानते हुए एक नया टोकन नंबर सृजित करना पड़ता था। उसी अभिदाता द्वारा की गई और एस्कलेट शिकायतों के बीच कोई संबंध नहीं था और इसलिए अंतिम समाधान तक एक टोकन संख्या के साथ शिकायत की कालक्रमानुसार निगरानी करना संभव

[12] *प्रोटीयन इ-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड*

नहीं था। यह भी देखा गया कि एक ही मुद्दे पर विभिन्न मंचों पर एक असंतुष्ट अभिदाता से प्राप्त कई शिकायतों को एक ही शिकायत के रूप में पहचानने और चिह्नित करने के लिए कोई जांच उपलब्ध नहीं थी।

2017-18 से 2023-24 के बीच, सीजीएमएस पर कुल 14,25,235 शिकायतें प्राप्त हुई। तथापि, लेखापरीक्षा शिकायत निवारण की प्रभावशीलता पर टिप्पणी नहीं कर सका, क्योंकि समाधान किए गए उन मामलों का कोई डेटाबेस नहीं था जिन्हें अभिदाताओं द्वारा अगले स्तर पर अपील के रूप में बढ़ाया गया था। समाधान किए गए मामलों और उन मामलों पर की गई अपीलों के बीच संबंध के बिना, समाधान की गुणवत्ता या अभिदाताओं की संतुष्टि पर भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

पीएफआरडीए ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में स्वीकार किया कि पीएफआरडीए की शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली में कमी थी, जिससे मामले एस्कलेट होने पर एक ही टोकन नंबर के साथ शिकायत को कालानुक्रमिक रूप से ट्रैक किया जा सके।

लेखापरीक्षा का विचार है कि पीएफआरडीए को संगठित ऐस्केलेशन प्रणाली के साथ एक स्वचालित और केंद्रीकृत शिकायत निवारण पोर्टल विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता है, जो विभिन्न एजेंसियों और विभागों में काम कर सकता है।

सिफारिश सं. 7

पीएफआरडीए (i) विभिन्न एजेंसियों से शिकायतो के स्वचालित प्रवासन सहित एक केंद्रीयकृत शिकायत निवारण पोर्टल तथा (ii) शिकायतों को एस्कलेट करने हेतु एक संगठित प्रणाली विकसित करने के लिए शिकायतों का समय पर समाधान हेतु एक मजबूत तंत्र स्थापित कर सकता हैं।

2.4.4.4 लोकपाल का कार्य

अभिदाता जिसकी शिकायत एनपीएस न्यास को शिकायत प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर मध्यस्थ द्वारा हल नहीं की गई थी, या जो एनपीएस न्यास द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं था, वह संबंधित मध्यस्थ या इकाई के विरूध लोकपाल को अपील कर सकता था। प्रारंभ में, शिकायत प्राप्त होने पर, लोकपाल शिकायतकर्ता और मध्यस्थ या संबंधित इकाई के बीच आपसी समझौते या मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए प्रयास करेगा और 30 दिनों के अंदर ऐसा निर्णय पारित करेगा। यदि शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के अंदर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते द्वारा मामला हल नहीं किया गया, तो लोकपाल शिकायत दर्ज करने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अंदर एक निर्णय जारी करेगा।

लोकपाल के कार्य-पद्धति पर लेखापरीक्षा अवलोकनों पर नीचे चर्चा की गई है:

(ए) लोकपाल द्वारा निर्णय जारी करने में लगने वाला समय

पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियमावली, 2015 के तहत, लोकपाल द्वारा न्यायनिर्णयन पर निर्णय जारी करने की समय सीमा शिकायत दर्ज करने की तिथि से 90 दिन थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2018 से अप्रैल 2022 के बीच लोकपाल द्वारा कुल 58 मामलों को निपटान किया गया था। कुल 58 मामलों में से 12 मामलों की एक नमूना जांच, जिसके लिए पीएफआरडीए द्वारा रिकॉर्ड/जानकारी प्रदान की गई थी, से पता चला कि निर्णय जारी करने में 17

से 502 दिनों तक देरी हुई, (जो की 90 दिनों की समय सीमा से अधिक थी), जिसमें 231 दिनों की मध्यिका देरी हुई। इसने लोकपाल द्वारा समय सीमा के पालन की निगरानी के लिए तंत्र में अधिक मजबूती की आवश्यकता का संकेत दिया।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022 से अगस्त 2024) कि विनियम द्वारा प्रदान किए गए निर्णय को जारी करने में देरी के कारण एक निर्णय को अमान्य नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि निर्णय में अधिकांश देरी महामारी के कारण लॉक डाउन और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के कारण हुई थी। इसके अलावा, सूचित निर्णय हेतु एनपीएस में शामिल कई मध्यस्थों से अभ्युक्तियों/टिप्पणियों के मंगाने के कारण, निर्णय जारी करने की प्रक्रिया में देरी हुई। लोकपाल द्वारा समय सीमा के अनुपालन की निगरानी के तंत्र के संबंध में, पीएफआरडीए ने कहा (मई 2023) कि लोकपाल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के तीन महीने के अंदर पीएफआरडीए को कार्यालय की गतिविधियों की सामान्य समीक्षा वाली एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। पीएफआरडीए बोर्ड ने प्रतिवेदन पर टिप्पणियां की और उचित कार्रवाई करने के लिए लोकपाल को सूचित किया गया।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि:

- लोकपाल द्वारा निर्णय जारी करने में देरी से अभिदाता को नुकसान हो सकता है, अर्थात, कॉर्पस का नुकसान (अवसर लागत का नुकसान)। असंतुष्ट अभिदाता चौथे स्तर (पीएफआरडीए) और उसके बाद पांचवें स्तर (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण) तक केवल लोकपाल द्वारा निर्णय पारित किए जाने के बाद ही पहुंच सकता है। इसलिए एक प्रभावी और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के लिए निर्धारित समय के अंदर लोकपाल द्वारा निर्णय जारी करना आवश्यक था।
- लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 12 मामलों में से, छह मामले कोविड-19 महामारी की अवधि या उससे ठीक पहले (अर्थात जनवरी 2020 से जून 2021) के दौरान दर्ज किए गए थे। हालाँकि, शेष छह मामलों में भी, निर्णय जारी करने में 476 दिनों की मध्यिका देरी हुई, जो निर्धारित समय सीमा, 90 दिनों से कहीं अधिक थी।
- लोकपाल द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या के कम बोझ को देखते हुए, कई मध्यस्थों से टिप्पणियां मांगने और अपील पर निर्णय लेने के लिए 90 दिनों की अवधि पर्याप्त थी। इसके अलावा, समय सीमा के अनुपालन की निगरानी के लिए लोकपाल से वार्षिक प्रतिवेदन पर निर्भरता अपर्याप्त थी क्योंकि वार्षिक प्रतिवेदन से केवल पिछली स्थितियों की जानकारी मिल सकती है किंतु समय-सीमा के पालन से जुडी मौजुदा स्थिति के बारे में नहीं बताएगी।

(बी) लोकपाल के निर्णय को लागू करना

पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियमावली, 2015 के अनुसार लोकपाल द्वारा जारी निर्णय, निर्णय के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर संबंधित पक्ष द्वारा लागू किया जाना था।

लोकपाल निर्णय के संबंध में पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की गई 12 फाइलों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो मामलों में निर्णय को लागू नहीं किया गया था और दस मामलों में संबंधित फाइल में निर्णय के कार्यान्वयन की स्थिति उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा,

मध्यस्थों पर निर्णय के प्रभावी प्रवर्तन को सक्षम बनाने के लिए लोकपाल ने पीएफआरडीए को विनियामक होने के बावजूद निर्णय की प्रति नहीं भेजी।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (फरवरी 2023 और अगस्त 2024) कि निर्णय के कार्यान्वयन की तिथि के संबंध में पीएफआरडीए के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। लोकपाल के पास पीएफआरडीए को मेल तब अग्रेषित की गई जब निर्णय कार्यान्वित न होने पर शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता ने सूचना/मेल के द्वारा लोकपाल से संपर्क किया। लोकपाल द्वारा निर्णय को नहीं भेजने पर पीएफआरडीए ने उत्तर दिया कि लोकपाल निर्णय की एक प्रति पीएफआरडीए को पृष्ठांकित नहीं की गई थी क्योंकि पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियमावली, 2015 में इस आवश्यकता का उल्लेख/निर्दिष्ट नहीं किया गया था। पीएफआरडीए ने सरकारी क्षेत्र में नोडल कार्यालयों को लोकपाल के निर्णय के अनुपालन में देरी का कारण बताया। इन देरी की नियमित रूप से सूचना दी जाती थी और इस पर अनुसरण किया जाता था। इस क्षेत्र में एनपीएस का कार्यान्वयन संबंधित सरकारों की प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय स्थिति दोनों पर निर्भर था। लोकपाल आदेश को लागू करना एक चुनौती बनी रही, जो अनुनय और सतत् अनुवर्ती कार्रवाई पर निर्भर थी।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि लोकपाल निर्णयों का अनुपालन नोडल कार्यालयों द्वारा किया गया था और वह प्रशासनिक और वित्तीय बाधाओं से प्रभावित था।

उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखे जा सकते हैं कि दो मामलों में जहां लोकपाल के निर्णय को लागू नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा को वित्तीय बाधाओं का संकेत देने वाले अभिलेख नहीं मिले जो निर्णय को लागू करने से रोक सकते थे। पीएफआरडीए की प्रतिक्रिया कि देरी को नियमित रूप से सूचित किया गया और अनुवर्ती कार्रवाई की गई, इसके पहले के बयान का खंडन करती है कि कार्यान्वयन की तिथि के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, निर्णय के कार्यन्वित नहीं होने के कारण शिकायत करने के लिए शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता पर निर्भरता के तथ्य ने पीएफआरडीए को निर्णय के कार्यान्वयन नहीं करने की रिपोर्टिंग में सरकारी नोडल कार्यालयों को मुक्त नहीं किया।

सिफारिश सं. 8

पीएफआरडीए लोकपाल द्वारा जारी किए गए निर्णयों के समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है।

2.5 सारांश

पीएफआरडीए ने एनपीएस के माध्यम से भारत के पेंशन ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक पेंशन बाजार बनाने की इसकी पहल एक बढ़ते अभिदाता आधार के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विनियामक सुधारों, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से, पीएफआरडीए ने भारत के विकसित हो रहे पेंशन परिदृश्य में स्वंय को एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में स्थापित किया है।

तथापि, लेखापरीक्षा निष्कर्ष शासकीय, निधि प्रबंधन और शिकायत निवारण के क्षेत्रों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर संकेत करते है।

पीएफआरडीए विनियामक और प्रचालक दोनों है जो मध्यस्थों की नियुक्ति पर नियंत्रण रखता है। निधि प्रबंधन के संदर्भ में, यद्यपि पीएफआरडीए ने स्पष्ट निवेश दिशानिर्देश स्थापित किए हैं, फिर भी एक व्यापक स्टॉप-लॉस नीति और मजबूत परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) का अभाव इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता का संकेत देते है।

एनपीएस के तहत शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐस्केलेशन मेट्रिक्स और परिभाषित समय सीमा शिकायत निवारण तत्रं में शामिल थे। हालाँकि, शिकायतों का समय पर समाधान और लोकपाल द्वारा जारी किए गए निर्णयों का प्रवर्तन ऐसे क्षेत्र थे जिनमें और सुधार की आवश्यकता थी।

अध्याय-III

सांविधिक पेंशन प्रणालियाँ

अध्याय-III
सांविधिक पेंशन प्रणालियाँ

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 12(3) के अनुसार, अधिनियम निम्नलिखित योजनाओं/निधियों पर लागू नहीं होगा:

- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना अधिनियम, 1955
- नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
- जम्मू और कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961 (निरस्त[13])

ये इकाइयां विविध कार्यबल समूहों को सेवा प्रदान करती हैं और अलग-अलग विधायी अधिदेश के तहत काम करती हैं, लेकिन वे अपने सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य को साझा करती हैं।

यह अध्याय चार सांविधिक भविष्य निधि संगठनों अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ), नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ) और कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) की शासकीय संरचनाओं, परिचालन चुनौतियों और वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अगले पृष्ठ पर दी गई **तालिका 3.1** संदर्भ प्रदान करने के लिए चार संगठनों की विशेषताओं पर प्रकाश डालती है।

तालिका 3.1 से देखा जा सकता है कि कुछ अधिनियमों में बीमा का प्रावधान है, लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा की गई समीक्षा का दायरा केवल इन अधिनियमों के तहत भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं तक ही सीमित था। इनमें से प्रत्येक अधिदेशित निधियों के विस्तृत निष्कर्ष आगे के पैराओं में दिए गए है।

[13] जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर कर्मचारी निधि अधिनियम, 1961 को निरस्त कर दिया गया था और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में 1 नवंबर 2019 से लागू हो गया था।

तालिका 3.1: विभिन्न सांविधिक पेंशन प्रणालियों की बुनियादी विशेषताएं

मापदंड	ईपीएफओ	सीएमपीएफओ	एसपीएफओ	एटीईपीएफओ
शासी अधिनियम	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948	नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966	असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना अधिनियम, 1955
प्रशासनिक मंत्रालय	श्रम और रोजगार मंत्रालय	कोयला मंत्रालय	पोत परिवहन मंत्रालय	असम सरकार
लागू	यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित हैं और जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।	कोयला खनन में अथवा उससे संबंधित कार्यों में नियोजित कर्मचारी	वाणिज्यिक पोत-परिवहन उद्योग के कर्मचारी	असम के चाय बागानों और कारखानों में कार्यरत श्रमिक
अधिनियम के तहत योजनाएं/लाभ	• कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के तहत भविष्य निधि। • कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत पेंशन। • कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई)	• कोयला खान भविष्य निधि योजना (सीएमपीएफ), 1948 के तहत भविष्य निधि • कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस), 1998 के तहत पेंशन	नाविक भविष्य निधि योजना के तहत भविष्य निधि	• असम चाय बागान भविष्य निधि योजना (1955) के तहत भविष्य निधि • पेंशन-सह-पारिवारिक पेंशन योजना (1968/1972) के तहत पेंशन • जमा-संबद्ध बीमा निधि योजना, 1984 के तहत बीमा

मापदंड	ईपीएफओ	सीएमपीएफओ	एसपीएफओ	एटीईपीएफओ
	योजना, 1976 के तहत बीमा।			
अंशदान	कर्मचारी अंशदान: 12% नियोक्ता अंशदान: 12% अंशदान ₹15,000 की अधिकतम वेतन सीमा तक ही देय होगा	भविष्य निधि: कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान: 12% पेंशन निधि: कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान: 7%	कर्मचारी अंशदान: 12% नियोक्ता अंशदान: 12%	कर्मचारी अंशदान: 12% नियोक्ता अंशदान: 12%
31 मार्च 2024 को प्रतिष्ठानों की संख्या	24,18,166	798 कोयला खान और कार्यालय	उपलब्ध नहीं है	1,266
अभिदाताओं की संख्या (31 मार्च 2024 तक)	32.56 करोड़	3.34 लाख अभिदाता और 6.14 लाख पेंशनभोगी	1.11 लाख	12.83 लाख अभिदाता और 33,235 पेंशनभोगी
31 मार्च 2024 को प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम)	ईपीएफ: ₹15.29 लाख करोड़ ईपीएस: ₹8.76 लाख करोड़	पीएफ: ₹1,27,345.71 करोड़ पेंशन: ₹22,334.46 करोड़	₹3,296.75 करोड़ (केवल पीएफ)	पीएफ: ₹13,887.71 करोड़ पेंशन: ₹376.21 करोड़

3.1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएल एंड ई) के तहत एक सांविधिक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के प्रख्यापन के साथ हुई, जिसे बाद में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस अधिनियम को अब कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952) के रूप में जाना जाता है जो पूरे भारत में लागू है।

यह अधिनियम लागू होता है:

- ऐसा प्रत्येक प्रतिष्ठान, जो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में संलग्न कारखाना हो तथा जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों; और
- कोई अन्य प्रतिष्ठान, जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों, अथवा ऐसे प्रतिष्ठानों का कोई वर्ग, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे।

इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतिष्ठान जो अन्यथा इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता हो, स्वैच्छिक रूप से अधिनियम के अंतर्गत आ सकता है, यदि नियोक्ता तथा उसके अधिकांश कर्मचारी इस बात पर सहमत हों कि अधिनियम के प्रावधान उनके प्रतिष्ठान पर लागू किए जाएँ।

31 मार्च 2024 तक, ईपीएफओ के पास प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्ति ₹ 24.05 लाख करोड़ थी और ईपीएफओ के तहत कुल 24,18,266 प्रतिष्ठान और 32.56 करोड़ सदस्य शामिल थे।

ईपीएफओ ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 को प्रशासित करता है तथा केंद्रीय न्यासी बोर्ड की समग्र देखरेख में तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रबंधन करता है। ईपीएफओ के तहत तीन योजनाएं हैं:

- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952
- कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995
- कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976

इन योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-VI** में दिया गया है।

3.1.1. शासकीय ढाँचा

केंद्रीय न्यासी बोर्ड अधिनियम की धारा 5ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक त्रिपक्षीय सांविधिक निकाय है। बोर्ड का कार्यकाल पांच साल का है और इसके पास ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 और अधिनियम के तहत तैयार की गई तीन योजनाओं के प्रशासन की जिम्मेदारी है। केंद्रीय बोर्ड में सरकार {केंद्र सरकार (पांच सदस्य) और राज्य सरकार (15 सदस्य)}, नियोक्ता (10 सदस्य) और कर्मचारी (10 सदस्य) के प्रतिनिधि शामिल हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य हैं:

- बोर्ड में निहित निधियों का प्रशासन।

- प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, जैसा आवश्यक समझा जाए।
- अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।
- निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से आय और व्यय के खातों का रखरखाव।

बोर्ड को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता और सलाह देने के लिए नियोक्ता, कर्मचारियों, सरकार और डोमेन विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों से युक्त केंद्रीय बोर्ड की समितियां गठित की जाती हैं। विभिन्न समितियों में वित्त, निवेश और लेखापरीक्षा समिति (एफआईएसी), पेंशन और ईडीएलआई कार्यान्वयन समिति (पीईआईसी), छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति (ईईसी) और कार्यकारी समिति शामिल हैं। इन समितियों के कार्य **अनुलग्नक-VII** में दिए गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 ने एक वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बोर्ड की न्यूनतम दो बैठकें और कार्यकारी समिति की चार बैठकें निर्धारित थी, जिसका लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन किया गया था।

3.1.1.1 निवेश समिति की जिम्मेदारी

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति (एफआईएसी) के माध्यम से पोर्टफोलियो प्रबंधकों का चयन किया और निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उनके बीच निधि का आबंटन किया। इसके अतिरिक्त, पोर्टफोलियो प्रबंधकों की गतिविधियों की निगरानी और निरीक्षण के लिए एफआईएसी जिम्मेदार था, जिसके लिए उनके इष्टतम प्रदर्शन और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता थी।

हालाँकि, इन पोर्टफोलियो प्रबंधकों की नियुक्ति एवं चयन में एफआईएसी की भागीदारी के साथ-साथ तथा उनके कार्यों पर निगरानी रखने के कारण केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अंतर्गत वही समिति चयन और निरीक्षण दोनों प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर रही थी।

श्रम संबंधी 42वीं स्थायी समिति (2017-18) ने "विविध भविष्य निधि अधिनियमों के कार्यान्वयन के मुकाबले अपवर्जित श्रेणी पर ईपीएफओ का विनियामक ढाँचा" शीर्षक के अपने प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय की एक प्रतिक्रिया का उद्धृत किया, जिसमें मंत्रालय ने यह भी कहा था कि ईपीएफओ विनियामक और प्लेयर दोनों की भूमिका निभाता हैं।

ईपीएफओ ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में हितों के टकराव से इनकार किया और कहा कि पोर्टफोलियो प्रबंधकों का चयन केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया गया था जिसके लिए चयन प्रक्रिया में सहायता के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था। समिति में एक बाहरी सदस्य अर्थात मुख्य महाप्रबंधक, पीएफआरडीए शामिल थे। दूसरी ओर, निवेश समिति (पूर्व में एफआईएसी), जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप-समिति है, को निवेश की निगरानी से संबंधित कार्य सौंपा गया था। ईपीएफओ ने यह भी कहा कि पोर्टफोलियो प्रबंधकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन ईपीएफओ द्वारा क्रिसिल की सहायता से वस्तुनिष्ठ बेंचमार्क के आधार पर किया गया था, साथ ही निष्कर्षों की समीक्षा निवेश समिति (पूर्व में एफआईएसी) द्वारा की गई थी। इसके अलावा, पोर्टफोलियो प्रबंधकों को निधि का आवंटन, रिक्वेस्ट फ़ॉर प्रपोजल में निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया जाता था, जिनमें वित्तीय तथा तकनीकी प्रदर्शन शामिल थे।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एफआईएसी रिक्वेस्ट फ़ॉर प्रपोजल की तैयारी और अनुमोदन के साथ-साथ बोलियों को खोलने सहित बोली प्रक्रिया में शामिल था। एफआईएसी ने पोर्टफोलियो प्रबंधक के चयन के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड को सिफारिशें भी प्रस्तुत की। इसलिए, पोर्टफोलियो प्रबंधकों के चयन की सिफारिश करने और इन पोर्टफोलियो प्रबंधकों की निगरानी करने में एफआईएसी की जिम्मेदारी प्रभावी निधि प्रबंधन के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठता को प्रभावित कर सकती है।

3.1.1.2 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए अनुपालन और रिपोर्टिंग

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 17 (छूट देने की शक्ति) के अनुसार, उपयुक्त सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, किसी भी योजना के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से किसी प्रतिष्ठान को, भावी या पूर्वव्यापी रूप से, कुछ शर्तों के अधीन छूट दे सकती है।

किसी प्रतिष्ठान को छूट तभी दी गई थी जब उसके भविष्य निधि के नियमों में अंशदान की दर सांविधिक दर से कम अनुकूल नहीं हो और कर्मचारी किसी अन्य भविष्य निधि, पेंशन या उपदान और ऐसे अन्य लाभों का भी उपभोग कर रहे हों जो कुल मिलाकर ईपीएफ और एमपी अधिनियम या किसी योजना के तहत प्रदान किए गए सांविधिक लाभों से कम अनुकूल नहीं हो। छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति (ईईसी) की भूमिका सभी मामलों में छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कामकाज की निगरानी करना और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कामकाज में सुधार के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड को विचार के लिए सुझाव देना था। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की निगरानी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा प्रतिष्ठानों के मासिक ऑनलाइन विवरणी और वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा के माध्यम से की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित रिकॉर्ड मांगे गए। ईपीएफओ ने एक प्रतिष्ठान की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रदान की। लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रतिष्ठान ने श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएल एंड ई) के लागू निवेश दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- परिसंपत्ति समर्थित, न्यास-संरचित तथा विविध निवेशों में निर्धारित निवेश सीमा अधिकतम पाँच प्रतिशत थी, जबकि इस श्रेणी में 92.72 प्रतिशत निवेश किया गया था।
- अन्य श्रेणियों में किए गए निवेश निर्धारित मानदंडों से काफी कम थे, साथ ही इक्विटी में कोई निवेश नहीं था।

उपर्युक्त छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, ईपीएफओ ने न तो निवेश मानदंडों से विचलन का उल्लेख किया और न ही मानदंडों के अनुसार न होने वाले निवेश पर अधिभार का भुगतान करने के लिए दायित्व का प्रावधान किया।

लेखापरीक्षा ने ईपीएफओ से उन अन्य छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के समान मामलों की जानकारी मांगी, जहाँ निवेश मानदंडों से विचलन पाया गया था, तथा उन मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा। साथ ही, लेखापरीक्षा ने उन प्रतिष्ठानों की सूची भी मांगी जहाँ कर्मचारियों के लिए अंशदान

की दर या प्रदान किए जाने वाले लाभ, इपीएफ और एमपी अधिनियम, अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई किसी योजना में निर्धारित सांविधिक लाभों से कम अनुकूल थे, तथा उन मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा। हालाँकि, ईपीएफओ ने उन प्रतिष्ठानों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जहाँ ऐसे विचलन पाए गए थे।

ईपीएफओ ने (अगस्त 2024) में उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रतिष्ठान ने अपनी छूट वापस कर दी थी, जिसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति/केंद्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों के दौरान छूट की शर्तों का पालन न करने वाले 37 अन्य समान प्रतिष्ठानों की पहचान की गई थी, इन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध उनकी छूट रद्द किए जाने की संस्तुति उपयुक्त सरकार को भेजी जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने आगे ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की मासिक निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनों (छह मानकों पर आधारित[14]) का परीक्षण किया। इन निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि 1,300 (लगभग) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में से 236 प्रतिष्ठानों ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच किसी भी महीने में कोई भी विवरणी प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 221 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का प्रदर्शन लगातार खराब पाया गया, जिन्होंने इसी अवधि के अधिकांश महीनों में 600 अंकों में से केवल 100 से 400 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि ईपीएफओ ने उन प्रतिष्ठानों के संबंध में छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण उपलब्ध नहीं कराया, जिन्होंने विवरणी दाखिल नहीं किए थे। इसी प्रकार, उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिन्होंने उपर्युक्त मानकों के प्रति लगातार कमजोर अनुपालन प्रदर्शित किया था। अतः लेखापरीक्षा मासिक निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनों के माध्यम से की जा रही निगरानी की प्रभावशीलता के संबंध में कोई संतोषजनक आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

ईपीएफओ ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रबंधन और विनियमन के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार (2023 की दूसरी छमाही) की गई थी जिसमें एक नया निगरानी तंत्र तैयार किया गया था, और आवश्यक अनुपालन कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), जोनल कार्यालय (जेडओ) और प्रधान कार्यालय (एचओ) के स्तर पर निगरानी का एक विस्तृत मैट्रिक्स तैयार किया गया था। खराब स्कोर (0 से 300 अंक) प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया था, जिसमें नीतिगत मामलों और छूट रद्द करने के लिए अनुसंशाओं के लिए छूट प्रतिष्ठान समिति की भागीदारी शामिल थी, जब आवश्यक हो। ईपीएफओ ने आगे कहा कि अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के बीच एक भी महीने में कोई विवरणी दाखिल नहीं करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची निकाली जा रही है और संबंधित आरओ और जेडओ को कार्रवाई करने और प्रधान कार्यालय को कार्रवाई प्रतिवेदन भेजने के लिए सूचित किया जा रहा है।

---

[14] नियत तिथि से पहले निधि का स्थानांतरण, निवेश, न्यास को विप्रेषण, घोषित ब्याज, दावा निपटान, खातों की लेखापरीक्षा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति मुख्य रूप से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ-साथ छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों पर एक नियमावली पहले से ही मौजूद थी, जिसमें शासकीय अनुपालन और रिपोर्टिंग के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। इसके अलावा, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए एक वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा तंत्र संचालन में था और इन लेखापरीक्षाओं के दौरान पहचानी गई किसी भी कमी का निर्धारित निर्देशों और एसओपी के अनुसार समाधान किया गया था। हालाँकि, मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि अवलोकन को विचार-विमर्श और अनुपालन के लिए नोट किया गया था।

ईपीएफओ के उत्तर को स्वीकार किया गया, तथापि यह आवश्यक था कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति को सौंपे गए व्यापक दायित्वों का, जैसा कि उसके कार्यों में निर्धारित है, पूर्ण रूप से निर्वहन किया जाए। समिति की भूमिका छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कार्यकलापों की निगरानी करना तथा उनके कार्य संचालन में सुधार हेतु सुझाव देना भी शामिल था, इसलिए, समिति की जिम्मेदारियों के दायरे को केवल नीतिगत विषयों अथवा छूट निरस्तीकरण के मामलों तक सीमित रखना, ईपीएफओ के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप नहीं होगा।

सिफारिश सं. 9

ईपीएफओ छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कामकाज में सुधार करने और गैर-अनुपालन के उदाहरणों को कम करने के लिए उपाय लागू कर सकता है

3.1.1.3 ईपीएफओ द्वारा शुल्क/प्रभारों की वसूली

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की धारा 39 के अनुसार, केंद्र सरकार, केंद्रीय न्यासी बोर्ड से परामर्श करके, ईपीएफओ के सामान्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु प्रशासनिक प्रभारों का प्रतिशत निर्धारित करती है। उक्त प्रभार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी एवं नियोक्ता के भविष्य निधि अंशदान के साथ ईपीएफओ को जमा किए जाते हैं। वर्तमान में, छूट रहित प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं द्वारा देय प्रशासनिक प्रभार की दर उस कुल वेतन का 0.5 प्रतिशत है, जिस पर भविष्य निधि अंशदान देय होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छूट रहित प्रतिष्ठानों से वसूले जाने वाले प्रशासनिक प्रभारों ने ईपीएफओ के ईपीएफ प्रशासन निधि खाते में कॉर्पस के निर्माण में महत्वपूर्ण अंशदान दिया। 31 मार्च 2023 तक इस खाते में संचित राशि ₹33,117.46 करोड़ थी। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि प्रशासनिक प्रभारों की दरों का युक्तिसंगत पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है, ताकि वे ईपीएफओ के लिए अत्यधिक अधिशेष उत्पन्न करने का स्रोत न बन जाएँ।

उत्तर में, ईपीएफओ ने कहा (फरवरी 2024) कि ईपीएफओ का खर्च प्रशासनिक शुल्क से पूरा किया गया और ईपीएफओ को अपने खर्चों के लिए सरकार/भारत की संचित निधि से कोई अनुदान नहीं मिला था। ईपीएफओ अपने खर्चों के लिए राजस्व सृजन के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए बाध्य था। संगठन के भावी विस्तार, नए कार्यालय खोलने के लिए भूमि की खरीद और भवनों के निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के उन्नयन, नई भर्ती आदि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। यह भी बताया गया कि प्रशासनिक प्रभार की दर को

समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित किया गया और पिछले 10 वर्षों में प्रशासनिक प्रभार की दर 2014 में 1.10 प्रतिशत से घटकर 2018 में 0.5 प्रतिशत हो गई।

इस उत्तर को ईपीएफओ के प्रशासनिक निधि खाते में लगातार बढ़ते अधिशेष के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशासनिक खाते में ₹2,420.77 करोड़ का अधिशेष था, जिससे कॉर्पस में और वृद्धि हुई। इतने बड़े कॉर्पस को बनाए रखना इस बात का संकेत था कि ईपीएफओ को प्रशासनिक शुल्कों की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता थी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, ने ईपीएफओ के उत्तर को दोहराते हुए कहा (अप्रैल 2025) कि इस अवलोकन को संज्ञान में ले लिया गया था और अगली समीक्षा के दौरान इस पर विचार किया जाएगा।

3.1.2 निधि प्रबंधन

केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों को अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया, ताकि वे पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के अंतर्गत ईपीएफओ के लिए निधियों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकें। इन निधियों में नई प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, प्रतिभूतियों की परिपक्वता से प्राप्त राशि तथा केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधकों को हस्तांतरित प्रतिभूतियों का प्रारंभिक पोर्टफोलियो शामिल था।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने निवेश नियमावली के अनुसार निवेश प्रबंधन समिति को निवेश प्रक्रिया तथा निवेश दिशानिर्देशों के पर्यवेक्षण/समीक्षा हेतु अधिकृत किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश संबंधी निर्णय निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों। निवेश प्रबंधन समिति ने केंद्रीय बोर्ड के साथ सहमत प्रासंगिक मानकों की तुलना में निवेश के निष्पादन की भी समीक्षा की।

पोर्टफोलियो प्रबंधक ने निधियों का विभिन्न प्रकार के निवेश साधनों में निवेश करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न का पालन किया। यह निवेश पैटर्न **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

3.1.2.1 निवेश प्रबंधन नीति के मुख्य पहलू

ईपीएफओ, ने अपनी निवेश प्रबंधन नियमावली, में उस व्यापक परिचालन ढाँचे को निर्धारित किया जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) टीम कार्य करेगी। इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के रूप में नीतिगत निर्देशों तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा निधियों के प्रबंधन हेतु बनाई गई निवेश नीतियों और दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया था। इन नीतियों और दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निवेशों में सुरक्षा और संरक्षा से कोई समझौता किए बिना अधिकतम प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। हालाँकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निवेश प्रबंधन नीति निम्नलिखित पहलुओं पर कमजोर थी :

(ए) निर्गम नीति

ईपीएफओ में, बोर्ड की सहायता और उसे विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में परामर्श देने के लिए केंद्रीय बोर्ड समितियों का गठन किया गया था और निवेश संबंधी कार्यों के लिए वित्त, निवेश एवं लेखापरीक्षा समिति (एफआईएसी) का गठन किया गया था। एफआईएसी पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किए जाने

वाले निवेशों की निगरानी करती थी तथा निधियों के समयबद्ध निवेश का पर्यवेक्षण करती थी, ताकि उन पर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त किया जा सके।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निवेश नियमावली में जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण का एक व्यापक ढाँचा तो निर्धारित किया गया था, किंतु हानि वाले निवेशों से बाहर निकलने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्गम नीति शामिल नहीं थी। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, ईपीएफओ के पास ₹16,028 करोड़ मूल्य के ऐसे निवेश थे, जिनकी निवेश ग्रेड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुमेय न्यूनतम निवेश ग्रेड (न्यूनतम एए ग्रेड) से नीचे थी।

ईपीएफओ ने उत्तर दिया (फरवरी 2024):

- जिन प्रतिभूतियों की रेटिंग कम कर दी गई थी, उनकी सूची समय-समय पर निवेश समिति (पूर्व में एफआईएसी) के समक्ष पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा दी गई सिफारिशों के साथ रखी गई थी। इनपुट के आधार पर, निवेश समिति ने उपलब्ध निकास विकल्पों के संबंध में एक विचारपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया।
- ईपीएफओ के पास उपलब्ध प्रतिभूतियों की रेटिंग में गिरावट की नियमित निगरानी परामर्शदाता क्रिसिल लिमिटेड द्वारा की जाती थी। परामर्शदाता की सूचना/प्रतिवेदन के अनुसार, पोर्टफोलियो प्रबंधकों से उनकी सिफारिशे प्राप्त की गई। तदनुसार, रेटिंग में गिरावट से संबंधित मामलों पर, पोर्टफोलियो प्रबंधकों की सिफारिशे शामिल करते हुए कार्यसूची निवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निवेश समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित की गई।
- एक व्यापक निर्गम नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) उल्लेख किया कि ईपीएफओ पोर्टफोलियो में निवेश श्रेणी से नीचे की प्रतिभूतियों से बर्हिगमन नीति तैयार की जा रही थी।

ईपीएफओ के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रतिभूतियों की रेटिंग में गिरावट होने की स्थिति में यह तुरंत निर्णय लेना आवश्यक होता है कि ऐसे निवेशों को बनाए रखा जाए या उनसे बाहर निकला जाए। किंतु वर्तमान व्यवस्था में, निवेश समिति के माध्यम से निर्णय केवल समिति की बैठकों के दौरान ही लिया जा सकता था, वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की केवल चार बैठकें आयोजित हुई, यह स्थिति दर्शाती है कि बाजार की गतिशील परिस्थितियों में होने वाले त्वरित परिवर्तनों और उन पर निर्णय लिए जाने के बीच समय का अंतराल उत्पन्न होने की संभावना थी।

सिफारिश सं. 10
ईपीएफओ को निवेशों के लिए निकास नीति को शीघ्र अंतिम रुप देना चाहिए

(बी) जोखिम प्रबंधन ढाँचा

निवेश प्रबंधन नियमावली में यह प्रावधान किया गया कि पोर्टफोलियो प्रबंधक के स्तर पर कार्यरत जोखिम प्रबंधन टीम यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित निवेश पैटर्न तथा निवेश दिशानिर्देशों का

अनुपालन किया जा रहा है साथ ही, यह टीम प्रक्रियाओं तथा अन्य नियंत्रण उपायों की समीक्षा करेगी ताकि जोखिमों और उनके निवारण के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ईपीएफओ ने जोखिम प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश /रूपरेखा स्थापित नहीं की थी और इसके बजाय, इस जिम्मेदारी को पोर्टफोलियो प्रबंधकों को सौंप दिया गया था, जिन्हें निधियों के प्रबंधन का कार्य भी सौंपा गया था। इस संदर्भ में यह स्पष्ट था कि वित्त, निवेश एवं लेखापरीक्षा समिति (एफआईएसी) जो इन पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किए गए निवेशों की निगरानी के लिए उत्तरदायी थी, जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में केवल सीमित भूमिका निभा रही थी।

ईपीएफओ ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि:

- निवेश, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार किए गए। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त दिशानिर्देश भी निर्धारित किए थे। निवेशों की नियमित निगरानी की जाती थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित निवेश पैटर्न और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, इसके लिए परामर्शदाता (क्रिसिल) तथा बाहृय समवर्ती लेखापरीक्षकों की सहायता ली जाती थी।
- निवेश समिति, जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप-समिति है, को निवेशों के जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी यह समिति निवेशों से संबंधित सभी चूक के मामलों की समीक्षा करने तथा रेटिंग में गिरावट वाली प्रतिभूतियों के संबंध में विचार-विमर्श कर उनसे बाहर निकलने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए भी उत्तरदायी थी।

ईपीएफओ ने आगे अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2024) कि पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए तैयार की गई निवेश प्रबंधन नियमावली में यह प्रावधान किया गया कि जोखिम प्रबंधन टीम जोखिमों तथा उनके निवारण का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2022 में एक जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। साथ ही, जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार करने में सहायता हेतु एक पृथक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए भी केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अपनी 233वीं बैठक, जो 27-28 मार्च 2023 को आयोजित हुई थी, में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने (अप्रैल 2025 में) उल्लेख किया कि ईपीएफओ ने जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार करने तथा समय-समय पर जोखिम मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक परामर्शदाता के चयन हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी कर दी थी।

(सी) परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि योजना (परिभाषित अंशदान) तथा कर्मचारी पेंशन योजना (परिभाषित लाभ), दोनों में ही कुछ अंतर्निहित जोखिम मौजूद हैं। परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम), जो जोखिम प्रबंधन और वित्तीय नियोजन के संयोजन का उपयोग करके दीर्घकालिक जोखिमों का प्रबंधन करता है, परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ईपीएफओ ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों को परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन के संबंध में कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए ।

ईपीएफओ ने अपने उत्तर (नवंबर 2023) में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 का उल्लेख किया, जिसके अनुसार पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है। इसने इस बात पर बल दिया कि बीमांकिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि देयता-आधारित निवेश को अपनाने के उद्देश्य से एएलएम पर एक विस्तृत अध्ययन कराने का प्रस्ताव था। यह अध्ययन किसी भारतीय प्रबंधन संस्थान/प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित था। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष बीमांकिक प्रतिवेदन के लिए एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में उपयोग किए जाएंगे।

ईपीएफओ के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि एएलएम का मुख्य उद्देश्य निवेशों से जुड़े जोखिमों को कम करना है तथा बीमांकिक मूल्यांकन कराना, एएलएम के प्रभावी कार्यान्वयन का विकल्प नहीं माना जा सकता।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि लेखा परीक्षा अवलोकन अनुपालन के लिए नोट किया गया था।

सिफारिश सं. 11
ईपीएफओ को बेहतर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ एवं प्रभावी एएलएम ढाँचे के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

3.1.2.2 बीमांकिक घाटा

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मूल्यांकक से कर्मचारी पेंशन निधि का प्रतिवर्ष मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक था। यदि किसी भी समय यह पाया जाता कि कर्मचारी पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति इसकी अनुमति देती है तो केंद्र सरकार, योजना के अंतर्गत देय अंशदान की दर में परिवर्तन अथवा योजना के अंतर्गत अनुमन्य लाभों की मात्रा/दर में परिवर्तन अथवा उस अवधि में परिवर्तन, जिसके लिए ऐसे लाभ प्रदान किए जा सकते हों, कर सकती है।

ईपीएस योजना के तहत 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 तक का बीमांकिक मूल्यांकन ईपीएफओ द्वारा किया गया था और मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, बीमांकिक द्वारा निम्नलिखित कमी (अर्थात लाभों का वर्तमान मूल्य में से अंशदान के वर्तमान मूल्य को घटाना) की सूचना अपनी प्रतिवेदन में दी गई थी:

तालिका 3.2: बीमांकिक मूल्यांकन में सूचित की गई कमी

[₹ करोड़ में]

मूल्यांकन की तिथि	बीमांकिक कमी
31.03.2017	15,531.91
31.03.2018	34,597.24
31.03.2019	37,326.94

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कमी की गणना करते समय, बीमांकिक ने योजना के तहत प्रदान की जाने वाली, ₹1,000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन पर विचार नहीं किया। यह बात महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि मौजूदा मूल्यांकन में ही एक महत्वपूर्ण बीमांकिक घाटा दर्शाया गया है।

उत्तर में, ईपीएफओ ने कहा (अप्रैल 2024) कि:

- बीमांकिक कमी एक प्रक्षेपण या सांख्यिकीय अनुमान था और इसकी कमी की पूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं था। इसके अलावा, ईपीएस के पैरा 32 में दिए गए परिवर्तन करके बीमांकिक घाटा/अधिशेष बनाकर ध्यान रखा गया।
- बीमांकिक अनुमान एक दीर्घकालिक अनुमान था जिसने समय-समय पर योजना में संशोधन करने के लिए निर्णय लेने में सहायता की।
- ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का कारक बीमांकिक मूल्यांकन में नहीं लिया गया था और इसे अगले मूल्यांकन में लिया जाएगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है और वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 को कवर करने वाले बाद के मूल्यांकन के लिए नियुक्तियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 31 मार्च 2020 तक 2019-20 मूल्यांकन के लिए मसौदा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा था और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 31 मार्च 2021 तक का ईपीएस निधि के मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर था। यह भी कहा गया कि ऐसे मूल्यांकन के लिए सभी आवश्यक मान्यताओं पर विचार किया जा रहा था।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीमांकिक कमी परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान मूल्य के बीच वित्तीय अन्तर को दर्शाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईपीएफओ को अभिदाताओं के दावों (न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन) का भुगतान करना होगा।

3.1.3 अभिदाता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र

3.1.3.1 कवरेज और पेंशन भुगतान

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार, ₹15000 (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) मासिक वेतन कमाने वाले कर्मचारियों को योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना था। जब 1952 में योजना प्रारंभ की गई थी, वेतन सीमा ₹300 प्रतिमाह थी और आगामी वर्षों में वेतन सीमा में क्रमिक वृद्धि होती रही थी। हालांकि, इस बात को 10 वर्ष हो गए हैं जब वेतन सीमा में अंतिम संशोधन (2014 में) किया गया था तब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया था।

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ द्वारा कवरेज बढ़ाने और मुकदमेबाजी कम करने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन (नवंबर 2021) किया गया था। “कवरेज और संबंधित मुकदमेबाजी पर तदर्थ समिति के विचार-विमर्श और सिफारिशे” शीर्षक वाला प्रतिवेदन जुलाई 2022 में प्रकाशित हुआ था। विचार-विमर्श के दौरान समिति को अवगत करवाया गया कि 1952 और 1983 के बीच ईपीएफ में वेतन सीमा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के न्यूनतम से पांच से छह गुना अधिक थी। 1983 और 2006 के बीच यह दो से तीन गुना थी। हालाँकि, 2006 से आज

तक यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन से भी कम थी। समिति ने अपनी प्रतिवेदन में कहा कि यह वांछनीय होगा यदि वेतन सीमा को समय-समय पर स्वचालित रूप से आवधिक संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली किसी पहचान योग्य मीट्रिक से जोड़ा जाए। समिति ने केंद्र सरकार के विचारार्थ कुछ पारिश्रमिक सीमा/अंशदान सीमा विकल्पों[15] की सिफारिश की।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः-

(ए) ईपीएफ में अंशदान करने वाले सदस्यों की संख्या

आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) के अनुसार, 2019-20 में संगठित क्षेत्र में 9.55 करोड़ रोजगार था और असंगठित क्षेत्र में 43.99 करोड़ रोजगार था, कुल मिलाकर 53.54 करोड़। ईपीएफओ की वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ योजना के तहत पंजीकृत सदस्यों की संख्या 27.73 करोड़ थी अर्थात् कुल रोजगार का 52 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त, वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, कुल पंजीकृत सदस्यों में से अंशदान देने वाले सदस्यों का औसत 4.63 करोड़ था, अर्थात् कुल रोजगार का 8.64 प्रतिशत।

(बी) ईपीएस में अंशदान करने वाले सदस्यों की संख्या

ईपीएफओ द्वारा बनाई गई कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में, वेतन सीमा ₹15,000 तक सीमित थी और ₹15,000 से अधिक मासिक मूल वेतन वाले किसी भी व्यक्ति को योजना का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी गई थी।

इस प्रकार, ईपीएस के संबंध में अंशदान देने वाली जनसंख्या ईपीएफ से भी कम थी, क्योंकि ईपीएफ योजना ₹15,000 से ऊपर की वेतन कटौती के लिए भी स्वैच्छिक अंशदान की अनुमति देती है, लेकिन ईपीएस के मामले में, 1 सितंबर 2014 से ऐसे स्वैच्छिक अंशदान की अनुमति नहीं थी।

(सी) ईपीएस के तहत पेंशन भुगतान

ईपीएस सदस्यों की पेंशन, पेंशन योग्य वेतन (पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने की तिथि से पहले के 60 महीनों में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन) और पेंशन योग्य सेवा (वह सेवा जिसके लिए अंशदान प्राप्त हुआ था) पर निर्भर थी।

2011-12 के लिए गरीबी के अनुमान के अनुसार तेंदुलकर पद्धति[16] द्वारा निर्धारित उपभोग व्यय के अनुसार, पाँच लोगों को एक परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ₹4080 प्रति माह और शहरी क्षेत्र

---

[15] समिति द्वारा अनुशंसित विकल्प थे: (i) केंद्र सरकार के कर्मचारी के न्यूनतम वेतन का तीन गुना (अर्थात् ₹54,000 प्रति माह); (ii) प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वेतन सीमा (लगभग ₹25,000 प्रति माह); (iii) सीपीआई द्वारा 1957 में समायोजित वेतन सीमा का वर्तमान मूल्य (लगभग ₹45,000 प्रतिमाह); (iv) मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल राष्ट्रीय आय का तीन गुना (अर्थात् ₹42,000 प्रति माह); (v) व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त आय का दोगुना (लगभग ₹42,000 प्रति माह); और (vi) वेतन सीमा के अलावा, अंशदान सीमा बढ़ा दी गई है जिसे वित्त अधिनियम कर मुक्त ब्याज की अनुमति देता है, उसे अपनाया जा सकता है (अर्थात् कर्मचारियों के अंश के लिए ₹2,50,000 प्रति वर्ष और नियोक्ताओं के अंश के लिए ₹7,50,000 प्रति वर्ष)

[16] 2005 में, गरीबी अनुमान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए श्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। मासिक घरेलू खपत के बजाय, उपभोग व्यय को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के उपभोग में विभाजित

के लिए ₹5000 प्रति माह था। कुल पेंशनभोगियों में से लगभग 99 प्रतिशत को केवल ₹4000 तक मासिक पेंशन मिलती है यह बीपीएल परिवारों के उपभोग व्यय[17] से भी कम था। ईपीएस सदस्यों की पेंशन की तुलना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से करने पर, जो उपभोक्ता 40 वर्ष की उम्र में भी एपीवाई में शामिल हुए और अधिकतम पेंशन का विकल्प चुना, को सरकार से ₹5000 प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी।

(डी) तदर्थ समिति की प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईपीएफओ (कानूनी प्रभाग) द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को, प्रतिवेदन में सुझाए गए किसी भी पहचाने जाने योग्य मीट्रिक के साथ पारिश्रमिक सीमा को समान करने की सिफारिश के साथ (सितंबर 2023) में एक पत्र भेजा गया था। हालाँकि, पारिश्रमिक सीमा में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ था।

ईपीएफओ ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 ने केंद्र सरकार को योजनाओं[18] में संभावित रूप से या पूर्व व्यापी रूप से संशोधन या परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया था। केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा तदनुसार केंद्र सरकार को योजनाओं को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की सिफारिश की गई; (i) पारिश्रमिक सीमा में वृद्धि और इसे किसी पहचाने जाने योग्य मीट्रिक से संबद्ध करने की, (ii) निर्दिष्ट पारिश्रमिक सीमा तक, तीन योजनाओं के तहत सभी कर्मचारियों का और उनकी ओर से अंशदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नामांकन सुनिश्चित करने हेतु योजना को संशोधित करने की, और (iii) अधिनियम के तहत किसी प्रतिष्ठान के लिए कवरेज सीमा को 10 कर्मचारियों तक कम करने की। ईपीएफओ ने आगे कहा कि 20 सितंबर 2023 को केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश को केंद्र सरकार को भेजा गया था और उसके बाद अनुस्मारक भेजे गए और मामला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में विचाराधीन था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि पारिश्रमिक सीमा में संशोधन के मामले पर मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में अभी सक्रिय रूप से विचार चल रहा था।

सिफारिश सं. 12

मंत्रालय कामकाजी आबादी का कवरेज बढ़ाने और सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त पेंशन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना की पारिश्रमिक सीमा को संशोधित करने के लिए शीघ्र कदम उठा सकता है।

3.1.3.2 ईपीएफओ में शिकायत निवारण तन्त्र

ईपीएफओ द्वारा (नवम्बर 2022) जारी नागरिक चार्टर में शिकायत निवारण के लिए निष्पादन और सेवा वितरण मानदंड निर्धारित किए गए थे। दस्तावेज में हितधारकों के प्रति संगठन की यह

किया गया था। जिसके परिणामस्वरुप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन का आंकड़ा ₹32 और ₹26 है। 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹816 प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह का राष्ट्रीय गरीबी रेखा का अनुमान लगाया गया था।

[17]उपभोग व्यय भोजन, वस्त्र, जूते, ईंधन, बिजली, शैक्षिक और चिकित्सा आवश्यकताएं जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय का न्यूनतम स्तर है।

[18]कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना।

प्रतिबद्धता शामिल थी कि वह सेवा मानकों के संबंध में उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा और सेवाओं की समय पर, सुलभ, सस्ती, न्यायसंगत, निर्बाध और संवेदनशील आपूर्ति की घोषणा शामिल थी। शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न तरीकों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) और कर्मचारी भविष्य निधि ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस) भी शामिल हैं।

(ए) कर्मचारी भविष्य निधि ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस)

ईपीएफआईजीएमएस में दर्ज शिकायतों के लिए ईपीएफओ द्वारा स्थापित व्यवस्था निम्नानुसार है:

- ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल स्वचालित रूप से एक शिकायत पंजीकरण संख्या सृजित करता है और उसे शिकायतकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजता है।
- शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया जाता है।
- आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात, क्षेत्रीय कार्यालय पोर्टल पर उत्तर देकर शिकायतों का समाधान प्रदान करता हैं और उत्तर शिकायतकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्वतः ही अग्रेषित हो जाता है।

ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, 2019-20 तक शिकायत समाधान के लिए टर्नअराउंड समय 15 दिन था। 2020-21 से, टर्नअराउंड समय सात दिन था। 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार शिकायत समाधान के लिए वास्तविक टर्नअराउंड समय निम्नानुसार था:

तालिका 3.3 : शिकायत समाधान में ईपीएफओ द्वारा लिया गया समय

टर्नअराउंड समय (दिन)	शिकायतों की संख्या	शिकायतों का %
0-7	31,59,184	59
8-15	12,88,213	24
16-30	6,24,167	12
>31	2,58,127	5
कुल	**53,29,691**	**100**

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 41 प्रतिशत शिकायतों का समाधान होने में सात दिन से अधिक का समय लगा और 17 प्रतिशत शिकायतों के समाधान में 15 दिन से अधिक का समय लगा। आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2022-23 के दौरान दर्ज की गई कुल शिकायतों में से लगभग आधी (48 प्रतिशत) शिकायतें दावों के निपटान से संबंधित थी।

(बी) फीडबैक तन्त्र

लेखापरीक्षा में सीपीग्राम और ईपीएफआईजीएमएस फीडबैक तन्त्र के बीच में मामूली अंतर देखा गया। सीपीग्राम के लिए, सीपीग्राम पोर्टल पर शिकायतों के निवारण की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए हर महीने 20 शिकायतकर्ताओं से कॉल पर फीडबैक लिया गया। ईपीएफआईजीआरएएमएस के लिए, एक बार शिकायत का समाधान हो जाने पर, शिकायतकर्ता को 1-5 के पैमाने पर अपनी प्रतिक्रिया देने का विकल्प दिया गया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि:

(क) कर्मचारी सीपीग्राम, ईपीएफआईएमएस, उमंग ऐप, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और विभागीय ई-मेल आई.डी. के माध्यम से अपनी शिकायतें बता सकते हैं। यदि उनकी शिकायतों का समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ हो तो कर्मचारी सीपीग्राम के माध्यम से अपील भी कर सकते हैं। शिकायतों के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों से भी सम्पर्क किया जा सकता है। आगे ईपीएफओ द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और दस स्थानीय भाषाओं में कॉल सेन्टर भी चलाए जा रहे थे।

(ख) ईपीएफओ की प्रमुख पहल अर्थात निधि आपके निकट, अपने 2.0 संस्करण में, एक जन-सम्पर्क योजना थी जिसका उद्देश्य एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करना था जिसमें शिकायतों के निवारण के साथ-साथ पीएफ लाभों के कवरेज विस्तार के लिए राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों के साथ सम्पर्क भी स्थापित करना था। आई.टी. अवसंरचना युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों के ईपीएफओ पदाधिकारियों ने जिलों का दौरा किया और शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया और मौके पर ही समाधान न होने की स्थिति में उन्हें दर्ज किया।

(ग) ईपीएफओ ने दावों के निपटान को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि ₹1 लाख तक के अग्रिम दावों के लिए ऑटो प्रोसेसिंग की सुविधा, जिसमें बीमारी, आवास, शिक्षा और विवाह से संबंधित दावों का ऑटो-प्रोसेसिंग जिनमें से 60 प्रतिशत दावों का निपटान ऑटो मोड में किया गया था। सदस्य विवरण सुधार और अधिकांश स्थानान्तरण दावों के लिए अब ईपीएफओ के हस्तक्षेप की न्यूनतम आवश्यकता है, और 99 प्रतिशत से अधिक दावे अब ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

ईपीएफओ द्वारा की गई पहल को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया है। हालांकि, दावा संबंधी शिकायतों की व्यापकता, ईपीएफओ की दावा प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं में और सुधार की मांग करती है। इन मुद्दों को संबोधित करने से संगठन के अंदर दक्षता और पारदर्शिता में और वृद्धि हो सकती है, और लाभार्थियों के लिए सहज अनुभव सुनिश्चित हो सकता है।

3.2 कोयला खान भविष्य निधि संगठन

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), धनबाद, कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कोयला खनन में या उसके संबंध में कार्यरत कर्मचारियों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। यह अधिनियम कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों में लगी सभी कंपनियों पर लागू होता है और अन्य बातों के साथ-साथ इसमें सम्मिलित है (i) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यरत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी आठ सहायक कंपनियाँ (ii) तेलंगाना सरकार के अन्तर्गत सिंगरेनी कोलियरिज लिमिटेड (एससीसीएल) और (iii) कोयला उत्पादक इकाइयों के आउटसोर्सिंग ठेकेदार।

देश में कोयला उत्पादक राज्यों में सीएमपीएफओ के 20 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं जिनका नेतृत्व क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में, सीएमपीएफओ दो योजनाओं का प्रबंधन कर रहा है, अर्थात कोयला खदान पेंशन योजना (सीएमपीएस) और कोयला खदान भविष्य निधि योजना (सीएमपीएफ)। 31 मार्च 2024 तक, सीएमपीएफओ द्वारा पेंशन योजना के अंतर्गत ₹ 22,334.46 करोड़ तथा भविष्य निधि योजना के अतंर्गत ₹1,27,345.71 करोड़ की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूम) का प्रबंधन किया जा रहा था तथा इन योजनाओं के अंतर्गत क्रमश ₹3.34 लाख अंशदाता और ₹6.14 लाख पेंशनभोगी थे। सीएमपीएफओ के तहत योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-IX** में दिया गया है।

3.2.1 शासकीय ढाँचा

सीएमपीएफओ एक न्यासी बोर्ड (बीओटी) द्वारा शासित होता था जो कोयला खान भविष्य निधि योजना 1971 और कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस), 1998 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। बीओटी का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था और इसके 23 सदस्यों में केंद्र/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नामांकित नियोक्ता और कर्मचारी शामिल थे। आयुक्त, जिसे भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, ने बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पदेन सदस्य का कार्य किया।

शासकीय ढाँचे की प्रभावकारिता पर लेखापरीक्षा अवलोकनों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.2.1.1 बोर्ड बैठकों की आवृत्ति

न्यासी बोर्ड सीएमपीएफओ का शासी निकाय था। अधिनियम या योजना दिशा-निर्देशों द्वारा न्यासी बोर्ड की बैठकों की कोई समय सीमा परिभाषित नहीं की गई। 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान, केवल 12 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं (यानी औसतन, दो से कम बैठकें प्रतिवर्ष) और इन बैठकों के बीच का समय अन्तराल 2 महीने से 13 महीने के बीच था।

सी.एम.पीएफओ. ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार बैठकों के नियमन के लिए, वर्ष 2024 में बैठकें करवाने के लिए एक कैलेण्डर बनाया गया था।

कोयला मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि बैठकों के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2024 के लिए चार बैठकें नियमित अन्तराल पर निर्धारित करते हुए एक कैलेण्डर बनाया गया था। इस संरचित व्यवस्था को वर्ष 2025 के लिए भी जारी रखा जा रहा था।

लेखापरीक्षा प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को स्वीकार करती है। हालांकि बैठकों का कैलेण्डर तैयार करना एक अंतरिम उपाय है और नियमित आधार पर निगरानी को सक्षम बनाने के लिए बैठकों की आवृत्ति निर्धारित की जा सकती है।

सिफारिश सं. 13

सीएमपीएफओ न्यासी बोर्ड की बैठकों की समय सीमा निर्धारित कर सकता है और निर्धारित समय सीमा के अनुसार नियमित बैठकें सुनिश्चित कर सकता है।

3.2.1.2 अंशदान और हर्जाना जमा करने की निगरानी

कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस), 1998 की धारा 23 के अनुसार, सीएमपीएस के लिए कर्मचारी के अंशदान (उसके वेतन से) की कटौती और इसे आयुक्त, सीएमपीएफओ को भिजवाने के

लिए नियोक्ता जिम्मेदार था। यदि किसी नियोक्ता ने किसी भी अंशदान का प्रेषण करने में चूक की है तो सीएमपीएस की अनुसूची-4 में निर्दिष्ट दरों पर आयुक्त को विलंबित जमा प्रेषण राशि पर हर्जाने की वसूली करने का अधिकार था।

तीन मामलों[19], की समीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि वसूली के मामलों की पहचान के लिए (अर्थात अंशदान राशि का जमा न होना/कम जमा होना) और लागू नियम के अनुसार डिफाल्ट राशि पर हर्जाने की गणना के लिए उपर्युक्त प्रावधानों का कार्यान्वयन नहीं किया गया ।

इसके अतिरिक्त, सी.एम.पीएफओ. द्वारा हर्जाना वसूलने के लिए जारी किए गए डिमाण्ड नोटिसों में किसी का भी प्रारूप एक समान नहीं था और इनमें सीएमपीएफओ के विशिष्ट नियम का उल्लेख नहीं किया गया था।

सीएमपीएफओ ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि अंशदान और हर्जाना प्रभारों का संग्रह संबंधित योजनाओं के प्रावधानों द्वारा विनियमित था। हाल के दिनों में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण, जमा अंशदान की निगरानी से संबंधित गतिविधि बड़े पैमाने पर नहीं की जा सकी। अब चूँकि कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति चल रही थी, इसलिए यह गतिविधि प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, समापन सम्मेलन (अगस्त 2024) के दौरान, सीएमपीएफओ ने कहा कि इस संबंध में एक समान कार्य प्रणाली अपनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लाई जाएगी।

कोयला मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि सीएमपीएफओ के संचालनों की दक्षता को बढ़ाने के लिए और कार्यबल को मजबूत करने की दृष्टि से सीएमपीएफओ द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर पात्र कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर पदोन्नति की जा रही थी। इससे सीएमपीएफओ को जमा गतिविधियों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होने की और यह सुनिश्चित करने की कि सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी हों, उम्मीद थी।

3.2.2 निधि प्रबंधन

सीएमपीएफओ को भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और जमा संबद्ध बीमा योजना (डीएलआई जनवरी 2022 तक प्रभावी) के अंशदाताओं से अंशदान प्राप्त हुआ। इन योजनाओं से प्राप्त अंशदान राशि का वित्त मंत्रालय (मार्च 2015) द्वारा अधिसूचित और न्यासी बोर्ड द्वारा अपनाए गए (सितम्बर 2015) निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया गया जैसा कि **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

कुल ₹1,51,634.84 करोड़ की संयुक्त निधि का निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से किया गया था। 1 फ़रवरी 2020 से यू.टी.आई. एसेट मैनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई और एसबीआई फंड्स मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई संयुक्त निधि का प्रबंधन क्रमशः 60:40 के अनुपात में कर रहे थे। पोर्टफोलियो प्रबंधकों के कार्यों की समीक्षा उनके समवर्ती लेखापरीक्षकों के साथ-साथ न्यासी बोर्ड की निवेश उप-समिति द्वारा की गई।

3.2.2.1 निवेश उप-समिति की बैठकें

सीएमपीएफओ ने फरवरी 2007 में सीएमपीएफओ के निवेश की समीक्षा करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए एक निवेश उप-समिति का गठन किया था। इस उप-समिति को सीएमपीएफओ के

---

[19]तीन मामले सेण्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा अपनी परियोजनाओं के लिए तैनात किए गए ठेकेदारों से संबंधित हैं।

निवेश पोर्टफोलियो की कम से कम त्रैमासिक समीक्षा करनी थी और न्यासी बोर्ड की हर बैठक में इस बारे में अवगत कराया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान, निवेश उप-समिति ने 16 बैठकें की, जबकि 28 बैठकें करनी आवश्यक थी। उप-समिति ने 2019-20 में कोई बैठक नहीं की। 2022-23 और 2023-24 के दौरान, उप-समिति ने प्रत्येक वर्ष चार बैठकें आयोजित की। बैठकें आयोजित करने में लगभग 1 महीने से 16 महीने की देरी हुई। 2018 और 2019 में, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल), रिलायंस कैपिटल (आर.कैप.) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) में किए गये निवेशों की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई। कार्यवृत्त से यह ज्ञात हुआ कि नियमित बैठकें आयोजित नहीं करने के कारण, उप-समिति द्वारा इस डाउनग्रेडिंग की समीक्षा नहीं की गई थी। बीओटी ने भी उप-समिति द्वारा निवेशों की समीक्षा में हुई इस कमी पर चिंता नहीं जताई।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, सीएमपीएफओ (जुलाई 2024) और कोयला मंत्रालय (अप्रैल 2025) ने कहा कि निवेश उप-समिति की बैठकें पहले नियमित रूप से नहीं होती थी परन्तु उप-समिति पिछले दो वर्षों से नियमित रूप से बैठकें कर रही थी।

3.2.2.2 पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए प्रदर्शन मानदंड

सीएमपीएफओ ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में इष्टतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए बाजार में निधियो के निवेश के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधकों के साथ समझौता (जनवरी 2020) किया। पोर्टफोलियो प्रबंधन समझौते के अनुसार, सीएमपीएफओ को पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निवेश निगरानी सेल की स्थापना करनी थी और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए निष्पादन मानदण्ड भी तय करने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2024 तक, सीएमपीएफओ ने न तो निवेश निगरानी सेल का गठन किया था और ना ही पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई मानदण्ड तैयार किया था। परिणामस्वरूप, पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किए गए निवेश और उस पर अर्जित प्रतिफल का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा था।

सीएमपीएफओ (जुलाई 2024) और कोयला मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि सीएमपीएफओ ने निवेश निगरानी सेल के गठन की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि, कर्मचारियों की कमी के कारण इसकी स्थापना नहीं हो सकी। बाद में न्यासी बोर्ड ने सीएमपीएफओ की ओर से काम करने वाले सभी मध्यस्थों सहित सभी निवेशों की समग्र रूप से निगरानी के लिए एक तृतीय-पक्ष एजेन्सी नियुक्त करने का निर्णय किया। तृतीय पक्ष एजेन्सी की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और फरवरी 2025 में क्रिसिल लिमिटेड को कार्य सौंपा दिया गया था।

3.2.2.3 पेंशन निधि की स्थिरता

सीएमपीएस 1998 की धारा 22, प्रत्येक तीन वर्ष में बीमांकक के माध्यम से पेंशन निधि के नियमित मूल्यांकन का प्रावधान करती है। बीमांकक की सिफारिश को न्यासियों के बोर्ड के समक्ष रखा जाना आवश्यक था। यह भी प्रावधान था कि किसी भी समय जब पेंशन निधि की स्थिति इसकी अनुमति दे, तब बोर्ड, बीमांकिक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकता है और इसके

अनुमोदन से योजना के तहत देय अंशदान की दरों में या किसी भी स्वीकार्य लाभ के पैमाने या वह अवधि जिसके लिए ऐसे लाभ की अनुमति दी जा सकती है, में संशोधन कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएमपीएफओ के पेंशन निधि की संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर वर्षों के दौरान बढ़ गया है। बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, पेंशन निधि की निवल देनदारी निम्नानुसार थी:

तालिका 3.4: बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार पेंशन फण्ड की शुद्ध देनदारी

(₹ करोड़ में)

बीमांकिक मुलायंकन प्रतिवेदन	सभी लाभों का वर्तमान मूल्य	अंशदान का वर्तमान मूल्य	सभी लाभों का वर्तमान शुद्ध मूल्य	कॉर्पस	शुद्ध देनदारी
ए	बी	सी	डी=(बी)-(सी)	ई	एफ =(डी)-(ई)
31.03.2015 को	62,376	7,986	54,390	13,413	40,977
31.03.2019 को	95,551	37,887	57,664	15,272	42,392
31.03.2022 को	1,14,533	47,573	66,960	18,999	47,961

बीमांकिक प्रतिवेदन में घाटा दर्शाए जाने के बावजूद, सीएमपीएफओ के पास निकट भविष्य में पेंशन निधि की स्थिरता से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु कोई योजना नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सीएमपीएफ अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाई गई पेंशन योजना में यह भी निर्धारित नहीं था कि पेंशन निधि में उत्पन्न अंतर को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। कोयला मंत्रालय ने सीएमपीएफओ को सूचित किया (नवम्बर 2022 में) कि कोयला खदान पेंशन योजना में सरकार के अंशदान को बढ़ाने के प्रस्ताव के संबंध में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी कोई पेंशन योजना से सहमत नहीं होगा जिसमें वित्तीय बोझ भारत सरकार पर पड़े।

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि पेंशन निधि पर दो तरफ से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, अर्थात योजना के अंशदाताओं की संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष कमी और पेंशनधारकों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि। वर्ष 2017-18 में अंशदाताओं की संख्या 4,45,000 थी, जो 2023-24 में घटकर 3,34,091 रह गई। वहीं 2017-18 में पेंशनधारकों की संख्या 4,95,000 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 6,13,872 हो गई। इस प्रवृत्ति से स्पष्ट था कि भविष्य में यह अन्तर और अधिक बढ़ेगा। परिणामस्वरूप, पिछले सात वर्षों में अधिकांश वर्षों के दौरान पेंशन फण्ड से होने वाला भुगतान प्राप्त होने वाले अंशदानों से अधिक रहा।

सीएमपीएफओ (जुलाई 2024) और कोयला मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि न्यासी बोर्ड पेंशन फण्ड की स्थिरता को लेकर अत्यन्त चिंतित था। बोर्ड ने फरवरी 2024 में आयोजित अपनी बैठक में कोयला मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की, जिसमें सी.एम.पीएफओ. के आयुक्त, कोल इंडिया लिमिटेड के वित्त निदेशक तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, ईपीएफओ और बीमांकक के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने चार बैठके की और यह पाया कि (i) पेंशन फण्ड में वर्ष 2031 से नकारात्मक शेष होने का अनुमान है। (ii) वर्तमान योजना की संरचना में मूलभूत डिजाइन संबंधी खामी हैं (iii) कोयला कंपनियों को अतिरिक्त अंशदान

अथवा अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से फण्ड में अधिक वित्तीय अंशदान देना चाहिए। (iv) एक नई योजना भी अपनाई जा सकती है। इन अवलोकनों पर जनवरी 2025 में आयोजित बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पेंशन फण्ड में प्रमुख हितधारक होने के नाते कोल इंडिया लिमिटेड को फण्ड की कमी को पूरा करने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय पैकेज प्रदान करना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे विचार-विमर्श के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

सिफारिश सं. 14

सीएमपीएफओ/कोयला मंत्रालय को पेंशन निधि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित उपाय करने चाहिए।

3.2.3 अंशदाताओं के हितों का संरक्षण

3.2.3.1 अंशदाताओं का पंजीकरण और डाटा प्रबंधन

सीएमपीएफओ की योजनाओं में शामिल होने वाले नए सदस्य को पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेज[20] जमा करने होते थे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सदस्य को एक विशिष्ट सीएमपीएफओ पहचान संख्या(आईडी) आवंटित की जाती थी, जिसका उपयोग सीएमपीएफओ की सभी योजनाओं में किया जाता था।

लेखापरीक्षा के दौरान रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय I और II तथा देवघर क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की जांच की गई और सदस्य पंजीकरण और डाटा प्रबंधन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- **अंशदाताओं का डाटा**: भविष्य निधि और पेंशन योजना के लिए अंशदाता पंजीकरण की प्रक्रिया देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मैनुअल रूप से संचालित की जा रही थी। सदस्यों का डाटा स्वयं सीएमपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था। अंशदाताओं के महत्वपूर्ण डाटा के बैकअप की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी, जिससे रिकॉर्ड के खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में जोखिम बना रहता था।

- **डाटा बेस में महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव:** लेजर कार्ड (एलसी) में अनुरक्षित सदस्यों का विवरण अद्यतन नहीं किया जा रहा था। एकीकृत प्रारूप में रखे गए डाटाबेस में सदस्यों की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नाम, सीएमपीएफओ खाता संख्या, पिता/दंपति का नाम, नियुक्ति तिथि, नामांकित व्यक्ति का नाम एवं संबंध, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पद, सेवानिवृत्ति तिथि, परिवार का विवरण, आधार संख्या, पैन संख्या आदि पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थे।

- **सभी इकाइयों के लिए एकल पंजीकरण**: नए सदस्य प्रविष्टियों के लिए इकाई/कोलियरी-वार पृथक आवंटन रजिस्टर नहीं रखा गया था (क्षेत्रीय कार्यालय, देवघर)। एक आवंटन रजिस्टर में एक से अधिक खादानों की प्रविष्टियां भी पाई गईं।

- **आश्रितों के लिए आवंटन रजिस्टर:** परिवार/आश्रितों से सम्बन्धित पेंशन दावों/आवेदनों को दर्ज करने हेतु कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था।

[20] फॉर्म संख्या पी.एस.-3 में '(परिवार के सदस्यों का विवरण)' और फॉर्म संख्या पी.एस.-4 में '(नामांकन फॉर्म)' थे

- **पंजीकरण की समय सीमा**: अंशदाताओं के पंजीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

सीएमपीएफओ ने बताया (जुलाई 2024) कि वह सी-डैक के साथ साझेदारी करके कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में है। परियोजना पूरी होने के बाद डाटा प्रबंधन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि डिजीटलीकरण की प्रक्रिया सी-डैक द्वारा दो चरणों में लागू की जा रही थी। प्रथम चरण, जिसमें सदस्य डाटा का निर्माण, दावों का ऑनलाइन निपटान तथा डैशबोर्ड का निर्माण शामिल था, पहले ही लागू किया जा चुका है। दूसरे चरण में वित्तिय मॉड्युल मोबाईल एप्लिकेशन और प्रिस्क्रिप्टिव प्रतिवेदन जनरेशन चरण चल रहा था जो 2025 में समाप्त होने की पुरी संभावना थी।

3.2.3.2 उचंत खाते का शेष

सीएमपीएफओ को भविष्य निधि योजना और पेंशन योजना के लिए अपने सदस्यों से अंशदान प्राप्त हुआ। प्रारंभ में सदस्यों से प्राप्त अंशदान को उचंत खाते में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद, कोयला कंपनियों से प्राप्त वार्षिक अंशदान विवरणों की सहायता से वर्गीकरण प्रोसेसिंग शुरू किया गया था। उसके बाद अभिदान को संबंधित बही खाता में पोस्ट किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2023-24 के अंत में, ₹12,130.91 करोड़ की राशि उचंत खाते में पड़ी थी। उचंत खाते में बकाया राशि के निपटान के लिए सीएमपीएफओ द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, सीएमपीएफओ के शासी निकाय या किसी अन्य समिति की बैठकों में इस मामले पर शायद ही कभी चर्चा या समीक्षा की गई थी।

सीएमपीएफओ ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि वह सदस्यों के खातों के पूर्ण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। एक बार डिजिटलीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, उचंत खाते की शेष राशि काफी हद तक कम हो जाएगी।

कोयला मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि वित्तीय मॉड्यूल, मोबाइल एप्लिकेशन और निर्देशात्मक प्रतिवेदन बनाने सहित डिजिटलीकरण का दूसरा चरण चल रहा था और मई 2025 तक पूरा होने की संभावना थी। वित्तीय मॉड्यूल कोयला कंपनियों से सीएमपीएफओ/बैंक को और सीएमपीएफओ/बैंक से सदस्यों के खाते में पीएफ और पेंशन राशि के ऑनलाइन लेनदेन में मदद करेगा।

उत्तरों को इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि बिना वर्गीकरण या व्यक्तिगत बही खातों में पोस्ट किए बिना लंबे समय तक उचंत खाते में रखी गई राशि के परिणामस्वरूप अवर्गीकृत राशि पर मिलने वाला संभावित निवेश प्रतिफल (गैर-निवेश या विलंबित निवेश के कारण) का नुकसान हो सकता है, जिससे अभिदाताओं को अनुचित कठिनाई भी हो सकती है यदि ऐसी राशि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उचंत खाते में बनी रही। इसके अलावा, डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई थी (नवंबर 2025)।

सिफारिश सं. 15

सीएमपीएफओ उचंत खाते के तहत बकाया राशि को निपटाने और अभिदाताओं को लाभ देने के लिए कदम उठा सकता है। सीएमपीएफओ भविष्य में उचंत खाते में शेष राशि के संचय की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अभिदाताओं के खातों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी ला सकता है।

3.2.3.3 शिकायत निवारण तंत्र

सीएमपीएफओ की शिकायत निवारण तंत्र में कमियों को सीएजी की 2023 की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक और सेवा मंत्रालय - सिविल) संख्या 1 में पैरा 2.2 के तहत 'कोयला खान पेंशन योजना, 1998 और कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976' के संचालन के तहत उजागर किया गया था। प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई थी कि प्रबंधन शिकायतों के त्वरित और समय पर निवारण के लिए विश्वसनीय तंत्र तैयार कर सकता है।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा पैरा पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही टिप्पणी (एटीएन) में, कोयला मंत्रालय ने (मई 2023) सूचित किया कि सीएमपीएफओ में एक पूर्ण विकसित शिकायत अनुभाग काम कर रहा था और मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित शिकायत निवारण डेस्क थी जो आयुक्त, सीएमपीएफओ की प्रत्यक्ष निगरानी में काम कर रही थी। इसके अलावा, सी-डैक द्वारा विकसित सीएमपीएफओ के पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और निगरानी प्रणाली का प्रावधान होगा। बाद के एटीएन में, मंत्रालय ने पोर्टल के विकास की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

कोयला मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि सीएमपीएफओ के पास एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ था, जिसका नेतृत्व एक सहायक आयुक्त कर रहे थे, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी चिंताओं की अच्छी तरह से समीक्षा की गई और समयबद्ध तरीके से समाधान किया गया। इसके अलावा, शिकायत निपटान प्रक्रिया की नियमित रूप से आयुक्त, सीएमपीएफओ और कोयला मंत्रालय द्वारा बारीकी से निगरानी की गई थी।

लेखापरीक्षा ने अपनी शिकायत निवारण तंत्र में सीएमपीएफओ द्वारा लाए गए सुधारों की सराहना की।

3.3 नाविक भविष्य निधि संगठन

नाविक भविष्य निधि संगठन की स्थापना नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत नाविक निधि संगठन योजना के प्रशासन और संचालन के लिए की गई थी। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। एसपीएफओ के मामलों को न्यासी बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों को मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। बोर्ड में नौ सदस्य हैं, जिनमें से तीन सरकार के अधिकारियों, तीन नियोक्ता के प्रतिनिधि और तीन कर्मचारी प्रतिनिधि के हैं। आयुक्त को सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एसपीएफओ के आयुक्त का कार्यालय योजना से संबंधित परिचालन और निरीक्षण कार्यों की देखरेख करता है। कर्मचारी व्यय सहित प्रशासन की लागत नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार से पूरी

की जाती है जो नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान की कुल राशि का पांच *प्रतिशत* की दर से होती है।

मार्च 2024 तक, एसपीएफओ के तहत अभिदाताओं की संख्या 1.11 लाख थी और प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति ₹3,296.75 करोड़ थी। नाविक भविष्य निधि की मूल विशेषताएं **अनुलग्नक-X** में दी गई हैं। नाविकों के लिए योजना में पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

3.3.1 शासकीय ढाँचा

न्यासियों का बोर्ड योजना से संबंधित नीति और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए एसपीएफओ की शासी निकाय थी। निधियों के प्रशासन में बोर्ड को एक वित्त उप-समिति द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते थे।

एसपीएफओ की वित्त उप-समिति का गठन भविष्य निधि अभिदान के निवेश के संबंध में सिफारिशें करने के लिए विशेष बैठक (10 मई 2002 को आयोजित) में किया गया था। वित्त उप-समिति में सात सदस्य थे और गणपुर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त के साथ किसी भी दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। उप-समिति की एक बैठक प्रत्येक तिमाही में होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 2017-18 और 2023-24 के बीच, वित्त उप-समिति की बैठकें निर्धारित अनुसार त्रैमासिक आधार पर नहीं हुई। आवश्यक 28 बैठकों के मुकाबले केवल 16 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें वर्षवार बैठकों का विवरण इस प्रकार है: 2017-18 (2 बैठकें), 2018-19 (1 बैठक), 2019-20 (2 बैठकें), 2020-21 से 2022-23 (प्रत्येक, 3 बैठकें), 2023-24 (2 बैठकें)।
- पोर्टफोलियो प्रबंधक ने एसपीएफओ को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जिसकी समीक्षा एक तीसरे पक्ष के सलाहकार (क्रिसिल लिमिटेड) द्वारा त्रैमासिक आधार पर की गई। समीक्षा प्रतिवेदन की जांच वित्त उप-समिति द्वारा की जानी थी। नियमित त्रैमासिक बैठकों के अभाव में, समीक्षा रिपोर्टों की समय पर उप-समिति द्वारा जांच नहीं की जा सकी।

एसपीएफओ ने कहा (मई 2023) कि वित्त उप-समिति ने प्रत्येक बैठक में पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा की।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) उत्तर दिया कि 2017-2019 से पूर्णकालिक आयुक्त की अनुपलब्धता के कारण, त्रैमासिक आधार पर बैठकें नहीं हो सकी। तथापि, लेखापरीक्षा टिप्पणी अनुपालन के लिए चिह्नित किया गया।

वित्त उप-समिति द्वारा निवेश की समीक्षा के संबंध में एसपीएफओ के उत्तर को बैठक (बैठकों) के कार्यसूची/कार्यवृत्त की प्रतियों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था जहां ऐसी समीक्षा की गई थी।

सिफारिश सं. 16

एसपीएफओ निर्धारित समय सीमा के अनुसार पर वित्त उप-समिति की बैठकों के आयोजन को सुनिश्चित कर सकता है

3.3.2 निधि प्रबंधन

31 मार्च 2024 तक, एसपीएफओ की प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) ₹3,296.75 करोड़ थी। एसबीआई निधि प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड, एसपीएफओ के भविष्य निधि का निधि प्रबंधक था।

3.3.2.1 निवेश दिशानिर्देशों का पालन

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 14 अगस्त 2008 की अधिसूचना (2015 में यथासंशोधित) में गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि द्वारा अपनाए जाने वाले निवेश के पैटर्न को निर्धारित किया गया है, जो **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के वित्तीय साधनों में निवेश की अनुमति है: (i) सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित उपकरण, (ii) ऋण लिखत और संबंधित निवेश, (iii) लघु अवधि ऋण लिखत और संबंधित निवेश, (iv) इक्विटी और संबंधित निवेश और (v) समर्थित-परिसंपत्तियां, गठित न्यास और विविध निवेश।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसपीएफओ का निवेश पैटर्न वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप था, सिवाय वर्ष 2020-21 के, जब श्रेणी-2 (ऋण और संबंधित वित्तीय साधन) में निवेश कुल वृद्धिशील निवेश के न्यूनतम आवश्यक सीमा 35 प्रतिशत से कम हो गया था। 2020-21 के दौरान, श्रेणी-II वित्तीय साधनों में एसपीएफओ का निवेश ₹133.14 करोड़ था, जबकि अपेक्षित न्यूनतम निवेश ₹136.83 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.69 करोड़ की कमी आई।

एसपीएफओ ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि निधि में नए अभिवृद्धि को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एसपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान श्रेणी-II के निवेश के लिए निर्धारित सीमा का पालन नहीं किया।

3.3.2.2 स्टॉप लॉस नीति

एसबीआई निधि प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2011-12 में एसपीएफओ द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। समझौते की शर्तों के अनुसार, पोर्टफोलियो को विवेकाधीन आधार पर निधि प्रबंधक द्वारा संभाला जाना था, जिसमें निवेश भारत सरकार की 14 अगस्त 2008 की अधिसूचना और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। निधि का प्रबंधन करते समय, निधि प्रबंधक उन प्रतिभूतियों को बेचने का प्रयास कर सकता है जिन्हें क्रेडिट रेटिंग ऐजेन्सीयों द्वारा निवेश ग्रेड से नीचे के ग्रेड पर किया गया था और निवेश ग्रेड प्रतिभूतियों में निवेश को बदल सकता है जो निवेश अधिदेश के अनुरूप थे।

वर्ष 2012-16 के दौरान, आईएल एंड एफएस लिमिटेड के गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों में ₹18.30 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था और वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान, डीएचएफएल की प्रतिभूतियों में ₹107.36 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018 में, आईएल एंड एफएस ने अपने ऋण दायित्वों पर व्यवस्था की योजना के संबंध में राहत की मांग करते हुए एनसीएलटी के साथ आवेदन किया था, और वर्ष 2019 में डीएचएफएल की रेटिंग को रेटिंग ऐजेंसी केअर द्वारा ग्रेड से घटा दिया गया था। पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा निर्गम

खंड का प्रयोग न करने के कारण, एसपीएफओ ने डीएचएफएल में किए गए निवेश के लिए ₹53.75 करोड़ के पूंजी नुकसान का प्रावधान किया और आईएल एंड एफएस में ₹18.30 करोड़ के निवेश को खराब निवेश माना।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि न तो पोर्टफोलियो प्रबंधक के साथ समझौते में और न ही एसपीएफओ के निवेश ढांचे में क्रेडिट गुणवत्ता या बाजार की स्थितियों में प्रतिकूल स्थिति के मामले में नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस नीति का प्रावधान था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रतिभूतियों के प्रति निरंतर जोखिम बना रहा।

यद्यपि एसपीएफओ और पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच समझौते में निवेश की गई प्रतिभूतियों की रेटिंग और प्रदर्शन की नियमित जांच और प्रतिकूल स्थिति में निवेश से बाहर निकलने को सुनिश्चित करने का प्रावधान था, लेकिन पोर्टफोलियो प्रबंधक और एसपीएफओ दोनों में से किसी ने भी इसका उचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

एसपीएफओ ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि पोर्टफोलियो प्रबंधक ने 11 सितंबर 2018 को आईएल एंड एफएस प्रतिभूतियों की रेटिंग में कमी के बारे में सूचित किया था और आईएल एंड एफएस की खरीदी गई प्रतिभूतियों में कोई निर्गम खंड नहीं था। इसने 2022-23 में रिफंड के रूप में ₹52.29 लाख की राशि प्राप्त की। डीएचएफएल के संबंध में, एसपीएफओ ने कहा कि नुकसान के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी या संस्थान की पहचान नहीं की गई थी क्योंकि निवेश वित्त मंत्रालय के पैटर्न के अनुसार किया गया था। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 के समझौते में एक नया खंड जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि पोर्टफोलियो प्रबंधक कानूनी सहायता प्रदान करेगा और कानून के संचालन, अदालत के संचालन के माध्यम से चूक/गैर-लाभकारी/खराब निवेश से, निवेश को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इसके अलावा निजी इकाइयों में किए गए निवेश में निर्गम खंड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक को एक पत्र भेजा गया था।

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि एसपीएफओ ने भविष्य के अनुपालन के लिए अवलोकन को चिह्नित किया था। एसपीएफओ सभी श्रेणियों के निवेशों के लिए एक स्टॉप-लॉस नीति तैयार करेगा और उसका पालन करेगा।

सिफारिश सं. 17

एसपीएफओ सभी श्रेणियों के निवेश के लिए स्टॉप-लॉस नीति तैयार कर सकता है और ऐसी नीति का पालन सुनिश्चित कर सकता है

3.3.3 अभिदाताओं के हित का संरक्षण

3.3.3.1 अभिदाताओं के खातों में अंशदान की पोस्टिंग

पोत परिवहन कंपनियों ने नाविकों के लिए उनके विवरण के साथ भविष्य निधि का विप्रेषित किया। यदि नाविक का विवरण एसपीएफओ रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है, तो अंशदान को अनपोस्टेड रूप में चिह्नित किया गया था और उनके खातों में जमा नहीं किया गया था। ये अनपोस्टेड अंशदान तीन श्रेणियों में थे:

- यदि नाविक का खाता एसपीएफओ प्रणाली में उपलब्ध नहीं था या एसपीएफओ के रिकॉर्ड के साथ मेल नहीं खाता था, अर्थात नाम और सीडीसी[21] संख्या, तो इसको बेमेल खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- यदि कंपनी ने उस अवधि के लिए भविष्य निधि का अंशदान जमा किया था जिसके लिए उन्होंने पहले ही भविष्य निधि को एसपीएफओ में आंशिक रूप से जमा कर दिया था, तो इसे ओवरलैपिंग खाते में पोस्ट किया गया था।
- यदि कंपनी ने समान अवधि के लिए भविष्य निधि का अंशदान जमा किया था और समान राशि स्थानांतरित की थी, तो इसे दूसरे डुप्लिकेट खाते में पोस्ट किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक, 1,11,247 अभिदाताओं में से (2023-24), 28,343 अभिदाताओं से संबंधित अनपोस्टेड अंशदान थे, जो उपर्युक्त कारणों से अभिदाताओं के खाते में जमा नहीं किए गए थे। अनपोस्टेड आइटम पर अर्जित ब्याज के लिए, एसपीएफओ ने ब्याज स्थगन खाते पर ₹10.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अनपोस्टेड वस्तुओं पर अर्जित ब्याज अभिदाताओं को नहीं दिया गया क्योंकि राशि उनके संबंधित खातों में अनपोस्टेड ही रह गई। इसके अलावा, यह पता नहीं लगाया जा सका कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी अनपोस्टेड आइटम और उस पर अर्जित ब्याज प्रदान किया गया था या नहीं।

एसपीएफओ ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि उन्होंने अंतिम निकासी के समय ही अनपोस्टेड आइटम की जांच की और अनपोस्टेड राशि पर ब्याज निर्धारित करने के लिए एक ऐजेन्सी नियुक्त करने की प्रक्रिया में थे। इसके अलावा, एसपीएफओ ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि 3 नवंबर 2023 को अनपोस्टेड आइटमों को घटाकर 8,680 कर दिया और 18 अक्तूबर 2023 को अनपोस्टेड नाविकों का सही विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए 268 पोत परिवहन कंपनीयों को पत्र भेजे गए।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) उत्तर दिया कि एसपीएफओ नियोक्ताओं से नाविकों का विवरण प्राप्त करने के प्रयास कर रहा था, जो अनपोस्टेड आइटम की निपटान के लिए आवश्यक था। भविष्य में इस तरह की समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक तंत्र बनाने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर के विकास की परियोजना भी चल रही थी।

सिफारिश सं. 18

एसपीएफओ अभिदाताओं के खातों में लंबित अनपोस्टेड आइटम को शीघ्रता से निपटा सकता है और भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है।

3.3.3.2 पीएफ योजना के प्रावधानों में परिवर्तन

नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 में यह प्रावधान किया गया था कि पीएफ योजना में कोई भी परिवर्तन सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकता है। योजना के पैरा 32 के अनुसार, नियोक्ताओं को नाविकों के पारिश्रमिक के अंतिम निपटान के 15

[21] कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सीडीसी) नाविकों के लिए पहचान का एक दस्तावेज़ है और इसे उस देश द्वारा जारी किया जाता है जहां नाविक रहता है।

दिनों के अंदर आयुक्त को एक समेकित विवरणी भेजना आवश्यक था और पैरा 35 के अनुसार, नियोक्ता को कुल अंशदान और प्रशासनिक प्रभार निधि को उस तिथि के 15 दिनों के अंदर भुगतान करना था जिस पर नाविकों को पारिश्रमिक देय हो गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के प्रावधानों में बदलाव किए गए थे, जिसके तहत नाविकों के सेवामुक्ति के 15 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया था (उस दिन के बजाय जब पारिश्रमिक देय था)। इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता है कि इन परिवर्तनों को अनुमोदन और राजपत्र अधिसूचना के लिए सरकार को भेजा गया था।

एसपीएफओ ने कहा (नवंबर 2023) कि संशोधन को 28 जनवरी 2000 को अपनी 83वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को संशोधन हेतु सरकार को भेजने के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें कार्योत्तर अनुमोदन और राजपत्र अधिसूचना की मांग की जाएगी।

3.3.3.3 अन्य सेवानिवृत्ति योजना का संचालन

नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के अनुसार, एसपीएफओ केवल भविष्य निधि योजना संचालित कर सकता है, जहां उसे नाविकों की पारिश्रमिक का 12 *प्रतिशत*, नाविकों और उनके नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अंशदान के अलावा, एसपीएफओ को नाविकों के संबंध में अनुग्रह राशि (एक्स- ग्रेशिया) और वार्षिकी अंशदान भी प्राप्त हुआ, हालांकि एसपीएफ अधिनियम/योजना, 1966 में ऐसे अंशदान का कोई प्रावधान नहीं था। नियोक्ताओं से एसपीएफओ द्वारा प्राप्त पीएफ के अलावा अन्य अंशदान निम्नानुसार थे:

तालिका 3.5: एसपीएफओ के साथ अनुग्रह और वार्षिकी निधि में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अभिदाता	अनुग्रह राशि	वार्षिकी
2017-18	74,784	71.68	205.24
2018-19	82,010	76.78	222.11
2019-20	88,420	82.99	240.06
2020-21	94,142	89.003	259.30
2021-22	97,334	100.16	291.26
2022-23	1,03,446	106.60	310.53
2023-24	1,11,247	114.12	334.29

उपर्युक्त राशि को आगे निवेश के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक को भी भेजा गया था और ऐसे अंशदान के लिए नाविकों के खाते में ब्याज जमा किया गया था। सदस्य के खाते में जमा की गई राशि को, निधि से, सदस्य की अंतिम निकासी के समय भुगतान किया गया था। एसपीएफओ उन लाभार्थियों की संख्या प्रदान नहीं कर सका जिनके खाते में ये अतिरिक्त अंशदान प्राप्त हुए थे।

एसपीएफओ ने (नवंबर 2023) उत्तर दिया कि वार्षिकी निधि योजना और उपदान निधि योजना शुरू करने के लिए एसपीएफए अधिनियम में संशोधन के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) उत्तर दिया कि वार्षिकी (पेंशन) और उपदान योजना शुरू करने के लिए एसपीएफ अधिनियम, 1966 में संशोधन का प्रस्ताव पहले ही तैयार किया जा चुका है और प्रक्रियाधीन है।

सिफारिश सं. 19

मंत्रालय, वार्षिकी और अनुग्रह योजनाओं के संचालन के साथ-साथ 2017-18 में एसपीएफओ द्वारा संग्रहित किए गए अंशदान को नियमित करने के लिए सांविधि में संशोधन में तेजी ला सकता है।

3.3.3.4 वार्षिक पीएफ विवरण जारी करना

एसपीएफ योजना के पैरा 68 के अनुसार, आयुक्त को वित्त वर्ष के समापन के बाद प्रत्येक सदस्य को उसके खाते का विवरण भेजना था जिसमें वर्ष की शुरुआत में आदिशेष राशि, वर्ष के दौरान अंशदान की गई राशि, वर्ष में जमा या आहरण (निकासी) की गई कुल ब्याज राशि और वर्ष के अंत में, अंतशेष राशि दिखाया गया था।

उपलब्ध कराए गए अभिलेख की संवीक्षा से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसपीएफओ ने अपने अभिदाताओं को वार्षिक पीएफ विवरण प्रदान नहीं किया और विवरण केवल अनुरोध पर प्रदान किए गए थे। यद्यपि वेबसाइट पर अंशदान अद्यतन किए गए थे, लेकिन वेबसाइट पर ब्याज जमा को इसी तरह अद्यतन नहीं किया गया था।

एसपीएफओ ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि अभिदाता ऑनलाइन पोर्टल पर अपना बैलेंस देख सकते थे और यदि वे ईमेल के माध्यम से पीएफ विवरण भेजने का अनुरोध करने पर इसे एसपीएफओ द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा, यह उत्तर दिया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नाविकों को खाता पर्ची जारी की जा रही थी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना था कि एसपीएफओ केवल अनुरोध पर ही विवरण प्रदान कर रहा था और ऑनलाइन पोर्टल पर ब्याज जमा के विवरण को अद्यतन नहीं किया जा रहा था, जिससे वेबसाइट पर अपूर्ण विवरण की उपलब्धता का संकेत मिलता था।

3.3.3.5 शिकायत निवारण तंत्र

नाविक भविष्य निधि अधिनियम ने किसी शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य नहीं किया। तथापि, अपने सिटीजन चार्टर के एक भाग के रूप में, एसपीएफओ ने एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया था जिसकी अध्यक्षता आयुक्त, एसपीएफओ द्वारा की गई थी। इसके अलावा, अभिदाता सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीपीग्राम एकमात्र उपलब्ध शिकायत निवारण पोर्टल था। शिकायतों को भौतिक रूप से या ईमेल के माध्यम से मुंबई में आयुक्त, एसपीएफओ को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, एसपीएफओ की वेबसाइट में शिकायतें कैसे उठाई जाएं, इस बारे में

कोई जानकारी नहीं थी। यह भी देखा गया कि अभिदाताओं ने अपने खातों से संबंधित बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम पर निर्भर थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि आरटीआई आवेदनों में से लगभग 91 प्रतिशत (2017-2023 की अवधि के दौरान 207 मामलों में से 188) अभिदाता खाता/शेष राशि से संबंधित जानकारी के थे।

एसपीएफओ ने (नवंबर 2023) शिकायत कक्ष बनाकर सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसपीएफओ ने एक नया शिकायत पोर्टल लागू करने और बोर्ड के अनुमोदन के लिए एक शिकायत निवारण नीति तैयार करने की भी प्रतिबद्धता जताई।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि एसपीएफओ ने इसके अनुपालन के लिए अवलोकन को नोट किया था।

सिफारिश सं. 20

एसपीएफओ शिकायतों को दर्ज करने और समाधान की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर सकता है। इसके अलावा, संगठन एक विस्तृत शिकायत निवारण नीति को भी अधिसूचित कर सकता है जिसमें टर्नअराउंड समय, समापन बिंदु, वृद्धि तंत्र आदि शामिल हैं।

3.4 असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

असम सरकार ने जून 1955 में असम चाय बागान भविष्य निधि योजना अधिनियम पारित किया, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और इसे असम चाय बागान भविष्य निधि तथा पेंशन निधि और जमा संबद्ध बीमा निधि योजना अधिनियम 1955 कहा गया। यह अधिनियम असम में चाय बागानों और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है।

तदानुसार, असम सरकार ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना (1955), पेंशन-सह-पारिवारिक पेंशन योजना (1968/72) और जमा संबद्ध बीमा निधि योजना (1984) तैयार की। इन निधियों और योजनाओं का प्रशासन और कार्यान्वयन असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ) द्वारा किया जा रहा है। एटीईपीएफओ असम सरकार के श्रम और कल्याण विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।

एटीईपीएफओ के तहत सभी भविष्य निधि अभिदाता नियोक्ता या कर्मचारियों की ओर से किसी भी वित्तीय दायित्व के बिना सेवानिवृत्ति पर पेंशन संबंधी लाभ के लिए पात्र हैं।

31 मार्च 2024 तक, एटीईपीएफओ योजनाओं में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों के रूप में ₹13,887.71 करोड़ का प्रबंधन कर रहा था और इसके 12,82,989 अभिदाता थे। एटीईपीएफओ के तहत योजनाओं और प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों, अभिदाताओं और पेंशनभोगियों का विवरण **अनुलग्नक-XI** में दिया गया है।

3.4.1 शासकीय ढाँचा

एएसटीईपीएफओ के न्यासी बोर्ड का गठन असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत किया गया था। एटीईपीएफओ का प्रशासन असम सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले चार अधिकारियों

तथा कर्मचारियों व नियोक्ताओं दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्यों से युक्त न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता था। सचिव-सह-भविष्य निधि आयुक्त न्यासी बोर्ड के पदेन सदस्य थे।

असम चाय बागान भविष्य निधि योजना के पैरा 3 में निधि के प्रशासन और निवेश के पैटर्न की देखरेख के लिए न्यासियों के सदस्यों में से दो समितियों, अर्थात कार्यकारी समिति और निवेश समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संगठन में तीन स्तरीय प्रशासनिक संरचना थी जैसे (i) प्रधान प्रशासन (ii) क्षेत्रीय प्रशासन और (iii) निरीक्षण प्रशासन।

एटीईपीएफओ का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता था, जिसे अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त और उप भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। प्रधान कार्यालय ने क्षेत्रीय और निरीक्षक कार्यालयों के संचालन के लिए दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं प्रदान की।

3.4.1.1 न्यासी बोर्ड और समितियों की बैठकें

2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान न्यासी बोर्ड और दो समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या निम्नानुसार थी:

तालिका 3.6: एटीईपीएफओ के न्यासी मंडल और दो समितियों की बैठकों की संख्या

समिति का नाम	समिति सदस्यों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या						
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
न्यासी बोर्ड	15	2	2	2	1	2	2	2
कार्यकारी समिति	6	0	0	0	0	0	0	0
निवेश समिति	6	2	1	1	0	1	1	1

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अधिनियम और निवेश समिति की मानक संचालन प्रक्रिया में न्यासी बोर्ड या उसकी समितियों के लिए बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एटीईपीएफओ के कामकाज और निधि के प्रदर्शन की अपर्याप्त निगरानी हो सकती थी।

असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि एटीईपीएफओ ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है और न्यासी बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियों के लिए प्रति वर्ष बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव रखेगा।

सिफारिश सं. 21

एटीईपीएफओ न्यासी बोर्ड और उसकी समितियों द्वारा एक वर्ष में आयोजित की जाने वाली बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकता है।

3.4.1.2 भविष्य निधि में अंशदान

असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम, 1955 की धारा 11(ए) के साथ पठित धारा 3(3) में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक नियोक्ता पारिश्रमिक के वितरण की तिथि से 30 दिनों के अंदर एटीईपीएफओ में पीएफ अंशदान जमा करेगा, ऐसा न करने पर नियोक्ता बकाया राशि, जब तक इसे जमा नहीं किया जाता है, पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक के सात वर्षों के दौरान, पंजीकृत 1,266 चाय बागानों से एटीईपीएफओ को प्राप्त होने वाला कुल पीएफ अंशदान ₹5,376.95 करोड़ था, जिसमें वर्ष 2017-18 की शुरुआत में ₹135.52 करोड़ का अंशदान भी शामिल था। हालांकि, इसी अवधि के दौरान पीएफ अंशदान की वास्तविक प्राप्ति में कमी आई। प्रत्येक वर्ष के अंत में पीएफ अंशदान के जमा में कमी 2018-19 के लिए ₹ 78.69 करोड़ और 2021-22 के लिए ₹315.45 करोड़ के बीच थी। मार्च 2024 तक ₹ 260.13 करोड़ की कुल बकाया राशि में से, ₹ 14.25 करोड़ की राशि असम चाय निगम लिमिटेड के 16 चाय बागानों से संबंधित थी, जो 2022 से पीएफ अंशदान जमा नहीं कर रहे थे।

कमी के कारण, मार्च 2024 तक ₹260.13 करोड़ का पीएफ कॉर्पस निवेश नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप निधि की आय का नुकसान हुआ।

अधिनियम की धारा 15 (बी) (i) (2016 में संशोधित) के अनुसार, एटीईपीएफओ को नियोक्ताओं से बकाया राशि वसूलने का अधिकार दिया गया था। वसूली नियमावली (जुलाई 2016) में निर्धारित वसूली प्रक्रिया के तरीके में नोटिस जारी करना, एफआईआर/आपराधिक मामले दर्ज करना, तीसरे पक्ष का नोटिस, वसूली प्रमाण पत्र, और चाय बागानों की कुर्की और बिक्री शामिल थी। कार्रवाई करने से पहले, एटीईपीएफओ ने पारिश्रमिक के संवितरण की तिथि से 30 दिनों की अनुग्रह अवधि पूरी होने के 15 दिनों के अंदर अनुस्मारक जारी किए।

मार्च 2024 तक चूककर्ता चाय बागानों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई की स्थिति इस प्रकार थी:

तालिका 3.7: चूककर्ता चाय बागानों के विरुद्ध की गई कारवाई की स्थिति

क्रम सं.	श्रेणी	एटीईपीएफओ द्वारा अनुसरण की गई समय-सीमा	चूक करने वाले चाय बागानों की संख्या[22]
(i)	अनुस्मारक	30 दिनों की अनुग्रह अवधि पूरी होने के 15 दिन बाद	62
(ii)	अंतिम अनुस्मारक	अनुस्मारक जारी करने की तिथि से 15 दिन	78
(iii)	वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस	कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है	49

[22]ये आंकडे वसूली प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में चाय बागानों की संख्या को दर्शाते हैं। सभी चरणों के आंकडे एक दूसरे से अलग है और इनमें, पिछलें चरणों में शामिल हो चुके मामलों को सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

क्रम सं.	श्रेणी	एटीईपीएफओ द्वारा अनुसरण की गई समय-सीमा	चूक करने वाले चाय बागानों की संख्या[22]
(iv)	एफआईआर/ आपराधिक मामला	कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है	64
(v)	तृतीय पक्ष / ब्रोकर नोटिस[23]	कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है	10
(vi)	वसूली प्रमाणपत्र	कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है	28
(vii)	कुर्की	कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है	7
(viii)	कार्रवाई अभी शुरू की जानी है	--	49
कुल			**347**

लेखापरीक्षा ने पाया कि अंतिम अनुस्मारक जारी करने के बाद की जाने वाली वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी। इस तरह की समय सीमा के अभाव में, चूक राशि की वसूली के लिए कार्रवाई अधिकारियों के विवेक पर होगी। इसके अलावा, एटीईपीएफओ ने अभी तक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2024 तक पीएफ अंशदान जमा न करने के लिए 347 चूककर्ता चाय बागानों के प्रति सांविधिक ब्याज नहीं लगाए थे।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए, एटीईपीएफओ ने कहा (अक्टूबर 2023) कि भविष्य निधि अंशदान के जमा में कमी सितंबर 2023 तक घटकर ₹77.41 करोड़ रह गई थी। वसूली प्रक्रिया के संबंध में, एटीईपीएफओ ने कहा कि चूककर्ता चाय बागानों की कुर्की सहित वसूली की कार्यवाही के लिए समयसीमा तय करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का मामला न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। वैधानिक ब्याज लगाने के संबंध में, एटीईपीएफओ ने कहा (नवंबर 2023) कि संबंधित चाय बागानों द्वारा चूक राशि जमा करने के बाद ही सांविधिक ब्याज लगाया जाता था।

असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि वसूली की कार्यवाही के लिए समय-सीमा तय करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने की प्रक्रिया एटीईपीएफओ द्वारा प्रक्रियाधीन थी।

सिफारिश सं. 22

एटीईपीएफओ वसूली की कार्यवाही में तेजी ला सकता है और जल्द से जल्द वसूली की कार्यवाही करने के लिए समय सीमा तय करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है।

3.4.1.3 पंजीकृत चाय बागानों/कारखानों का निरीक्षण

एटीईपीएफओ के निरीक्षक मैनुअल के अनुसार, अधिनियम और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंजीकृत चाय बागान और कारखाने का वर्ष में, यदि दो बार

---

[23] यदि किसी चाय बागान द्वारा भुगतान में चूक की जाती है, तो एटीईपीएफओ उस कुल बकाया राशि की वसूली का कार्य तीसरे पक्ष/ब्रोकर (रिकवरी ऐजेंट) को सौंप देता था।

नहीं तो कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना था। प्रत्येक निरीक्षक को चाय श्रमिकों के गैर-नामांकन, पीएफ अंशदान और प्रशासनिक प्रभार का कम जमा होना, विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित दावों के मामलों की जांच करनी थी और ऐसी अनियमितताओं को बोर्ड के स्थान में लाना था। इसके अलावा, निरीक्षकों को अपंजीकृत चाय बागानों/कारखानों पर लगातार निगरानी रखनी थी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जैसा लागू हो, एटीईपीएफओ के तहत नामांकन की सिफारिश करनी थी।

वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक एटीईपीएफओ द्वारा पंजीकृत चाय बागान में किए गए निरीक्षणों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3.8: एटीईपीएफओ द्वारा चाय बागानों का निरीक्षण

वर्ष	निरीक्षण के लिए शेष पंजीकृत चाय बागानों/ कारखानों की संख्या	निरीक्षित चाय बागानों/ कारखानों की संख्या	निरीक्षण में कमी	कमी का प्रतिशत
2017-18	1,114	536	578	52%
2018-19	1,146	544	602	53%
2019-20	1,157	249	908	78%
2022-23	1,192	1,108	84	7%
2023-24	1,233	949	284	23%

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पंजीकृत चाय बागान के निरीक्षण में कमी वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 के दौरान 7 प्रतिशत से 78 प्रतिशत के बीच थी। इसके अलावा, कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान चाय बागानों का निरीक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 44 निरीक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या में से, एटीईपीएफओ में 33 निरीक्षक (75 प्रतिशत) तैनात/पदस्थापित थे। इसके अलावा, मार्च 2019 तक एटीईपीएफओ के तहत नामांकित 1,146 चाय बागानों में से, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक तीन वर्ष की अवधि में 221 चाय बागानों का निरीक्षण एक बार भी नहीं किया गया।

30 चयनित चाय बागानों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सेवामुक्त 7,767 पीएफ सदस्यों में से, 2,820 लाभार्थियों के पीएफ दावे (36 प्रतिशत) चाय बागानों द्वारा एटीईपीएफओ को एक माह से छह माह की देरी के साथ भेजे गए थे, और 2,975 पीएफ दावे (38 प्रतिशत) छह माह से 12 माह से अधिक समय की देरी से प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा, जबकि 962 मामलों (12 प्रतिशत) का निपटान एक माह के अंदर किया गया था, मार्च 2022 तक कुल 1,010 पीएफ दावों (13 प्रतिशत) को प्रोसेसिंग किया जाना था और एटीईपीएफओ को प्रस्तुत किया जाना बाकि था।

विभिन्न दावों के लंबित मामले जो चाय बागानो द्वारा अग्रेषित नहीं किए गए, एटीईपीएफओ द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान प्रयाप्त निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण अप्रतिवेदित रहे। चूंकि अभिदाताओं को पीएफ दावों के निपटान के बाद ही पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना के लाभों

की अनुमति दी गई थी, चाय बागानों द्वारा पीएफ दावों के प्रोसेसिंग और जमा करने में देरी के परिणामस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना का समय पर लाभ नहीं मिल पाया।

एटीईपीएफओ ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2023) कि वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक चाय बागान का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि वित्त वर्ष 2024-25 में, कुल 1,225 चाय बागानों में से, एटीईपीएफओ ने दिसंबर 2024 तक 906 चाय बागानों का निरीक्षण किया था। इसके अलावा, एटीईपीएफओ साल में एक बार सभी चाय बागानों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा था।

सिफारिश सं. 23

एटीईपीएफओ वर्ष में कम से कम एक बार सभी चाय बागान का निरीक्षण करने के लिए कदम उठा सकता है, ताकि चाय बागान श्रमिकों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके और अंशदान समय पर जमा किया जा सके।

3.4.2 निधि प्रबंधन

असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना 1968 के अनुसार, निवेश समिति, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, निवेश के तरीके और भारतीय न्यास अधिनियम, वर्ष 1882 में उल्लिखित विशेष सरकारी प्रतिभूतियों का निर्णय करेगी जिसमें निधि की समस्त धनराशि का निवेश किया जाएगा।

छूट प्राप्त न्यासो द्वारा पालन किए जाने वाले निवेश पैटर्न पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना (मई 2015) के आधार पर, एटीईपीएफओ ने विभिन्न प्रतिभूतियों में निधि के निवेश के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाया (अक्टूबर 2017), जैसा कि **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

एटीईपीएफओ द्वारा निधि प्रबंधन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उत्तरवर्ती उप-पैराओं में चर्चा की गई है:

3.4.2.1 कॉर्पोरेट बॉन्ड में किए गए निवेश

निधि के निवेश के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार निवेश को सुरक्षा प्रथम, फिर तरलता, उसके बाद प्रतिफल (एसएलआर फिलॉसफी[24]) के मानदंडों के आधार पर किया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सुरक्षा प्रथम के मानदंड के पालन के बिना वर्ष 2017-18 के दौरान एटीईपीएफओ द्वारा आईएल एंड एफएस और रिलायंस कैपिटल के कॉर्पोरेट बॉन्ड में ₹69.61 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था। एटीईपीएफओ ने अपने निवेश सलाहकार की सलाह (जुलाई/अक्टूबर 2017) के प्रति अगस्त और सितंबर 2017 में आईएल एंड एफएस बॉन्ड में ₹20 करोड़ और अक्टूबर 2017 में रिलायंस बॉन्ड में ₹9.97 करोड़ का निवेश किया। सलाहकार ने कहा कि आईएल एंड एफएस बॉन्ड में, इसके प्रमुख सूचीबद्ध निवेशों के मूल्यांकन में भारी गिरावट आई

[24] एसएलआर निवेश फिलॉसफी निवेश का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो वित्तीय लक्ष्यों को एक विशेष क्रम में प्राथमिकता देता है, अर्थात् सुरक्षा प्रथम, फिर तरलता और अंत में प्रतिफल।

है, जिससे इसके लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और रिलायंस कैपिटल के बॉन्ड की स्वीकार्यता कम थी।

इसके अलावा, निवेश पर अधिकारियों की आंतरिक समिति, आईएल एंड एफएस बॉन्ड में ₹39.64 करोड़ (नवंबर 2017 में ₹19.76 करोड़ और मई 2018 में ₹19.88 करोड़) के निवेश पर विचार किया और इसे निवेश सलाहकार को उनकी राय के लिए संदर्भित किया। तथापि, सलाहकार ने जुलाई और अक्टूबर 2017 में दी गई अपनी राय को उलट दिया (नवंबर 2017 और मई 2018) और आईएल एंड एफएस की मजबूत संस्थागत उल्लेख करते हुए संदर्भित स्क्रिप (आईएल एंड एएमपी; एफएस बॉन्ड) का समर्थन किया। तदनुसार, एटीईपीएफओ ने आईएल एंड एफएस बॉन्ड में फिर से ₹39.64 करोड़ का निवेश किया। हालांकि, वर्ष 2019-20 के बाद से, सभी आईएल एंड एफएस बॉन्ड और रिलायंस बॉन्ड जिनमें एटीईपीएफओ ने अपनी निधियों का निवेश किया था, ने ब्याज से होने वाली आय के भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹17.97 करोड़ का नुकसान हुआ । इसके अलावा, निवेश की गई राशि (₹69.61 करोड़) की वसूली की संभावना भी लेखापरीक्षा की तिथि (दिसंबर 2022) तक नगण्य थी। इसके बाद, एटीईपीएफओ ने कहा (अक्टूबर 2023) कि आईएल एंड एफएस से संबंधित मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष विचारार्थ लंबित है और आईएल एंड एफएस के पांच में से तीन बॉन्ड में, इसे अंतरिम संवितरण उपाय के रूप में ₹10.54 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार, सुरक्षा के मानदंडों का पालन किए बिना किए गए निवेश के परिणामस्वरूप ₹7.43 करोड़ (₹17.97 करोड़ - ₹10.54 करोड़) के ब्याज का नुकसान हुआ और ₹69.61 करोड़ की निवेश की गई निधि का संभावित नुकसान हुआ।

एटीईपीएफओ ने उत्तर दिया कि रिलायंस कैपिटल और आईएल एंड एफएस दोनों एएए रेटिंग वाले थे और ईपीएफओ सहित कई पीएफ न्यासों ने उन निधियों में निवेश किया था।

असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि अब तक अंतरिम संवितरण के रूप में ₹16.13 करोड़ की राशि प्राप्त की गई है। यह मामला विभिन्न न्यायाधिकरणों में विचाराधीन था और एटीईपीएफओ चूककर्ता राशि की त्वरित वसूली के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा, एनसीएलएटी द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम समाधान ढांचे और निर्देशों के अनुसार, एटीईपीएफओ को अंतरिम से संवितरण के रूप में ₹100/- प्रत्येक (अंकित मूल्य) की दर से 6,00,000 इनविट[25] इकाइयां प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था।

तथ्य यह है कि निवेश सलाहकार ने मूल रूप से उपर्युक्त दो पोर्टफोलियों में निवेश के प्रस्तावों पर प्रतिकूल राय दी थी और एटीईपीएफओ के अधिकारियों की आंतरिक समिति एसओपी में निर्धारित सुरक्षा के मानदंडों का पालन करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज से होने वाली आय का नुकसान हुआ और चूककर्ता के कारण इसकी निधियों को ऐसे जोखिम में डाल दिया जिससे हानि की भरपाई नहीं होगी।

[25] अवसंरचना निधि न्यास (इनविट) एक प्रकार के निवेश माध्यम हैं जो निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देते हैं। इनविट निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो दीर्घकालिक रूप में स्थिर आय का स्रोत और संभावित पूंजी में वृद्धि प्रदान कर सकते हैं।

सिफारिश सं. 24
एटीईपीएफओ निधि के निवेश के लिए एसओपी में निर्धारित मानदंडों का पालन कर सकता है।

3.4.2.2 पेंशन योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

एटीईपीएफओ चार योजनाओं के निधि का प्रबंधन कर रहा था अर्थात् भविष्य निधि, पेंशन-सह-पारिवारिक पेंशन निधि, जमा संबद्ध बीमा (डीएलआई) निधि और उपदान निधि। नवंबर 2018 में, एटीईपीएफओ ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि, श्रम और रोजगार मंत्रालय और एटीईपीएफओ के न्यासी बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, उपर्युक्त निधियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक था। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एटीईपीएफओ ने जनवरी 2019 में एक बीमांकिक नियुक्त किया था, लेकिन मूल्यांकन पूरा नहीं कर सका क्योंकि एटीईपीएफओ इस तरह के मूल्यांकन के लिए आवश्यक बागान-वार डेटा प्रदान करने में असमर्थ था।

एटीईपीएफओ (अगस्त 2024) और असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि जमा संबद्ध बीमा, पारिवारिक पेंशन और सामान्य पेंशन योजना के मामले में एटीईपीएफओ द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन का मसौदा प्राप्त किया गया था। यह भी कहा गया कि बीमांकिक ने ईपीएफओ के तहत पेंशन योजना के अनुरूप मौजूदा पेंशन योजना को अंशदायी पेंशन योजना में बदलने का सुझाव दिया था। इसके अलावा, उपदान योजना के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए एक बीमांकक फर्म नियुक्त की गई थी। भविष्य निधि के मामले में बीमांकिक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

सिफारिश सं. 25
एटीईपीएफओ योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसकी परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन का आकलन करने के लिए आवधिक अंतराल पर योजना की निधियों के बीमांकिक मूल्यांकन हेतु एक नीति तैयार कर सकता है।

3.4.2.3 परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन

न्यासी बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था कि न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के स्थापित तरीके के अनुसार योजना निधि का निवेश किया गया था। न्यासी बोर्ड का एक प्रमुख उद्देश्य परिसंपत्ति-देयता के अंतर को दूर करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-20 के बाद से, पीएफ कमाई और वितरण खाता, जो योजना के तहत आय और व्यय के लिए उपयोग किया जाता था, एक घाटा दिखा रहा था जो वर्ष 2019-20 में ₹9.45 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹268.40 करोड़ तक लगातार बढ़ गया था। पीएफ कमाई और वितरण खाते में लगातर बढ़ता नकारात्मक शेष, दीर्घकाल में पीएफ कॉर्पस को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

एटीईपीएफओ ने कहा (नवंबर 2024) कि यह सभी चूककर्ता चाय बागानों पर दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए कदम उठाएगा और यह परिसंपत्ति-देयता के अंतर की समस्या को दूर करने के लिए मौजूदा गैर-अंशदायी पेंशन योजना को अंशदायी पेंशन योजना में बदलने पर भी विचार कर रहा था।

असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि एटीईपीएफओ द्वारा संचालित सामान्य पेंशन योजना ईपीएफओ के विपरीत एक गैर-अंशदायी योजना थी और इसे भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज आय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया था। परिणामस्वरूप, ब्याज आय का एक बड़ा हिस्सा सामान्य पेंशन के पेंशन संबंधी लाभों के लिए उपयोग किया गया था, जो बढ़ते घाटे का एक प्रमुख कारण था। बोझ को कम करने के लिए, न्यासी बोर्ड अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर विचार कर रहा था। अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही थी।

3.4.2.4 भारत सरकार द्वारा अंशदान

असम चाय बागान भविष्य निधि योजना, 1968 के अनुसार, पेंशन-सह-पारिवारिक पेंशन निधि आंशिक रूप से भारत सरकार के अंशदान द्वारा बनाई जानी थी और पेंशन-सह-पारिवारिक पेंशन योजना के प्रशासन की पूरी लागत पिछले वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर एटीईपीएफओ की मांग के आधार पर भारत सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पारिवारिक पेंशन और प्रशासन लागत के लिए भारत सरकार से अंशदान की प्राप्ति में कमी थी। वर्ष 2023-24 के अंत में, भारत सरकार से पारिवारिक पेंशन और प्रशासनिक लागत के लिए क्रमशः ₹43.46 करोड़ और ₹11.55 करोड़ की राशि देय थी।

असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि पारिवारिक पेंशन योजना के संबंध में भारत सरकार के अंशदान और प्रशासन लागत के बकाया का मामला पहले ही श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ उठाया जा चुका है।

3.4.3 अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

3.4.3.1 पीएफ और पेंशन दावों का निपटान

असम चाय बागान भविष्य निधि योजना, 1968 के तहत बनाए गए पेंशन नियमों के अनुसार, पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना के लाभों की गणना अभिदाता की सेवा समाप्ति/मृत्यु के समय क्रेडिट पर पीएफ संचय के आधार पर की गई थी और यह लाभ अशंदाताओं के पीएफ दावों के निपटान के बाद ही दिये जाते थे। इसके अलावा, पीएफ अभिदाताओं की जन्म तिथि/ सेवा में शामिल होने की तिथि और सेवा समाप्ति/मृत्यु की तिथि के मूल रिकॉर्ड चाय बागान स्तर पर रखे गए थे, इसलिए अंतिम पीएफ भुगतान और पेंशन संबंधी लाभों के लिए दावे चाय बागान द्वारा निपटान के लिए एटीईपीएफओ को भेजे गए थे। एटीईपीएफओ को अभिदाता की सेवा समाप्ति/मृत्यु की तिथि के तुरंत बाद चाय बागानों द्वारा अभिदाताओं के पीएफ दावों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। दावों के निपटान के लिए, एटीईपीएफओ ने अपने नागरिक चार्टर (अप्रैल 2022 में जारी) में दावों की प्राप्ति की तिथि से पीएफ और पेंशन दावों के निपटान के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्दिष्ट की।

2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान दावों के निपटान के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- पारिवारिक पेंशन दावों के संबंध में, एटीईपीएफओ में 2017-18 से 2023-24 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में 59 प्रतिशत से 90 प्रतिशत दावे बकाया थे।
- नागरिक चार्टर में निर्दिष्ट दावों के निपटान की समय सीमा का पालन नहीं किया गया था और निपटाए गए अधिकांश दावों (99-100 प्रतिशत) में 30 दिनों की समय सीमा का उल्लंघन किया था। इसके अलावा, कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन और पीएफ दावों (सदस्य की मृत्यु के कारण) में से, अधिकांश मामलों में (अर्थात 65 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक), एटीईपीएफओ द्वारा अभिदाता की मृत्यु होने/सेवा समाप्ति के एक वर्ष से अधिक समय बाद दावों का निपटान किया गया था।

एटीईपीएफओ ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि पीएफ अभिदाताओं की सेवा समाप्ति/मृत्यु के बाद चाय बागानों द्वारा दावों के प्रोसेसिंग और प्रस्तुत करने के लिए एसओपी में समय सीमा शामिल की जाएगी और समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा। असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि एसओपी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

सिफारिश सं. 26
एटीईपीएफओ मानक संचालन प्रक्रिया बनाने में तेजी ला सकता है, पीएफ और पेंशन दावों के प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट समय-सीमाओं को शामिल कर, इन समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर सकता है।

3.4.3.2 वार्षिक पीएफ विवरण जारी करना

असम चाय बागान भविष्य निधि योजना, 1968 के अनुसार, एटीईपीएफओ को एक वार्षिक पीएफ विवरण जारी करना था जिसमें अभिदाता के खाते में जमा राशि दिखाई गई थी, जिसे चाय बागानों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी के बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद तैयार किया गया था और वार्षिक विवरण संबंधित चाय बागान नियोक्ता के माध्यम से अभिदाताओं को प्रस्तुत किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एटीईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान 6.01 लाख से 11.53 लाख के बीच के कई अभिदाताओं को वार्षिक पीएफ विवरण जारी नहीं किए थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 3.9: एटीईपीएफओ द्वारा पीएफ स्टेटमेंट जारी करने का विवरण

वित्तीय वर्ष	पंजीकृत चाय बागानों की संख्या	नामांकित अभिदाताओं की संख्या	उन अभिदाताओं की संख्या जिन्हें पीएफ विवरण जारी नहीं किया गया था
2017-18	1,114	9,98,308	9,55,597
2018-19	1,146	10,49,292	9,67,787
2019-20	1,157	11,80,548	11,53,646
2020-21	1,167	12,09,297	6,01,187

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 1,167 चाय बागानों में से 237 ने (मार्च 2021 तक) बोर्ड को अपना वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया था, जिसके कारण इन प्रतिष्ठानों के पीएफ सदस्यों को वार्षिक पीएफ विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

एटीईपीएफओ ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि सितंबर 2023 तक 6.16 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए 686 चाय बागानों को वार्षिक पीएफ विवरण जारी किए गए थे और जनवरी 2024 से पीएफ विवरण जनरेट करने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जाएगी।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि एटीईपीएफओ को सभी अंशधारकों को समयबद्ध तरीके से वार्षिक पीएफ विवरण जारी करना सुनिश्चित करना आवश्यक था। हालांकि, सितंबर 2023 तक, के लगभग आधे अभिदाताओं (49 प्रतिशत) को पीएफ विवरण जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अद्यतन जानकारी के अनुसार, यह कहा (नवंबर 2024) गया था कि अभिदाताओं और चाय बागानों के लिए वर्ष 2021-22 और उसके बाद के वर्षों के लिए पीएफ विवरण ऑनलाइन जनरेट करने की सुविधा को जनवरी 2024 से शुरू किया गया था।

असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि जिन 6,01,187 अभिदाताओं को लेखापरीक्षा के समय पीएफ विवरण जारी नहीं किए गए थे, उनमें से 4,60,668 अभिदाताओं को पीएफ विवरण जारी कर दिए थे। शेष पीएफ अभिदाताओं को पीएफ विवरण जारी करने की प्रक्रिया चल रही थी।

3.4.3.3 शिकायत निवारण तंत्र

असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना अधिनियम, 1955 और योजना दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं था। एटीईपीएफओ के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में आई शिकायतों को दूर करने के लिए, सितंबर 2014 में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की गई थी, जिस के तहत मुख्यालय कार्यालय के साथ-साथ सात क्षेत्रीय कार्यालयों और एटीईपीएफओ के छह निरीक्षण कार्यालयों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। हालाँकि, शिकायतों की पहचान, वर्गीकरण, निपटान आदि के लिए किसी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/दिशानिर्देश तैयार किए बिना जीआरसी का संचालन किया गया था। शिकायतों के निपटान के लिए, एटीईपीएफओ द्वारा शिकायतों की प्राप्ति से 30 दिनों का टर्न-अराउंड समय नागरिक चार्टर में अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में, शिकायतें ऑफ़लाइन मोड या ईमेल के माध्यम से या मोबाइल फोन नंबरों के माध्यम से नोडल अधिकारियों से संपर्क करके प्राप्त की जाती हैं।

एटीईपीएफओ को मार्च 2022 तक कुल 644 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 20 शिकायतें मुख्यालय कार्यालय के माध्यम से और 624 मामले इसके 13 नोडल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त हुए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एटीईपीएफओ में शिकायतों का निपटान पर्याप्त प्रभावी नहीं था क्योंकि 50 प्रतिशत से भी कम (319 मामले) शिकायत मामलों का निपटान 30 दिनों के अंदर किया गया था। एक माह से तीन माह के बीच संबंधित नोडल कार्यालयों द्वारा कुल 139 शिकायतों (22 प्रतिशत) का निपटारा किया गया और 108 शिकायतों (17 प्रतिशत*)* का निपटान शिकायतों की

प्राप्ति की तिथि से तीन माह से अधिक की देरी के बाद किया गया। इसके अलावा, मार्च 2022 तक, 78 शिकायत मामले (12 प्रतिशत) 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित थे।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारियों और एटीईपीएफओ मुख्यालय के बीच शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की निगरानी के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। इसके अलावा, चूंकि शिकायत निवारण प्रणाली अभी भी ऑफ़लाइन मोड में थी, इसलिए अनुवर्ती कार्रवाई और फीडबैक तंत्र कमजोर था।

एटीईपीएफओ ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जाएगी।

असम सरकार ने कहा (अप्रैल 2025) कि एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल का विकास प्रक्रियाधीन है और एटीईपीएफओ द्वारा शिकायत निवारण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सिफारिश सं. 27

एटीईपीएफओ शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के त्वरित विकास के लिए कदम उठा सकता है। शिकायत निवारण के लिए एक विस्तृत नीति तैयार की जा सकती है जिसमें टर्न-अराउंड समय, समाप्न बिंदु, वृद्धि तंत्र आदि शामिल हैं।

3.5 सारांश

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ) और असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ) की समीक्षा से भारत में सांविधि पेंशन निधियों के विविध प्रशासनिक ढांचे और उनके सामने आने वाली समस्याओं का पता चला। हालांकि ये सभी संगठन सेवानिवृत्ति के बाद श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के सामान्य लक्ष्य को साझा करते हैं, लेकिन उनके प्रशासनिक ढांचे, परिचालन दक्षता और लाभों में महत्वपूर्ण भिन्नता है।

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा समय पर विवरणी दाखिल करने में कमियां, निवेश के लिए व्यापक निर्गम नीति की कमी के साथ-साथ परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पर पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए दिशानिर्देश, इसके अलावा शिकायतों के निवारण में देरी देखी गई। ईपीएस के तहत पारिश्रमिक सीमा 2014 से अपरिवर्तित रही है, जिससे वर्तमान वेतन स्तरों के साथ इसका अनुरूपता प्रभावित हुई है और प्रभावी कवरेज सीमित हो गया है। ईपीएस के संबंध में अंशदान करने वाली जनसंख्या ईपीएफ की तुलना में कम थी क्योंकि ईपीएफ योजना ₹15000 से अधिक की वेतन सीमा के लिए भी स्वैच्छिक अंशदान की अनुमति देती है, लेकिन ईपीएस के मामले में ऐसे स्वैच्छिक अंशदान की अनुमति नहीं थी। ईपीएस के तहत मासिक पेंशन भुगतान में सुधार की आवश्यकता थी। सीएमपीएफओ में बोर्ड और निवेश उप-समिति की कम बैठकें हुई। निवेश निगरानी प्रकोष्ठ का गठन अभी तक नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए वर्षों में पेंशन निधि की परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच अंतर बढ़ गया। इसके अलावा 2023-24 के अंत में, ₹12130.91 करोड़ उचंत खाते में पड़े थे, जिन्हें निपटाने की आवश्यकता थी।

एसपीएफओ में, वित्त उप-समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुई और निवेश पैटर्न में विचलन देखा गया, जिसमें स्टॉप लॉस नीति अभी तक प्रदान नहीं की गई थी। अभिदाताओं को अनपोस्टेड अंशदान के अलावा, अधिनियम/योजना में आवश्यक प्रावधान के बिना एसपीएफओ को अनुग्रह और वार्षिकी अंशदान प्राप्त करने के उदाहरण थे।

एटीईपीएफओ में, न्यासी बोर्ड के लिए बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई थी, कुछ वर्षों में पीएफ अंशदान के जमा में कमी आई थी। पंजीकृत चाय बागानों के निरीक्षण में भी कमी आई है। पेंशन योजना के समय-समय पर बीमांकिक मूल्यांकन की आवश्यकता थी। दावों के निपटान में देरी हुई और शिकायतों का निपटान अप्रभावी रहा।

अध्याय-IV

सीपीएसई और स्वायत्त निकायों द्वारा प्रबंधित पेंशन प्रणालियाँ

अध्याय-IV
सीपीएसई और स्वायत्त निकायों द्वारा प्रबंधित पेंशन प्रणालियाँ

4.1 पृष्ठभूमि

पिछले अध्याय में चर्चा की गई वैधानिक निधियों का उद्देश्य कोयला, चाय बागान आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए था। इन क्षेत्र-विशिष्ट निधियों के अलावा, अन्य विधानों द्वारा शासित अन्य भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधियां हैं, जैसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और निधियां जो आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त/अनुमोदित हैं।

(i) भविष्य निधि अधिनियम, 1925

भविष्य निधि अधिनियम, 1925 सरकारी और अन्य भविष्य निधि से संबंधित कानूनों का समेकन है। भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की अनुसूची में उन प्रतिष्ठानों/भविष्य निधि की सूची है जिन पर यह अधिनियम लागू होता है। अन्य भविष्य निधि को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करके और बाद में अधिनियम से जुड़ी इकाइयों की अनुसूची में शामिल करके भी इस अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। यह प्रावधान आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम के कवरेज के विस्तार की अनुमति देता है। ऐतिहासिक रूप से, अधिनियम को भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग के तहत व्यवसाय आवंटन नियमों (एओबीआर) में शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, सरकार ने जून 2018 में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 का प्रशासन श्रम और रोजगार मंत्रालय को आवंटित किया।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

अधिनियम की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध उद्योगों में लगे कारखानों पर लागू होता है जो बीस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं। यह बीस या अधिक कर्मचारियों वाले अन्य प्रतिष्ठानों या विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है। ये प्रतिष्ठान अपने स्वयं के भविष्य निधि/पेंशन निधि का प्रबंधन करने के लिए अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट भी मांग सकते हैं। अधिनियम की धारा 17 उन शर्तों को परिभाषित करती है जिनके तहत प्रतिष्ठान अपने स्वयं की भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि के प्रबंधन के लिए अधिनियम के प्रावधानों से छूट मांग सकते हैं। छूट प्रदान करने की प्राथमिक शर्तों में से एक यह है कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठान ऐसे लाभ प्रदान करें जो अधिनियम की वैधानिक योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभों के बराबर या उससे बेहतर हों।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि और अनुमोदित अधिवर्षिता निधि

आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क और भाग ख में क्रमशः भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के विनियमन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है, जिन्हें 'मान्यता प्राप्त

भविष्य निधि' और 'स्वीकृत अधिवर्षिता निधि' नाम दिया गया है। यह अनुसूची ऐसी निधि की मान्यता, प्रबंधन और कराधान की शर्तों को रेखांकित करती है। भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता और स्वीकृति दी जानी होती है।

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/स्वीकृत अधिवर्षिता निधि में 'कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि और पेंशन निधि भी शामिल होंगी।

4.2 लेखापरीक्षा के लिए पेंशन प्रणालियों का चयन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से, लेखापरीक्षा ने आयकर अधिनियम, यूनीवर्स 1961 की चौथी अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि और अनुमोदित अधिवर्षिता निधि के समग्र के बारे में जानकारी मांगी। सीबीडीटी ने कहा कि उन निधियों से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से सीबीडीटी में नहीं रखा गया है। मान्यता प्राप्त भविष्य निधि और अनुमोदित अधिवर्षिता निधियों पर समेकित डेटा की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ने छह चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/स्वायत्त निकायों (एबी) की पेंशन प्रणालियों की समीक्षा की, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्त चार निधि और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत दो निधि शामिल थे, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत छूट दी गई

- कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)
- चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)
- मेकॉन लिमिटेड (मेकॉन)

(ii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत

- कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी)
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

निम्नलिखित तालिका इन निधियों की तुलनात्मक अवलोकन प्रदान करती है, जो उनके प्रमुख विशेषताओं जैसे कि उनके शासी संविधि, प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम), अभिदाता आधार आदि पर प्रकाश डालती है।

तालिका 4.1: सीपीएसई और स्वायत्त निकायों के भविष्य निधि/पेंशन निधि की मुख्य विशेषताएं

विशेषताएँ	सीसीआईएल	सीपीसीएल	आरआईएनएल	मेकॉन	सीडीएलबी	आईआईएफटी
शासी अधिनियम	ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952	ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952	ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952	ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952	पीएफ अधिनियम, 1925	पीएफ अधिनियम, 1925
प्रशासनिक मंत्रालय	वस्त्र मंत्रालय	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	इस्पात मंत्रालय	इस्पात मंत्रालय	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
लागू पेंशनभोगी लाभ	• अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) • ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना • अंशदायी अधिवर्षिता योजना (सीएसएस)	• अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) • ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना • अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस)	• अंशदायी भविष्य निधि • ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना • अंशदायी अधिवर्षिता बेनिफिट निधि	• अंशदायी भविष्य निधि • एलआईसी पेंशन योजना	• गैर-अंशदायी भविष्य निधि • परिभाषित लाभ पेंशन	• अंशदायी भविष्य निधि • एनपीएस
अंशदान	सीपीएफ: मूल वेतन और डीए का 12% सीएसएस: आयु के आधार पर वेतन का 3% से 6%	सीपीएफ: मूल वेतन और डीए का 12% सीपीएस: मूल वेतन और डीए का 2%	सीपीएफ: मूल वेतन और डीए का 12% सीएसबीएफ: मूल वेतन और डीए का 2%	सीपीएफ: मूल वेतन और डीए का 12% एलआईसी पेंशन योजना: मूल वेतन और डीए का 2%	सीपीएफ: मासिक वेतन का 8.33%	सीपीएफ: मूल वेतन और डीए का 12% एनपीएस: मूल वेतन और डीए का 10%
मार्च 2024 तक के अभिदाता	सीपीएफ: 9,835 सीएसएस: 691	सीपीएफ: 1,476 सीपीएस: 1,492	सीपीएफ: 13,549 सीएसबीएफ: 13,549	सीपीएफ: 1,325 एलआईसी पेंशन योजना: 2,093	सीपीएफ: 54	सीपीएफ: 49 एनपीएस: 63
मार्च 2024 तक एयूएम (₹ करोड़ में)	सीपीएफ: ₹189.60 करोड़ सीएसएस: ₹98.68 करोड़	सीपीएफ: ₹619.35 करोड़ सीपीएस: ₹387.31 करोड़	सीपीएफ: ₹4,939.13 करोड़ सीएसबीएफ: ₹1,088.05 करोड़	सीपीएफ: ₹779.96 करोड़	सीपीएफ: ₹83.23 करोड़	सीपीएफ: ₹34.28 करोड़

4.3 भारतीय कपास निगम लिमिटेड

भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की स्थापना 31 जुलाई 1970 को वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के

रूप में की गई थी। सीसीआईएल में सेवानिवृत्ति लाभो में भविष्य निधि और अधिवर्षिता पेंशन शामिल हैं। कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत एक छूट प्राप्त भविष्य निधि है। यह संगठन दो अधिवर्षिता पेंशन योजनाएं प्रदान करता है, अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और एक अंशदायी अधिवर्षिता योजना (सीएसएस)। 31 मार्च 2024 तक, सीसीआईएल के भविष्य निधि में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) के रूप में ₹ 189.60 करोड़ और 9,835 अभिदाता थे। इन भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं का विवरण अनुलग्नक-XII में दिया गया है।

4.3.1 शासकीय ढाँचा

अंशदायी भविष्य निधि न्यास: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानों में छूट प्राप्त निधियों के लिए संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा बताई गई थी जिसके अनुसार नियोक्ता को भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए न्यासी बोर्ड की स्थापना करने की आवश्यकता थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदेह न्यासी बोर्ड के पास निहित भविष्य निधि संचालित करने की शक्ति थी। तदनुसार, न्यासी बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें प्रबंधन पक्ष से छह सदस्य और कर्मचारियों के पक्ष से समान संख्या में सदस्य शामिल थे।

अंशदायी अधिवर्षिता योजना न्यास: अंशदायी अधिवर्षिता योजना (सीएसएस) निधि की स्थापना सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी। संगठन संरचना 7 जनवरी 1997 के न्यास विलेख में रखी गई थी, जिसे 30 अगस्त 2012 के प्रमुख विलेख द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निधि के प्रशासन के लिए शासकीय संरचना विलेख में निर्धारित की गई थी। इसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की समान संख्या के साथ न्यासी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या आठ और अधिकतम 12 सदस्यों तक सीमित थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ईपीएफओ की सिफारिशों के अनुसार, स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) को नामांकन के आधार पर दोनों निधियों के लिए संरक्षक के रूप में (1999) नियुक्त किया गया था। हालाँकि, समझौते में कोई अंतिम तिथि शामिल नहीं थी, और भुगतान की शर्तें भी समझौते में शामिल नहीं थी। इसके अलावा, एसएचसीआईएल ने निवेश समिति द्वारा तय की गई प्रतिभूतियों की खरीद के लिए एजेंट के रूप में भी काम किया, जिसके लिए इसने प्रति लेनदेन (खरीद/बिक्री/हस्तांतरण) ₹750 की सीमा के साथ 0.02 प्रतिशत का शुल्क लिया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि मामले को एक नए समझौते में प्रवेश करने के लिए एसएचसीआईएल के साथ उठाया जाएगा और इसे अनुमोदन के लिए न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

4.3.2 निधि प्रबंधन

भविष्य निधि और पेंशन निधि को अलग-अलग रखा जा रहा था। सीपीएफ ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्देशित निवेश पैटर्न का पालन किया, जबकि सीएसएस ने आयकर नियम, 1962

(आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी) के निवेश पैटर्न का पालन किया। सीपीएफ के लिए छूट इस शर्त के तहत प्रदान की गई थी कि छूट प्राप्त पीएफ ईपीएफ के बराबर या बेहतर प्रदर्शन करेगा।

4.3.2.1 निवेश और जोखिम प्रबंधन

सीसीआईएल में निवेश समिति ने सीपीएफ धन के निवेश के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय (29 मई 2015) द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों का पालन किया। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, 'ऋण और संबंधित लिखत' श्रेणी के तहत निवेश केवल ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाना था, जिनकी रेटिंग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से लागू रेटिंग पैमाने में न्यूनतम एए रेटिंग या समकक्ष थी। इसके अलावा, यदि किसी लिखत के लिए, रेटिंग उस लिखत में निवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुमेय निवेश ग्रेड से नीचे गिर गई, जैसा कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पुष्टि की गई थी, तो बाहर निकलने के विकल्प पर विचार किया जाना था और उचित तरीके से इसका प्रयोग किया जाना था, जो अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में हो।

सीपीएफ के लिए निवेश समिति ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आईएफसीआई लिमिटेड के छह बॉन्ड में ₹9.99 करोड़ का निवेश किया। यह देखा गया कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने सीसीआईएल द्वारा खरीदी गई आईएफसीआई प्रतिभूतियों की रेटिंग को गिराकर बी+ नकारात्मक कर दिया और इस प्रकार इसको डिफ़ॉल्ट के उच्च जोखिम में रखा। हालाँकि, प्रतिभूतियों के अवनयन के बाद भी, प्रबंधन ने प्रतिभूतियों से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि निवेश की क्रेडिट गुणवत्ता में गिरावट से होने वाले जोखिम या नुकसान को सीमित करने के लिए कोई स्टॉप-लॉस नीति नहीं थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसे अनुमोदन के लिए न्यासी बोर्ड की बैठकों में रखा जाएगा।

4.3.2.2 निधियों का निवेश पैटर्न

सीपीएफ और सीएसएस गैर-सरकारी अधिवर्षिता निधि होने के कारण उन्हें वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी निवेश पैटर्न का पालन करना आवश्यक था, जिसके अनुसार निवेश को विशिष्ट श्रेणियों के उपकरणों में अनुमति दी गई थी, अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित उपकरणों, (ii) ऋण लिखत और संबंधित निवेश, (iii) अल्पकालिक ऋण लिखत और संबंधित निवेश, (iv) इक्विटी और संबंधित निवेश और (v) परिसंपत्ति-समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश। इसके अलावा, निर्धारित निवेश पैटर्न को समय पर और उचित योजना के माध्यम से प्रत्येक क्रमिक वित्तीय वर्ष के लिए अलग से प्राप्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीपीएफ का निवेश पैटर्न वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुरूप था, जबकि सीएसएस के संबंध में, श्रेणी IV (इक्विटी और संबंधित निवेश) के तहत पांच प्रतिशत के न्यूनतम आवश्यक निवेश का वर्ष 2018-19 और 2019-20 में पालन नहीं किया गया था। न्यूनतम अपेक्षित निवेश के मुकाबले 2018-19 में ₹8.57 लाख और 2019-20 में ₹42.36 लाख की कमी थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि भविष्य में उचित सावधानी बरती जाएगी ताकि ऐसी चूक न हो।

4.3.3 अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

4.3.3.1 शिकायत निवारण तंत्र

लोक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सीसीआईएल में कर्मचारियों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल था। इस पोर्टल में प्रणाली द्वारा उत्पन्न अद्वितीय पंजीकरण संख्या के माध्यम से शिकायतों की निगरानी भी की जानी थी। नोडल अधिकारियों को शाखा और मुख्यालय स्तर पर नामित किया गया था। समाधान को बढ़ाने के संबंध में, अगले उच्च प्राधिकारी को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा (2017-18 से 2022-23) के अंतर्गत शामिल की गई अवधि के दौरान, सीपीएफ या सीएसएस से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। एक ऑनलाइन प्रणाली के अलावा, संगठन ने शिकायतों की प्राप्ति को दर्ज करने के लिए एक मैनुअल रजिस्टर भी रखा, जिसे अप्रैल 2019 में खोला गया था। मार्च 2024 तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीसीआईएल के पास शिकायत निवारण नीति नहीं थी जिसमें बदलाव का समय, वृद्धि, शिकायतों के बंद होने का बिंदु आदि का विवरण दिया गया हो।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि सीएसएस और सीपीएफ के लिए एक अच्छी तरह से विकसित ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा और अनुमोदन के लिए न्यासी बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

सिफारिश सं. 28

सीसीआईएल विभिन्न श्रेणियों के निवेशों के लिए एक स्टॉप लॉस नीति तैयार कर सकता है, अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है और एक विस्तृत शिकायत निवारण नीति अधिसूचित कर सकता है।

4.4 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल/कंपनी) की स्थापना 1967 में कंपनी अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी। यह 2001 से भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) की सहायक कंपनी बन गई, जो नियमित पेट्रोलियम उत्पादों और मूल्य वर्धित डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी अपनी रिफाइनरी का मनाली, चेन्नई में संचालन कर रही है।

अधिवर्षिता लाभ के हिस्से के रूप में, कंपनी भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत भविष्य निधि एक छूट प्राप्त निधि है। कंपनी द्वारा दो प्रकार की पेंशन की पेशकश की जाती है, अर्थात्, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत, और एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अर्थात्, अधिवर्षिता लाभ निधि (एसएबीएफ)। कंपनी ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी शुरू की और कर्मचारी एनपीएस या एसएबीएफ के बीच चयन कर सकते हैं।

मार्च 2024 तक, अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना में अभिदाताओं की संख्या 1,476 थी, जबकि अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) योजना में 1,492 अभिदाता थे। दोनों योजनाओं के लिए प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्ति (एयूएम) मार्च 2024 तक ₹1,006.66 करोड़ थी। भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-XIII** में दिया गया है।

4.4.1 शासकीय ढाँचा

सीपीसीएल के भविष्य निधि और पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए दो अलग-अलग न्यास थे: **(i) कर्मचारी भविष्य निधि न्यास**: ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 के तहत नियमों के अनुसार, प्रबंधन और कर्मचारियों दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासियों के साथ भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए सीपीसीएल ने ईपीएफ न्यास का गठन किया। न्यासी की संख्या चार से कम और बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यासियों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। वर्तमान में, ईपीएफ न्यास में एक अध्यक्ष और आठ न्यासी थे - कर्मचारियों और प्रबंधन पक्ष से चार-चार।

(ii) एसएबीएफ न्यास: सीपीसीएल पेंशन योजना अर्थात अधिवर्षिता लाभ निधि (एसएबीएफ) का प्रबंधन छह सदस्यों वाले एक न्यास द्वारा किया जाता था। न्यास में सीपीसीएल के कर्मचारियों से चार न्यासी और ट्रेड यूनियन के दो अन्य सदस्य शामिल थे।

सीपीसीएल ईपीएफ न्यास नियमों के अनुसार, न्यास की बैठकें हर तिमाही में एक बार आयोजित की जानी आवश्यक थी। 2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान, न्यास ने अधिकांशतः इस आवश्यकता का पालन किया। केवल एक उदाहरण था जहां बैठक तिमाही में नहीं हुई थी, अर्थात 2019-20 की चौथी तिमाही और 2020-21 की पहली तिमाही में एक विलंबित बैठक जो दूसरी तिमाही में आयोजित की गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के लिए, न्यास ने न्यास नियमों के अनुसार चार त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता का पूरी तरह से अनुपालन किया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2023) उत्तर दिया कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण विचलन हुआ था।

4.4.2 निधि प्रबंधन

भविष्य निधि का प्रबंधन ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार न्यास द्वारा किया जाता था। एक छूट प्राप्त निधि होने के नाते, निधि को ईपीएफ के बराबर या बेहतर प्रदर्शन करना था। इसके अलावा, न्यास को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार धन का निवेश करने का निर्देश था। पेंशन योजनाओं के मामले में, कंपनी ने निधि के प्रबंधन और वार्षिकी सेवा प्रदान करने के लिए एलआईसी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

4.4.2.1 निवेश पैटर्न

कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को श्रम और रोजगार मंत्रालय के निवेश दिशानिर्देशों (मई 2015) के अनुसार सीपीसीएल ईपीएफ न्यास द्वारा निवेश किया गया था। उपर्युक्त के अलावा, सीपीसीएल ने अपने निवेश की सुरक्षा और लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी बरतीं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अनुमोदित निवेश दिशानिर्देशों से कोई विचलन नहीं था।

4.4.2.2 निवेश और जोखिम प्रबंधन नीति

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों (मई 2015) के अनुसार, निर्धारित पैटर्न के अंदर न्यास/निधि के धन का विवेकपूर्ण निवेश न्यासियों की न्यासीय जिम्मेदारी थी और उचित परिश्रम के साथ इसको किये जाने की आवश्यकता थी।

न्यास को सौंपी गई जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए, विस्तृत निवेश और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार किए जाने थे तथा निवेश, लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन आदि के लिए अलग-अलग समितियों/उप-समितियों का गठन किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- सीपीसीएल ईपीएफ न्यास के पास स्टॉप लॉस/निकास नीति आदि सहित कोई विस्तृत निवेश या जोखिम प्रबंधन नीति नहीं थी। इसके अलावा, न्यास द्वारा अपनाई गई निवेश तौर-तरीकों/प्रक्रियाओं को पर्याप्त रूप से प्रलेखित नहीं किया गया था।
- निधि प्रबंधन प्रक्रिया में कोई मध्यस्थ शामिल नहीं है। भविष्य निधि का प्रबंधन आंतरिक रूप से सीपीसीएल द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, सीपीसीएल ईपीएफ न्यास ने निवेश निर्णयों और निवेश निकासी की निगरानी के लिए कोई निवेश समिति गठित नहीं की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि निवेश की आवृधिक गुणवत्ता जांच की नियमित आधार पर आंतरिक रूप से समीक्षा की गई थी और अनुमोदित निवेश दिशानिर्देशों से कोई विचलन नहीं था और सभी निवेश दिशानिर्देशों के अनुरूप किए गए थे। इसके अलावा, कंपनी ने आश्वासन दिया कि एक उचित निवेश नीति और निवेश तौर-तरीके/प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी और न्यास द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। इसी तरह, निवेश निर्णयों और निवेश निकासी की निगरानी के लिए निवेश समितियों का गठन किया जाएगा।

4.4.2.3 ईपीएफ न्यास निधि और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन की स्थिरता

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए निवेश पर अर्जित दरें वर्ष 2021-22 को छोड़कर अभिदाताओं को घोषित प्रतिफल की दर से कम[26] थी। इसके अलावा, सीपीसीएल की एक नीति थी कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ईपीएफ निधि की कमी (यानी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर) को पूरा किया जाए और ऐसी राशि हर साल सीपीसीएल के खातों में प्रदान की जाएगी। तदनुसार, सीपीसीएल ने घाटे के सभी वर्षों में कमी के लिए प्रावधान किया और कोई परिसंपत्ति देयता विसंगति नहीं थी।

प्रबंधन ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि ईपीएफ न्यास ने अभिदाताओं के शेष राशि की देनदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार और अधिशेष जमा कर लिया है। न्यास ने अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी सभी नकदी प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा किया और कभी भी सीपीसीएल की निधि पर निर्भर नहीं था।

[26] 2019-20: (-) 0.36 प्रतिशत; 2020-21: (-) 0.16 प्रतिशत; 2021-22: (+) 0.52 प्रतिशत; 2022-23: (-) 0.13 प्रतिशत और 2023-24: (-) 0.13 प्रतिशत

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि ईपीएफ न्यास की स्थिरता तभी प्राप्त होगी जब इसके निवेश पर प्रतिफल की दर अभिदाताओं के घोषित दर से अधिक होगी, जबकि पांच में से चार वर्षों में कमी थी।

4.4.2.4 निकास नीति

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई निवेश, जिसकी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पुष्टि की गई, जब इसे खरीदा गया था, निवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुमेय निवेश ग्रेड से नीचे आता है, तो बाहर निकलने के विकल्प पर विचार किया जाएगा और उचित तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, जो अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में हो।

लेखापरीक्षा ने सीपीसीएल ईपीएफ न्यास द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा की और देखा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुछ प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान या हानि समायोजन किया गया था। विशेष रूप से, आईएल एंड एफएस में निवेश के लिए ₹11 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था, और डीएचएफएल में निवेश के लिए ₹2.11 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था।

2016 में डीएचएफएल डिबेंचर की खरीद के लिए, क्रेडिट रेटिंग का कोई रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया गया और 2017 में खरीदे गए डीएचएफएल डिबेंचर के लिए, पुराने रेटिंग (नौ माह से अधिक पुराने) का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रबंधन से कोई रिकॉर्ड या विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं था। आईएलएफएस डिबेंचरों की खरीद के लिए, निवेश संकल्प की प्रति, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए आवेदन, भुगतान के लेनदेन का दस्तावेज प्रदान किया गया और दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग सहित विवरणिका की प्रति दी गई। हालाँकि, उन दस्तावेजों को प्रदान नहीं किया गया था जिनके आधार पर इन उपकरणों को निवेशों के लिए पहचान की गई थी और बोर्ड द्वारा नुकसान को सीमित करने के लिए बाद में कार्रवाई की गई थी।

इसके अलावा, न्यासियों की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा करने पर, यह देखा गया कि निवेश करने के बाद प्रतिभूतियों की रेटिंग की ऐसी कोई समीक्षा या सत्यापन नहीं किया गया था। साथ ही, निवेश के उद्देश्यों, चयन और निगरानी का मार्गदर्शन करने के लिए कोई आंतरिक निवेश नीति मौजूद नहीं थी।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2023) कि अनुमोदित निवेश नीति और लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए निवेश तौर-तरीकों/प्रक्रिया को प्रलेखित किया जाएगा और निवेश निर्णयों की निगरानी के लिए एक निवेश समिति गठित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, और प्रस्तावित निवेश समिति जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यों को भी देखेगी।

4.4.3 अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

4.4.3.1 शिकायत निवारण नीति

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीपीसीएल के पास एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली थी, लेकिन शिकायत निवारण नीति जिसके क्षेत्र और उद्देश्यों, प्रयोज्यता, बदलाव के समय, शिकायत वृद्धि तंत्र और निगरानी तंत्र का विवरण नहीं था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि सीपीसीएल के पास पहले से ही एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली है और अब तक, पीएफ/पेंशन से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है। यह भी कहा गया कि सीपीसीएल असंतोष के परिभाषित क्षेत्रों, समाधान के लिए निर्दिष्ट बदलाव के समय, प्रतिक्रिया तंत्र और शिकायत निपटान की निगरानी सहित एक व्यापक शिकायत निवारण नीति तैयार करेगा और उसे लागू करेगा।

सिफारिश सं. 29
सीपीसीएल विभिन्न श्रेणियों के निवेशों के लिए एक व्यापक निवेश नीति तैयार कर सकता है, जिसमें बदलाव के समय, वृद्धि तंत्र आदि का विवरण देते हुए एक विस्तृत शिकायत निवारण नीति अधिसूचित करने के अलावा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।

4.5 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापत्तनम जिसे पहले विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के नाम से जाना जाता था, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

आरआईएनएल में सेवानिवृत्ति लाभ में भविष्य निधि और पेंशन शामिल हैं। विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट निधि (वीएसपीईपीएफ) ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 के तहत एक छूट प्राप्त निधि है, जिसे ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम के छूट प्राप्त भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। संगठन अपने कर्मचारियों/श्रमिकों को दो प्रकार की पेंशन प्रदान करता है, अर्थात्, ईपीएफओ अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना और अपनी स्वयं की एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, अर्थात् कर्मचारी अधिवर्षिता हितलाभ निधि (ईएसबीएफ)।

मार्च 2024 तक, वीएसपीईपीएफ और ईएसबीएफ के तहत 13,549 अभिदाताओं के साथ ₹4,939.13 करोड़ और ₹1,088.05 करोड़ का कार्पस था। भविष्य निधि और पेंशन निधि का विवरण अनुलग्नक-**XIV** में दिया गया है।

4.5.1 शासकीय ढाँचा

वीएसपीईपीएफ न्यास: ईपीएफ और एमपी अधिनियम के नियमों के अनुसार, आरआईएनएल ने भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए एक न्यास का गठन किया, जिसमें प्रबंधन और कर्मचारियों दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी थे।

ईएसबीएफ न्यास: इसका गठन आरआईएनएल ईएसबीएफ नियमों के तहत किया गया था, जिसमें मान्यता प्राप्त यूनियनों, स्टील कार्यकारी संघ और प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल थे।

वीएसपीईपीएफ और ईएसबीएफ न्यास का विवरण **अनुलग्नक-XV** में विस्तार से दिया गया है।

4.5.1.1 प्रबंध न्यासी निकाय का गठन

आरआईएनएल ईएसबीएफ नियमों के नियम 4.3 के अनुसार, न्यासियों में से, प्रबंध न्यासी निकाय (बीएमटी) नामित किया जाएगा जिसमें सात सदस्य होंगे, दो मान्यता प्राप्त संघ से, एक अधिकारियों

की ओर से और चार कंपनी से, जिसमें न्यास के अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे, जिन्हें न्यास नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा, जो बीएमटी के पदेन सदस्य होंगे।

नियम 9 के अनुसार, न्यासी बोर्ड के पास किसी भी समय निधि का हिस्सा बनने वाले किसी भी निवेश को बेचने, बदलने, स्थानांतरित करने, ट्रांसपोस करने या बदलने या इस प्रकार के अन्य जो इसके द्वारा अधिकृत है, की शक्ति होगी। इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रबंध न्यासियों को सभी आवश्यक शक्तियां प्रदान की गईं, जिसके द्वारा वे किसी भी दो न्यासियों (कम से कम एक कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला) द्वारा संयुक्त रूप से किसी भी अनुसूचित बैंक या डाकघर बचत बैंक के साथ निधि का खाता खोल सकते थे और संचालित कर सकते थे और निर्धारित तरीके से निवेश के लिए बैंक को अधिकार दे सकते थे। प्रबंध न्यासियों में से किसी भी दो द्वारा बैंक खातों के संचालन के लिए, न्यासी बोर्ड प्रबंध न्यासियों को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अधिकृत करेगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि न्यासी बोर्ड ने प्रबंध न्यासी निकाय के किसी भी सदस्य को हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अधिकृत नहीं किया, जैसा कि नियमों में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, नियमों में न्यासी बोर्ड की बैठकों के आयोजन के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। नतीजतन, बोर्ड तदर्थ आधार पर निवेश निर्णय लेने के लिए निवेश बैठकें आयोजित कर रहा था।

प्रबंधन ने में कहा (जनवरी 2024) कि प्रबंध न्यासियों के निकाय को प्रबंधन द्वारा नियुक्त किया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि यह विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करें जिसमें आरआईएनएल ईएसबीएफ न्यास पैटर्न के अनुसार निवेश करके बेहतर प्रतिफल प्राप्त कर सके। न्यास सेवानिवृत्ति/मृत्यु/इस्तीफे/चिकित्सा समाप्ति आदि के माध्यम से अलग किए गए कर्मचारियों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करता है।

यह उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि प्रबंध न्यासी निकाय नवंबर/दिसंबर 2019 को छोड़कर लगातार परिचालन में नहीं था। इसके अलावा, न्यासी बोर्ड की बैठक सुविधा के अनुसार हुई और अधिशेष निधि का निवेश करने का निर्णय उचित समय के अंदर नहीं लिया गया था।

इसके अलावा, रिलायंस कैपिटल, आईएल एंड एफएस और डीएचएफएल के ₹247.72 करोड़ (ईएसबीएफ के तहत ₹48.24 करोड़ और वीएसपीईपीएफ के तहत ₹199.48 करोड़) के एनपीए मामलों पर विचार करते हुए, दोनों बोर्डों (यानी ईएसबीएफ और वीएसपीईपीएफ न्यास) को निवेश करने के दौरान शामिल जोखिम को कम करने/कम करने में सलाह/सुझाव या उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करने की आवश्यकता थी।

यह उत्तर दिया गया (जनवरी 2024) कि इस मामले को समितियों के गठन के लिए आरआईएनएल के प्रबंधन के साथ उठाया जाएगा और निवेश समिति और जोखिम समिति के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा के बाद ईएसबीएफ नियमों में उचित संशोधन किया जाएगा।

4.5.1.2 न्यास का कामकाज

ईएसबीएफ न्यास के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि न्यासी बोर्ड की बैठक से पहले कार्यसूची मदों को प्रसारित नहीं किया जा रहा था। ईएसबीएफ नियमों के अनुसार, बैठक से 15 दिन पहले कार्यसूची मद प्रसारित की जानी थी।

प्रबंधन ने कहा (27 जनवरी 2024) कि पीएफ और वेतन अनुभाग की टीम ने एक व्हाट्सएप समूह बनाया था जिसमें सभी संचार किया गया था और बैठकों के समापन के बाद, बैठक के कार्यवृत्त रजिस्टर में न्यासियों के हस्ताक्षर लिए गए थे। इसके बाद संचार और पावती मिनटों में दर्ज की जाएगी। बैठक की सूचना देने की प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप ईएसबीएफ नियमों में उचित संशोधन किया जाएगा।

वीएसपी ईपीएफ न्यास के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि न्यास नियमों में न्यासी बोर्ड की बैठकों को बुलाने, बैठकों को स्थगित करने की प्रक्रिया और सामान्य और आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए नोटिस अवधि, विषय-वस्तुओं के प्रसार, कार्यसूची मदों आदि के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2024) कि वीएसपी ईपीएफ न्यास, पीएफ और वेतन अनुभाग टीम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें सभी संचार किया गया था और वे प्रत्येक न्यासी को बैठक की कार्यसूची और उद्धरणों के संकलन को भी प्रसारित कर रहे थे।

प्रबंधन के उत्तर में इस बात का प्रमाण देने के लिए दस्तावेज़ नहीं थे कि आधिकारिक माध्यमों से संचार किया गया था। इसके अलावा, व्हाट्सएप के माध्यम से संचार, संचार के आधिकारिक चैनलों का विकल्प नहीं हो सकता था।

4.5.2 निधि प्रबंधन

4.5.2.1 निवेश पैटर्न का अनुपालन

आरआईएनएल ईएसबीएफ और वीएसपी ईपीएफ न्यासों के न्यासी बोर्ड ने क्रमशः वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्नों का अनुपालन किया (जैसा कि **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है) ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान, न्यूनतम आवश्यक निवेश की तुलना में 'इक्विटी और संबंधित उपकरण' श्रेणी के तहत निवेश में कमी आई थी। ईएसबीएफ न्यास के संबंध में कमी ₹1.70 करोड़ (2018-19) से ₹7.02 करोड़ (2020-21) और वीएसपी ईपीएफ न्यास के संबंध में ₹0.90 करोड़ (2021-22) से ₹56.08 करोड़ (2020-21) के बीच थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश पैटर्न को प्रत्येक क्रमिक वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जो विशेष वित्तीय वर्ष के लिए नई अभिवृद्धि पर आधारित था, न कि संपूर्ण निवेश पर।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निवेश में वृद्धि/कमी देखी गई थी।

4.5.2.2 ईएसबीएफ न्यास द्वारा ब्याज दर की घोषणा

आरआईएनएल ईएसबीएफ नियमों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य का खाता हर साल 31 मार्च को बनाया जाएगा जो अंशदान और जमा ब्याज को दर्शाएगा। प्रबंध न्यासी प्रत्येक सदस्य को पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के हिसाब से खाते का विवरण प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई सदस्य सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्यथा के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान नियोक्ता की सेवा में नहीं रहता है, तो सेवा की समाप्ति

की ऐसी तिथि पर खाता बनाया जाएगा और ब्याज को ऐसे तिथि तक खाते में जमा किया जाएगा जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए लागू दर पर होगा।

2017-18 से 2021-22 तक के वर्षों के दौरान, ईएसबीएफ न्यास ने ईपीएफओ द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों के बराबर ब्याज दरों की घोषणा की और उन्हें जमा किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- ब्याज दर की घोषणा करते समय, न्यासियों ने आईएल एंड एफएस और रिलायंस कैपिटल में निवेश की गई ₹28.45 करोड़ की मूल धन के संभावित नुकसान (यानी उचित प्रावधान के बिना) पर विचार नहीं किया, जो क्रमशः अगस्त 2018 और सितंबर 2019 से ब्याज भुगतान में चूक गया था, यानी तीन साल से अधिक समय से।
- प्रावधान पर विचार न करने के कारण ईएसबीएफ न्यास से अलग हुए सदस्यों को लाभ जिससे उन्हें अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान किया गया, जिससे मौजूदा सदस्यों की भविष्य की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2024) कि हर साल ईएसबीएफ के न्यासी बोर्ड द्वारा ब्याज दरों की घोषणा की जाती थी। आईएल एंड एफएस और रिलायंस कैपिटल आदि के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों को भी न्यासी बोर्ड के ध्यान में लाया गया। 2022-23 तक, न्यास ₹16.29 करोड़ के अधिशेष के साथ बंद हुआ और न्यासियों के बहुमत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी था।

हालांकि, कुछ प्रतिभूतियों पर निवेश का संभावित नुकसान हुआ था, जिन पर ब्याज दर घोषित करते समय विचार नहीं किया गया था।

4.5.3 सदस्यों के हितों का संरक्षण

योजनाओं के अभिदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र का प्रबंधन स्वयं आरआईएनएल द्वारा किया गया था। शिकायतें संयंत्र परिसर के अंदर स्थित वेतन और पीएफ अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों से प्राप्त हुईं। इसके अलावा, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए और उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए, आरआईएनएल द्वारा अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारी कल्याण सहायक (एसईडब्ल्यूए) के रूप में जाना जाने वाला एक अलग अंतिम निपटान प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो आरआईएनएल ईएसबीएफ न्यास और न ही वीएसपी ईपीएफ न्यास के पास शिकायतों और आपत्तियों को संभालने के लिए अपना स्वयं का शिकायत निवारण तंत्र था। इसके अलावा, योजना अभिदाताओं से आरआईएनएल द्वारा प्राप्त शिकायतों से संबंधित रिकॉर्ड और विवरण लेखापरीक्षा को यह सत्यापित करने के लिए प्रदान नहीं किए गए थे कि शिकायतें प्राप्त की गई हैं और उचित रूप से संबोधित की गई हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि शिकायतें प्राप्त हुईं और आरआईएनएल के शिकायत निवारण प्रबंधन प्रकोष्ठ और सेवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हल की गईं।

यह उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि ईपीएफ ओर ईएसबीएफ लाभार्थियों की शिकायतों को प्राप्त करने, दर्ज करने और समय पर उनका समाधान करने के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

सिफारिश सं. 30

आरआईएनएल न्यासी बोर्ड की बैठकों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है और निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कर सकता है।

4.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड, जिसे पहले मेटालॉजिकल और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

मेकॉन के निदेशक मंडल ने अपनी 232वीं बैठक (25 अक्टूबर 2018) में मेकॉन कर्मचारी समूह पेंशन योजना नामक, पेंशन योजना की शुरुआत को मंजूरी दी। पेंशन योजना की शुरुआत की तिथि 1 मई 2019 थी। सभी कार्यकारी कर्मचारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है और 1 जनवरी 2007 से और 31 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे क्रमशः 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2012 से पेंशन के लिए पात्र थे।

मेकॉन कर्मचारी समूह पेंशन योजना की शुरुआत से पहले, मेकॉन के कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत शामिल किए गए थे। इस प्रकार, वर्तमान में मेकॉन के कर्मचारियों के लिए दो पेंशन योजनाएं चालू हैं, अर्थात कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत और मेकॉन कर्मचारी समूह पेंशन योजना।

मार्च 2024 तक, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में अभिदाताओं की संख्या 1,325 थी, जबकि समूह पेंशन योजना में 2,093 अभिदाता थे। ईपीएफ योजना की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) ₹779.96 करोड़ थी। मेकॉन कर्मचारी समूह पेंशन योजना एक परिभाषित अंशदान योजना थी जिसमें कर्मचारी का अंशदान वैकल्पिक था। समूह पेंशन योजना के तहत नियोक्ता का अंशदान कंपनी द्वारा किए गए लाभों की मात्रा पर निर्भर करता था जो अधिवर्षिता लाभ के 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के अधीन था और बोर्ड ने हर साल प्रतिशत तय किया।

भारतीय जीवन बीमा निगम को मेकॉन कर्मचारी समूह पेंशन योजना के लिए निधि प्रबंधक और वार्षिकी प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। पेंशन योजना के प्रबंधन और संचालन के लिए गठित न्यास को निधि हस्तांतरित की गई थी। न्यास ने कर्मचारी-वार नियोक्ता के अंशदान को एलआईसी (निधि प्रबंधक) को भेजा। प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्राप्त निधि पर तिमाही आधार पर ब्याज जमा किया गया। इस प्रकार नियोक्ता के अंशदान और एलआईसी द्वारा जमा किए गए ब्याज से निधि संचय के माध्यम से एक कॉर्पस बनाया गया था। सेवा से अधिवर्षिता पर, निधि जमा और लाभार्थी द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर एलआईसी द्वारा वार्षिकी खरीदी गई थी और लाभार्थी को तदनुसार वार्षिकी का भुगतान किया गया था। मेकॉन की ऐसी वार्षिकी या वार्षिकी द्वारा सुरक्षित लाभों के हकदार किसी भी लाभार्थी को भुगतान करने के लिए कोई देयता नहीं थी।

4.6.1 शासकीय ढाँचा

मेकॉन के निदेशक मंडल ने मेकॉन में कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत को (अक्तूबर 2018) मंजूरी दी और मेकॉन और कंपनी के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों जिन्हें "न्यासी" कहा जाता है, के बीच 11 मार्च 2019 को न्यास विलेख पर हस्ताक्षर किए गए। पेंशन योजना को लागू करने के लिए पांच सदस्यीय पेंशन न्यास (दिसंबर 2018) का गठन किया गया था। न्यास विलेख के अनुसार, न्यासी के पास निधि प्रबंधक (एलआईसी) को प्रेषण तक न्यास निधि की संपूर्ण अभिरक्षा, प्रबंधन और नियंत्रण होगा।

4.6.1.1 न्यासियों की बैठकें

न्यास विलेख में यह प्रावधान किया गया था कि न्यासियों के बोर्ड की बैठक व्यवसाय के प्रेषण के लिए आयोजित की जा सकती है और वे अपनी बैठकों और कार्यवाहियों को स्थगित कर सकते हैं और अन्यथा विनियमित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें। प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक न्यासी को कम से कम सात दिनों की लिखित नोटिस प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, यदि सभी न्यासी लिखित सहमति देते हैं तो अल्पावधि नोटिस के साथ बैठक बुलाई जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2024 तक न्यासियों की चार बैठकें हुईं, लेकिन बैठक से पहले सदस्यों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालाँकि, अप्रैल 2024 से सदस्यों को नोटिस जारी किए गए थे, हालांकि इन बैठकों के लिए सात दिनों से भी कम समय का नोटिस दिया गया था।

इसके अलावा, बैठकें आयोजित करने के लिए कोई परिभाषित समयावधि नहीं थी। न्यासियों के बोर्ड के लिए नियमित रूप से मिलने के लिए बाध्यकारी दायित्व के बिना, मेकॉन कर्मचारी समूह पेंशन योजना से संबंधित व्यवसाय का सुचारू और समय पर प्रेषण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2024) कि न्यास की अंतिम बैठक 12 मई 2023 को आयोजित की गई थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, भविष्य में बैठकों की आवृत्ति की आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

इस उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि न्यास को कर्मचारियों के अंशदानों की सुरक्षा, समय पर धन के प्रेषण को सुनिश्चित करने, निधि प्रबंधक के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी। नियमित बैठकों के अभाव में, लेखापरीक्षा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में न्यास के प्रदर्शन का प्रभावी ढंग से आकलन नहीं कर सका।

4.6.2 निधि प्रबंधन

निदेशक मंडल द्वारा एलआईसी को निधि प्रबंधक और वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। मेकॉन लिमिटेड और कर्मचारियों के अंशदानों को एलआईसी की नई समूह अधिवर्षिता कैश एक्युमुलेशन स्कीम (आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित) में निवेश किया गया था। एलआईसी और मेकॉन लिमिटेड ने एक समझौता किया था, जिसके अनुसार न्यास को प्रत्येक सदस्य के लिए अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी) को स्थानांतरित करना था और एलआईसी को अभिदाताओं को योजना लाभ प्रदान करना था। उक्त योजना परिभाषित अंशदान योजना थी जो एक गैर-लिंक्ड और

गैर-भागीदारी योजना है। योजना के तहत, एलआईसी द्वारा व्यक्तिगत सदस्य-वार नीति लेखाओं का रख-रखाव किया जा रहा था।

4.6.3 अभिदाताओं के हित का संरक्षण

4.6.3.1 शिकायत निवारण तंत्र

संगठन के पास शिकायत निवारण नीति लागू नहीं थी। 1 मई 2019 को अपनाए गए मेकॉन कर्मचारी समूह पेंशन नियमों में शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं पाया गया। शिकायत निवारण नीति और तंत्र की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा प्रबंधन द्वारा शिकायत प्रबंधन की प्रभावशीलता पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के बारे में पूछताछ करने पर, प्रबंधन ने सूचित किया कि सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से लाभार्थियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2024) कि पेंशन, अधिवर्षिता के बाद चिकित्सा लाभ योजना आदि से संबंधित पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए मानव संसाधन विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, कंपनी के पास एक मेल-आईडी exemphelp@meconlimited.co.in है जहां शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

शिकायत निवारण नीति और तंत्र के मुद्दे पर उत्तर नहीं दिया गया।

ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम 1952 के तहत छूट प्राप्त स्वायत्त निकायों, अर्थात् कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025):

- भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए शासकीय और अनुपालन ढांचे का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित न्यासी बोर्डों द्वारा किया जाता था, जिसमें परिचालन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए छोड़ दिया गया था।
- जबकि अधिकांश न्यास निवेश दिशानिर्देशों का पालन कर रहे थे, न्यासी बैठकों में देरी, जोखिम प्रबंधन नीतियों की अनुपस्थिति और संरचित शिकायत निवारण तंत्र की कमी से मजबूत निरीक्षण की आवश्यकता का संकेत मिलता है। पहुंच और उत्तरदेही में सुधार के लिए शिकायत निवारण तंत्र को और सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- आगे विचार-विमर्श और आवश्यक अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा सिफारिशों को विधिवत नोट किया गया था।

4.7 कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड

कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) का गठन (सितम्बर 1952) डॉक वर्कर्स (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5 ए के तहत 15 सदस्यीय बोर्ड के रूप में किया गया था, जिसमें सरकार, श्रमिक संघों और डॉक वर्कर्स/शिपिंग कंपनियों के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले

सदस्यों की समान संख्या शामिल थी। सीडीएलबी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। सीडीएलबी का मुख्य कार्य कोलकाता पत्तन में पंजीकृत डॉक श्रमिकों के रोजगार के विनियमन के लिए दो योजनाओं का प्रशासन करना था, अर्थात् कलकत्ता डॉक वर्कर्स (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 और कलकत्ता डॉक लिपिकीय और पर्यवेक्षी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970

सीडीएलबी में सेवानिवृत्ति लाभ में गैर-अंशदायी भविष्य निधि (एनसीपीएफ) और परिभाषित लाभ पेंशन शामिल थे। 31 मार्च 2024 तक, एनसीपीएफ योजना में अभिदाताओं की संख्या 54 थी और प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) ₹83.23 करोड़ थी। गैर-अंशदायी भविष्य निधि का विवरण **अनुलग्नक-XVI** में दिया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक, सीडीएलबी में 3,826 पेंशनभोगी थे।

4.7.1 शासकीय ढाँचा

एनसीपीएफ निधि का प्रशासन सीडीएलबी (कर्मचारी) एनसीपीएफ नियम और सीडीएलबी (पंजीकृत श्रमिक) एनसीपीएफ नियमों के अनुसार गठित न्यासी बोर्ड (बीओटी) द्वारा किया जाता था। उक्त निधियों के लिए न्यासी बोर्ड की संरचना **अनुलग्नक-XVII** में दी गई है।

4.7.1.1 सीडीएलबी का कानूनी ढाँचा

भविष्य निधि अधिनियम, 1925 को पहले भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग (वित्त मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय) के तहत व्यवसाय आवंटन नियमों में शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, सरकार ने जून 2018 में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 का प्रशासन श्रम और रोजगार मंत्रालय को आवंटित कर दिया।

भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की अनुसूची में उन संस्थानों की सूची है जिन पर यह अधिनियम लागू होता है। रिकॉर्ड की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीडीएलबी कर्मचारियों और श्रमिकों के भविष्य निधि को भविष्य निधि अधिनियम 1925 कि 2019 में नवीनतम संशोधन के तहत अधिसूचित संस्थानों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि सीडीएलबी कर्मचारियों और पंजीकृत डॉक श्रमिकों का भविष्य निधि अधिनियम, 1925 द्वारा शासित था। सीडीएलबी का नाम मूल अधिनियम, 1925 के अनुलग्नक की अनुसूची के क्रमांक 74 के तहत शामिल किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर अधूरा था क्योंकि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत संस्थानों की नवीनतम सूची (2019) में सीडीएलबी को शामिल नहीं करने का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा सीडीएलबी कर्मचारियों और श्रमिकों की भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का पता नहीं लगा सका।

4.7.2 निधि प्रबंधन

एनसीपीएफ नियम 1972 के अनुसार, निधि के प्रयोजन के लिए तत्काल आवश्यक नहीं होने वाली निधि की सभी धनराशि को न्यासी मंडल द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 और भारतीय

न्यास अधिनियम, 1882 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत किसी भविष्य निधि या किसी न्यास की धन के निवेश के लिए समय-समय पर अधिकृत प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

4.7.2.1 निवेश पैटर्न

एनसीपीएफ नियमों में निवेश पैटर्न निर्धारित नहीं किया गया था। विशिष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि निधि को मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉन्ड और अन्य बॉन्ड और राज्य या केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत जमा/प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था।

यह देखा गया कि हर साल, बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर घोषित की गई थी, चाहे निवेश पर अर्जित प्रतिफल कुछ भी हो। 2017-18 और 2023-24 के बीच, निवेश पर अर्जित प्रतिफल 7.05 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि के लिए निवेश पैटर्न पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारणों के बारे में पूछताछ करने पर, प्रबंधन ने सूचित किया (अक्टूबर 2023) कि सीडीएलबी के लिए उक्त दिशानिर्देशों का पालन करना बाध्यकारी नहीं है।

4.7.2.2 पेंशन की स्थिरता

सीडीएलबी कर्मचारी पेंशन और उपदान नियम 1 अप्रैल 1972 से लागू हुए और सीडीएलबी कर्मचारी पेंशन और उपदान नियम 1 जनवरी 1979 से लागू हुए। सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारी/श्रमिक नियमों के अनुसार पेंशन के संराशीकृत मूल्य के लाभों के साथ बोर्ड से मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र थे।

कलकत्ता डॉक लिपिकीय एंड पर्यवेक्षी श्रमिक(रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 और कलकत्ता डॉक वर्कर्स (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 ने संबंधित बोर्डों को पंजीकृत नियोक्ताओं से अंशदान वसूल करके कल्याण निधि, भविष्य निधि, उपदान निधि और अन्य विशिष्ट-उद्देश्य निधि को बनाए रखने और प्रशासित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, कलकत्ता डॉक लिपिकीय एंड पर्यवेक्षी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना ने उनके संचालन के लिए बोर्ड द्वारा तैयार किए गए नियमों के साथ एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति निधि या अन्य आवश्यक निधियों के निर्माण के लिए प्रदान किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- कलकत्ता डॉक लिपिकीय एंड पर्यवेक्षी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 और कलकत्ता डॉक वर्कर्स (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार कोई पेंशन निधि नहीं बनाई गई थी।
- सामर्थ्य के आधार पर सीडीएलबी की कमाई से पेंशन वितरित की जा रही थी। लेखापरीक्षा वर्षों के दौरान सीडीएलबी की बैलेंस शीट से पता चला कि सीडीएलबी पेंशन के लिए किसी भी मार्किंग निवेश के बिना पेंशन निधि के लिए प्रावधान बनाए हुए था। वर्ष 1999 में वित्तीय नुकसान के बाद वर्षों से किया गया निवेश समाप्त हो गया। केवल पुस्तक प्रविष्टि या प्रावधान किया जा रहा था और चिन्हित/अक्षय निधि के तहत सामान्य योजना की बैलेंस शीट में दिखाया गया था।

लेकिन किसी वित्तीय संस्थान या निधि प्रबंधक के पास अलग से निवेश/जमा की गई कोई समकक्ष निधि नहीं थी।

- चूंकि पेंशन का भुगतान आय से किया जा रहा था, इसलिए पेंशन, महंगाई राहत, कम्यूटेशन आदि के संशोधन से संबंधित बकाया देनदारी 31 मार्च 2023 को ₹967.38 करोड़ थी।
- अप्रैल 2023 में, सीडीएलबी ने सेवानिवृत्त और वर्तमान श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए वार्षिकी की खरीद मूल्य प्राप्त करने के लिए एलआईसी से संपर्क किया, ताकि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को पेंशन निधि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के लिए अद्यतन निधि की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। 31 मार्च 2023 तक, वर्तमान पेंशन के वितरण के लिए एलआईसी के पास पेंशन निधि बनाने की अनुमानित लागत, बकाया देनदारियों को छोड़कर ₹931.68 करोड़ थी।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2023) उत्तर दिया कि 1990 के दशक के दौरान, बोर्ड की वित्तीय स्थिति कमजोर होने लगी। पेंशन देयता बोर्ड की आय से पूरी की गई थी। हालाँकि, समय के साथ पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण, आय से पेंशन देनदारियों का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया। अंततः 2005 में, पेंशन और उपदान नियमों को भुगतान के लिए 'सामर्थ्य' खंड डालकर संशोधित किया गया था। बोर्ड ने बकाया पेंशन देनदारियों के निर्वहन और पेंशन निधि के सृजन के लिए मंत्रालय से वित्तीय सहायता मांगी थी, लेकिन वह अभी तक साकार नहीं हो पाई है।

यह उत्तर पेंशन निधि की स्थापना न करने को उचित नहीं ठहराता है। पेंशन निधि कॉर्पस के निर्माण से अभिदाता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती थी।

4.7.3 अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

4.7.3.1 शिकायत निवारण प्रबंधन

कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) को बोर्ड के कार्यालयों में पेंशनभोगियों से ऑफ़लाइन मोड में शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें पेंशन विभाग और श्रम स्थापना अनुभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा निपटाया गया। सीडीएलबी के पास शिकायत निवारण के लिए अपना स्वयं का ऑनलाइन पोर्टल नहीं था और ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त करने के लिए सीपीग्राम का उपयोग किया गया था। उप अध्यक्ष, सीडीएलबी ने निदेशक, शिकायत के रूप में कार्य किया। 2017-18 से 2022-23 के दौरान, सीपीजीआरएएमएस पर कुल 140 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 139 शिकायतों का निपटारा किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीडीएलबी के पास शिकायत निवारण नीति नहीं थी जो दायरे और प्रयोज्यता, शिकायतों को दर्ज करने के चैनल, विभिन्न शिकायतों को हल करने के लिए अनुमानित समय, शिकायत निपटान तंत्र और प्रतिक्रिया तंत्र जैसे विवरण प्रदान करे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि मौजूदा पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए जनवरी 2023 में एक पेंशन समिति का गठन किया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है क्योंकि पेंशन समिति को मौजूदा पेंशनभोगियों की शिकायतों को उनके जीवनसाथी के साथ संयुक्त खातों के प्रावधान के संबंध

में संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रकार, इस समिति का गठन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया था और यह विशेष रूप से शिकायतों का निवारण नहीं करती थी।

सिफारिश सं. 31

सीडीएलबी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (2019 में संशोधित) की प्रयोज्यता के मुद्दे को श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ उठा सकता है।

4.8 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना 1963 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत के बाहय व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान करने के लिए की गई थी। संस्थान को 2002 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया गया था। आईआईएफटी के पास वर्तमान में अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए तीन योजनाएं हैं, अर्थात कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) समूह अधिवर्षिता योजना (नवंबर 1999 से नवंबर 2004 के बीच शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) जो 1 अप्रैल 2016 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

आईआईएफटी की अंशदायी भविष्य निधि

आईआईएफटी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के तहत शासित था। 6 मार्च 1982 से, आईआईएफटी ने कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि नियम, 1982 को अपनाया। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के आधार पर आईआईएफटी द्वारा अंशदायी भविष्य निधि नियमों से संबंधित नियम तैयार किए गए थे। मार्च 2023 तक, आईआईएफटी अंशदायी भविष्य निधि (एयूएम) में 52 अभिदाता और ₹34.28 करोड़ की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां थी।

4.8.1 शासकीय ढाँचा

आईआईएफटी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत शासित थी और निधि के प्रशासन और प्रबंधन के लिए कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1982 को अपनाया था। सीपीएफ नियमों के अनुसार, निधि को एक 'अपरिवर्तनीय न्यास' के रूप में गठित किया जाएगा और इसका प्रशासन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें निदेशक, रजिस्ट्रार, निदेशक द्वारा नामित एक अधिकारी और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रतिनिधि की उपस्थिति में संस्थान के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में से चुने जाने वाले निधि के सदस्यों के तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे। निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

4.8.1.1 आईआईएफटी द्वारा सीपीएफ न्यास का पंजीकरण

सीपीएफ नियमों, 1982 के अनुसार, निधि का गठन एक 'अपरिवर्तनीय न्यास' के रूप में किया जाएगा। न्यासी के हाथों में निधि से संबंधित कोई भी धन किसी भी बहाने से संस्थान द्वारा वसूल नहीं किया जाएगा और न ही संस्थान का किसी भी प्रकार का कोई ग्रहणाधिकार या प्रभार होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आईआईएफटी भविष्य निधि न्यास एक अलग कानूनी इकाई नहीं थी। यह आईआईएफटी की एक इकाई थी जो सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी थी।

आईआईएफटी के पास कोई न्यास विलेख उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, न्यास ने आयकर विभाग के साथ पैन के लिए आवेदन नहीं किया था। इस कारण से, न्यास की सावधि जमा के ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती को उचित रूप से लेखांकित नहीं किया गया था।

आईआईएफटी ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सीपीएफ न्यास के पंजीकरण से संबंधित रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सका। आईआईएफटी ने अप्रैल 2014 से संबंधित नोट शीट की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसमें आईआईएफटी ने सीपीएफ न्यास को पूर्वव्यापी रूप से (1982 से) पंजीकृत कराने के लिए कुछ प्रयास किए थे।

4.8.1.2 न्यासी बोर्ड की बैठकें

आईआईएफटी सीपीएफ नियम, 1982 के संदर्भ में, न्यासी बोर्ड को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना था और बोर्ड के कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति, जिनमें से दो कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे, किसी भी बैठक में कोरम का गठन करना था। लेखापरीक्षा को न्यासी बोर्ड की बैठकों का कोई सबूत नहीं मिला। आईआईएफटी द्वारा न्यासी बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त से संबंधित कोई फाइल/रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था।

4.8.1.3 लेखाओं की तैयारी और लेखाओं का लेखा परीक्षण करना

आईआईएफटी सीपीएफ नियमों में यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च के तुरंत बाद, 31 मार्च को एक बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। बैलेंस शीट और लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रतिवर्ष संस्थान के लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी। बैलेंस शीट की एक प्रति हर साल क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजी जाएगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आईआईएफटी सीपीएफ न्यास के खाते नीचे दिए गए विवरण के अनुसार तैयार किए गए हैं :

तालिका 4.2: आईआईएफटी सीपीएफ के लेखाओं की तैयारी और इसकी लेखापरीक्षा की स्थिति

क्र.सं.	लेखाओं की अवधि	महीना/वर्ष जिसमें खाते तैयार किए गए हैं	जिस वर्ष में लेखापरीक्षा की गई
1	1999-2000 से 2001-02 (3 वर्ष)	दिसंबर 2005	2007
2	2002-03	फरवरी 2008	फरवरी 2008
3	2003-04 से 2006-07 (4 वर्ष)	जुलाई 2008	जुलाई /अगस्त 2008
4	2007-08	सितंबर 2008	सितंबर 2008
5	2016-17 से 2020-21 (5 वर्ष)	नवंबर 2022	दिसंबर 2022

जैसा कि देखा जा सकता है, सीपीएफ नियमों द्वारा अनिवार्य किए जाने के बावजूद वार्षिक लेखे आईआईएफटी द्वारा वार्षिक रूप से तैयार नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, आईआईएफटी सीपीएफ खातों की लेखापरीक्षा निर्धारित समय सीमा के अनुसार नहीं की गई थी।

नियमित वित्तीय रिपोर्टिंग और समय पर लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति संगठन के अंदर उत्तरदेही और पारदर्शिता को कमजोर करती है। वार्षिक खातों की तैयारी और समय पर लेखापरीक्षा के माध्यम से इन लेखाओं के सत्यापन के बिना, इस बात का कोई स्पष्ट, सटीक या अद्यतन रिकॉर्ड नहीं था, कि धन का प्रबंधन कैसे किया जा रहा था। निगरानी की इस कमी ने संसाधनों के आवंटन में किसी भी वित्तीय कुप्रबंधन, त्रुटियों या विसंगतियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण बना दिया।

आईआईएफटी ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (दिसंबर 2023) कि इस बात पर ध्यान दिया गया है, और पीएफ लेखापरीक्षा समय पर की जाएगी।

4.8.2 निधि प्रबंधन

4.8.2.1 निवेश दिशानिर्देशों का पालन

सीपीएफ न्यास नियम, 1982 के अनुसार, निधि से संबंधित समस्त धन का निवेश, यदि सदस्यों को कोई भुगतान करने के लिए तत्काल आवश्यक नहीं है, सेवानिवृत्त सदस्यों को ऋण और पूर्ण राशि का भुगतान करने के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर समय-समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेशों के अनुसार केवल अनुमोदित केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निवेश पैटर्न को अधिसूचित (मई 2015) किया है और इसे **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है। मार्च 2023 तक, आईआईएफटी सीपीएफ न्यास के पास प्रबंधन के तहत ₹34.28 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें से ₹29.04 करोड़ बैंक की सावधि जमा और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निवेश के लिए निर्धारित पैटर्न के उल्लंघन में, आईआईएफटी ने निवेश की कुल राशि के 45 प्रतिशत की अधिकतम अनुमत सीमा के मुकाबले बैंकों और ऋण प्रतिभूतियों में सावधि जमा में 85 प्रतिशत धनराशि का निवेश किया। आईआईएफटी द्वारा अपने कर्मचारियों के सीपीएफ अंशदान के लिए घोषित और भुगतान की गई दरें और संबंधित वर्षों में उनके द्वारा उत्पन्न प्रतिफल नीचे दिए गए हैं।

तालिका 4.3: आईआईएफटी-सीपीएफ द्वारा अर्जित और घोषित ब्याज

वित्तीय वर्ष	घोषित ब्याज दर	अर्जित की गई ब्याज दर
2017-18	8.55%	6.58%
2018-19	8.65%	9.11%
2019-20	8.50%	6.63%
2020-21	8.50%	7.59%
2021-22	8.10%	7.57%
2022-23	8.15%	--

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एक वित्तीय वर्ष (2018-19) को छोड़कर अर्जित ब्याज घोषित दरों से कम था।

इस प्रकार, भविष्य निधि के निवेश के लिए निर्धारित पैटर्न से विचलन के कारण निधियों का क्षरण हुआ और 31 मार्च 2023 तक आईआईएफटी सीपीएफ न्यास के खाते में घाटा लगभग ₹5.58 करोड़ था।

आईआईएफटी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि पीएफ निधि न्यास द्वारा प्रबंधित किए गए थे, और अनुमोदित पीएफ नियमों के अनुसार, निधि को एसबीआई/राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश किया जाना था। आईआईएफटी ने आगे कहा कि विभिन्न प्रतिभूतियों में धन को निवेश करना राष्ट्रीयकृत बैंकों में एफडी में निवेश करने की तुलना में अधिक जोखिम भरा था, जो स्थिर प्रतिफल अर्जित करता था और सुरक्षित था। आईआईएफटी ने यह भी कहा कि यह भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत है और इसलिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश इस पर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, चूंकि आईआईएफटी सीपीएफ नियम, 1982 के तहत शासित था, जिसके अनुसार समय-समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेशों के अनुसार निवेश किया जाएगा, इसलिए निवेश इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया जाना चाहिए था।

4.8.3 अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

4.8.3.1 सीपीएफ खातों के रखरखाव के लिए आईआईएफटी द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणाली

आईआईएफटी सीपीएफ नियम 1982 के संदर्भ में, सदस्यता के खातों के रखरखाव के संबंध में, प्रत्येक अभिदाता के लिए अलग खाते बनाए जाएंगे जो उसके द्वारा अंशदान की गई राशि, उस पर अर्जित ब्याज, उसके द्वारा निकाली गई राशि और उसके क्रेडिट में बकाया कुल राशि को दर्शाते हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों को एक पासबुक प्रदान की जानी थी ताकि वे वार्षिक विवरण की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकें और किसी भी त्रुटि को न्यासियों के ध्यान में लाया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) इस प्रणाली ने सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में उपलब्ध राशि से अधिक निकासी की अनुमति दी और इसलिए कई सदस्यों की शेष राशि नकारात्मक अंकों में दिखाई गई।

(ii) जिन कर्मचारियों ने अधिवर्षिता प्राप्त कर ली थी और पीएफ राशि का अंतिम भुगतान आईआईएफटी द्वारा जारी कर दिया गया था। उन्हें अभी भी नकारात्मक शेष राशि वाले मौजूदा सदस्यों की सूची में दिखाया जा रहा था।

(iii) जिन कर्मचारियों ने एनपीएस में स्थानांतरण किया था (मौजूदा कर्मचारियों के लिए सीपीएफ से एनपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प) और पीएफ खाते से अतिरिक्त निकासी प्राप्त की थी, उन्हें अभी भी सीपीएफ अभिदाताओं की सूची में दिखाया जा

रहा था, जिनमें शेष राशि (नकारात्मक में दिखायी गयी) थी, जो संबंधित कर्मचारियों से वसूल की जा सकती थी।

(iv) लेखापरीक्षा द्वारा चुने गए सैंपल मामलों में, लेखापरीक्षा द्वारा व्यक्तिगत खाते के अंतिम और प्रारंभिक शेष राशि में अंतर देखा गया। आईटी प्रणाली को अंतिम और प्रारंभिक शेष राशि में अंतर के समस्या के समाधान के लिए डिजाइन नहीं किया गया था।

(v) आईआईएफटी ने पिछले वर्षों में कर्मचारियों को कोई पासबुक या खातों का वार्षिक विवरण प्रदान नहीं किया।

उपर्युक्त कमियों ने सिस्टम के डिजाइन और इसके परिचालन निष्पादन दोनों में कई महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया। इन त्रुटियों के कारण व्यक्तिगत अभिदाताओं के अंशदान और निकासी की प्रभावी ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न हुई। इसके अलावा, कर्मचारियों को वार्षिक विवरण या पासबुक प्रदान करने में विफलता ने उन्हें अपने खाते की शेष राशि को सत्यापित करने और किसी भी विसंगति की पहचान करने के अवसर से वंचित कर दिया, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदेही कमजोर हुई।

आईआईएफटी ने अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2023) कि उन्होंने वर्ष 2022-23 से कर्मचारियों को पासबुक या पीएफ खातों का वार्षिक विवरण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सिफारिश सं. 32

बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठा सकता है कि आईआईआईएफटी के पीएफ न्यास का एक अलग कानूनी अस्तित्व हो। इसके अलावा, बोर्ड नियमित रूप से न्यास के लेखाओं की तैयारी सुनिश्चित कर सकता है, जैसा कि निर्धारित हैं। बोर्ड श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेशों के अनुसार निवेश करने के बारे में आईआईएफटी के सीपीएफ न्यास नियम 1982 में दिए गए प्रावधानों का भी पालन कर सकता है।

4.9 सारांश

छह पेंशन निधियों- कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत चार और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत दो की लेखापरीक्षा में उनके शासकीय, निधि प्रबंधन और अभिदाता सुरक्षा तंत्र में मजबूतियों और सुधार के क्षेत्रों का मिला-जुला रूप सामने आया।

ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड) के तहत प्रबंधित निधियों ने निवेश दिशानिर्देशों के व्यापक अनुपालन सहित बुनियादी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन प्रदर्शित किया। फिर भी सीसीआईएल में निधि प्रबंधन में समस्याएं और शिकायत निवारण नीति की कमी देखी गई। सीपीसीएल में, कोई विस्तृत निवेश/जोखिम प्रबंधन नीति नहीं थी और 2019-20 से 2023-24

की अवधि के लिए निवेश पर प्रतिफल की दरें वर्ष 2021-22 को छोड़कर घोषित प्रतिफल की दरों से कम थी। जहां तक आरआईएनएल का प्रश्न है, ईएसबीएफ न्यास के न्यीसी बोर्ड को कार्यसूची की मदें प्रसारित नहीं किए जाने के उदाहरण थे, इसके अलावा 2018-19 से 2021-22 के दौरान 'इक्विटी और संबंधित लिखत' श्रेणी के तहत निवेश में कमी आई थी। मेकॉन के मामले में, इसके न्यासी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए कोई परिभाषित आवृति नहीं थी, इसके अलावा शिकायत निवारण नीति और तंत्र का अभाव था।

भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान) के तहत प्रबंधित निधियों को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड के पास एक समर्पित पेंशन निधि की कमी और पेंशन का भुगतान करने के लिए अर्जित आय पर निर्भरता के परिणामस्वरूप पेंशन बकाया में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी प्रकार, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के न्यासी बोर्ड की बैठकों से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लेबर एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश नियमों से विचलन के अलावा लेखाओं की तैयारी में देरी के उदाहरण थे, जिनका अनुपालन उनके अपने सीपीएफ नियम, 1982 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना था।

संक्षेप में, जहाँ इन निधियों ने अपने संबंधित अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं उनके प्रदर्शन ने सुधार की आवश्यकता का संकेत दिया।

अध्याय-V

असंगठित क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं

अध्याय-V
असंगठित क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं

5.1 पृष्ठभूमि

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वृद्धावस्था के दौरान, जब श्रमिक कार्यरत नहीं रहते, मासिक आय प्रदान करती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास कार्यशील आयु के दौरान पेंशन योजनाओं में अंशदान करने के किसी औपचारिक साधन तक पहुंच नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के दीर्घायु संबंध जोखिमों का समाधान करने तथा उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 2010-11 में स्वावलंबन योजना (असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) शुरू की थी। हालाँकि, 60 वर्ष की आयु पर मुख्यतः सुनिश्चित पेंशन लाभों के अभाव के कारण, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कवरेज अपर्याप्त रहा।

सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए पेंशन क्षेत्र में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इस दिशा में, **अटल पेंशन योजना (एपीवाई)** मई 2015 में शुरू की गई थी, ताकि अंशदान और इसकी अवधि के आधार पर एक परिभाषित पेंशन प्रदान की जा सके। एपीवाई के तहत, अंशदाताओं को 60 वर्ष की आयु में, उनके अंशदान के आधार पर, ₹1,000/ ₹2,000/ ₹3,000/ ₹4,000/ ₹5,000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। जो अंशदान की राशि एपीवाई में शामिल होने की आयु पर आधारित होगी।

सरकार ने 2017 में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भविष्य में ब्याज दरों में संभावित गिरावट के कारण उनकी ब्याज आय में होने वाली कमी से संरक्षण प्रदान करने के लिए **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना**[27] **(पीएमवीवीवाई)** प्रारंभ की। यह योजना सदस्यता के रूप में अंशदान किए गए प्रारंभिक कॉर्पस पर एक निश्चित न्यूनतम आश्वासित प्रतिफल प्रदान करती है। यह योजना प्रति वर्ष 8.30 प्रतिशत[28] का आश्वासित प्रतिफल प्रदान करती है तथा इसका कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अंतरिम बजट वर्ष 2019-20 में, सरकार ने ₹15,000 तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) नामक पेंशन योजना प्रारंभ की थी। यह पेंशन योजना उन्हें उनके कार्यशील

---

[27] वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को 2003 में पीएमवीवीवाई के समान लाभों के साथ प्रारम्भ किया गया जिसे वर्ष 2015 तक विस्तारित किया गया।

[28] प्रति वर्ष आठ प्रतिशत का आश्वासित प्रतिफल जो मासिक रूप से देय था, जो कि प्रति वर्ष 8.30 प्रतिशत (वार्षिकीकृत) के समतुल्य है।

आयु के दौरान एक छोटी वहनीय मासिक अंशदान के भुगतान पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ₹3,000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करेगी।

सरकार ने किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र (पेंशन के रूप में) सृजित करने की आवश्यकता महसूस की। अधिकांश किसान वृद्धावस्था में अपनी आजीविका खो देते है, क्योंकि उन्नत उम्र में शारीरिक श्रम करना मुश्किल हो जाता है। यह समस्या लघु एवं सीमांत किसानों के संबंध में और भी बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था के लिए न्यूनतम या कोई बचत नहीं होती है। इसलिए, सरकार ने लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक पेंशन योजना, नामतः **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई)** को एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना के रूप में पेश किया। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी।

उपर्युक्त के अलावा, एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना, नामतः, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) गरीब परिवारों को वृद्धावस्था, कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु और मातृत्व के मामले में सामाजिक सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में, एनएसएपी में पांच उप-योजनाएं शामिल हैं, नामतः (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीओएएनएस), (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), (iv) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), और (v) अन्नपूर्णा योजना।

एनएसएपी के तहत योजनाएं इस लेखापरीक्षा के दायरे में नहीं हैं, क्योंकि लाभ अनुदान के रूप में हैं और लाभार्थियों से कोई अंशदान प्राप्त नहीं होता है। लेखापरीक्षा के लिए चुनी गई योजनाएं, नामतः, एपीवाई, पीएमएसवाईएम, पीएमकेएमवाई और पीएमवीवीवाई अंशदायी योजनाएं हैं, जहां सरकार अभिदाताओं से अंशदान प्राप्त करती है, निधि का प्रबंधन करती है और योजना के अनुसार पात्र आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन का भुगतान करती है। इसके अलावा, परिभाषित लाभों को सरकार द्वारा अंतर वित्तपोषण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

प्रत्येक योजना विशिष्ट समूहों जैसे असंगठित श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, वरिष्ठ नागरिकों को सरकार के अंशदान द्वारा समर्थित न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। यह खंड इन योजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी पर प्रकाश डालते हुए उनका व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।

चयनित योजनाओं की विशेषताओं की तुलना निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित की गई है:

तालिका 5.1: भारत सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं की विशेषताएं

	एपीवाई	पीएमएसवाईएम	पीएमकेएमवाई	पीएमवीवीवाई
शुरुआत हुई	जून 2015	फरवरी 2019	अगस्त 2019	मई 2017
पात्रता	18-40 वर्ष के लोग जिनके पास बचत खाता है।	18-40 वर्ष के लोग जिनके पास बचत खाता है। मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं होनी चाहिए	छोटे और सीमांत किसान जो अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो संस्थागत भूमिधारक आदि नहीं हैं।	60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
लक्ष्य समूह	असंगठित क्षेत्र पर विशेष ध्यान	असंगठित क्षेत्र	लघु और सीमांत किसान (एसएमएफ)	वरिष्ठ नागरिक
शामिल एजेंसियां	वित्तीय सेवाएं विभाग, पीएफआरडीए और नामांकन एजेंसियां	श्रम और रोजगार मंत्रालय, एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटर	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटर	वित्तीय सेवाएं विभाग और एलआईसी
अभिदाता की संख्या (मार्च 2024)	641 लाख (मार्च 2025)	44.92 लाख	19.48 लाख	9.39 लाख
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां	₹46,023 करोड़ (मार्च 2025)	₹2,736.25 करोड़ (मार्च 2023)	₹609.82 करोड़ (मार्च 2023)	₹72,687 करोड़ (मार्च 2022)
प्रीमियम राशि	₹42/- से लेकर ₹7,778/- तक	₹55/- से ₹200/- प्रति माह तक	₹55/- से ₹200/- प्रति माह तक	अधिकतम अनुमत निवेश: ₹15 लाख
भारत सरकार का सह-अंशदान	मार्च 2016 से पहले शामिल होने वाले अभिदाताओं के लिए प्रीमियम का 50% (₹1,000 तक)।	50:50 भारत सरकार का समान अंशदान	50:50 भारत सरकार का समान अंशदान	लागू नहीं
पेंशन भुगतान आयु	60 साल	60 साल	60 साल	नामांकन की तिथि से
पेंशन राशि	विभिन्न न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन ₹1,000/₹2,000/ ₹3,000/₹4,000/ ₹5,000	₹3,000 की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन	₹3,000 की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन	अधिकतम मासिक पेंशन ₹9,250 10 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 8.30 प्रतिशत (वार्षिकीकृत प्रतिफल) का सुनिश्चित प्रतिफल
पारिवारिक पेंशन का प्रावधान	केवल पति या पत्नी को (100 प्रतिशत) और पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कॉर्पस की वापसी।	केवल पति या पत्नी को (50 प्रतिशत)	केवल पति या पत्नी को (50 प्रतिशत)	लागू नहीं

5.2 अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत जून 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए की गई थी। कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बचत बैंक खाता है और जो 18-40 वर्ष की आयु वर्ग में है, वह एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। एपीवाई के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹1,000 या ₹2,000 या ₹3,000 या ₹4,000 या ₹5,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन अभिदाताओं द्वारा उनकी चुनी हुई पेंशन राशि के लिए अंशदान के आधार पर शुरू होगी।

एक पात्र अभिदाता के संबंध में जो दिनांक 1 जून 2015 से दिनांक 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान योजना में शामिल हुआ था और जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभार्थी नहीं था और आयकर दाता नहीं था, भारत सरकार ने कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या ₹1,000 जो प्रति वर्ष भी कम हो, का सह- अंशदान दिया। उक्त सरकारी सह-अंशदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध था।

एपीवाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

योजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसीया का विवरण **अनुलग्नक-XVIII** में दिया गया है। योजना के लिए अंशदान चार्ट **अनुलग्नक- XIX** में दिया गया है।

5.2.1. नियोजन

अनुमोदित कैबिनेट नोट (मई 2015) के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान योजना के तहत दो करोड़ अभिदाताओं को नामांकित करने का अनुमान लगाया था।

5.2.1.1 एपीवाई के तहत नामांकन

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2015 तक दो करोड़ आबादी को नामांकित करने का प्रारंभिक लक्ष्य पांच साल की देरी के बाद केवल वित्तीय वर्ष 2020 तक ही प्राप्त किया गया। इसके अलावा, अगले पृष्ठ पर तालिका में दिखाया गया है कि 31 मार्च 2024 तक योजना में बने रहने वाले अभिदाताओं का अनुपात लगभग 51 प्रतिशत था।

तालिका 5.2: एपीवाई अभिदाताओं की निरंतरता

विवरण	एपीवाई खातों की संख्या	31.03.2024 तक निरंतर	निरंतरता[29] (%)
31.03.2016 तक खोले गए सक्रिय एपीवाई खाते	20,97,188	10,66,063	50.83
31.03.2023 तक खोले गए सक्रिय एपीवाई खाते	4,23,11,040	2,15,51,041	50.93

[29] *नियमित आधार पर मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप से जमा किए गए अंशदान।*

इसके अलावा, 11 अक्टूबर 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान निरंतरता के मुद्दे को रेखांकित किया गया, जिसमें वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को जारी रखने के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। समिति ने अभिदाताओं के कम निरंतरता दर के बारे में चिंता व्यक्त की।

कम निरंतरता दर योजना की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है क्योंकि यह निधि के निरंतर प्रवाह को बाधित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, निरंतरता का मुद्दा योजना की समग्र प्रभावशीलता के बारे में चिंता पैदा करता है।

5.2.1.2 लाभार्थियों का सत्यापन

एपीवाई योजना असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित थी, और यह निर्धारित किया गया था कि सरकारी सह-अंशदान की पात्रता के लिए, पात्र अभिदाता न तो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य होना चाहिए और न ही आयकरदाता होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना प्रारंभ होने के बाद से, अभिदाताओं, जो या तो करदाता थे या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी थे, की संख्या में काफी वृद्धि हुई। एपीवाई अभिदाताओं, की संख्या जो करदाता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी थे, की संख्या का सारांश नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 5.3: एपीवाई में नामांकित करदाता और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लाभार्थी

वर्ष	शामिल कुल अभिदाता	कुल अभिदाताओं में से करदाताओं की संख्या	कुल अभिदाताओं में से अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या	कुल अभिदाताओं में करदाता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना दोनों के लाभार्थियों की संख्या
2015-16	24,84,895	1,91,409	1,51,788	48,114
सितंबर 2022 तक	4,06,09,323	14,14,947	13,97,080	4,00,618

पात्रता के लिए एक अप्रभावी सत्यापन प्रक्रिया के कारण अपात्र अभिदाताओं को एपीवाई योजना में नामांकित किया गया। सत्यापन किए बिना केवल अभिदाताओं की स्व-घोषणा पर निर्भर रहने से योजना की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है और अपात्र लाभार्थियों को लाभ मिल सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र व्यक्तियों को सह-अंशदान प्राप्त हो, एक अधिक मजबूत सत्यापन तंत्र आवश्यक था।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2025) कि किसी भी सांविधिक सामाजिक योजना के तहत आयकर दाता और लाभार्थी के लिए वर्गीकरण एपीवाई के तहत नामांकन के समय भावी अभिदाता के स्व-घोषणा पर आधारित था। अभिदाता ने सत्य एवं सही जानकारी प्रस्तुत करने और प्रस्तुत की गई जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करने की घोषणा की। इसके अलावा, किसी भी झूठी या गलत जानकारी देने के मामले में भी अभिदाता को जिम्मेदार ठहराया और एपीवाई सेवा प्रदाताओं को नामांकन से पहले अभिदाता की पात्रता सुनिश्चित करने की

आवश्यकता थी। यह भी कहा गया कि 1 अक्टूबर 2022 से, प्रणाली ने स्वचालित रूप से पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया जहां करदाता की स्थिति 'हां' के रूप में दिखाई गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि 'करदाता' फ्लैग और 'अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी' फ्लैग ने पात्र अभिदाताओं को सरकारी सह-अंशदान देने के लिए अभिदाताओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए, केवल स्व-घोषणा पर निर्भर रहने के बजाय, अभिदाता की पात्रता को सत्यापित करने के लिए प्रणाली में जांच को शामिल करना आवश्यक था। इसके अलावा, डीएफएस ने दिनांक 10 अगस्त 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एपीवाई में नामांकन के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन किया। 01 अक्टूबर 2022 से, कोई भी नागरिक जो आयकर दाता था या है, वह एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

सिफारिश सं. 33
पीएफआरडीए आयकर प्राधिकारियों के साथ करदाता की स्थिति और पैन, आधार या व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं के किसी अन्य संयोजन जैसे आवश्यक पहचानकर्ताओं के माध्यम से अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनके नामांकन का सत्यापन करके एपीवाई लाभार्थी, जो आयकरदाता या अन्य सांविधिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी है, को हटा सकता है।

5.2.2 एपीवाई का कार्यान्वयन

5.2.2.1 विशिष्ट अभिदाताओं की पहचान

एपीवाई को 1 जून 2015 से लागू किया गया था और एपीवाई के लिए अनुमोदित कैबिनेट टिप्पणी में उल्लेख किया गया था कि एपीवाई में नामांकन के लिए, आधार प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज़ होगा, जिससे (ए) लाभार्थियों, (बी) पति या पत्नी और (सी) नामित व्यक्तियों की पहचान की जा सके, ताकि दीर्घकालिक अवधि में पेंशन अधिकारों और पात्रता से संबंधित विवादों से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की शुरुआत में प्राथमिक केवाईसी के रूप में उपयोग किए जाने वाले अभिदाता फॉर्म में न तो आधार अनिवार्य क्षेत्र के रूप में था और न ही किसी अन्य क्षेत्र को प्राथमिक केवाईसी के रूप में उपयोग करने के लिए अनिवार्य बनाया गया था।

पीएफआरडीए ने कहा (अक्टूबर 2024) कि बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा अभिदाताओं के मौजूदा केवाईसी विवरण का उपयोग बैंकों द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा भुगतान के समय, आधार को केवल विशिष्ट अभिदाताओं को लाभ प्रदान करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रणाली में डुप्लीकेट नामांकन की अनुमति देना और पेंशन भुगतान के समय उन अभिदाताओं को लाभ से वंचित करना जो विशिष्ट नहीं हैं, अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में नहीं है। इसके अलावा, डुप्लीकेट अभिदाताओं की उपस्थिति से सरकार द्वारा प्रशासनिक लागत और वित्तपोषण अंतराल से बचा जा सकेगा।

5.2.2.2 एपीवाई में लाभार्थियों की बहुलता

एपीवाई योजना के अनुसार, अभिदाताओं के पास केवल एक एपीवाई खाता होगा। तदनुसार, अभिदाता का पंजीकरण करते समय, बैंकों/एपीवाई सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी

कि केवल एक एपीवाई खाता एक बचत बैंक खाते से जोड़ा गया हो। संयुक्त खाते के मामले में, प्रत्येक धारक को एक ही बैंक खाते के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।

एपीवाई (प्रोटियन) के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी ने 19 सितंबर 2022 तक एपीवाई डेटाबेस से 4.54 करोड़ स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) का विवरण प्रदान किया। डेटा की प्रारंभिक जांच से पता चला कि ऐसा कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं था जिसका उपयोग प्राथमिक कुंजी के रूप में किया जा सकता था। इसलिए, लेखापरीक्षा ने अभिदाताओं के डेटा-बेस में प्रदान किये गये 'अभिदाता का नाम', 'जन्म-तिथि', 'लिंग', 'एनएलओओ पंजीकरण संख्या' (एपीवाई-सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली आईडी) और 'बैंक खाता संख्या' जैसे कई क्षेत्रों के संयोजन का उपयोग करके डी-डुप्लीकेशन अभ्यास किया। विभिन्न पद्धतियों ने थोड़ा अलग परिणाम दिया जैसा कि नीचे है:

तालिका 5.4: एपीवाई अभिदाता डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन के परिणाम का सारांश

क्र.सं.	डी-डुप्लीकेशन मानदंड	परिणाम
1	केवल 'बैंक खाता संख्या' पर डी-डुप्लीकेशन	1,25,211 विशिष्ट बैंक खाता संख्या 2,79,650 एपीवाई पीआरएएन से जुड़ें हैं
2	'अभिदाता का नाम' और 'बैंक खाता संख्या' के संयोजन पर डी-डुप्लीकेशन	27,216 बैंक खाता संख्या 57,088 एपीवाई पीआरएएन से जुड़ें है
3	5 मापदंडों नामता 'अभिदाता का नाम', 'जन्म-तिथि', 'लिंग', 'एनएलओओ पंजीकरण संख्या' और 'बैंक खाता संख्या' के संयोजन पर डी-डुप्लीकेशन	25,672 बैंक खाता संख्या 53,868 एपीवाई पीआरएएन से जुड़ें है

एपीवाई अभिदाताओं के उपर्युक्त डी-डुप्लीकेशन अभ्यास का परिणाम उन अभिदाताओं के लिए था जिनके बैंक खाता संख्या के साथ एक ही बैंक में कई पीआरएएन जुड़े हुए थे। तथापि, प्राथमिक क्षेत्र (आधार, पैन जैसी विशिष्ट आईडी) की अनुपस्थिति के कारण, लेखापरीक्षा उन अभिदाताओं का पता नहीं लगा सका जिनके विभिन्न बैंकों में बैंक खाता संख्या से जुड़े कई एपीवाई पीआरएएन हो सकते हैं।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वर्तमान में केंद्रीय रिकोर्ड-कीपिंग एजेंसी (सीआरए) प्रणाली में अभिदाता की कोई फोटो, हस्ताक्षर या पैन उपलब्ध नहीं था और खाता लाभार्थी के बैंक खाते से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार, कोई अन्य प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं था जिसका उपयोग डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में किया जा सके। पीएफआरडीए ने सीआरए को डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन यह प्रक्रिया केवल उसी बैंक के माध्यम से खोले गए एपीवाई खातों तक ही सीमित थी और एक विशिष्ट पहचानकर्ता के अभाव में बैंकों में डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया वर्तमान में संभव नहीं थी। पीएफआरडीए ने आगे कहा कि उसने वित्तीय सेवाएं विभाग से मौजूदा और नए खोले गए खातों के लिए आधार को अनिवार्य बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया था।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि सीआरए को पीएफआरडीए द्वारा एपीवाई के डी-डुप्लीकेशन पर निर्देश दिया गया था और इसके कार्यान्वयन की सीआरए की पुष्टि प्राप्त हो गई थी। यह भी कहा गया कि योजना के तहत कई पेंशन को रोकने के लिए आधार को निकास (60 वर्ष की आयु) पर अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि चूंकि योजना सनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करती है और सरकार वित्तपोषण-अंतर प्रदान कर रही है, डुप्लीकेट की उपस्थिति से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।

सिफारिश सं. 34

वित्तीय सेवाएं विभाग और पीएफआरडीए संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विभिन्न बैंकों में डी-डुप्लीकेशन की सुविधा के लिए सभी एपीवाई अभिदाताओं के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता दर्ज किया गया है।

5.2.3 निधि प्रबंधन

एपीवाई की अधिसूचना के अनुसार, एपीवाई के तहत एकत्र की गई राशि को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पद्धति के अनुसार निवेश किया जाएगा। निवेश पद्धति और पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा उत्पन्न प्रतिफल **अनुलग्नक-XX** में दिए गए हैं।

5.2.3.1 बीमांकिक मूल्यांकन

अनुमोदित कैबिनट नोट (मई 2015) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें यह कारण बताया गया था कि एपीवाई एक परिभाषित लाभ योजना थी और प्रतिफल की वांछित दर और वास्तविक दर के बीच किसी भी अंतर को सरकार द्वारा पूरा करने की आवश्यकता होगी। निश्चित पेंशन देयता के संबंध में निधि की स्थिति जानने के लिए योजना का बीमांकिक मूल्यांकन किया जाएगा।

एपीवाई योजनाओं के लिए वर्ष 2018, 2020 और 2021 के दौरान तीन बीमांकिक मूल्यांकन किए गए और इन तीन वर्षों में क्रमशः ₹1,382 करोड़, ₹8,104 करोड़ और ₹8,853 करोड़ की कमी की गणना की गई।

5.2.3.2 पेंशन निधि के माध्यम से सीधा भुगतान

2018 के बीमांकिक प्रतिवेदन में, बीमांकक ने ₹1,382 करोड़ के घाटे का पूर्वानुमान लगाया था जिसका मुख्य कारण यह था कि पेंशन का भुगतान बीमा कंपनियों (वार्षिकी सेवा प्रदाताओं) के माध्यम से किया जाना था। तथापि, पेंशन का भुगतान सीधे पेंशन निधि से करने पर बीमांकक ने ₹537 करोड़ के अधिशेष का पूर्वानुमान लगाया गया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पीएफआरडीए से यह उत्तर मांगा कि पेंशन का सीधा भुगतान पेंशन निधि के माध्यम से कराने के लिए पीएफआरडीए तथा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा निधि को पेंशन निधि में स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/कार्रवाई की गई है तथा बीमांकिक द्वारा सुझाए जाने के बावजूद पेंशन निधि से सीधे भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं।

अपने उत्तर में, पीएफआरडीए (फरवरी 2023) ने पेंशन निधि के माध्यम से सीधे भुगतान में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, जैसे कि परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन तथा दीर्घायु जोखिम को कम करने हेतु सीमित विशेषज्ञता एवं संसाधन, का उल्लेख किया। अपने उत्तर (जुलाई 2023) में पीएफआरडीए इस बात पर जोर दिया कि भुगतान संबंधी जटिलताओं को संभालने तथा अभिदाताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रणालियों की आवश्यकता है। आगे यह भी बताया गया कि भुगतान की गारंटी देने के लिए पेंशन निधि प्रबंधकों को पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, जिससे इस चरण के प्रबंधन के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सके। वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति बनी कि पेंशन संवितरण के प्रबंधन हेतु वार्षिकी सेवा प्रदाता अधिक व्यवहार्य विकल्प हैं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि तीन पेंशन निधि प्रबंधक–अर्थात् एसबीआई, एलआईसी एवं यूटीआई—जो सामूहिक रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के 92 प्रतिशत निधि का प्रबंधन करते हैं, पहले ही परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित कर चुके हैं। इसके अलावा, इन तीन में से दो पेंशन निधि प्रबंधकों की समूह कंपनियाँ एनपीएस के अंतर्गत वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे दीर्घायु जोखिमों के प्रबंधन में सक्षम हैं। पीएफआरडीए इस संभावना का पता लगा सकता था कि पेंशन निधि को भुगतान जोखिमों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जाए अथवा सीधे पेंशन भुगतान करने के लिए आवश्यक पूंजीगत आवश्यकताओं के संबंध में उनके साथ विचार-विमर्श किया जाए। यद्यपि पीएफआरडीए ने यह उल्लेख किया कि भुगतान को संभालने वाली पेंशन निधि की स्थिति में अधिशेष निधि के संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग को एक पत्र भेजा गया था तथा इसने वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को पसंदीदा विकल्प मानने के संबंध में विभाग से प्राप्त किसी भी अनुवर्ती संप्रेषण का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा विभाग की स्थिति का सत्यापन करने में असमर्थ रहा।

5.2.4 निगरानी

5.2.4.1 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) का निरीक्षण

पीएफआरडीए (पीओपी) विनियमावली, 2018 के अनुसार, यदि पीएफआरडीए आवश्यक समझे तो वह किसी भी समय स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, इस विनियमावली में निर्दिष्ट उद्देश्यों सहित किसी भी उद्देश्य के लिए, प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स का निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा कर सकता है।

वर्षवार किए गए निरीक्षणों की संख्या निम्नानुसार थी:

तालिका 5.5: अटल पेंशन योजना के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के निरीक्षणों का विवरण।

वर्ष	पीओपी विनियमावली, 2018 के अंतर्गत पंजीकृत पीओपी की संख्या	किए गए पीओपी निरीक्षणों की संख्या
2015-16	-	शून्य
2016-17	-	शून्य
2017-18	-	शून्य

वर्ष	पीओपी विनियमावली, 2018 के अंतर्गत पंजीकृत पीओपी की संख्या	किए गए पीओपी निरीक्षणों की संख्या
2018-19	268	1
2019-20	317	9
2020-21	306	शून्य (कोविड-19 के कारण)
2021-22	311	5
2022-23	331	8
2023-24	363	10

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि योजना के प्रारंभिक तीन वर्षों में पीएफआरडीए द्वारा अटल पेंशन योजना-पीओपी का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। इसके बाद के वर्षों में भी 5 मार्च 2024 तक केवल 33 निरीक्षण ही किए गए, जिससे प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशत से भी कम पीओपी का निरीक्षण हो पाया। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि में निरीक्षण हेतु चुने गए पीओपी का चयन मुख्यतः उन पीओपी द्वारा नामांकित अभिदाताओं की संख्या तथा संबंधित पीओपी के पिछले निरीक्षण के बाद समाप्त हुए समय के आधार पर किया गया था।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मई 2023) कि अटल पेंशन योजना सेवा प्रदाताओं के पीएफआरडीए (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) विनियमावली, 2018 के अंतर्गत पीओपी के रूप में पंजीकरण के बाद अटल पेंशन योजना-पीओपी का निरीक्षण प्रारंभ किया गया था क्योंकि निरीक्षण करने की शक्ति प्रचलित विनियमों से प्राप्त होती है। पीएफआरडीए ने आगे बताया कि पीओपी का निरीक्षण जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है, जिसमें विभिन्न मानदंडों पर विचार किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या, घटनाएँ (अभिदाता शिकायतें एवं पर्यवेक्षी मुद्दे, जैसे एकाधिक पीआरएएन का जारी होना आदि) तथा श्रेणी-आधारित (पेमेंट बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) शामिल हैं।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने पीएफआरडीए के उत्तर को दोहराते हुए बताया (अप्रैल 2025)

- अभिदाता आधार निरीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड था, क्योंकि इसका सीधा संबंध पीओपी द्वारा संसाधित अंशदान की मात्रा और अनुरोधों से था।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शीर्ष 25 पीओपी में कुल अभिदाताओं का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा शामिल था और इन सभी का निरीक्षण किया जा चुका था। नीचे के पीओपी या तो गैर-परिचालित थे या उनमें अभिदाताओं की संख्या बहुत कम थी या फिर ऑफ-साइट पर्यवेक्षण के माध्यम से उनके संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नोट नहीं हुई थी।
- सभी पीओपी के लिए यह आवश्यक था कि वे स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा तैयार वार्षिक अनुपालन तथा बाह्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिससे निरीक्षण के दायरे में न आने वाले पीओपी भी निर्धारित पर्यवेक्षी ढाँचा के अधीन बने रहें।

वित्तीय सेवाएं विभाग तथा पीएफआरडीए द्वारा दिए गए उत्तरों को संज्ञान में लिया गया।

5.2.4.2 शिकायत निवारण तंत्र

पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियमावली, 2015 का उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पीएफआरडीए द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मध्यस्थों द्वारा किसी भी समय अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक ढाँचा प्रदान करना है।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान अटल पेंशन योजना से संबंधित कुल 4,21,632 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 87,200 शिकायतें केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी से तथा 3,34,432 शिकायतें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से संबंधित थी।

पीएफआरडीए के शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में पैरा 2.4.4 में वर्णित मुद्दे अटल पेंशन योजना (एपीवाई) पर भी समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि पीएफआरडीए के अंतर्गत एनपीएस एवं एपीवाई दोनों के लिए शिकायत निवारण संरचना समान है।

5.3 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3(1)(सी) के तहत असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) योजना प्रारंभ की गई। इस योजना को 1 फरवरी 2019 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन दिया गया। सरकार द्वारा इस योजना को उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रारंभ किया गया, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका प्रशासन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से किया जाता है।

योजना की विशेषताएँ तथा इसके कार्यान्वयन में सम्मिलित विभिन्न एजेंसियों की भूमिका **अनुलग्नक-XXI** में तथा योजना हेतु अंशदान तालिका **अनुलग्नक-XXII** में दी गई है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को योजना के निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रालय द्वारा योजना की निगरानी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित दो पहलुओं पर केंद्रित है–(i) पहुंच बढाने के लिए योजना के तहत नामांकन तथा (ii) बेहतर प्रतिफल के लिए निधि के प्रदर्शन।

5.3.1 नियोजन

5.3.1.1 नामांकन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना के संबंध में कैबिनेट नोट (दिनांक 28 फरवरी 2019) के अनुसार, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों (लगभग 25 करोड़ व्यक्तियों) को योजना में सम्मिलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना के अंतर्गत पाँच वर्षों की अवधि अथवा 31 मार्च 2023 तक 10 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी। कैबिनेट नोट के अनुसार वर्षवार लक्ष्य वास्तविक अभिदाता के साथ नीचे दिये गये है।

तालिका 5.6: पीएमएसवाईएम के अंतर्गत लक्ष्य एवं वास्तविक लाभार्थी

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	अनुमानित लाभार्थी	वास्तविक अभिदाता*	अभिदाताओं का प्रतिशत
1	2018-19	1 करोड़	27,80,659	27.80
2	2019-20	2 करोड़	11,07,725	5.54
3	2020-21	2 करोड़	1,36,792	0.68
4	2021-22	2 करोड़	1,28,369	0.64
5	2022-23	3 करोड़	2,72,495	0.91
6	2023-24	-	65,775	-
कुल		**10 करोड़**	**44,91,815**	**4.49**

स्रोत : मानधन पोर्टल

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक योजना में केवल 44.92 लाख अभिदाताओं ने सदस्यता ग्रहण की थी, जबकि मार्च 2023 के अंत तक दस करोड़ अभिदाताओं का लक्ष्य निर्धारित था अर्थात योजना की सदस्यता लक्ष्य की तुलना में 9.55 करोड़ से अधिक अभिदाताओं से कम रही। नामांकन निर्धारित लक्ष्य का मात्र 4.49 प्रतिशत ही रहा। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल अभिदाताओं में से केवल 43 प्रतिशत ही सक्रिय थे और नियमित रूप से योजना में अंशदान कर रहे थे।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि योजना की पहुँच बढ़ाने तथा अधिकाधिक लाभार्थियों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण) तथा उप महानिदेशक की अध्यक्षता में विभिन्न बैठकें आयोजित की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों पर ₹36.56 करोड़ व्यय किए गए। मंत्रालय द्वारा टेलीविजन एवं रेडियो के माध्यम से प्रचार अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसके साथ ही पीएमएसवाईएम योजना के पुनर्गठन हेतु 1 सितंबर 2023 को एक समिति का भी गठन किया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने की अवधि को पहले के एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है जिससे सक्रिय लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके।

मंत्रालय ने आगे बताया (अप्रैल 2025) कि राज्यों में कार्यरत कल्याण आयुक्तों के माध्यम से पीएमएसवाईएम सहित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु देशभर में 1,035 शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच 2,223 जागरूकता-सह-पंजीकरण शिविर तथा 6,110 श्रमिक चौपाल कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मंत्रालय ने जनवरी 2024 में पीएमएसवाईएम योजना से संबंधित ऑडियो-विडियो स्पॉट एवं जिंगलस के प्रसारण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ भी सहयोग किया।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि योजना के प्रारंभिक वर्षों में निर्धारित लक्ष्य का केवल 4.49 प्रतिशत नामांकन ही प्राप्त किया जा सका। इस अंतर को कम करने के लिए अधिक व्यापक एवं सतत आईईसी अभियान आवश्यक था। साथ ही, निष्क्रिय खातों के पुनः सक्रिय करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना अभिदाताओं को बनाए रखने की दर में सुधार हेतु एक सकारात्मक कदम था।

5.3.2 कार्यान्वयन

5.3.2.1 अभिदाताओं के नामांकन में बहुलता

योजना की राजपत्र अधिसूचना (फरवरी 2019) के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या हो, योजना में सम्मिलित होने के लिए पात्र था। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि या तो अभिदाता के पंजीकरण के समय अथवा ऑटो-डेबिट की सफल प्रक्रिया के दौरान एक बचत बैंक खाते के साथ केवल एक ही श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (एसपीएएन) अथवा पीएमएसवाईएम खाता जुड़ा हो। संयुक्त बैंक खाते की स्थिति में प्रत्येक खाताधारक को उसी एक बैंक खाते के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा सकता था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 तक लगभग 44 लाख पीएमएसवाईएम खातों का विवरण उपलब्ध कराया। लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया। आंकड़ों के अंतर्गत आधार संख्या, मासिक आय तथा अन्य पेंशन योजनाओं में नामांकन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मांगी गई थी। तथापि, एलआईसी के पास इन जानकारियों की उपलब्धता न होने का उल्लेख करते हुए ये तीनों सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई। आंकड़ों के प्रारंभिक परीक्षण से यह पाया गया कि उसमें ऐसा कोई विशिष्ट क्षेत्र उपलब्ध नहीं था जिसे प्राथमिक कुंजी के रूप में उपयोग किया जा सके।

इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा अभिदातोंओं के डेटाबेस में उपलब्ध कई क्षेत्रों–'नाम', 'लिंग', 'जन्म-तिथि', 'बैंक खाता संख्या' तथा 'राज्य का नाम'—के संयोजन का उपयोग करके डेटा डी-डुप्लीकेशन किया गया। विभिन्न पद्धतियों से प्राप्त परिणामों में थोड़ा-बहुत अंतर पाया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 5.7: पीएमएसवाईएम डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन का सारांश

क्र.सं.	डी-डुप्लीकेशन का आधार	संभावित डुप्लीकेट की संख्या
1.	केवल 'बैंक खाता संख्या' के आधार पर डी-डुप्लीकेशन	33,596 विशिष्ट बैंक खाते, जो 74,598 एसपीएएन से संबद्ध पाए गए
2.	'नाम' एवं 'बैंक खाता संख्या' के संयोजन के आधार पर	69 बैंक खाते, जो 268 एसपीएएन से संबद्ध पाए गए
3.	'नाम', 'जन्म तिथि', 'लिंग', 'राज्य का नाम' तथा 'बैंक खाता संख्या'–इन पाँच क्षेत्रों के संयोजन के आधार पर	5 बैंक खाते, जो 12 एसपीएएन से संबद्ध पाए गए

इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त परिणाम केवल सांकेतिक थे तथा उन अभिदाताओं पर आधारित थे जिन्होंने एक ही बैंक खाता संख्या का उपयोग किया था। इसके अलावा, यह भी संभव है कि कुछ अभिदाताओं ने एकाधिक पंजीकरण के लिए अलग-अलग बैंक खातों का उपयोग किया हो। चूँकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ो में कोई विशिष्ट क्षेत्र (जैसे आधार, पैन आदि) उपलब्ध नहीं था, इसलिए वास्तविक रूप से विशिष्ट नामांकनों की स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2024) कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डेटाबेस में सक्रिय/निष्क्रिय क्षेत्र सम्मिलित नही है तथा आवश्यक कार्रवाई करने अथवा निष्क्रिय एसपीएएन की पहचान कर उनके संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए लेखापरीक्षा से डुप्लीकेट अभिदाताओं के एसपीएएन विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के साथ एलआईसी डेटासेट के स्पैन विवरण साझा किए (31 मई 2024)।

मंत्रालय ने आगे यह भी अवगत कराया (अप्रैल 2025) कि योजना में अपात्र व्यक्तियों के नामांकन को रोकने के लिए कुछ नियंत्रण उपाय लागू किए गए हैं। अब केवल वे लाभार्थी, जो ई-श्रम पोर्टल पर आधार-सत्यापित विशिष्ट खाता संख्या (यूएएन) के साथ पंजीकृत हैं, पीएमएसवाईएम में पंजीकरण कर सकते हैं। आयु पात्रता (18-40 वर्ष) का सत्यापन यूएएन एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाता है। साथ ही, किसी अभिदाता के एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद उसी आधार या यूएएन का उपयोग कर पुनः पंजीकरण करने पर सिस्टम इसे ब्लॉक कर देती है।

लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए इन सुधारात्मक कदमों की सराहना करती है। तथापि, मंत्रालय के उत्तर में लेखापरीक्षा द्वारा पहले से चिह्नित डुप्लीकेट खातों की वर्तमान स्थिति तथा उनके निस्तारण के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिसमें यह भी शामिल है कि ऐसे खातों में किए गए सह-अंशदान की वसूली, निरस्त्रीकरण अथवा समायोजन किया गया या नहीं।

5.3.2.2 बीमांकिक मूल्यांकन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के बीच हस्ताक्षरित (जुलाई 2019) समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, एलआईसी को पेंशन निधि का वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन करना था। एलआईसी ने एक पत्र (5 फरवरी 2019) के माध्यम से मंत्रालय को यह बताया था कि अभिदाताओं को आजीवन वार्षिकी (न्यूनतम आश्वासित पेंशन ₹3,000 तथा सदस्य की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन) प्रदत्त करने हेतु अंशदान की वर्तमान राशि पर्याप्त नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एलआईसी के उक्त पत्र के उत्तर में मंत्रालय ने उत्तर दिया (6 फरवरी 2019) कि उठाई गई चिंताओं को संज्ञान में लिया गया है तथा योजना के कार्यान्वयन के पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रथम बीमांकिक मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि सदस्यता की प्रवृत्ति तथा सदस्यों की आयु-प्रोफ़ाइल का अध्ययन कर बीमांकिक मूल्यांकन के लिए आवश्यक मान्यताओं को अंतिम रूप दिया जा सके। मार्च 2024 तक योजना के पाँच वर्ष पूरे हो चुके थे तथापि उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि कोई भी बीमांकिक मूल्यांकन नहीं कराया गया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2024) कि पीएमएसवाईएम योजना के बीमांकिक मूल्यांकन हेतु बीमांकिक फर्मों की नियुक्ति के लिए आरएफपी तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति

का गठन किया गया है। निधि का बीमांकिक मूल्यांकन कराया जा रहा है और इसके बाद ही निधि की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकेगा। योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पेंशन को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।

मंत्रालय ने आगे अवगत कराया (अप्रैल 2025) कि एक बीमांकिक फर्म को ऑन-बोर्ड कर लिया गया है तथा यह कार्य अप्रैल 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर योजना की गहन समीक्षा की जाएगी।

5.3.3 निगरानी

5.3.3.1 सरकारी पूल खाते के तहत शेष राशि की निगरानी

एलआईसी तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एक पेंशन निधि बनाई जानी थी जिसका प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाना था। पेंशन निधि में दो खाते सम्मिलित थे, अर्थात्–सरकारी पूल खाता (जीपीए), जिसमें सरकार द्वारा जारी की गई समस्त धनराशि जमा की जानी थी; तथा अभिदाता का व्यक्तिगत खाता (एसआईए), जिसमें प्रत्येक अभिदाता के प्रारंभिक एवं बाद के अंशदान जमा किए जाने थे।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, निधि से अर्जित निवेश आय जैसे ब्याज/लाभांश का वितरण एसआईए तथा जीपीए को किया जाना था। इसके अलावा, एलआईसी को सरकार को पेंशन निधि में हुई अभिवृद्धि, कटौतियों तथा पेंशन निधि की शेष राशि का वार्षिक विवरण भी उपलब्ध कराना था।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 238(1) के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र जीएफआर 12-ए) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ दो महत्वपूर्ण शीर्ष/क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्– अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज तथा सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज। मंत्रालय ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए यही प्रारूप निर्धारित किया था। साथ ही, जिस वित्तीय वर्ष में निधि जारी की गई हो, उसके समापन के 12 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि:

- एलआईसी ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए। एलआईसी द्वारा प्रयुक्त प्रारूप में अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज तथा सरकार के खाते में वापस जमा किए गए ब्याज का विवरण सम्मिलित नहीं था।
- एलआईसी द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत खातों का विवरण - प्राप्त एवं वितरित निधियों के सारांश में अर्जित ब्याज का विवरण प्रदर्शित नहीं किया गया था।

- मंत्रालय ने समान सह-अंशदान हेतु सरकारी वित्तपोषण के रुप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹49.49 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹324.70 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹305.76 करोड़ जारी किए। मंत्रालय ने (13 मार्च 2024) वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक एलआईसी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए। तथापि, वर्ष 2018-19 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 13 सितंबर 2023 का तथा अन्य चार उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 1 नवंबर 2023 के थे।

इस प्रकार, एलआईसी ने सामान्य वित्तीय नियमावली या मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एलआईसी को निधि जारी करने से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि न तो मंत्रालय और न ही वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) ने एलआईसी द्वारा की गई उक्त अनियमितता पर कोई टिप्पणी की। अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज को सरकार के खाते में वापस जमा कराने अथवा यह सुनिश्चित किए बिना कि अर्जित ब्याज को पिछले वर्ष की अग्रेसित शेष राशि में समायोजित किया जा रहा है, मंत्रालय लगातार एलआईसी को अतिरिक्त निधि संस्वीकृत एवं जारी करता रहा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ आयोजित (29 मई 2024) समापन सम्मेलन में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एलआईसी द्वारा सह-अंशदान की मांग उठाए जाने के बाद ही मंत्रालय भुगतान करता था। चूँकि प्राप्त निधि (सरकारी पूल खाता) जीपीए में जमा हो जाती थी और एलआईसी द्वारा तत्काल निवेश कर दी जाती थी, इसलिए एलआईसी के पास कोई अव्ययित राशि शेष नहीं रहती थी। मंत्रालय ने आगे बताया (अप्रैल 2025) कि सितंबर 2023 से मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एलआईसी निर्धारित जीएफआऱ 12-ए प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

मंत्रालय के उत्तर को स्वीकार करते हुए यह उल्लेखनीय है कि सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे, जबकि वर्ष 2018-19 से 2019-23 तक के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विलंब से प्रस्तुत किए गए।

5.3.3.2 योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन

सार्वजनिक वित्तपोषित योजनाएं बनाने संबंधी वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (अगस्त 2016) के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजना तथा केंद्रिय वित्तपोषित योजना के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के अनुमोदन से एक उत्पादन-परिणाम ढाँचा (आउटपुट-आउटकम ढाँचा) तैयार करना था। इस ढांचे में योजनाओं की गुणवत्ता पर केंद्रित मापनीय मध्यम अवधि के परिणामों को परिभाषित करने तथा उन परिणामों की प्राप्ति के अनुरूप वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने थे। नीति आयोग द्वारा इन योजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया जाना था तथा एक

वित्त आयोग चक्र से अगले चक्र तक योजना की निरंतरता इस मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर करती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पीएमएसवाईएम योजना को जारी रखने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया। अध्ययन का अंतिम प्रतिवेदन मार्च 2023 में मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

आईआईपीए के प्रतिवेदन की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित थी–

(i) पीएमएसवाईएम योजना का विलय अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में किया जाए। विलय के बाद भी वर्तमान अभिदाताओं के लिए सरकार का समान अंशदान जारी रखा जाए।

(ii) नए पंजीकरण बंद किए जाएँ; वर्तमान अभिदाताओं को एपीवाई में स्थानांतरित होने की अनुमति दी जाए।

(iii) अधिक लाभ के लिए किस्तों में बड़े अंशदान को जमा करने की अनुमति दी जाए।

(iv) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के नामांकन लक्ष्यों के साथ जिला-स्तरीय समितियों का गठन किया जाए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किया जाए।

(v) पात्रता हेतु अधिकतम मासिक आय सीमा ₹18,000 तथा न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष की जाए।

तृतीय-पक्ष मूल्यांकन प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया (13 मार्च 2024) कि पीएमएसवाईएम योजना के पूर्ण सुधार एवं पुनर्गठन के लिए पीएफआरडीए, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) के सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई है। इसके अलावा, समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि खातों के स्थानांतरण तथा अंतराल संबंधी आवश्यकताओं संबंधी परिचालनगत चुनौतियों विद्यमान है, जिसके कारण पीएमएसवाईएम योजना का एपीवाई में विलय व्यावहारिक नहीं है।

5.3.3.3 शिकायत निवारण तंत्र

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा एलआईसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) (जुलाई 2019) के अनुसार, एलआईसी आवश्यक बैक-एंड डेटा सहायता तथा फ्रंट-एंड से उसका संयोजन सुनिश्चित करेगी। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में मानधन पोर्टल प्रारंभ किया गया। समझौता एमओयू ज्ञापन के अनुसार फरवरी 2019 में एक टोल-फ्री नंबर भी स्थापित किया गया। कॉल सेंटर पर होने वाला व्यय का मंत्रालय द्वारा वास्तविक आधार पर एलआईसी को प्रतिपूर्ति किया जाता था। इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल से संबंधित प्रश्नों एवं शिकायतों के

समाधान हेतु मंत्रालय द्वारा सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एक समर्पित कॉल सेंटर तथा शिकायत प्रबंधन प्रणाली (जीएमएस) स्थापित की गई।

शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से भी प्राप्त होती थी। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के कार्यालय ज्ञापन (जुलाई 2022) के अनुसार, सीपीग्राम के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निवारण की समय-सीमा 30 दिन निर्धारित थी।

मंत्रालय ने विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से दर्ज 8,972 (टिकटों) शिकायतों की सूची उपलब्ध कराई (1 अप्रैल 2024)। इनमें से 180 शिकायतें लंबित थी तथा शेष का निस्तारण कर दिया गया था। तथापि, निस्तारित शिकायतों के लिए केवल निस्तारण तिथि उपलब्ध कराई गई; शिकायतों के समाधान, अभिदाताओं से संप्रेषण संबंधित पद्धति तथा समाधान पर अभिदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

शिकायतों के पूर्ण विवरण के अभाव में, मंत्रालय को सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जाँच की गई। 2019-20 से 2022-23 की अवधि में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर कुल 1,542 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 605 शिकायतों की जाँच की गई तथा जाँच में पाया गया कि इन 605 शिकायतों में से 77 शिकायतें पीएमएसवाईएम योजना से संबंधित थी।

पीएमएसवाईएम से संबंधित इन शिकायतों की समीक्षा करते हुए लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि जाँच हेतु चुने गए 77 मामलों में से 10 मामलों में मंत्रालय द्वारा उपयुक्त समाधान उपलब्ध नहीं कराया गया। चार मामलों में शिकायतों के समाधान हेतु अन्य संस्थाओं अथवा अधीनस्थ संगठनों को अग्रेषित कर दिया गया या फिर आवश्यक दस्तावेज़/सूचना उपलब्ध न होने का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता के साथ उचित अनुवर्ती कार्रवाई किए ही शिकायतों का निपटान कर दिया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य में सुधार हेतु संज्ञान में लिया गया है।

सिफारिश सं. 35

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सीपीग्राम अथवा अन्य पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त होने वाली पीएमएसवाईएम से संबंधित शिकायतों के प्रभावी समाधान हेतु कदम उठा सकता है।

5.4 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसमवाईएम) का कार्यान्वयन करता है। चूँकि इस योजना के दायरे से बड़ी संख्या में किसान बाहर रह जाते थे, इसलिए यह महसूस किया गया कि देश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक

सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पृथक योजना लागू की जानी चाहिए और इस प्रकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) प्रारंभ की गई। योजना की विशेषताएँ तथा इसमें सम्मिलित विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएँ **अनुलग्नक-XXIII** में तथा योजना का अंशदान चार्ट **अनुलग्नक-XXII** में दिया गया है।

5.4.1 नियोजन

5.4.1.1 योजना के अंतर्गत नामांकन

योजना के संबंध में कैबिनेट नोट (31 मई 2019) के अनुसार, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लघु एवं सीमांत किसानों की लक्षित संख्या आठ करोड़ थी। तथापि, उच्च आर्थिक वर्ग के कुछ लाभार्थियों तथा अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पहले से शामिल लघु एवं सीमांत किसानों को बाहर रखने के बाद, योजना के 4-5 वर्षों की अवधि में लगभग पाँच करोड़ निवल लाभार्थियों के होने का अनुमान लगाया गया था।

इसके अलावा, कैबिनेट नोट के अनुसार यह भी प्रस्तावित किया गया था कि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत तैयार किए गए डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए राज्यों में पीएम-किसान से संबंधित कार्य देखने वाले राज्य नोडल अधिकारियों को किसानों के नामांकन कार्य में शामिल करने का प्रस्ताव था। इससे उन किसानों को सुविधा मिलती जो पहले से ही पीएम-किसान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे। किसानों को यह विकल्प भी दिया जाना था कि वे पीएम-किसान योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ से सीधे अपने हिस्से का अंशदान पीएमकेएमवाई में जमा करा सकें।

(योजना के अनुमोदन हेतु कैबिनेट नोट के अनुसार) वर्षवार निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक अभिदाताओं की संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका संख्या: 5.8 लक्षित एवं वास्तविक अभिदाता

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	अनुमानित लाभार्थी	वास्तविक अभिदाता	अभिदाताओं का प्रतिशत
1	2019-20	1 करोड़	16,38,078	16.38
2	2020-21	2 करोड़	1,14,835	0.57
3	2021-22	2 करोड़	1,49,783	0.75
4	2022-23	-	41,335	-
5	2023-24	-	4,711	-
कुल		**5 करोड़**	**19,48,742**	**3.90**

***स्रोत : मानधन पोर्टल**

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक, योजना में केवल 19.49 लाख अभिदाताओं का नामांकन हुआ था, जो पाँच करोड़ लक्षित अभिदाताओं की तुलना में 4.8 करोड़ कम था। प्रतिशत के

रूप में देखा जाए तो प्रथम वर्ष में लक्ष्य का लगभग 16 प्रतिशत पंजीकरण ही प्राप्त किया जा सका, जो बाद के वर्षों में और भी कम हो गया। कुल मिलाकर, इन वर्षों में लक्षित लाभार्थियों के चार प्रतिशत से भी कम का नामांकन हो पाया।

साथ ही, कुल 13 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों में से 8.55 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत 12वीं किस्त (अगस्त-नवंबर 2022-23) प्राप्त हुई थी। तथापि, पीएम-किसान योजना के इन लाभार्थियों में से केवल 1.41 लाख किसानों (12वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का मात्र 0.16 प्रतिशत) ने पीएमकेएमवाई योजना के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत कराया। इसके अलावा, आईईसी गतिविधियों के साथ-साथ जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए न तो कोई बजट आवंटित किया गया और न ही कोई व्यय किया गया।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ आयोजित समापन सम्मेलन में विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि नामांकन संबंधी चुनौतियों के समाधान तथा योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की अन्य पेंशन योजनाओं के साथ पीएमकेएमवाई योजना के संभावित ओवरलैप की संभावना तलाशने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं आईईसी गतिविधियों के संबंध में विभाग ने बताया कि जागरूकता अभियान हेतु विज्ञापन अत्यधिक महंगे होते हैं, इसलिए आईईसी पर केवल सीमित व्यय ही संभव था।

विभाग ने आगे बताया (अप्रैल 2025) कि पीएम-किसान लाभार्थियों की औसत आयु 52 वर्ष है तथा केवल 1.5 करोड़ पंजीकृत किसान 18-40 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं। साथ ही, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी कई अतिव्यापित पेंशन योजनाएँ विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिनका लक्षित आयु वर्ग लगभग समान है। पेंशन योजना दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता की मांग करती है तथा पेंशन का लाभ केवल 60 वर्ष की आयु पर मिलता है। इसलिए, अनेक पात्र किसान योजना में पंजीकरण कराने से हिचकिचाते हैं। इस प्रकार, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की टिप्पणी (वित्तीय वर्ष 2021-22) में योजना के लक्ष्यों को संशोधित करते हुए 15वें वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2025-26) की समाप्ति तक 23 लाख अभिदाताओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अप्रैल 2025 तक पंजीकृत किसानों की संख्या 24.82 लाख थी, जो संशोधित लक्ष्य से अधिक थी। इसके अलावा, मंत्रालय ने हितधारकों को योजना एवं उसके लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करी।

विभाग का यह उत्तर पीएमकेएमवाई संबंधी ईएफसी टिप्पणी के साथ तार-तम्प में नहीं है (पुष्टि नहीं करता है) जिसके अनुसार 15वें वित्त आयोग की अवधि (वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) के दौरान अनुमानित लाभार्थियों की संख्या घटाकर 1.25 करोड़ की गई थी। यह स्पष्ट है कि योजना की शुरूआत के तीन वर्षों के अंदर ही मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग (2025-26) के अंत तक लाभार्थियों के लक्ष्य को 5 करोड़ से घटाकर 1.25 करोड़ कर दिया, जो इस योजना के सीमित आकर्षण को दर्शाता है। साथ ही, जब पीएमकेएमवाई परिकल्पना की गई थी, तब एपीवाई और पीएमकेएमवाई जैसी योजनाएँ पहले से ही अस्तित्व में थी।

सिफारिश सं. 36

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों जैसे उपायों के माध्यम से पीएमकेएमवाई के अंतर्गत नामांकन बढ़ाने के लिए मंत्रालय प्रभावी कदम उठा सकता है।

5.4.2 कार्यान्वयन

5.4.2.1 अभिदाताओं के नामांकन में बहुलता

पीएमकेएमवाई के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना से जुड़ने के इच्छुक पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को अपने आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक अथवा बैंक खाते के विवरण के साथ निकटतम सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) पर जाना था। आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि एवं अन्य मूलभूत जानकारियाँ दर्ज करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जानी थी। इसके अतिरिक्त, सीएससी को यह सुनिश्चित करना था कि पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व ग्राहक की जानकारी का सत्यापन उसकी बैंक पासबुक के आधार पर किया जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 19 सितम्बर 2023 तक के 22.93 लाख अभिदाताओं का डेटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया। थापि, आधार संख्या, अन्य पेंशन योजनाओं में नामांकन तथा अंतिम अंशदान से संबंधित विवरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण फ़ील्ड लेखापरीक्षा के साथ साझा किए गए डेटा में उपलब्ध नहीं कराए गए। उपलब्ध कराए गए डेटा के प्रारंभिक परीक्षण से यह पाया गया कि उसमें आधार संख्या जैसी कोई अद्‌वितीय पहचान उपलब्ध नहीं थी, जिसे प्राथमिक कुंजी के रूप में उपयोग किया जा सके। अतः लेखापरीक्षा द्‌वारा अभिदाताओं के डेटाबेस में उपलब्ध पाँच फ़ील्डों–'अभिदाता का नाम', 'लिंग', 'जन्म तिथि', 'बैंक खाता संख्या' तथा 'राज्य का नाम'–के संयोजन का उपयोग करते हुए डेटा डी-डुप्लीकेशन किया गया। विभिन्न पद्‌धतियों से प्राप्त परिणाम मामूली रुप से भिन्न रहे जैसा नीचे दिखाया गया हैः-

तालिका 5.9 : पीएमकेएमवाई डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन का सारांश

क्र.सं.	डी-डुप्लीकेशन का आधार	संभावित डुप्लीकेट की संख्या
1	केवल 'बैंक खाता संख्या' के आधार पर डी-डुप्लीकेशन	33,470 बैंक खाता संख्याएँ, जो 1,45,511 पीएमकेएमवाई पेंशन खातों से जुड़ी थी
2	'अभिदाता का नाम' एवं 'बैंक खाता संख्या' के संयोजन के आधार पर	646 बैंक खाता संख्याएँ, जो 11,261 पीएमकेएमवाई पेंशन खातों से जुड़ी थी
3	'अभिदाता का नाम', 'जन्म तिथि','लिंग', 'राज्य का नाम' तथा 'बैंक खाता संख्या'– इन पाँच फ़ील्डों के संयोजन के आधार पर	393 बैंक खाता संख्याएँ, जो 951 पीएमकेएमवाई पेंशन खातों से जुड़ी थी

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त परिणाम केवल सांकेतिक थे तथा उन अभिदाताओं पर आधारित थे जिन्होंने उसी बैंक खाता संख्या का उपयोग किया था। यह भी संभव है कि कुछ अभिदाताओं ने एकाधिक नामांकन के लिए अलग-अलग बैंक खातों का उपयोग किया हो। चूँकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डेटा में आधार जैसी कोई विशिष्ट पहचान उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वास्तविक स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि एक ही परिवार के अनेक लोगों ने समान बैंक खाते का उपयोग करते हुए योजना में पंजीकरण कराया था। साथ ही, चूँकि पंजीकरण स्थानीय स्तर पर होता था, जिसमें देरी होती थी इसलिए कभी-कभी समयांतराल के दौरान अभिदाता किसी अन्य सी एस सी से पुनः पंजीकरण करा लेते थे। बहुत संभव है एक बैंक खाते से केवल एक ही सक्रिय पेंशन खाता जुड़ा हो। विभाग ने आश्वासन दिया कि ऐसे सभी संभावित डुप्लीकेट मामलों का पुनः परीक्षण किया जाएगा।

यह उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया में 'अभिदाता का नाम' प्रमुख मानदंडों में शामिल था। अतः एक ही बैंक खाते का उपयोग करने वाले परिवार के सदस्यों को डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किए जाने की संभावना समाप्त हो जाती है।

विभाग ने आगे बताया (अप्रैल 2025) कि कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में सीएससी द्वारा प्रबंधित पंजीकरण पोर्टलों पर पर्याप्त सत्यापन तंत्र उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण डुप्लीकेट नामांकन हुए। विभाग के अनुसार, एक डी-डुप्लीकेशन अभ्यास चलाया गया है और जहाँ भी डुप्लीकेट पंजीकरण पाए गए, वहाँ खाते से डेबिट रोक दिया गया है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक सत्यापन एवं नियंत्रण अब स्थापित हैं। चूँकि यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी योजना थी, इसलिए अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कोई लाभ जारी नहीं होगा (पहला भुगतान वर्ष 2039 में अपेक्षित है)। पेंशन भुगतान प्रारंभ होने पर विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन केवल आधार-सत्यापित खातों में ही जमा की जाए।

यह उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि यद्यपि पेंशन भुगतान वर्ष 2039 से प्रारंभ होगा, परंतु सरकार पंजीकरण के समय से ही प्रत्येक अभिदाता के लिए समान सह-अंशदान उपलब्ध करा रही है।

5.4.2.2 बीमांकिक मूल्यांकन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा एलआईसी के मध्य (अगस्त 2019) हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, पेंशन निधि का वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन एलआईसी द्वारा किया जाना था। यदि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निधि में किसी प्रकार की कमी या अपर्याप्तता पाई जाती, तो एलआईसी 31 मई 2019 को अनुमोदित कैबिनेट नोट के अनुसार उस अंतर की पूर्ति हेतु वित्त मंत्रालय से संपर्क करेगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि योजना प्रारंभ होने के पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी मार्च 2024 तक कोई बीमांकिक मूल्यांकन नहीं कराया गया था।

5.4.2.3 निवेश पैटर्न एवं प्रतिफल

लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त अंशदानों का निवेश एलआईसी में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा समूह अधिवर्षिता निधि के लिए निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। विभाग ने आगे बताया कि इन निधियों के लिए (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न निम्नानुसार है – (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ - न्यूनतम 20 प्रतिशत; (बी) सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ - न्यूनतम 40

प्रतिशत; (सी) शेष राशि अनुसूची-1 में निर्दिष्ट अनुमोदित निवेशों में निवेश की जा सकती है, जो कुल का 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि किस सीमा तक निधियों का निवेश निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुरूप किया गया।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि एलआईसी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के निवेश दिशानिर्देशों का पालन करती है। ये दिशानिर्देश निवेश में संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं, जिसमें सुरक्षा और सर्वोत्तम प्रतिफल दोनों को प्राथमिकता दी जाती है।

मई 2019 के कैबिनेट नोट के अनुसार, अभिदाताओं के अंशदान की दर निवेश पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत प्रतिफल की परिकल्पना के आधार पर निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि योजना के प्रारंभ से अब तक निधि प्रबंधक द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिफल निम्नानुसार रहे हैं:

तालिका 5.10 : पीएमकेएमवाई निवेशों से एलआईसी द्वारा अर्जित प्रतिफल

वर्ष समाप्ति तिथि	निवेश पर प्रतिफल
31.03.2020	5.70 %
31.03.2021	6.31 %
31.03.2022	6.80 %
31.03.2023	7.02 %
31.03.2024	7.23 %

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए वह वित्तीय सेवाएं विभाग के परामर्श से अन्य निधि प्रबंधन रणनीतियों पर विचार कर रहा है।

यह उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि योजना के कार्यान्वयन के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त वास्तविक प्रतिफल की दर, कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त करते समय मंत्रालय द्वारा अनुमानित प्रतिफल दर (8 प्रतिशत) से कम रही। यदि यह कमी आगे भी बनी रहती है, सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है।

सिफारिश सं. 37

मंत्रालय परिसंपतियों एवं दायित्वों के बीच असंतुलन की सीमा का आकलन करने हेतु नियमित बीमांकिक मूल्यांकन सुनिश्चित कर सकती है तथा आवश्यक अंतर-वित्तपोषण बजटीय संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध करा सकती है।

5.4.3 निगरानी

5.4.3.1 तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन

पीएमकेएमवाई पर व्यय वित्त समिति की टिप्पणियों के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, योजना का तृतीय-पक्ष/स्वतंत्र मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक कराया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि विभाग ने (दिसंबर 2022) में नीति आयोग को एक पत्र भेजकर उसकी सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया था, तथापि विभाग द्वारा योजना का कोई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि इस कार्य में विलंब का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान थे, जिनके चलते समय-सीमा प्रभावित हुई तथा विभाग का ध्यान तत्काल राहत उपायों की ओर स्थानांतरित हो गया।

नीति आयोग की सलाह पर विभाग, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय के साथ सूचीबद्ध संस्थानों को इस कार्य में संलग्न कर रहा था तथा प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान प्रभाग से समानांतर मूल्यांकन करने का अनुरोध भी किया गया था।

5.4.3.2 शिकायत निवारण तंत्र

कैबिनेट नोट के अनुसार, पीएम-किसान योजना के लिए स्थापित परियोजना निगरानी इकाई को पीएमकेएमवाई के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पीएम-किसान योजना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में केंद्रीय स्तर पर "राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन संस्था" नामक एक परियोजना निगरानी इकाई स्थापित की गई थी। इस इकाई ने योजना के लिए प्रचार प्रसार अभियान (सूचना, शिक्षा और संचार-आईइसी) संचालित किया तथा प्रशासनिक व्यय भी किया।

पीएमकेएमवाई से संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली के अभिलेखों, दस्तावेजों एवं वेब पोर्टल की जांच में पाया गया कि योजना से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल पर प्राप्त 67,944 शिकायतों में से 400 शिकायतों का परीक्षण किया और पाया कि इनमें से कोई भी शिकायत पीएमकेएमवाई योजना से संबंधित नहीं थी।

विभाग ने बताया (मार्च 2023) कि अब तक उसे केवल पाँच शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा आगे यह भी कहा (अक्टूबर 2023) कि पीएमकेएमवाई के अंतर्गत अधिक शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं क्योंकि योजना के अंतर्गत पहली पेंशन का भुगतान वर्ष 2039 में होना है।

विभाग ने आगे बताया (अप्रैल 2025) कि वर्तमान में योजना से संबंधित शिकायतें सीएससी कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त होती हैं तथा एलआईसी अपनी परिचालन जिम्मेदारियों के अंतर्गत उनका निस्तारण करती है। इसके अतिरिक्त, शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक सुलभ बनाने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन, एक समर्पित ई-मेल पता तथा पीएमकेएमवाई पोर्टल से एकीकृत ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जैसे अनेक माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी कहा कि विभाग शिकायत निवारण प्रक्रिया के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में लक्षित सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान चलाए जाएंगे तथा विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जाएगा। इन पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए फीडबैक तंत्र भी लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभाग प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है ताकि पीएमकेएमवाई पोर्टल का

सीपीग्राम पोर्टल के साथ एकीकरण किया जा सके और किसान योजना-विशिष्ट श्रेणीकरण के साथ अपनी शिकायतें सीपीग्राम पोर्टल पर दर्ज करा सकें।

सिफारिश सं. 38

मंत्रालय पीएमकेएमवाई के अंतर्गत शिकायतों के प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु एक केन्द्रीकृत निगरानी एवं ट्रैकिंग तंत्र बना सकता है।

5.5 प्रधानमंत्री वय वंदन योजना

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान करने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 4 मई 2017 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹15,00,000 तक की खरीद मूल्य वाली पॉलिसियाँ ले सकता है। यह योजना 10 वर्षों के लिए सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान करती है तथा पेंशन का भुगतान पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक निर्धारित अंतराल पर किया जाता है। योजना में न्यूनतम ₹1,62,162 का निवेश आवश्यक है, जो ₹1,000 प्रति माह की पेंशन प्रदान करती है।

पीएमवीवीवाई के अभिदाताओं का विवरण, प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियाँ तथा अंशदान पीएमवीवीवाई तालिका **अनुलग्नक-XXIV** में दिए गए हैं।

5.5.1 योजना

5.5.1.1 एलआईसी एवं वित्तीय सेवाएं विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू)

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बीच कोई समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। एमओयू के अभाव में एलआईसी तथा मंत्रालय की विशिष्ट भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में स्पष्टता का अभाव था।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि एलआईसी उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है तथा इस योजना का कार्यान्वयन एलआईसी द्वारा अपनी सामान्य बीमा व्यवसाय प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाना था। इसलिए इसके कार्यान्वयन के लिए एलआईसी और डीएफएस के बीज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

तथापि, लेखापरीक्षा का मत है कि परिभाषित भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों, वित्तीय प्रतिबद्धताओं तथा निगरानी व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए एक औपचारिक एमओयू आवश्यक था।

सिफारिश सं. 39

विभाग एमओयू पीएमवीवीवाई के कार्यान्वयन में शामिल सभी हितधारकों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का विवरण सहित एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

5.5.2 कार्यान्वयन

5.5.2.1 अधिकतम खरीद मूल्य की सीमा का अनुपालन

पीएमवीवीवाई योजना में प्रत्येक अभिदाता अधिकतम ₹15 लाख तक निवेश कर सकता था। प्रत्येक अभिदाता एक से अधिक पॉलिसियाँ भी खरीद सकता था, बशर्ते कि उसकी कुल खरीद मूल्य ₹15 लाख से अधिक न हो। लेखापरीक्षा ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पीएमवीवीवाई संबंधी आँकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि 1,793 ऐसे मामले (कुल 9,39,193 मामलों में से) थे जिनमें प्रति अभिदाता कुल खरीद मूल्य निर्धारित ₹15 लाख की सीमा से अधिक था।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2024) कि 1,793 मामलों में कुल निवेश ₹15 लाख से अधिक थे, 5,909 पॉलिसियों से संबंधित थे। 5,909 पॉलिसियों में से 3,780 पॉलिसियाँ अनुमत सीमा के अंदर थी तथा 241 पॉलिसियों में पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान तकनीकी त्रुटियाँ होने के कारण किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। शेष 1,888 पॉलिसियों पर एलआईसी द्वारा कार्रवाई की जानी थी। इन 1,888 पॉलिसियों में से 621 पॉलिसियाँ पूर्णतः निरस्त कर दी गई थी तथा 1,112 पॉलिसियाँ आंशिक रूप से निरस्त की गईं थी, 80 पॉलिसियों में मृत्यु दावा अथवा सरेंडर भुगतान किया जा चुका था तथा 75 पॉलिसियों में सुधारात्मक कार्रवाई शेष थी। विभाग ने आगे बताया (अप्रैल 2025) कि एलआईसी ने 75 में से 74 पॉलिसियों में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है। एक मामले में वार्षिकीधारक न्यायालय चला गया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

डेटा सत्यापन की वर्तमान व्यवस्था तथा अभिदाताओं द्वारा पूर्व में ली गई पीएमवीवीवाई पॉलिसियों की स्वयं घोषणा पर निर्भरता, व्यक्तियों को अनेक खाते रखने से नहीं रोक पाती है जिनका कुल निवेश अधिकतम निवेश सीमा से अधिक हो जाता है। व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए निवेश सीमा का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु व्यापक डेटा सत्यापन एवं नियंत्रण तंत्र आवश्यक है।

5.5.3 निधि प्रबंधन

पीएमवीवीवाई के अंतर्गत निधि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य योजना की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना तथा ऐसा प्रतिफल अर्जित करना था जिससे पॉलिसीधारकों को पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। निधि प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नानुसार हैं:

5.5.3.1 पीएमवीवीवाई निधियों का निवेश

वित्तीय सेवाएं विभाग ने बताया (मई 2023) कि एलआईसी अपने स्वयं के निवेश दिशानिर्देशों का पालन करती है, जिनके अनुसार कुल निवेश का 60 से 70 *प्रतिशत* भाग सरकारी प्रतिभूतियों में तथा शेष राशि उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक उपक्रम/कॉर्पोरेट बॉन्ड एवं डिबेंचरों में निवेश की जानी अनुशंसित थी। इसके अतिरिक्त, ये निवेश ऐसे साधनों में किए जाने थे जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 10 वर्ष या उससे कम हो, ताकि योजना की 10 वर्षीय अवधि के अनुरूप सामंजस्य बना रहे। बाद में विभाग ने बताया (दिसंबर 2023) कि पीएमवीवीवाई निधियों का निवेश भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 के अंतर्गत पेंशन निधियों के लिए निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार किया गया था। इन विनियमों के अनुसार कुल निवेश का न्यूनतम 20 प्रतिशत केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में, न्यूनतम 40 प्रतिशत केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य

सरकार प्रतिभूतियों अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में तथा शेष राशि विनियमों की अनुसूची-I में वर्णित अनुमोदित निवेशों में की जानी होगी।

लेखापरीक्षा ने पीएमवीवीआई निधि के लिए अपनाई जा रही निवेश नीति के संबंधित उत्तरों में असंगति देखी। अत: लेखापरीक्षा में अपनाए गए निवेश पैटर्न के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नही हुए।

यह उल्लेखनीय है कि सुनिश्चित प्रतिफल में किसी भी कमी की पूर्ति सरकार द्वारा की जानी थी। लेखापरीक्षा ने प्रतिफलों में अंतर तथा उसमें कमी का संज्ञान लिया। तदनुसार, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एलआईसी को विभाग से कुल ₹440.60 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई। आगे की तालिका 5.11 में एलआईसी द्वारा अर्जित प्रतिफल तथा आश्वासित प्रतिफल की तुलना में हुई कमी का विवरण दिया गया है।

तालिका 5.11: एलआईसी द्वारा अर्जित प्रतिफल तथा आश्वासित प्रतिफल से कमी (पीएमवीवीवाई)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पीएमवीवीवाई[30] 2017 (प्रतिवर्ष 8.30% आश्वासित प्रतिफल)		पीएमवीवीवाई 2018 (प्रतिवर्ष 8.30% आश्वासित प्रतिफल)		पीएमवीवीवाई 2020 (प्रतिवर्ष 7.60% आश्वासित प्रतिफल)	
		प्रतिफल	**कमी**	**प्रतिफल**	**कमी**	**प्रतिफल**	**कमी**
1	2017-18	5.81	2.49	-	-	-	-
2	2018-19	8.17	0.13	7.38	0.92	-	-
3	2019-20	8.40	शून्य	7.26	1.04	-	-
4	2020-21	8.44	शून्य	8.24	0.06	4.61	2.99
5	2021-22	8.18	0.12	7.99	0.31	6.75	0.85

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश वर्षों में अर्जित वास्तविक प्रतिफल पीएमवीवीआई योजना के अंतर्गत आश्वासित प्रतिफल को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि पीएमवीवीवाई के अंतर्गत निवेश मुख्यतः दीर्घकालिक, सुरक्षित, तरल तथा उच्च प्रतिफल वाले ऋण लिखतों में किए गए थे। 23 मार्च 2023 को पीएमवीवीवाई की पोर्टफोलियो स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 5.12 : पीएमवीवीवाई योजना का निवेश पोर्टफोलियो

प्रतिभूतियों का प्रकार	निवेशित राशि (₹ करोड़ में)	कुल निवेश का प्रतिशत
कुल राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	54,060.94	64.73
कुल केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियाँ	27,864.68	33.37
ट्रेजरी बिल पुनर्खरीद	963.50	1.15

[30] पीएमवीवीवाई 2017 योजना का पहला संस्करण था जो मई 2017 से मई 2018 तक सक्रिय था। पीएमवीवीवाई 2018 दूसरा संस्करण था जो जून 2018 से मार्च 2020 तक अस्तित्व में था तथा पीएमवीवीवाई 2020 अन्तिम संस्करण था जिसे मार्च 2023 तक बढा दिया गया था।

कुल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड	625.03	0.75
कुल योग	**83,514.15**	

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया कि 23 मार्च 2023 को पीएमवीवीवाई पोर्टफोलियो की कुल निधि का 98 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि ₹5,437.74 करोड़ की राशि ऐसी प्रतिभूतियों में निवेशित थी, जिनकी परिपक्वता अवधि 15 वर्ष से अधिक थी।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023, अक्टूबर 2024 तथा अप्रैल 2025) कि सभी निवेश भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए थे तथा पीएमवीवीवाई निधियों का प्रबंधन अन्य जीवन बीमा गैर-लिंक्ड पोर्टफोलियो आईआरडीएआई के मूल्यांकन मानकों के अनुसार किया गया था। आगे बाजार की बदलती परिस्थितियों तथा योजना में प्राप्त होने वाले नकदी प्रवाह की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, आवंटन के समय दीर्घावधि वाले सरकारी बॉण्डों में ₹5,437.74 करोड़ का निवेश किया गया था, जो पीएमवीवीवाई योजना के कुल निधि का एक छोटा भाग (पीएमवीवीआई योजना के अंतर्गत कुल निधि लगभग 6.5 प्रतिशत) था। आवश्यकता पड़ने पर लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन प्रतिभूतियों को बेचा जा सकता था। इस चरण के दौरान बाजारों में अत्याधिक अस्थिरता थी इसलिए न्यूनतम संभावित जोखिम के साथ पोर्टफोलियों की समग्र प्रतिफल दर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रयास किये गये।

यह उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि, पीएमवीवीवाई निधियों से एलआईसी द्वारा किए गए निवेशों से प्राप्त प्रतिफल वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान अधिकांश वर्षों में योजना के अंतर्गत आश्वासित प्रतिफल को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

5.5.4 शिकायत निवारण तंत्र

पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए एलआईसी की नीति आईआरडीएआई के पॉलिसी धारक हित संरक्षण विनियमावली, 2017 के अनुसार बनाई गई थी। एलआईसी के अनुसार, पॉलिसी धारकों के लिए शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न माध्यम उपलब्ध थे, जैसे– भारतीय जीवन बीमा निगम का उपभोक्ता पोर्टल, आईआरडीएआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली "बीमा भरोसा", जो एलआईसी की शिकायत प्रबंधन प्रणाली से एकीकृत है, सीपीग्राम तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। इसके अतिरिक्त, जहाँ शिकायत का निस्तारण पॉलिसी धारक के पक्ष में नहीं होता था अथवा आंशिक रूप से पॉलिसी धारक के पक्ष में होता था, तो शिकायतकर्ता के पास बीमा लोकपाल के समक्ष मामला प्रस्तुत करने का विकल्प भी उपलब्ध था।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए शिकायत संबंधी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 तक जारी की गई 10,88,922 पॉलिसियों के विरुद्ध योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 5,314 शिकायतें दर्ज की गई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि – 42 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण दो दिनों के अंदर कर दिया गया था; जबकि 7 प्रतिशत शिकायतों के निस्तारण हेतु टर्न-अराउंड समय 10 दिनों की समय-सीमा से अधिक समय लगा।

इसके अतिरिक्त, प्राप्त फीडबैक में यह भी पाया गया कि 94 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने कोई फीडबैक नहीं दिया, जबकि दो-दो प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने उत्कृष्ट तथा खराब श्रेणी का फीडबैक दिया।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने बताया (अप्रैल 2025) कि एलआईसी की शिकायत प्रबंधन प्रणाली में एक फीडबैक तंत्र लागू किया गया है जिसके अंतर्गत शिकायतों के निस्तारण की सूचना शिकायतकर्ताओं को एसएमएस के माध्यम से की गई थी तथा उनसे फीडबैक देने का अनुरोध भी किया गया था। शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायत के समाधान की गुणवत्ता पर फीडबैक पोर्टल के माध्यम से एसएमएस भेजकर दिया जाता था।

यह उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि फीडबैक तंत्र उपलब्ध होने के बावजूद नगण्य प्रतिक्रिया दर (केवल छह प्रतिशत) इस बात का संकेत देती है कि प्रभावी ढंग से फीडबैक प्राप्त करने हेतु प्रणाली में ओर सुधार की आवश्यकता है। एक सुव्यवस्थित फीडबैक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो सेवा की गुणवत्ता के आकलन हेतु सक्रिय रूप से उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाएँ एकत्रित कर सके।

5.6 सारांश

भारत में अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) तथा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) जैसी योजनाएँ आश्वासित पेंशन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान उद्देश्य को साझा करती है। असंगठित क्षेत्र के लिए संचालित इन पेंशन योजनाओं की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि इनके लक्षित लाभार्थियों तथा संबंधित परिचालन ढाँचे में पर्याप्त समानता अतिव्यापी है। इन तीनों योजनाओं के लिए पात्र अभिदाताओं की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। इनमें से दो योजनाओं के लिए लक्षित समूह असंगठित क्षेत्र था जबकि पीएमकेएमवाई विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं में न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह की आश्वासित पेंशन का प्रावधान था जबकि अटल पेंशन योजना में यह ₹1,000 से ₹5,000 प्रतिमाह तक थी।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के एक साथ संचालन एवं प्रबंधन से कई समस्याएँ सामने आई, जैसे - एक ही व्यक्ति का अनेक योजनाओं में पंजीकरण, समान डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाले लाभार्थियों के बीच लाभ प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा तथा योजनाओं की समग्र प्रभावशीलता में कमी।

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन व्यवस्था के संबंध में अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिससे योजनाओं के संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके तथा अतिरेक को समाप्त किया जा सके। इससे बेहतर निधि प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था तथा शिकायत निवारण तंत्र अधिक मजबूत हो सकेगा। सार रूप में, सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित पेंशन योजनाओं की बहुलता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

अध्याय-VI

निष्कर्ष एवं आगे की राह

अध्याय-VI
निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत में पेंशन क्षेत्र में विभिन्न विधान, संस्थान तथा मंत्रालय शामिल है। भारत में पेंशन प्रणालियों के नियामकीय ढाँचे को संचालित करने वाले अधिनियम विभिन्न अवधियों में, स्वतंत्रता-पूर्व काल से लेकर 21वीं शताब्दी तक लगभग एक शताब्दी के दौरान अधिनियमित किए गए। प्रारम्भिक विधानों में से एक, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 ने सेवानिवृत्ति बचत की आधारशिला रखी। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एंड एमपी) लागू किया गया, जिसने औद्योगिक तथा अन्य संगठित क्षेत्रों के लिए भविष्य निधि की व्यवस्था का ढाँचा शुरू किया। इसी प्रकार, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948, नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966, तथा असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम, 1955 जैसी क्षेत्र-विशिष्ट विधान संबंधित क्षेत्रों के कार्यबल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गईं। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 नवीनतम विधान है, जिसने पेंशन प्रणालियों की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र विनियामक की स्थापना की।

पेंशन प्रणालियों के प्रशासन एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अनेक मंत्रालयों के बीच विभाजित थी। सबसे प्रारम्भिक विधान, भविष्य निधि अधिनियम, 1925, को जून 2019 तक कार्य आवंटन नियम में शामिल नहीं किया गया था; जब इसे विनियमन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को आवंटित किया गया। जबकि ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952, जिसने औद्योगिक तथा अन्य संगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन प्रणाली का विधिक ढाँचा प्रदान किया, का प्रशासन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता था, वहीं अन्य क्षेत्र-विशिष्ट विधानों का प्रशासन संबंधित मंत्रालयों[31] द्वारा किया जाता था। सभी नागरिकों (सरकारी एवं गैर-सरकारी) के लिए विकसित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विनियमन पीएफआरडीए द्वारा किया जाता था।

6.1 शासकीय व्यवस्था

पेंशन क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं की शासकीय व्यवस्था से निम्नलिखित पाया गया:

- पीएफआरडीए, एनपीएस न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा न्यासियों की नियुक्ति करने वाला विनियामक एवं प्राधिकृत प्राधिकारी था। पीएफआरडीए ने मध्यस्थों (एनपीएस संरचना में शामिल संस्थाओं) की नियुक्ति भी की थी और उसका एनपीएस न्यास के साथ स्वतंत्र संबंध नहीं था। इसी प्रकार, ईपीएफओ में भी एफआईएसी की पोर्टफोलियो प्रबंधकों के चयन एवं नियुक्ति तथा उन पर निगरानी रखने में सहभागिता के कारण, वही समिति चयन तथा निरीक्षण दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन कर रही थी।
- कुछ सांविधिक पेंशन प्रणालियों के बोर्ड/समितियाँ या तो निर्धारित आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रही थी अथवा उनके संबंधित अधिनियमों/नियमों में बोर्ड बैठकों के आयोजन की समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, चयनित छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों तथा भविष्य

---

[31] नाविक भविष्य निधि अधिनियम का विनियमन पोत, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है; कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम का विनियमन कोयला मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम का विनियमन असम सरकार द्वारा किया जाता है।

निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की समीक्षा में भी इसी प्रकार की कमियाँ पाई गईं।

- इस बात का कोई सबूत नहीं था कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के भविष्य निधि न्यास का अलग कानूनी अस्तित्व था। कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड को 2019 में संशोधित भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था।
- पीएफआरडीए में, पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्टों में निष्पादन मानक का खुलासा न करने जैसे कुछ गैर-अनुपालन देखे गए। उत्तरोत्तर वार्षिक प्रतिवेदन में ऐसी किसी कार्यप्रणाली/प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं था जिसके आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को उनके कार्य और व्यय के बारे में अधिदेशित रिपोर्टें प्रस्तुत करने में विलंब/अनुपालन न करने के मामले सामने आए।
- लेखापरीक्षा ने एनपीएस के मामले में पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा निवेश दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया। ईपीएफओ द्वारा कुछ छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन दाखिल करने में गैर-अनुपालन और असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चाय बागानों के अपर्याप्त निरीक्षण को भी पाया गया।

उपर्युक्त ने पेंशन प्रणालियों में भूमिकाओं के बेहतर पृथक्करण और अनुपालन प्रवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह परिचालन अक्षमताओं को दूर करेगा और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक मजबूत निगरानी तंत्र को बढ़ावा देगा। पेंशन क्षेत्र के लिए एक लचीला और पारदर्शी विनियामक ढाँचा बनाने के लिए, उत्तरदेही तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है, जिसमें व्यापक रिपोर्टिंग, निष्पादन मानक का पालन और कठोर निरीक्षण प्रोटोकॉल शामिल हैं।

6.2 निधि प्रबंधन

पेंशन क्षेत्र में प्रमुख संस्थाओं के निधि प्रबंधन ढाँचे की समीक्षा से निम्नलिखित पाया गया:

- भारत में पेंशन प्रणालियों के लिए निवेश ढाँचा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए विभिन्न निवेश दिशानिर्देशों द्वारा शासित था। निवेश दिशानिर्देशों के तीन सेट थे, जिनमें पीएफआरडीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश थे। पीएफआरडीए के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के पास निवेश दिशानिर्देशों का अपना अलग सेट था। सांविधिक भविष्य निधियाँ अपने बोर्ड के अनुमोदन के साथ किसी भी निवेश पैटर्न का पालन करने के लिए स्वतंत्र थी। ईपीएफओ, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों का पालन किया, जबकि नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ) ने वित्त मंत्रालय के निवेश दिशानिर्देशों का पालन किया।
- जिन प्रतिष्ठानों को ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 के तहत छूट दी गई थी, उन्हें अपनी भविष्य निधि के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के निवेश दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य था, इन प्रतिष्ठानों की स्व-प्रबंधित पेंशन निधि के पास उनके बोर्ड के

अनुमोदन के अनुसार वित्त मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का विकल्प था।

- सीडीएलबी के पास यह तय करने के लिए दिशानिर्देश नहीं थे कि निधियों का निवेश कैसे किया जाए। आईआईएफटी के मामले में, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश नियमों का पालन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन संस्थानों ने अपनी अधिकांश निधियों का निवेश सावधि जमा में किया था।
- सांविधिक भविष्य/पेंशन निधियों के निवेश पैटर्न मोटे तौर पर दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, जो ज्यादातर मामलों में अनुपालन को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि, चुनिंदा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों (सीपीएसई और सीएबी) की छूट प्राप्त भविष्य निधियों की समीक्षा से पता चला कि प्रतिष्ठान इक्विटी परिसंपत्ति वर्ग में निवेश पैटर्न से हट गए।
- पीएफआरडीए की जोखिम प्रबंधन रणनीति की समीक्षा से पता चला कि एनपीएस के लिए परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन मॉड्यूल की अनुपस्थिति और कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों (वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग) के लिए स्टॉप लॉस नीतियों का निर्माण नहीं किया गया है।
- सांविधिक निधियों द्वारा निवेश की समीक्षा करने पर, उनकी जोखिम प्रबंधन नीतियों के आलोक में, निर्धारित निवेश श्रेणी से नीचे की प्रतिभूतियों में निवेश का पता चला। उदाहरण के लिए, ईपीएफओ ने ₹16,028 करोड़ रुपये का निवेश किया जो निवेश श्रेणी से नीचे था। इसी तरह, सीएमपीएफओ, एसपीएफओ और एटीईपीएफओ के निवेश में प्रतिभूतियां शामिल थी जिन्हें निवेश श्रेणी से नीचे डाउन ग्रेड किया गया था। छूट प्राप्त निधियों को भी इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, जैसा कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में देखा गया था।
- सांविधिक पेंशन निधियों के बीमांकिक मूल्यांकन की समीक्षा से परिसंपत्ति-देयता बेमेल का पता चला, जो दीर्घकालिक दायित्वों को पूरा करने में संभावित चुनौतियों का संकेत देता है। मार्च 2019 तक, ईपीएफओ के तहत पेंशन योजना की परिसंपत्ति और देयता के बीच का अंतर ₹37,326.94 करोड़ था, जबकि सीएमपीएफओ के तहत पेंशन योजना का बीमांकिक मूल्यांकन अंतर ₹47,961 करोड़ (मार्च 2022 तक) था। ईपीएफओ के मामले में, घाटे के मूल्यांकन में ₹1,000 की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन शामिल नहीं थी, जो भविष्य की देनदारियों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मापदंड है। एटीईपीएफओ में पेंशन योजना का बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

इन चुनौतियों को कम करने के लिए, सभी पेंशन प्रणालियों में निवेश दिशानिर्देशों के मानकीकरण की आवश्यकता है। विनियामक ढांचे को मजबूत करने, जोखिम प्रबंधन नीतियों के कार्यान्वयन और किए गए निवेशों की कड़ी निगरानी के माध्यम से इन अंतरालों को दूर करना पेंशन प्रणालियों की वित्तीय स्थिरता को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। निधियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पेंशन निधियों में परिसंपत्ति-देयता अंतर या बीमांकिक मूल्यांकन की अनुपस्थिति को भी संबोधित करने की आवश्यकता है।

6.3 अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

ईपीएफओ (₹1,000) और सीएमपीएफओ (₹1,000) के तहत पेंशन योजनाओं में न्यूनतम पेंशन की पेशकश की गई थी, जबकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कोई न्यूनतम सुनिश्चित प्रतिफल नहीं था। इसके अलावा, ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से ₹15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को छोड़कर, प्रणाली ने संगठित क्षेत्र में कार्यबल के एक बड़े हिस्से को पेंशन कवरेज से वंचित कर दिया।

पेंशन क्षेत्र में प्रमुख इकाइयों के शिकायत निवारण तंत्रों की लेखापरीक्षा में असमानताएं सामने आईं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- पीएफआरडीए ने शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत विनियमन लागू किया था, जिसमें शिकायतों के निवारण के लिए चरणबद्ध पदानुक्रमित व्यवस्था, निर्धारित टर्न अराऊण्ड समय और समाधान के लिए निर्दिष्ट बिंदु शामिल थे। पीएफआरडीए के नियमों में उच्च स्तर पर प्रेषित शिकायतों से निपटने के लिए लोकपाल की नियुक्ति भी अनिवार्य थी। इन सुविधाओं ने अभिदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक प्रणाली प्रदान की।
- जबकि ईपीएफओ ने शिकायत निवरण के लिए एक आधुनिक पोर्टल की पेशकश की, लेकिन इसमें हल की गई शिकायतों के खिलाफ अपीलों के समाधान के लिए लोकपाल जैसा संस्थागत तंत्र नहीं था।
- इसके विपरीत, अन्य सांविधिक पेंशन प्रणालियां, जैसे कि सीएमपीएफओ, एसपीएफओ और एटीईपीएफओ मुख्य रूप से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) या शिकायत प्रबंधन के लिए मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर थी।
- पीएफ अधिनियम 1925 के तहत चयनित छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों और प्रतिष्ठानों के शिकायत निवारण तंत्र ने विस्तृत शिकायत निवारण नीति (टर्न अराउंड टाइम, प्वाइंट ऑफ क्लोजर, एस्केलेशन मैकेनिज्म को शामिल करना), शिकायतों को दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए आईटी पोर्टल की अनुपस्थिति जैसी कमियों का खुलासा किया। इस प्रकार, पेंशन क्षेत्र में शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता थी।

6.4 असंगठित क्षेत्र के लिए योजनाएं

असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों को केवल सरकार द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक पेंशन योजनाओं (उनकी पात्रता के अनुसार) जैसे अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आदि तक पहुंच थी। भारत सरकार की इन तीन योजनाओं की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला है:

- 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का उद्देश्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएस) और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) जैसी इसी तरह की योजनाऐं अतिव्यापी जनसंख्यिकी को लक्षित करने के लिए 2019 में

शुरू की गई थी, जो क्रमशः 18 से 40 वर्ष के बीच असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को लक्षित करती हैं।

- इस अतिव्यापन के कारण योजनाओं के तहत लक्षित अभिदाता संख्या प्राप्त करने में चुनौतियां उत्पन्न हुईं। एपीवाई में, दिसंबर 2015 तक दो करोड़ आबादी को नामांकित करने का प्रारंभिक लक्ष्य पांच साल की देरी के बाद वित्तीय वर्ष 2020 तक, ही प्राप्त किया गया था। इसी तरह, पीएमएसवाईएम और पीएमकेएमवाई भी 2023-24 तक क्रमशः 4.49 प्रतिशत (10 करोड़ अभिदाताओं के लक्ष्य का) और 3.90 *प्रतिशत* (पांच करोड़ अभिदाताओं के लक्ष्य का) हासिल करने में सक्षम हो पाए थे। लेखापरीक्षा में सभी योजनाओं में अभिदाताओं की संख्या में दोहराव को भी पाया गया।
- पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित एपीवाई ने निवेश दिशानिर्देशों के अपने विशिष्ट सेट का पालन किया। इसके विपरीत, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रबंधित पीएमकेएमवाई आईआरडीएआई के ग्रुप अधिवर्षिता निधियों के निवेश पैटर्न का पालन करता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि दोनों योजनाएं समान पेंशन लाभ प्रदान करती हैं।
- जबकि एपीवाई के लिए अंतर वित्तपोषण आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया गया था, इन योजनाओं के पांच वर्षों से चालू होने के बावजूद, पीएमएसवाईएम और पीएमकेएमवाई के लिए ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

इन योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और एक सुव्यवस्थित ढाँचा बनाने से दोहराव को खत्म करने, अभिदाताओं तक पहुंच बढ़ाने और इच्छित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, योजनाओं की निवेश रणनीतियों के बीच असमानता, समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है क्योंकि इन योजनाओं के उद्देश्य और लाभ समान हैं। निवेश दृष्टिकोणों में अंतर के राजकोषीय निहितार्थ हैं, क्योंकि ये योजनाएं निश्चित पेंशन भुगतान सुनिश्चित करती है, जिसमें भारत सरकार अतंर वित्तपोषण प्रदान करती है। नियमित बीमांकिक आकलन और अंतर का अनुमान लगाने के साथ-साथ समय पर अतंर वित्तपोषण इन योजनाओं की बेहतर वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा।

6.5 भारत में पेंशन प्रणालियों में अन्य मुद्दे

विभिन्न संस्थाएं अपनी संबंधित पेंशन प्रणालियों का प्रबंधन और विनियमन करती हैं, उदाहरण के लिए, ईपीएफओ के पास केवल ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के बारे में विवरण है। इसी तरह, पीएफआरडीए के पास केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योजनाओं के बारे में जानकारी है, जबकि सीएमपीएफओ और एसपीएफओ जैसे क्षेत्र-विशिष्ट प्रशासक केवल अपनी संबंधित योजनाओं का प्रबंधन करते हैं। परिणामस्वरूप, कोई भी मंत्रालय या संगठन भारत में अभिदाताओं की संख्या, कुल एयूएम या भविष्य निधि और पेंशन निधि की समग्र संरचना पर व्यापक डेटा प्रदान नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, भारत की पेंशन प्रणाली सेवानिवृत्ति लाभों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, ईपीएफओ एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत मासिक पेंशन और कर्मचारी जमा सम्बद् बीमा (ईडीएलआई) योजना

के तहत जीवन बीमा कवरेज शामिल है। इसके विपरीत, एसपीएफओ केवल भविष्य निधि लाभ प्रदान करता है, जिसमें पेंशन या बीमा जैसे अतिरिक्त घटकों की कमी होती है। सिविल सेवकों के लिए, पुरानी पेंशन योजना ने भविष्य निधि और परिभाषित पेंशन लाभों के संयोजन की पेशकश की। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के माध्यम से पीएफआरडीए के तहत सुधारित पेंशन व्यवस्था की शुरुआत के साथ, भविष्य निधि लाभ के बिना सेवानिवृत्ति आय पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाजार से जुड़े पेंशन मॉडल का बदलाव आया है। यह भिन्नता विभिन्न प्रणालियों में सेवानिवृत्ति लाभों में असमानता को उजागर करती है।

6.6 आगे की राह

इन वर्षों में, वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए विभिन्न विनियामक निकायों की स्थापना की गई थी। उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत (आरबीआई) में बैंकिंग क्षेत्र (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को विनियमित करता है; भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करता है; और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है। इसी तर्ज पर, पेंशन क्षेत्र के लिए एक एकल विनियामक स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) द्वारा सिफारिश की गई है। यह भारत में पेंशन क्षेत्र को सुव्यवस्थित और गहरा करने में भूमिका निभाने के अलावा, नीतियों को बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित करने, अतिरेक को समाप्त करने के साथ-साथ निवेश और अभिदाता सुरक्षा तंत्र में एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है।

एपीवाई, पीएमएसवाईएम और पीएमकेएमवाई जैसी योजनाओं के बीच अभिसरण का प्रयास करने से ग्राहकों को बेहतर ढंग से लक्षित करने, वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इस तरह के सुधारों से न केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन वितरण की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि प्रशासनिक खर्चों को कम करके और वित्तीय निगरानी में सुधार करके सरकार पर राजकोषीय बोझ भी कम होगा।

(आनंद मोहन बजाज)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक और प्रतिवेदन केंद्रीय)
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 13 जुलाई 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 15 जुलाई 2026

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

(पैरा 1.4.3 में संदर्भित)

हितधारकों के साथ जुड़ाव

प्रारंभ में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। पीएफआरडीए के परिसर में दिनांक 8 जुलाई 2022 को सीएजी के अधिकारियों, पीएफआरडीए के अध्यक्ष सहित पीएफआरडीए के अधिकारियों और वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव (पेंशन सुधार) के बीच एक हितधारक जुड़ाव बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों और लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स में संशोधन किया गया।

भारत में पेंशन विनियमन के अवलोकन पर 6 सितंबर 2022 को सीएजी कार्यालय में एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में वित्त मंत्रालय, पीएफआरडीए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों के आधार पर, धन संचय उत्पादों (पेंशन उत्पाद और सेवानिवृत्ति कॉर्पस) के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखने और पेंशन यूनीवर्स का आकलन करने और विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रबंधित पेंशन/सेवानिवृत्ति कॉर्पस की पर्याप्तता, स्थिरता और प्रामाणिकता का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, सीएमपीएफओ, नाविक भविष्य निधि संगठन, असम चाय बागान भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ और अन्य पेंशन उत्पादों की लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

विभाग में और विचार-विमर्श के बाद, उपर्युक्त संगठनों और विभिन्न मंत्रालयों की चयनित पेंशन योजनाओं को शामिल करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा के दायरे (जनवरी 2023) का विस्तार किया गया। इसके अलावा, मई 2023 में की गई मध्यावधि समीक्षा के बाद, चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा प्रबंधित भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधियों की लेखापरीक्षा को शामिल करने के लिए लेखापरीक्षा के दायरे का और विस्तार किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल लेखापरीक्षा इकाइयों का विवरण और उनके साथ आयोजित उद्घाटन सम्मेलन और समापन सम्मेलन की तिथियाँ इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा इकाई	उद्घाटन सम्मेलन की तिथि	समापन सम्मेलन तिथि
1.	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	12.01.2022	07.03.2025
2.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	12.01.2022	21.08.2024
3.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)	04.07.2023	02.08.2024

क्र.सं.	लेखापरीक्षा इकाई	उद्घाटन सम्मेलन की तिथि	समापन सम्मेलन तिथि
4.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए)	फरवरी 2023	26.07.2024
5.	श्रम और रोजगार मंत्रालय (प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए)	जून 2023	29.05.2024
6.	वित्तीय सेवाएं विभाग (प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए)	16.02.2023	06.03.2024
7.	असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ)	03.08.2022	01.11.2023
8.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)	13.02.2023	07.08.2024
9.	नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ)	24.03.2023	25.10.2023
10.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	25.07.2023	03.09.2024
11.	मेकॉन लिमिटेड	05.07.2023	03.01.2024
12.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)	13.07.2023	26.10.2023
13.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	27.07.2023	18.08.2023
14.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी)	12.07.2023	01.11.2023
15.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)	11.07.2023	01.09.2023

अनुलग्नक -II

(पैरा 2.1.1 में संदर्भित)

पीएफआरडीए की शक्तियां और कार्य

पीएफआरडीए की शक्तियों और कार्यों में शामिल होंगे:

ए. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं को विनियमित करना, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है।

बी. योजनाओं, उनके निबंधन और शर्तों को अनुमोदित करना और निवेश दिशा-निर्देशों सहित पेंशन निधियों के कॉर्पस के प्रबंधन के लिए मानदंड निर्धारित करना।

सी. मध्यस्थों का पंजीकरण और विनियमन।

डी. एक मध्यस्थ को आवेदन पर, पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना और इस तरह के पंजीकरण का नवीनीकरण, संशोधन, वापस लेना, निलंबन या रद्द करना।

ई. अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा करना:

i. पेंशन निधियों की विभिन्न योजनाओं जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, में अभिदाताओं के अंशदान की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

ii. यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत मध्यस्थता और अन्य परिचालन लागत किफायती और उचित हैं।

एफ. अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र स्थापित करना जो विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

जी. मध्यस्थों के बीच और मध्यस्थों और अभिदाताओं के मध्य विवादों का अधिनिर्णयन करना।

एच. मध्यस्थों से ऑकड़े एकत्र करवाना और अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाएं शुरू करना तथा उन्हें चालू करना।

आई. पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत एवं संबंधित मुद्दों पर अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने व मध्यस्थों के प्रशिक्षण हेतु कदम उठाना।

जे. पेंशन निधियों के निष्पादन और निष्पादन बेंचमार्क के बारे में सूचना के प्रसार का मानकीकरण करना।

के. विनियमित परिसंपत्तियों को विनियमित करना।

एल. इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य प्रभार लगाना।

एम. विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करना कि मध्यस्थ द्वारा किस रूप और तरीके से खाते की पुस्तकों का रखरखाव किया जाएगा और खातों का विवरण प्रदान किया जाएगा।

एन. पेंशन निधि से जुड़े मध्यस्थों और अन्य इकाइयों या संगठनों से जानकारी मांगना, उनका निरीक्षण करना और लेखापरीक्षा सहित पूछताछ व जाँच करना।

ओ. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कार्य जो निर्धारित किए जाएं।

अनुलग्नक -III

(पैरा 2.1.2 में संदर्भित)

एनपीएस संरचना में शामिल पंजीकृत मध्यस्थों के नाम

केंद्रीय रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसियां:

(i) कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस), चेन्नई

(ii) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद

(iii) प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई

न्यासी बैंक:

एक्सिस बैंक लिमिटेड

पेंशन निधि:

i. सरकारी क्षेत्र के तहत 'डिफ़ॉल्ट योजना' के लिए पेंशन निधि (पीएफ):

- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- यूटीआई पेंशन फंड लिमिटेड

ii. सरकारी ('डिफ़ॉल्ट योजना' के अलावा) और निजी क्षेत्र के लिए पेंशन निधि (पीएफ):

- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- यूटीआई पेंशन फंड लिमिटेड
- एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- टाटा पेंशन फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड

अभिरक्षक:

ड्यूश बैंक एजी

अनुलग्नक -IV

(पैरा 2.3.1 और 2.3.3 में संदर्भित)

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देश

पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियमावली 2015 के विनियम 14 में कहा गया है कि पेंशन निधि अपने कॉर्पस के प्रबंधन के ऐसे मानदंडों के अनुसार योजनाओं का प्रबंधन करेगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित निवेश दिशानिर्देश भी शामिल हो। पीएफआरडीए ने 20 जुलाई 2021 को अपने परिपत्र के माध्यम से एनपीएस और एपीवाई की योजना सीजी, स्कीम एसजी, कॉर्पोरेट सीजी और एनपीएस लाइट योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देश जारी किए, जहां निवेश की एक श्रेणी में अनुमत कुल निवेश की राशि के प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू होती है। नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार कैपिंग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

श्रेणी	निवेश की श्रेणी	निवेश की जाने वाली अधिकतम प्रतिशत राशि
I	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55% तक
II	ऋण लिखत और संबंधित निवेश	45% तक
III	अल्पकालिक ऋण लिखत और संबंधित निवेश	10% तक
IV	इक्विटी और संबंधित निवेश	15% तक
V	परिसंपत्ति-समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश	5% तक

उपर्युक्त कैपिंग के अलावा, पीएफआरडीए पेंशन निधि प्रबंधकों को नीचे दिए गए अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है:

- श्रेणी II के तहत ऋण लिखत में निवेश ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाएगा जिनकी सेबी के पास पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से लागू रेटिंग स्केल में न्यूनतम एए व समकक्ष रेटिंग हो या इसके समकक्ष हो।
- यदि ऊपर उल्लिखित किसी भी लिखत के लिए रेटिंग उस लिखत में निवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुमेय निवेश ग्रेड से नीचे आती है, जैसा कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पुष्टि की गई थी, तो निकास/निर्गम विकल्प पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त रूप से इस तरह से प्रयोग किया जाएगा जो अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में हो।
- पेंशन निधि और न्यास निधि के प्रबंधन की लागत को नियंत्रित करने और इष्टतम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे और निवेश की प्रक्रिया जवाबदेह और पारदर्शी होगी।

इसी आधार पर, पीएफआरडीए ने अलग श्रेणी के तहत अन्य योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत निम्नलिखित परिसंपत्ति वर्गों को शामिल किया गया था:

- परिसंपत्ति वर्ग ई: इक्विटी और संबंधित लिखत
    - परिसंपत्ति वर्ग सी: कॉर्पोरेट ऋण और संबंधित लिखत

- परिसंपत्ति वर्ग जी: सरकारी बॉन्ड और संबंधित लिखत
- परिसंपत्ति वर्ग ए: वैकल्पिक निवेश निधि जिनमें वाणिज्यिक मॉर्गेज-समर्थित प्रतिभूतियां (सीएमबीएस), मॉर्गेज-समर्थित प्रतिभूतियां (एमबीएस), रियल एस्टेट निवेश न्यास (आरईआईटी), अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट), आदि जैसे उपकरण शामिल हैं।

अनुलग्नक -V

(पैरा 2.4.5 में संदर्भित)

एनपीएस संरचना में शिकायत निवारण तंत्र

एनपीएस संरचना में शिकायत निवारण तंत्र की व्यापक विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- एनपीएस और प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी भी अन्य पेंशन योजना के तहत प्रत्येक मध्यस्थ के पास प्राप्त शिकायतों को त्वरित और निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने, पंजीकृत करने, पावती देने और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रणाली और प्रक्रिया होगी।
- शिकायत निवारण नीतियों को पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित या संशोधित बेंचमार्कों और मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इन बेंचमार्कों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शिकायत के समाधान में लगने वाला समय, सेवा की गुणवत्ता, शिकायतें प्राप्त करने का तरीका, एनपीएस या किसी अन्य पेंशन योजना के तहत मध्यस्थों के प्रति बकाया शिकायतों की संख्या आदि शामिल हो सकते हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएसटी) न्यूनतम शर्तों के साथ मध्यस्थों और अन्य इकाइयों के लिए दो-स्तरीय शिकायत निवारण नीति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित करेगा और यह समग्र शिकायत प्रबंधन प्रणाली के लिए जिम्मेदार होगा।
- एनपीएस न्यास को एनपीएस के तहत योजनाओं के संबंध में शिकायत प्रबंधन प्रणाली की निगरानी और समय-समय पर समीक्षा और निरीक्षण करने की आवश्यकता होगी। यह पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी समीक्षा और निरीक्षण पर प्रतिवेदन पीएफआरडीए को अग्रेषित करेगा।

शिकायत निवारण के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी)

- प्रत्येक शिकायत का निपटान उसकी प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा और शिकायतकर्ता को अंतिम उत्तर भेजा जाएगा, जिसमें शिकायत के समाधान या अस्वीकृति का विवरण होगा, जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
- एनपीएस या पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के तहत मध्यस्थ, शिकायत का निपटान करते समय, शिकायतकर्ता को सूचित करेगा कि वह इस तरह के समाधान या अस्वीकृति से असंतुष्ट होने पर शिकायत को आगे बढ़ा सकता है।

समापन बिंदु

शिकायत को निम्नलिखित में से किसी भी उदाहरण में निपटाया और बंद माना जाएगा, अर्थात्:

- जब पीएफआरडीए द्वारा विनियमित मध्यस्थ या इकाई ने शिकायतकर्ता के अनुरोध को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो।
- जहां शिकायतकर्ता ने लिखित रूप में पीएफआरडीए द्वारा विनियमित मध्यस्थ या इकाई की प्रतिक्रिया पर स्वीकृति का संकेत दिया है।

- जहां शिकायतकर्ता ने पीएफआरडीए द्वारा विनियमित मध्यस्थ या इकाई की लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया है।
- जहां शिकायत निवारण अधिकारी ने अभिदाता को सूचित करते हुए प्रमाणित किया है कि पीएफआरडीए द्वारा विनियमित मध्यस्थ या इकाई ने अपने संविदात्मक, सांविधिक और नियामक दायित्वों का निर्वहन किया है और इसलिए शिकायत को बंद कर दिया है।
- जहां शिकायतकर्ता ने पीएफआरडीए या एनपीएस न्यास द्वारा विनियमित मध्यस्थ या इकाई द्वारा संप्रेषित शिकायत के समाधान या अस्वीकृति की तिथि से 45 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी है।
- जहां अपील में लोकपाल के निर्णय के बारे में ऐसे शिकायतकर्ता को सूचित किया गया है।

अनुलग्नक -VI

(पैरा 3.1 में संदर्भित)

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत योजनाओं का विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

यह योजना 1 नवंबर 1952 को लागू हुई थी। यह एक सांविधिक लाभ है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद या जब वे सेवा छोड़ते हैं तब उपलब्ध होता है। योजना का विवरण इस प्रकार है:

उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों, कर्मचारियों के एक वर्ग, या उनके कानूनी उत्तराधिकारी (मृत्यु के मामले में), जो एक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, जिस पर ईपीएफ और एमपी अधिनियम लागू होता है, के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्रदान करना है।

कवरेज: यह योजना 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों/कारखानों की अपनी निर्धारित सूची के तहत सभी प्रतिष्ठानों को कवर करना अनिवार्य करती है।

सदस्यता: इस योजना के तहत 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों/कारखानों की अपनी अनुसूचित सूची के तहत सभी प्रतिष्ठानों को शामिल करना अनिवार्य है, जिसमें ₹15,000 के बराबर या उससे कम मासिक पारिश्रमिक (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) अर्जित करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना है।

अंशदान: सदस्य का अंशदान (ईपीएफ पारिश्रमिक का 12 प्रतिशत) और नियोक्ता का अंशदान (*कर्मचारी पेंशन योजना के लिए कुल 12* प्रतिशत हिस्से का *8.33 प्रतिशत निर्देशित करने के बाद ईपीएफ पारिश्रमिक* का 3.67 *प्रतिशत*) सदस्य के ईपीएफ खाते में जाता है।

31 मार्च 2024 तक ईपीएफ योजना के तहत कुल निवेश ₹15.29 लाख करोड़ था।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर 1995 में लागू हुई। ईपीएस को 'परिभाषित अंशदान - परिभाषित लाभ' सामाजिक बीमा योजना के सिद्धांतों पर तैयार किया गया है और यह दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए 'बीमांकिक सिद्धांतों' को अपनाता है। इस योजना का उद्देश्य सदस्यों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक भरण-पोषण और उत्तरजीविता कवरेज प्रदान करना है।

प्रयोज्यता: ईपीएस, अपनी शुरुआत में, कर्मचारी भविष्य निधि के सभी मौजूदा सदस्यों पर अनिवार्य रूप से लागू होता था जो कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में अंशदान कर रहे थे। 16 नवंबर 1995 के बाद से भविष्य निधि के सदस्यों के रूप में, नए प्रवेशकों ने अनिवार्य आधार पर योजना की सदस्यता भी प्राप्त की। तथापि, यह सितंबर 2014 से प्रति माह ₹15,000 की सांविधिक पारिश्रमिक सीमा तक सीमित है।

पात्रता: ईपीएस का एक सदस्य निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर ईपीएस के तहत अधिवर्षिता/समय-पूर्व पेंशन के लिए पात्र हो जाता है: (i) न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा; और (ii) 58 वर्ष की आयु (अधिवर्षिता के लिए)/50 वर्ष (समय-पूर्व पेंशन के लिए)।

अंशदान: कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का वित्तपोषण, भविष्य निधि अंशदान के मासिक नियोक्ता हिस्से से मासिक पारिश्रमिक का 8.33 प्रतिशत निर्देशित करके, और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मासिक पारिश्रमिक का 1.16 प्रतिशत (केवल ₹15000 के देय पारिश्रमिक की राशि तक सीमित) अंशदान से किया जाता है।

लाभ: पात्र सदस्यों को अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति या विकलांगता पर मासिक पेंशन मिलती है। मासिक पेंशन मृतक सदस्यों के आश्रितों *अर्थात* विधवा (विधुर), बच्चों, माता-पिता/नामित व्यक्ति के लिए भी देय है।

31 मार्च 2024 तक ईपीएस योजना के तहत कुल निवेश ₹8.76 लाख करोड़ था।

कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई)

कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना,1976 अगस्त 1976 में लागू हुई।

प्रयोज्यता: बीमा योजना उन सभी कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जिन पर ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 लागू होता है। सभी कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के सदस्य हैं।

अंशदान: यह योजना नियोक्ताओं द्वारा नाममात्र के अंशदान द्वारा समर्थित है। बीमा सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी द्वारा कोई अंशदान देय नहीं है।

लाभ: सेवा के दौरान किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु की स्थिति में, ₹7 लाख तक का बीमा देय है।

अनुलग्नक -VII

(पैरा 3.1.1 में संदर्भित)

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के तहत विभिन्न समितियों के कार्य

समिति का नाम	कार्य
वित्त, निवेश और लेखापरीक्षा समिति (एफआईएसी)	• पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित निवेश की देखरेख करना। • पोर्टफोलियो प्रबंधकों के चयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति। • पोर्टफोलियो प्रबंधकों को निधि के पारस्परिक आबंटन के व्यापक सिद्धांत। • केंद्रीय न्यासी बोर्ड को निवेश दिशानिर्देशों में सुझाव और परिवर्तन की सिफारिश करना। • पीएफ सदस्यों के खातों में जमा की जाने वाली ब्याज दर की सिफारिश केंद्रीय न्यासी बोर्ड को करना।
पेंशन और ईडीएलआई कार्यान्वयन समिति (पीईआईसी)	• कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 के कार्यों की समीक्षा करना
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति (ईईसी)	• सभी प्रकार से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कार्यों की निगरानी करना और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कार्यों में सुधार के लिए बोर्ड को सुझाव देना। • छूट/रियायत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देशों पर विचार करना और सुझाव देना।
कार्यकारी समिति	• निवेश नीति पर विचार करना और निवेश पद्धति के उदारीकरण के संबंध में बोर्ड को उचित सिफारिशें करना। • संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कार्य मानदंडों को निर्दिष्ट करना। • ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की विधि, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियमों को तैयार करना/संशोधित करना।

अनुलग्नक -VIII

(पैरा 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2.1, 3.4.2, 4.5.2.1 और 4.8.2.1 में संदर्भित)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति

श्रेणी	निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली राशि का प्रतिशत (श्रम और रोजगार मंत्रालय)	निवेश की जाने वाली राशि का प्रतिशत (वित्त मंत्रालय)
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	न्यूनतम 45% और 65% तक	न्यूनतम 45% और 50% तक
(ii)	ऋण लिखत और संबंधित निवेश	न्यूनतम 20% और 45% तक	न्यूनतम 35% और 45% तक
(iii)	अल्पकालिक ऋण और संबंधित निवेश	5% तक	5% तक
(iv)	इक्विटी और संबंधित निवेश	न्यूनतम 5% और 15% तक	न्यूनतम 5% और 15% तक
(v)	परिसंपत्ति-समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश	5% तक	5% तक

अनुलग्नक- IX

(पैरा 3.2 में संदर्भित)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) की विभिन्न योजनाओं का विवरण

कोयला खान पेंशन योजना, 1998

कोयला खान पेंशन योजना, 1988 (सीएमपीएस) को कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। सीएमपीएस 31 मार्च 1998 से पूर्ववर्ती कोयला खान पारिवारिक पेंशन योजना (सीएमएफपीएस), 1971 के स्थान पर लागू हुआ। यह योजना उन सभी कर्मचारियों को कवरेज प्रदान करती है जो पूर्ववर्ती सीएमएफपीएस के सदस्य थे और जो सीएमपीएस के प्रावधानों के अनुसार पात्र हैं। अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को योजना के अनुसार पेंशन के भुगतान का प्रावधान करने के लिए एक पेंशन निधि की स्थापना की गई थी। सीएमपीएस एक हाइब्रिड पेंशन[1] योजना है जो औसत परिलब्धियों के 25 प्रतिशत या अधिवर्षिता के बाद प्रति माह ₹1,000 से कम नहीं की, दर से सदस्यों को मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, अधिवर्षिता से पहले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, सीएमपीएस आश्रितों को 'विधवा या विधुर पेंशन', 'बाल पेंशन', 'अनाथ पेंशन' और अनुग्रह राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

30 सितंबर 2017 तक, कर्मचारी और नियोक्ता कर्मचारी के वेतन के दो और एक-तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान कर रहे थे। इसके बाद, दर को कर्मचारी के वेतन का सात प्रतिशत और नियोक्ता द्वारा समान प्रतिशत के समतुल्य अंशदान के साथ संशोधित किया गया था। उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारी के वेतन के एक और दो-तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि (अधिकतम वेतन ₹1,600 प्रति माह तक) भी केंद्र सरकार द्वारा निधि में अंशदान की गई थी।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) योजना कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के तहत कोयला खानों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। यह अधिनियम कोयला खनन और संबंधित गतिविधियों में शामिल सभी कंपनियों पर लागू होता है। सीएमपीएफ योजना कोयला खान कर्मचारियों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सेवानिवृत्ति पर और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर लाभ प्रदान करती है। सभी कर्मचारी, चाहे सीधे कार्यरत हों या ठेकेदारों के माध्यम से, पहले दिन से पात्र हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12 प्रतिशत (1 मई 2000 से) का अंशदान करते हैं। निधि पर ब्याज न्यासी बोर्ड (बीओटी) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार जमा किया जाता है। सीएमपीएफ योजना का प्रबंधन न्यासी बोर्ड (बीओटी) द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सीएमपीएफओ के आयुक्त संगठन की देखरेख करने वाले पदेन सदस्य हैं। यह योजना कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित सीएमपीएफओ के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होती है, जिसका मुख्यालय धनबाद, झारखंड में स्थित है।

---

[1] *मार्च 2014 से न्युनतम पेंशन बढाकर ₹1000 प्रतिमाह की गई*

अनुलग्नक- X

(पैरा 3.3 में संदर्भित)

नाविक भविष्य निधि संगठन

समझौते के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक नाविक, नाविक भविष्य निधि संगठन का सदस्य बनने का हकदार है और उसे ऐसा करना आवश्यक है। कॉर्पस का कोई सदस्य तब तक सदस्य बना रहता है जब तक वह अपने खाते में जमा राशि को निधि से आहरित नहीं कर लेता।

नियोक्ता द्वारा देय अंशदान प्रत्येक नाविक को उसके नियोक्ता द्वारा देय पारिश्रमिक के बारह (12) प्रतिशत की दर[2] से होता है (नियोक्ता का अंशदान)। अंशदान की समान राशि, यानी 12 प्रतिशत की दर से, नियोक्ता द्वारा नाविक (सदस्य का अंशदान) के वेतन से देय है। नाविक के पास 12 प्रतिशत के अनिवार्य अंशदान से अधिक अतिरिक्त राशि का अंशदान करने का विकल्प है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि नियोक्ता पर इस अंशदान को आनुपातिक रूप से बढ़ाने की कोई बाध्यता है।

[2] *1978 में शुरुआत में 6 प्रतिशत से बढकर 10 प्रतिशत और 22 सितंबर 1997 से बारह प्रतिशत हो गया।*

अनुलग्नक- XI
(पैरा 3.4 में संदर्भित)

असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

असम चाय बागान भविष्य निधि योजना (1955)

₹15,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हालांकि, प्रबंधकीय और कार्यकारी संवर्गों के कर्मियों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। निधि में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान को स्रोत पर 12 प्रतिशत की दर से काटा जाता है। सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति के समय अभिदाता को भविष्य निधि में संचित संपूर्ण राशि प्राप्त होती है।

31 मार्च 2024 तक, 1,266 चाय बागान/कारखाने को एटीईपीएफओ के तहत पंजीकृत थे, जहां योजना के प्रवर्तन से पहले बारह महीनों के किसी भी दिन 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। 31 मार्च 2024 तक, 12,82,989 सदस्यों ने निधि की सदस्यता ली थी। मार्च 2024 तक भविष्य निधि का कार्पस/समापन शेष ₹13,887.71 करोड़ था, जो वर्ष 2017-18 में ₹8,604.21 करोड़ से बढ़कर प्रतिवर्ष सात प्रतिशत से नौ प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्शाता है। 2017-19 के दौरान योजना के लिए ब्याज दर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी और उसके बाद (2019-24 के दौरान) सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से थी।

पेंशन-सह-पारिवारिक पेंशन योजना

सभी भविष्य निधि अभिदाता, नियोक्ताओं या कर्मचारियों की ओर से किसी भी वित्तीय दायित्व के बिना सेवानिवृत्ति पर पेंशन संबंधी लाभ के लिए पात्र हैं। यह योजना उन पीएफ सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा प्रदान की है और 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। योजना के तहत परिभाषित लाभ (पेंशन) दिनांक 01.04.2020 से[3] कुल पीएफ संचय का 90 प्रतिशत है जो सेवा समाप्ति के समय देय है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 12 वर्षों के लिए मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। निधि का स्रोत, यानी पेंशन निधि में अंशदान, भविष्य निधि में अर्जित ब्याज से निर्धारित राशि को सालाना हस्तांतरित करके किया जाता है।

पारिवारिक पेंशन योजना (1972) में निधि के किसी मृत सदस्य के परिवार को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, बशर्ते कि भविष्य निधि में सदस्यता का एक वर्ष पूरा हो। मृतक अभिदाता के पति या पत्नी को मृत्यु/पुनर्विवाह की तिथि तक ₹1,000 से ₹1,500 प्रति माह की दर से पारिवारिक पेंशन लाभ दिया जाता है, उसके बाद सबसे बड़े बच्चे - बेटे को 18 वर्ष तक और बेटी को 21 वर्ष तक या विवाह तक दिया जाता है। पारिवारिक पेंशन योजना के लिए निधि का स्रोत भारत सरकार (जीओआई) का अंशदान है। भारत सरकार वास्तविक प्रशासनिक लागत के साथ-साथ कुल पारिश्रमिक का 1.167 प्रतिशत अंशदान देती है।

[3] *दिनांक 01.04.2020 से पहले, कुल पीएफ संचय का 75 प्रतिशत मासिक आधार पर 10 वर्षों के लिए देय था।*

दोनों योजनाओं में, न तो पेंशनभोगी और न ही परिवार के सदस्यों को कोई अंशदान करने की आवश्यकता है। पेंशन-सह-परिवार पेंशन निधि का कॉर्पस 2017-18 में ₹181.93 करोड़ था और मार्च 2024 तक बढ़कर ₹376.21 करोड़ हो गया।

अनुलग्नक- XII
(पैरा 4.3 में संदर्भित)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की भविष्य निधि और पेंशन निधि

भविष्य निधि

सीसीआईएल ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान के तहत एक छूट प्राप्त संगठन है। सीसीआईएल कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) की स्थापना 29 अप्रैल 1972 को आयोजित सीसीआईएल की 18वीं बोर्ड बैठक में की गई थी। सीपीएफ ने 31 मई 1972 को अपना परिचालन शुरू किया। सीपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की देखरेख में कार्य करता है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानों का पालन करता है। नियमित और अस्थायी दोनों कर्मचारी सीपीएफ के अंतर्गत आते हैं। सीसीआई सीपीएफ के तहत, नियोक्ता वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत अंशदान देता है और प्रत्येक कर्मचारी ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 में निर्धारित दर पर मासिक अंशदान देता है, जो वर्तमान में नियोक्ता द्वारा देय अंशदान (यानी वेतन का 12 प्रतिशत) के बराबर है।

मार्च 2024 तक, सीसीआई सीपीएफ के अंतर्गत 9,835 सदस्य शामिल थे और सीपीएफ के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) ₹189.60 करोड़ थी।

अधिवर्षिता पेंशन योजना

संगठन दो प्रकार की पेंशन प्रदान करता है अर्थात् ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना और सीसीआईएल द्वारा प्रबंधित अंशदायी अधिवर्षिता योजना (सीएसएस)।

कर्मचारी पेंशन योजना

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का वित्त पोषण नियोक्ता के भविष्य निधि अंशदान के मासिक हिस्से से मासिक वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के 8.33 प्रतिशत के समतुल्य राशि के विचलन के साथ-साथ मासिक वेतन के 1.16 प्रतिशत का अंशदान द्वारा किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,250 प्रति माह यानी ₹15,000 प्रति वर्ष है, जो ईपीएफओ को प्रेषित की जाती है।

अंशदायी अधिवर्षिता योजना (सीएसएस)

सीसीआईएल सीसीएस केवल संगठन के नियमित कर्मचारियों पर लागू होता है जो उनके लिए वैकल्पिक है। वेतन के प्रतिशत के रूप में अंशदान की एक निश्चित दर (सेवा में प्रवेश के समय आयु के आधार पर तीन प्रतिशत से छह प्रतिशत तक) कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है। यह एक परिभाषित अंशदान योजना है जिसमें निधि में नियोक्ता का अंशदान भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों में नियोक्ता के अंशदान की राशि को कम करके वेतन के कुल योग के 30 प्रतिशत तक सीमित है।

मार्च 2024 तक, सीएसएस के अंतर्गत 691 नियमित कर्मचारी शामिल थे और प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियां ₹98.68 करोड़ थी।

अनुलग्नक- XIII
(पैरा 4.4 में संदर्भित)

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भविष्य निधि और पेंशन योजनाएं

कर्मचारी भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य भविष्य निधि योजना का प्रावधान करता है जहां 20 या उससे अधिक व्यक्ति तैनात हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 17(1) सरकार को किसी प्रतिष्ठान को छूट देने और अपनी स्वयं की भविष्य निधि को संचालित करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है, इस शर्त के साथ कि नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से युक्त भविष्य निधि के प्रशासन के लिए एक न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

अधिनियम के अनुसार, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में मूल वेतन (बीपी) और महंगाई भत्ते (डीए) के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है और इसी तरह का अंशदान कर्मचारियों द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा, नियोक्ता के अंशदान में से, 30 सितंबर 2014 को या उससे पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में कुल मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 8.33 प्रतिशत के बराबर राशि और ₹15000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान किया जाता है और शेष राशि कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जमा की जाती है। दिनांक 30 सितंबर 2014 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, कटौती की गई कुल राशि उनके ईपीएफ खाते में जमा की जाती है। ईपीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान का प्रबंधन सीपीसीएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

पेंशन योजनाएं

सीपीसीएल अपने सदस्यों को तीन अलग-अलग पेंशन योजनाएं प्रदान करता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

i. कर्मचारी पेंशन योजना

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का वित्तपोषण नियोक्ता के भविष्य निधि अंशदान के मासिक हिस्से से मासिक वेतन के 8.33 प्रतिशत के समतुल्य राशि को विचलन के साथ-साथ मासिक वेतन के 1.16 प्रतिशत के अंशदान द्वारा किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,250 प्रति माह अर्थात ₹15,000 प्रति वर्ष है, जो ईपीएफओ को जमा की जाती है।

ii. अधिवर्षिता लाभ निधि (एसएबीएफ)

एक परिभाषित अंशदान योजना (डीसीपीएस) जिसे अधिवर्षिता लाभ निधि कहा जाता है, नवंबर 2006 में परिभाषित लाभ योजना के स्थान पर लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, अधिवर्षिता लाभों में कर्मचारी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ निधि के लिए अंशदान की दरों को समायोजित करने के बाद, मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के कुल योग का 30 प्रतिशत तक, शेष प्रतिशत परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन हेतु अंशदान की दर

होगा। यह राशि संबंधित कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की जाती है। वर्तमान में, परिभाषित अंशदान पेंशन लाभ खाते का पूर्ण प्रबंधन सीपीसीएल कर्मचारी सेवानिवृत्ति न्यास के नाम से संचालित एक न्यास के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रारंभ में, एलआईसी द्वारा प्रबंधित अधिवर्षिता लाभ निधि (एसएबीएफ) कंपनी की पेंशन योजना के तहत एकमात्र विकल्प था। 2020 में, कर्मचारियों को पुरानी योजना (एसएबीएफ) और नई पेंशन योजना (एनपीएस) या दोनों के साथ जारी रहने के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया था। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करता है, तो एसएबीएफ में राशि केवल अधिवर्षिता के समय ही एनपीएस में स्थानांतरित की जाएगी।

iii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

एनपीएस के संदर्भ में, प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी डिफ़ॉल्ट पेंशन निधि प्रबंधक है, जिसमें परिसंपत्ति आवंटन का पूर्वनिर्धारित विकल्प (डिफ़ॉल्ट चॉइस) ऑटो चॉइस कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल है। हालाँकि, कर्मचारियों के पास एनपीएस के तहत पंजीकृत लोगों में से अपने स्वयं के पेंशन निधि प्रबंधक का चयन करने की सुविधा है। सीपीसीएल के प्रबंधन की भूमिका केवल कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के अंशदान को संबंधित निधि प्रबंधक को प्रेषित करने तक ही सीमित है।

अनुलग्नक- XIV

(पैरा 4.5 में संदर्भित)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सेवानिवृत्ति लाभ

भविष्य निधि

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) के अंतर्गत अपने स्वकीय कर्मचारी भविष्य निधि के संचालन हेतु एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है। तदनुसार, विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (वीएसपीईपीएफ) की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। वीएसपीईपीएफ न्यास के नियम तैयार किए गए तथा 1 अप्रैल 1982 से प्रभावी हुए थे।

नियोक्ता, समय-समय पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में निर्धारित दर के अनुसार, प्रत्येक माह सदस्य के व्यक्तिगत खाते में नियोक्ता अंशदान के रूप में राशि जमा करेगा। वर्तमान में, आरआईएनएल वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते) के 12 प्रतिशत के बराबर मासिक अंशदान सदस्य के व्यक्तिगत खाते में जमा करता है। इसमें से वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते) के 8.33 प्रतिशत, जो अधिकतम ₹1,250 प्रति माह अर्थात् ₹15,000 प्रति वर्ष तक सीमित है, को कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत ईपीएफओ को प्रेषित किया जाता है तथा शेष राशि वीएसपीईपीएफ में जमा की जाती है। इसी प्रकार, न्यास के सदस्य भी प्रत्येक माह वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते) के 12 प्रतिशत के बराबर अंशदान अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करते हैं। नियोक्ता को कर्मचारियों के अंशदान तथा नियोक्ता के अंशदान की राशि अगले माह की 15 तारीख से पूर्व न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित करनी होती है।

पेंशन योजना

आरआईएनएल अपने कर्मचारियों/श्रमिकों को दो प्रकार की पेंशन प्रदान करता है, अर्थात् कर्मचारी पेंशन योजना, जो ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत है, तथा अपनी स्वयं की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, अर्थात् कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि (ईएसबीएफ)।

i) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नियोक्ता के 12 प्रतिशत अंशदान में से वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते) के 8.33 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,250 प्रति माह अर्थात् ₹15,000 प्रति वर्ष है, को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत ईपीएफओ को प्रेषित किया जाता है।

ii) कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि (ईएसबीएफ)

कंपनी ने 1 नवंबर 1995 से प्रभावी एक अनुमोदित अधिवर्षिता निधि के रूप में कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि (ईएसबीएफ) की भी स्थापना की तथा आयकर अधिनियम, 1961 की अनुसूची-IV के भाग 'ख' की धारा 2(1) के अंतर्गत छूट हेतु अनुमोदन (10 अक्टूबर 1996) प्राप्त किया। इस्पात मंत्रालय (एमओएस) ने (11 फरवरी 2019) को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईस हेतु एक पेंशन योजना प्रारंभ की। आरआईएनएल ने 1 जनवरी 2007 से कार्यपालकों के मामले में तथा 1

जनवरी 2012 से गैर-कार्यपालकों के मामले में 'आरआईएनएल की कर्मचारी पेंशन (परिभाषित अंशदान) योजना' (ईपीएस) प्रारंभ की।

पेंशन योजना को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यान्वित करने के लिए, आरआईएनएल के निदेशक बोर्ड ने (28 मार्च 2019) को 'आरआईएनएल कर्मचारी पेंशन (परिभाषित अंशदान) योजना' प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत निधि का प्रबंधन आरआईएनएल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि (ईएसबीएफ) न्यास द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के आधार पर, कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों की पात्रता पृथक रूप से निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

- कार्यकारी, जिनमें कार्यात्मक निदेशक और प्रबंधन प्रशिक्षु शामिल हैं, जो 1 जनवरी 2007 को कंपनी के अधीन कार्यरत थे और उसके बाद भर्ती किए गए, योजना में अन्यथा प्रावधानित बातों को छोड़कर, आरआईएनएल ईपीएस के अंतर्गत कंपनी के अंशदान के लिए पात्र होंगे।
- गैर-कार्यकारी, जिनमें भावी रोजगार हेतु भर्ती किए गए प्रशिक्षु भी शामिल हैं, जो 1 जनवरी 2012 को कंपनी के अधीन कार्यरत थे और उसके बाद भर्ती किए गए, वे इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित बातों को छोड़कर, आरआईएनएल ईपीएस के अंतर्गत कंपनी के अंशदान के लिए पात्र होंगे।
- आरआईएनएल के वे कर्मचारी, जो अन्य सीपीएसई, सरकारी विभागों आदि में प्रतिनियुक्ति/लियन पर थे, ईपीएस योजना के अंतर्गत पात्र थे, बशर्ते ऐसे कर्मचारी बाद में आरआईएनएल में पुनः कार्यभार ग्रहण करें तथा आरआईएनएल से सेवानिवृत्त हों या त्यागपत्र दें। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी मामलों में, कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति ग्रहण करने वाला संगठन पेंशन कॉर्पस के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का निर्धारित प्रतिशत आरआईएनएल को अंशदान के रूप में देगा।

प्रारंभ में आरआईएनएल ईएसबीएफ नियमावली, 1995 के अनुसार, नियोक्ता का अंशदान प्रति वर्ष ₹100 और कर्मचारी का अंशदान उसके मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का दो प्रतिशत था। परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (अक्टूबर 2019) के कार्यान्वयन पर, अंशदान निम्नानुसार हैं:

नियोक्ता अंशदान	सदस्य का अंशदान
कार्यकारी: 01.01.2007 से 31.03.2015 @ 9% मूल वेतन और डीए का 01.04.2015 से 31.03.2018 @ 3% मूल वेतन और डीए का	• 2% मूल वेतन और डीए का • इसके अलावा, कोई सदस्य किसी भी समय वेतन के माध्यम से स्वैच्छिक अंशदान कर सकता है।
गैर-कार्यकारी: 01.01.2012 से 31.03.2015 @ 6% मूल वेतन और डीए का 01.04.2015 से 31.03.2018 @ 2% मूल वेतन और डीए का	

ईपीएफ न्यास और ईएसबीएफ न्यास की निधियों के कॉर्पस और 2017-18 से 2023-24 तक की सदस्यता का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	सदस्यों की संख्या	ईपीएफ न्यास का कॉर्पस (₹ करोड़)	ईएसबीएफ न्यास का कॉर्पस (₹ करोड़)
2017-18	17,331	3,370.24	593.08
2018-19	17,517	3,797.70	655.81
2019-20	17,576	4,184.06	779.90
2020-21	16,843	4,626.29	834.61
2021-22	15,861	4,804.20	927.00
2022-23	14,814	5,255.96	1,032.25
2023-24	13,549	4,939.13	1,088.05

अनुलग्नक XV

(पैरा 4.5.1 में संदर्भित)

आरआईएनएल के वीएसपीईपीएफ और इएसबीएफ न्यासों का विवरण

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना कर्मचारी भविष्य निधि (वीएसपीईपीएफ) न्यास का प्रबंधन समय-समय पर गठित न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है तथा यह कार्य वीएसपीईपीएफ न्यास नियमावली, 1982 के अनुसार किया जाता है। न्यासियों की संख्या चार से कम और बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यासियों की कुल संख्या का आधा भाग आरआईएनएल द्वारा प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत अधिकारियों में से नियुक्त किया जाएगा तथा शेष आधा भाग, इस प्रयोजनार्थ किसी कार्य दिवस पर आयोजित चुनाव के माध्यम से सदस्यों में से चुना जाएगा; यदि कोई मान्यता प्राप्त यूनियन है, तो शेष आधा भाग मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा नामित किया जाएगा। 31 जुलाई 2023 तक, वीएसपीईपीएफ बोर्ड में कुल नौ न्यासी थे, जिनमें प्रबंधन के पाँच तथा यूनियनों के चार प्रतिनिधि थे।

कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि (ईएसबीएफ) न्यास का प्रबंधन एवं प्रशासन, न्यास के कार्यकरण हेतु बनाए गए आरआईएनएल ईएसबीएफ नियमों के अंतर्गत गठित न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। न्यासी बोर्ड में 15 सदस्य होंगे तथा नियोक्ता को 5:2:8 के अनुपात में न्यासियों की नियुक्ति का अधिकार होगा, अर्थात् पाँच मान्यता प्राप्त यूनियनों से, दो स्टील एक्ज़ीक्यूटिव्स एसोसिएशन (एसईए) से तथा आठ प्रबंधन से। वर्तमान में, ईएसबीएफ बोर्ड में पाँच मान्यता प्राप्त यूनियनों से, दो एसईए से तथा आठ प्रबंधन से कुल 15 सदस्य हैं।

आरआईएनएल के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) वीएसपीईपीएफ तथा ईएसबीएफ, दोनों न्यासों के सदस्य एवं अध्यक्ष हैं।

अनुलग्नक-XVI

(पैरा 4.7 में संदर्भित)

कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड का गैर-अंशदायी भविष्य निधि

कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए क्रमशः कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) कर्मचारी गैर-अंशदायी भविष्य निधि नियमावली तथा कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) श्रमिक गैर-अंशदायी भविष्य निधि नियमों के माध्यम से गैर-अंशदायी भविष्य निधि (एनसीपीएफ) प्रारंभ की गई थी। ये नियम 1 अप्रैल 1972 से प्रभावी हुए। कर्मचारियों तथा पंजीकृत श्रमिकों के लिए निधि का प्रशासन दो पृथक न्यासी बोर्डों (बीओटी) द्वारा किया जाता था। बीओटी एनसीपीएफ नियमों के अनुसार निधियों के समुचित संचालन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी था।

एनसीपीएफ में अंशदान की राशि (कर्मचारियों एवं श्रमिकों दोनों के लिए) सदस्य द्वारा स्वयं निर्धारित की जानी थी, इस शर्त के अधीन कि यह उसके वेतन के 8-1/3 प्रतिशत से कम तथा उसके पूर्ण वेतन से अधिक न हो। उपर्युक्त शर्त के अधीन अंशदान की राशि को वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार बढ़ाया या घटाया जा सकता था, बशर्ते न्यासियों को एक माह की पूर्व सूचना दी जाए। बीओटी द्वारा प्रत्येक अंशदाता के खाते में वार्षिक रूप से ब्याज जमा किया जाना था, जिसकी दर निधि में निवेशित धन पर अर्जित औसत प्रतिशत ब्याज के निम्नतर चतुर्थांश के आधार पर निर्धारित की जानी थी। ऐसे ब्याज की गणना प्रत्येक अंशदाता के खाते में मासिक शेष पर की जानी थी तथा उसे वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर जोड़ा जाना था।

सदस्य की निधि में संचित राशि, जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, उसकी सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति अथवा मृत्यु के पश्चात यथाशीघ्र देय थी।

वर्ष 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान भविष्य निधि के सदस्यों की संख्या तथा प्रबंधनाधीन कुल निधि/परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार था:

क्र.सं.	वर्ष	पीएफ सदस्यों की संख्या (कर्मचारी और श्रमिक)	कुल निधि/परिसंपत्तियाँ (₹ करोड़)
1	2017-18	85	55.61
2	2018-19	77	61.81
3	2019-20	71	66.84
4	2020-21	64	67.7
5	2021-22	60	73.33
6	2022-23	56	77.59
7	2023-24	54	83.23

अनुलग्नक-XVII

(पैरा 4.7.1 में संदर्भित)

कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के भविष्य निधि के लिए न्यासी बोर्ड की संरचना

पंजीकृत श्रमिक गैर-अंशदायी भविष्य निधि

न्यासी बोर्ड में कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के उपाध्यक्ष (पदेन), श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड का एक सदस्य और बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाला नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य शामिल होते हैं।

कर्मचारी गैर-अंशदायी भविष्य निधि

न्यासी बोर्ड में कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) के उपाध्यक्ष, सीडीएलबी के मुख्य लेखा अधिकारी, (पदेन न्यासी के रूप में), नियोक्ताओं के प्रशासनिक निकाय के एक नामित, यदि कोई हो और सीडीएलबी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य शामिल है।

अनुलग्नक-XVIII

(पैरा 5.2 में संदर्भित)

अटल पेंशन योजना में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिका

1. वित्तीय सेवाएं विभाग

- वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के माध्यम से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न मदों (सरकारी सह-अंशदान, मीडिया अभियान, बैंकों को प्रोत्साहन राशि भुगतान) के तहत सहायता अनुदान प्रदान करता है। प्रतिवर्ष, डीएफएस उस वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले एपीवाई सेवा प्रदाताओं को खातों की संख्या का लक्ष्य आवंटित करता है। भारत सरकार लोगों को एपीवाई में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अंशदान संग्रह एजेंसियों द्वारा प्रचार और विकास गतिविधियों पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करती है। एपीवाई के तहत नामांकन के लिए बैंकों और अन्य नामांकन एजेंसियों को भी प्रोत्साहन का भुगतान किया जा रहा है।
- पीएफआरडीए की नियमित रूप से विभिन्न रिपोर्टें मांगकर निगरानी करना।

2. पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण

- एपीवाई को पीएफआरडीए द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत प्रशासित किया जा रहा है।
- सरकारी सह-अंशदान पीएफआरडीए को अनुदान के रूप में जारी किया जाता है ताकि इसे अभिदाताओं को क्रेडिट किया जा सके।
- केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त कर एपीवाई सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी करना।

3. नामांकन एजेंसियां

- एपीवाई की अधिसूचना के अनुसार, नामांकन एजेंसियां इस प्रकार हैं:

  i. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, बैंकिंग कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि सहित सभी बैंक या तो प्रत्यक्ष रूप से या निम्नलिखित सक्षमकर्ताओं के माध्यम से:

  ए. सभी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (सेवा प्रदाताओं) और एग्रीगेटर, जो एनपीएस के संस्थागत ढांचे के तहत शासित होते हैं और पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बैंकों के साथ सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

  बी. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी)/मौजूदा गैर-बैंकिंग एग्रीगेटर्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) आदि जिन्हें बैंकों द्वारा सक्षमकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अनुलग्नक-XIX
(पैरा 5.2 में संदर्भित)

अटल पेंशन योजना के तहत अंशदान चार्ट

विभिन्न प्रवेश आयु और पेंशन की न्युनतम गारंटीकृत राशि के लिए एपीवाई के तहत मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक निर्धारित अंशदान और नामांकित व्यक्ति को कॉर्पस राशि की वापसी।

		₹1000/माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन			₹2000/माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन			₹3000/माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन			₹4000/माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन			₹5000/माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन		
नामांकित व्यक्ति को कॉर्पस राशि की वापसी		₹1.7 लाख			₹3.4 लाख			₹5.1 लाख			₹6.8 लाख			₹8.5 लाख		
प्रवेश के समय आयु	निहित अवधि	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान
18	42	42	125	248	84	250	496	126	376	744	168	501	991	210	626	1239
19	41	46	137	271	92	274	543	138	411	814	183	545	1080	228	679	1346
20	40	50	149	295	100	298	590	150	447	885	198	590	1169	248	739	1464
21	39	54	161	319	108	322	637	162	483	956	215	641	1269	269	802	1588
22	38	59	176	348	117	349	690	177	527	1045	234	697	1381	292	870	1723
23	37	64	191	378	127	378	749	192	572	1133	254	757	1499	318	948	1877
24	36	70	209	413	139	414	820	208	620	1228	277	826	1635	346	1031	2042
25	35	76	226	449	151	450	891	226	674	1334	301	897	1776	376	1121	2219
26	34	82	244	484	164	489	968	246	733	1452	327	975	1930	409	1219	2414
27	33	90	268	531	178	530	1050	268	799	1582	356	1061	2101	446	1329	2632
28	32	97	289	572	194	578	1145	292	870	1723	388	1156	2290	485	1445	2862
29	31	106	316	626	212	632	1251	318	948	1877	423	1261	2496	529	1577	3122
30	30	116	346	685	231	688	1363	347	1034	2048	462	1377	2727	577	1720	3405
31	29	126	376	744	252	751	1487	379	1129	2237	504	1502	2974	630	1878	3718
32	28	138	411	814	276	823	1629	414	1234	2443	551	1642	3252	689	2053	4066
33	27	151	450	891	302	900	1782	453	1350	2673	602	1794	3553	752	2241	4438
34	26	165	492	974	330	983	1948	495	1475	2921	659	1964	3889	824	2456	4863
35	25	181	539	1068	362	1079	2136	543	1618	3205	722	2152	4261	902	2688	5323
36	24	198	590	1169	396	1180	2337	594	1770	3506	792	2360	4674	990	2950	5843
37	23	218	650	1287	436	1299	2573	654	1949	3860	870	2593	5134	1087	3239	6415
38	22	240	715	1416	480	1430	2833	720	2146	4249	957	2852	5648	1196	3564	7058
39	21	264	787	1558	528	1574	3116	792	2360	4674	1054	3141	6220	1318	3928	7778
40	20	291	867	1717	582	1734	3435	873	2602	5152	1164	3469	6869	1454	4333	8581

अनुलग्नक-XX

(पैरा 5.2.3 में संदर्भित)

अटल पेंशन योजना का निवेश पैटर्न

पीएफआरडीए के 3 जून, 2015 के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण और संबंधित साधनों में निवेश की सीमा 85 प्रतिशत तक और इक्विटी और संबंधित साधनों में 15 प्रतिशत तक होगी। उक्त दिशा-निर्देशों और समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशा-निर्देशों का स्थान लेते हुए, पीएफआरडीए ने 20 जुलाई 2021 को परिपत्र जारी किया और दिशानिर्देशों में संशोधन किया। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सहित एनपीएस योजनाओं पर लागू निवेश दिशानिर्देश निम्नानुसार निवेश की पांच श्रेणियों की अनुमति देते हैं:

(i) सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश (55% तक, पहले 50% तक)

(ii) ऋण प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश (45% तक)

(iii) अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश (10% तक, पहले 5% तक)

(iv) इक्विटी और संबंधित निवेश (15% तक)

(v) परिसंपति समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश (5% तक)

एपीवाई पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा अर्जित किए गए प्रतिफल

निधि का निवेश तीन पेंशन निधियों द्वारा किया जाता है - एसबीआई पेंशन निधि, एलआईसी पेंशन निधि एवं यूटीआई पेंशन निधि मार्च 2024 तक के प्रतिफल इस प्रकार थे:

वित्तीय वर्ष	अर्जित प्रतिफल		
	एलआईसी	एसबीआई	यूटीआई
2016-17	13.71%	13.79%	14.24%
2017-18	5.46%	5.98%	5.7%
2018-19	8.62%	9.19%	9%
2019-20	7.96%	9%	7.36%
2020-21	14.96%	13.57%	15.14%
2021-22	7.13%	7.08%	6.4%
2022-23	4.35%	3.99%	4.2%
2023-24	12.64%	12.31%	12.49%

अनुलग्नक XXI
(पैरा 5.3 में संदर्भित)
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना

योजना की विशेषताएं

योजना के तहत, अभिदाता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

(i) **न्यूनतम आश्वासित पेंशन:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) के तहत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम आश्वासित पेंशन प्राप्त होगी।

(ii) **समान अंशदान:** पीएमएसवाईएम एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें अभिदाता 50:50 के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान के साथ, अंशदान तालिका में उल्लिखित निर्धारित आयु-विशिष्ट अंशदान (₹55-₹200 प्रति माह तक) करता है।

(iii) **पारिवारिक पेंशन:** पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति या पत्नी नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना में शामिल होने और उसे जारी रखने का हकदार होगा या निर्गमन और निकासी के प्रावधानों के अनुसार योजना से छोड़ने का हकदार होगा।

पीएमएसवाईएम के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियां

(i) श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलएंडई)

श्रम और रोजगार मंत्रालय पीएमएसवाईएम का प्रशासक है और निम्नलिखित जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है:

- श्रम और रोजगार मंत्रालय दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी करता है और योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) में प्रत्येक सफल नामांकन के लिए सेवा प्रभार का भुगतान करता है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय नामित व्यक्ति में परिवर्तन, बैंक खाते के विवरण में बदलाव और अन्य मामलों के संदर्भ में प्रत्येक अपडेट के लिए लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले सेवा प्रभार के लिए निर्देश जारी करता है। सीएससी इस संबंध में लाभार्थी को उचित रसीद प्रदान करेगा।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय सीएससी को लाभार्थी अंशदान राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है।

- श्रम और रोजगार मंत्रालय लाभार्थियों को योजना के लाभों के बारे में सूचित करने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाता है।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सीएससी और एलआईसी के लिए एकल संपर्क बिंदु को नामित करता है, जिसमें एक नोडल अधिकारी परियोजना का समग्र प्रभारी होगा, और सीएससी और एलआईसी के साथ सुचारू संचार के लिए क्रमशः दो अधिकारियों को नामित किया जाएगा।
- लाभार्थियों की ऑनबोर्डिंग में सीएससी अधिकारियों को सहायता करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को पत्र जारी करता हैं।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय, इस योजना के प्रयोजनों के लिए, एक 'पेंशन निधि' की स्थापना करेगा, जिसका प्रबंधन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए योजना नियमों के अनुसार सरकार की ओर से एलआईसी द्वारा किया जाएगा।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय अभिदाता व्यक्तिगत खातों में आवधिक सह-अंशदान को पूरा करने के लिए एलआईसी के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध कराता है/उसकी आवश्यकता अनुसार पुनः पूर्ति करता है/उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करता है।
- योजना के व्यय और समझौता ज्ञापन में उल्लिखित किसी भी अन्य देयता/व्यय/दावों/ कटौतियों को विशेष रूप से एलआईसी के पास बनाए गए व्यय खाते से ही डेबिट किया जाता है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय सीएससी जो सरकार द्वारा चुनी गई नामांकन एजेंसी है, आईडीबीआई बैंक, जो प्रायोजक बैंक है, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), या योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक किसी अन्य निकाय के साथ सहयोग और समन्वय करता है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय एलआईसी को निधि से व्यय करने और भुगतान करने के लिए आवश्यक अनुमोदन और प्राधिकार प्रदान करता है और ये व्यय समर्पित कॉल सेंटर सेवाओं, मंत्रालय की ओर से या उसके निर्देश पर भेजे जाने वाले विशेष एसएमएस, मंत्रालय के निर्देश पर किए जाने वाले प्रचार कार्यों, विशेष आईटी विकास लागत और समय-समय पर मंत्रालय के अनुरोध पर एलआईसी द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों से जुड़े हो सकते हैं।

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम

एलआईसी निधि प्रबंधक है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के बीच समझौता ज्ञापन (10 जुलाई 2019 को हस्ताक्षरित) के अनुसार निम्नलिखित विभिन्न भूमिकाएं निभाता है:

- एलआईसी अभिदाताओं के व्यक्तिगत खातों (एसआईए) का अनुरक्षण करता है, जिसमें राशियां प्राप्त होने पर जमा की जाती हैं और प्रारंभिक अंशदान के माध्यम से नामांकन एजेंसी से और बाद में अंशदान के माध्यम से प्रायोजक बैंक से विधिवत मिलान किए गए आंकड़ों के साथ समायोजित की जाती हैं।

- एलआईसी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (सरकारी पूल खाता) का एक पूल खाता रखता है, जिसमें सरकार से प्राप्त होने पर सभी राशियां जमा की जाएंगी।
- योजना के अंतर्गत एसआईए एवं जीपीए मिलकर पेंशन कॉर्पस बनाते हैं। यह पेंशन कॉर्पस, जिसमें व्यक्तिगत अभिदाताओं एवं सरकार के अंशदान शामिल होते हैं, का निवेश समय-समय पर संशोधित आईआरडीएआई (निवेश) विनियमों/वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- एलआईसी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओसी) को नामित करता है जिसके तहत मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ सुचारू संचार के लिए कम से कम दो अधिकारियों को नामित किया जाता है।

(iii) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

सीएससी कार्यान्वयन एजेंसी है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (1 जुलाई 2019 को हस्ताक्षरित) के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार विभिन्न भूमिकाएं निभाती है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में देशव्यापी सीएससी नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहायता करता है, जहां सीएससी स्थापित/स्थित हैं और जहां सीएससी को भविष्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है, ऑनलाइन फाइलिंग सेवाओं में सहायक पंजीकरण/सत्यापन/अद्यतन के लिए भारत के सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कवरेज सुनिश्चित करता है।
- सीएससी कार्यशालाओं में बैनर के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया के प्रचार के विज्ञापन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का समर्थन करता है और सीएससी न्यूज़लेटर, नागरिकों को सेवाओं के बारे में सूचित करने के लिए बैनर के प्रदर्शन सहित अन्य जागरूकता अभियानों में सहायता करता है। ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के बीच जागरूकता फैलाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए मार्केटिंग कोलेट्रल भी डिजाइन करता है। विपणन संपार्श्विक वीएलई को ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण फॉर्म भरने की अवधारणा को समझने में मदद करता है।
- सीएससी समर्थन और समन्वय के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय कार्यालय में एक समर्पित व्यक्ति को तैनात करता है।
- समय-समय पर एलआईसी (पेंशन निधि प्रबंधक) या श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट प्रदान करता है, जैसा कि वे चाहते हैं।
- एलआईसी को टी+1 पर या पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार निधि हस्तांतरित करता है।
- पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के अनुसार, मासिक, पाक्षिक या किसी अन्य अवधि के लिए सेवाओं के प्रभार का इनवॉइस जारी करता है।

अनुलग्नक-XXII

(पैरा 5.3 और 5.4 में संदर्भित)

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के लिए अंशदान चार्ट

प्रवेश आयु	अधिवर्षिता आयु	सदस्यों का मासिक अंशदान (₹)	केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (₹)	कुल मासिक अंशदान (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

अनुलग्नक-XXIII

(पैरा 5.4 में संदर्भित)

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमआई) की विशेषताएँ

इस योजना के तहत, अभिदाता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- **न्यूनतम आश्वासित पेंशन:** पीएमकेएमवाई के तहत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम आश्वासित पेंशन प्राप्त होगी।
- **पारिवारिक पेंशन:** पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति या पत्नी नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना में शामिल होने और उसे जारी रखने का हकदार होगा तथा निर्गमन एवं निकासी के प्रावधानों के अनुसार योजना छोड़ने का हकदार होगा।
- पीएमकेएमवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे एलआईसी के साथ साझेदारी में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- एलआईसी पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
- लघु और सीमांत किसानों के पास यह विकल्प होगा कि वे प्रधानमंत्री किसान योजना से उन्हें प्राप्त वित्तीय लाभों में से सीधे अपने स्वैच्छिक अंशदान राशि का भुगतान की अनुमति दे सकें।
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पास व्यक्तिगत लघु और सीमांत किसान लाभार्थी के अंशदान के भार को साझा करने का विकल्प होगा।
- योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र लघु और सीमांत किसानों के पास पंजीकरण करने के लिए तीन विकल्प हैं: सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), राज्य नोडल कार्यालय (एसएनओ) के साथ-साथ समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्व-नामांकन।
- अभिदाता के साथ-साथ उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कॉर्पस यानी अभिदाता और सरकार द्वारा किए गए कुल संचित अंशदान को निधि में वापस जमा किया जाएगा।

पीएमकेएमवाई के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियां

(i) कृषि और किसान कल्याण विभाग

विभाग निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निभाता है:

- योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी करना।

- सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी ई-गवर्नेंस) और राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) (पीएम-किसान) के साथ समर्थन और समन्वय करता है जो योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सरकार या किसी अन्य निकाय द्वारा चुनी गई नामांकन एजेंसी है। यह लाभार्थियों के नामांकन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) के पास उपलब्ध लाभार्थियों के बड़ी मात्र में डेटा को सीएससी को हस्तांतरित करने की सुविधा भी प्रदान करता है और सीएससी में प्रत्येक सफल नामांकन के लिए सेवा प्रभार का भुगतान करता है।
- लाभार्थियों की ऑनबोर्डिंग में सीएससी अधिकारियों का सहयोग करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को पत्र जारी किये जाते हैं।
- योजना के लाभों के बारे में लाभार्थियों को सूचित करने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना, विभाग की ओर से एलआईसी को आवश्यक अनुमोदन और भुगतान करने और भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करना जैसे समर्पित कॉल सेंटर सेवाएं, विशेष एसएमएस, प्रचार गतिविधियां, विशेष आईटी विकास लागत और अन्य खर्च।
- एक 'पेंशन निधि' की स्थापना करना, जिसका प्रबंधन विभाग की ओर से एलआईसी द्वारा किया जाता है; अभिदाता व्यक्तिगत खातों में आवधिक सह-अंशदान के भुगतान हेतु एलआईसी के पास पर्याप्त निधियों की पुनः पूर्ति/अनुरक्षण करता है।

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम

एलआईसी निधि प्रबंधक है तथा कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) और भारतीय जीवन बीमा निगम (8 अगस्त 2019 को हस्ताक्षरित) के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। एलआईसी अभिदाताओं के व्यक्तिगत खातों (एसआईए) का अनुरक्षण करता है, जिसमें राशियां प्राप्त होने पर जमा की जाती हैं और प्रारंभिक अंशदान के माध्यम से नामांकन एजेंसी से और बाद में अंशदान के माध्यम से प्रायोजक बैंक से विधिवत मिलान किए गए आंकड़ों के साथ समायोजित की जाती हैं। यह इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का एक पूल खाता रखता है, जिसका नाम सरकारी पूल खाता (जीपीए) है, जिसमें सरकार से प्राप्त होने पर सभी राशियां जमा की जाएंगी। एसआईए, जीपीए के साथ मिलकर योजना के तहत पेंशन निधि का गठन करता है जिसे आईआरडीएआई (निवेश) विनियमों/वित्त मंत्रालय के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित किया जाता है।

(iii) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एक अतिरिक्त नामांकन एजेंसी (राज्य नोडल कार्यालयों और स्व-पंजीकरण के अलावा) है तथा कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) के साथ दिनांक 1 अगस्त 2019 के समझौता ज्ञापन के अनुसार विभिन्न भूमिकाएं निभाती है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- ऑनलाइन फाइलिंग सेवाओं में सहायक पंजीकरण/सत्यापन/अद्यतन के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में देशव्यापी सीएससी नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सहायता करता है। एकीकरण इस प्रकार किया गया है कि अधिकृत ग्राम स्तरीय उद्यमी

(वीएलई)[4] अधिकृत सीएससी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीएमकेएमवाई वेबसाइट/पोर्टल/एप्लिकेशन तक पहुंच सकता है।

- सीएससी कार्यशालाओं में बैनर के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया के प्रचार के विज्ञापन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का सहयोग करता है और सीएससी न्यूजलेटर, नागरिकों को सेवाओं के बारे में सूचित करने के लिए बैनर के प्रदर्शन सहित अन्य जागरूकता अभियानों में सहायता करता है। ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए मार्केटिंग कोलेट्रल भी डिजाइन करता है।
- सीएससी समर्थन और समन्वय के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में एक समर्पित व्यक्ति को तैनात करता है।
- एलआईसी (पेंशन निधि प्रबंधक) या डीओए एंड एफडब्ल्यू को समय-समय पर उनके द्वारा वांछित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रदान करता है।
- मासिक आधार पर, पाक्षिक आधार पर या पक्षों के बीच, पारस्पारिक रुप से सहमत किसी भी अवधि के लिए ली जाने सेवाओं के इनवॉइस जारी करना।

[4] सीएससी में मौजूद ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, पति या पत्नी और नामांकित व्यक्ति के विवरण, मोबाइल नंबर (वैकल्पिक), पते और कुछ अन्य विवरणों का विवरण लेने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करता है।

अनुलग्नक-XXIV

(पैरा 5.5 में संदर्भित)

प्रधान मंत्री व्यय वंदन योजना

दिनांक 31 मार्च 2022 तक, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) के 9.39 लाख अभिदाता थे और प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति ₹72,687 करोड़ थी। योजना की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि नीचे दर्शाई गई थी:

वर्ष	अभिदाता की संख्या	प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (₹ करोड़)
2017-18	2,33,714	12,349.14
2018-19	4,03,140	24,791.02
2019-20	5,45,804	37,124.56
2020-21	7,39,659	54,810.22
2021-22	9,39,193	72,687.57

पीएमवीवीवाई-2020 के तहत अंशदान इस प्रकार था:

पेंशन का तरीका	₹1,000/माह की न्यूनतम पेंशन के लिए खरीद मूल्य	₹9,250/माह की अधिकतम पेंशन के लिए खरीद मूल्य
वार्षिक	₹1,56,658	₹14,49,086
अर्धवार्षिक	₹1,59,574	₹14,76,064
त्रैमासिक	₹1,61,074	₹14,89,933
मासिक	₹1,62,162	₹15,00,000

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/en/page-15-of-26